क्रम संख्या–35

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शुक्रवार, 22 मई, 2026 ई0

ज्येष्ठ 01, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्या– 649/VIII-1/2026–38(श्रम)2018

देहरादून, 22 मई, 2026

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

और चूंकि उपजीविकाजन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 की धारा 133 व धारा 135 में प्रावधान है कि समुचित सरकार (राज्य सरकार) एवं राज्य सरकार को उक्त संहिता के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है;

अतएव, अब राज्यपाल उपजीविकाजन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 की धारा 133 व धारा 135 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड के किसी स्थापन में नियोजित व्यक्तियों की उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाओं को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित उत्तराखण्ड उपजीविकाजन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता नियमावली, 2026 बनाने का प्रस्ताव करते है;

राज्यपाल उक्त संहिता की धारा 133 की उपधारा (1) एवं धारा 135 की उपधारा (1) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त नियमावली से प्रभावित होने वाले हिताधिकारियों एवं जनसामान्य द्वारा इस अधिसूचना से सम्बन्धित कोई भी अभ्यावेदन एवं आपत्तियां इस अधिसूचना के समाचार पत्र/वेबसाइट में प्रकाशित होने की दिनांक से 45 दिन के भीतर सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन, 4 बी सुभाष रोड, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून, उत्तराखण्ड (secretaryswpl25@gmail.com) एवं श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड (lcukhld0@gmail.com) को प्रेषित किये जा सकेंगे;

राज्यपाल यह भी निर्देश देते है कि उक्त समायावधि के पश्चात् किसी भी अभ्यावेदन एवं आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जायेगा

उत्तराखण्ड उपजीविकाजन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता नियमावली, 2026

(प्रस्तावित प्रारूप)

अध्याय 1
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उपजीविकाजन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता नियमावली, 2026 है।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।

(3) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

परिभाषायें

2. (1) जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) "परिशिष्ट" से इन नियमों की परिशिष्ट अभिप्रेत है;

(ख) "अपीलीय अधिकारी" से संहिता की धारा 4 की उपधारा (1) एवं धारा 119 की उपधारा (6) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी से अभिप्रेत है;

(ग) "शिक्षु" (अप्रेंटिस) से शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 2 खंड (कक) के अंतर्गत परिभाषित अप्रेंटिस अभिप्रेत है;

(घ) "बेल्ट" से कोई भी ड्राइविंग स्ट्रैप या रस्सी अभिप्रेत है;

(ङ) "बोर्ड" से संहिता की धारा 17 के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है;

(च) "कैलेंडर वर्ष" से प्रत्येक वर्ष जनवरी के पहले दिन से शुरू होने वाली बारह महीनों की अवधि अभिप्रेत है;

(छ) "बाल" का वही अर्थ होगा जो बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 2 के अध्याय (ii) में दिया गया है;

(ज) "संहिता" से उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020(केन्द्रीय अधिनियम 37 वर्ष 2020) अभिप्रेत है;

(झ) डिग्री (तापमान) से सेंटीग्रेट स्केल पर डिग्री अभिप्रेत है;

(ञ) "इलेक्ट्रॉनिक रूप" मे कुशल और पारदर्शी पेरोल सॉफ्टवेयर को बनाए रखना शामिल है ताकि उपस्थिति रजिस्टर, हाजिरी रजिस्टर, छुट्टी रजिस्टर, ओवरटाइम रजिस्टर या वेतन रजिस्टर आदि के प्रयोजनों के लिए आवश्यक जानकारी व्यवस्थित तरीके से देखी जा सके;

(ट) "प्ररुप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररुप अभिप्रेत है;

(ठ) "धुएं" में गैस और वाष्प शामिल हैं;

(ड) "परिसकंटमय अपशिष्ट" से वह परिसंकटमय अपशिष्ट अभिप्रेत है जैसा कि परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 के नियम 3 के उप–नियम (1) के खंड (17) में परिभाषित किया गया है;

(ढ) "घरेलू कामगार" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे नियोक्ता या ठेकेदार द्वारा घर पर बीड़ी बनाने के लिए कच्चा माल दिया जाता है;

(ण) "श्रम आयुक्त" से उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा श्रम आयुक्त के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(त) "अनुज्ञप्ति अधिकारी" राज्य सरकार द्वारा संहिता की धारा 119 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(थ) "रखरखाव" से है मशीनों या उपकरणों को कुशल अवस्था में, कुशल कार्य क्रम में और अच्छी मरम्मत में बनाए रखनाय सभी आवश्यक नवीनतम सूचनाओं को सही स्थान पर दर्ज करके और प्रतिष्ठान को रजिस्टर,

पुस्तक, दस्तावेज या प्रपत्र के रूप में उपलब्ध कराते हुए, मैन्युअल रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से, जैसा भी मामला हो, मूल अवस्था में और अच्छी स्थिति में बनाए रखना अभिप्रेत है;

(फ) "प्रमुख दुर्घटना परिसंकट (एमएएच) प्रतिष्ठान" से परिसंकटमय रसायनों के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 के नियम 2 (झक) में परिभाषित कारखाने अभिप्रेत है;

(ब) "प्रबंधक" से किसी प्रतिष्ठान के नियोक्ता द्वारा संहिता और उसके बाद बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए नामित या नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और वह व्यक्ति अपने पद के कारण सौंपे गए कार्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है;

(भ) "राष्ट्रीय मानक" से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित मानक और ऐसे मानकों के अभाव में, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मानकों से अभिप्रेत है;

(म) "अन्य शिक्षु" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो नियोक्ता के साथ किसी अनुबंध के अधीन संविदात्मक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो, न कि शिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत।

(य) "पोर्टल" से उत्तराखंड सरकार के श्रम विभाग के आधिकारिक वेब–पोर्टल अभिप्रेत है;

(र) "सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण" से उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी अभिप्रेत है;

(ल) "योग्य नर्स" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो उत्तराखंड नर्स एवं दाई परिषद् में पंजीकृत हो।

(व) "तिमाही" से एक तीन लगातार महीनों की अवधि जो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर से शुरू होगी अभिप्रेत है;

(स) "पंजीकरण अधिकारी" से संहिता की धारा 3 और इन नियमों के प्रायोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पंजीकरण अधिकारी अभिप्रेत है;

(श) "धारा" से संहिता की धारा अभिप्रेत है;

(ष) "मानक सुरक्षित संचालन प्रक्रियाएं" से श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा ऐसी प्रक्रियाओं में प्रयुक्त मशीनरी, प्रक्रिया और उपकरणों के सुरक्षित संचालन के लिए अपनाई जाने वाली प्रथाओं से है, और ऐसी प्रथाएं जो निम्नलिखित में से सभी या किसी एक का पालन करती हैं, अर्थात्:–

(1)– भारतीय मानक ब्यूरो या अंतर्राष्ट्रीय मानकों द्वारा अनुमोदित प्रासंगिक मानक;

(2)– राष्ट्रीय भवन संहिता;

(3)– उपकरण और मशीनरी के सुरक्षित उपयोग पर निर्माताओं के निर्देश;

(4)– अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित और समय–समय पर संशोधित सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रथाओं पर आचार संहिता।

(ह) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड की सरकार से अभिप्रेत है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त ऐसे शब्द एवं पद, जो परिभाषित नहीं है, किन्तु संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो संहिता में हैं।

धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (भ) के अंतर्गत अन्य स्रोतों से आय

3. धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (भ) के प्रयोजनों के लिए, ऐसे आश्रितों को शामिल नहीं किया जाएगा जो उस उद्योग में लागू न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे अधिक मजदूरी प्राप्त कर रहे हों जहाँ श्रमिक काम कर रहे हैं।

धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) के अधीन सक्षम व्यक्ति की नियुक्ति, अर्हता, अनुभव व उसके

4. (1) मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक किसी कारखाने में स्थित भवनों, खतरनाक मशीनरी, होइस्ट और लिफ्ट, उठाने वाली मशीनों और उपकरणों, दबाव संयंत्रों, सीमित स्थानों, वेंटिलेशन प्रणालियों और संहिता एवं

अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाएं

उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित अन्य प्रक्रियाओं या संयंत्रों एवं उपकरणों के परीक्षण, जांच और निरीक्षण करने के उद्देश्य से, निर्दिष्ट क्षेत्र और अवधि के लिए किसी व्यक्ति को सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता दे सकता है, यदि ऐसा व्यक्ति इस नियमावली में संलग्न अनुसूची–1 में दी गयी योग्यताएं अनुभव और अन्य अर्हताएँ धारित करता हो:

परन्तु यह कि, इस प्रावधान के अधीन मान्यता प्राप्त सक्षम व्यक्ति की आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और वह परीक्षण, जांच और निरीक्षण करने के उद्देश्य से शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

(2) मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक, नियमों के साथ संलग्न अनुसूची–1 में निर्धारित योग्यता और अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित संस्थान को, नियमों के अंतर्गत दी गई अनुसूची–1 में उल्लिखित योग्यता और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के साथ, भवनों, खतरनाक मशीनरी, होइस्ट और लिफ्ट, लिफ्टिंग मशीन और लिफ्टिंग उपकरण, प्रेशर प्लांट, बंद स्थान, वेंटिलेशन सिस्टम और ऐसे अन्य प्रोसेस या प्लांट और उपकरण जिनका उल्लेख संहिता और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में किया गया है, निर्दिष्ट क्षेत्र और निर्दिष्ट अवधि के लिए सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता दे सकता है।

(3) मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक, संहिता और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति या संस्था से प्रपत्र–1 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से आवेदन प्राप्त होने पर, ऐसे आवेदन को पंजीकृत कर सकता है और आवेदन प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर, लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए आवेदन को अस्वीकार कर सकता है या यदि आवेदक की सक्षमता और उपलब्ध सुविधाओं से संतुष्ट हो, तो आवेदक को सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता दे सकता है और प्रपत्र–2 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सक्षमता प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।

(4) सक्षम व्यक्ति या संस्था प्रत्येक माह की 10 तारीख तक संबंधित क्षेत्राधिकार के निरीक्षक–सह–सुकारक को मासिक रिपोर्ट भेजेगा। रिपोर्ट में उन प्रतिष्ठानों के नाम और पते शामिल होंगे जहां परीक्षण/जांच की गई थी, प्रतिष्ठान का दौरा करने वाले व्यक्तियों के नाम, दौरे की तारीख और जांच किए गए उपकरणों की पहचान संख्या सहित सूची शामिल होगी। सक्षम व्यक्ति निरीक्षक–सह–सुकारक द्वारा नियम या निर्देशों के किसी प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कोई अन्य जानकारी भी प्रदान करेगा। यदि दौरे के दौरान उसे प्रतिष्ठान में जीवन के लिए किसी भी प्रकार का तत्काल खतरा महसूस होता है, तो वह इसकी सूचना तुरंत देगा।

(5) मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक, सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उप नियम (3) के अधीन उसे जारी किया गया प्रमाण पत्र रद्द कर सकता है:

(i) यदि उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि सक्षम व्यक्ति ने:

(क) प्रमाण पत्र में निर्धारित किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है; या

(ख) संहिता या उसके अधीन बनाये गये नियमों के आशय या उद्देश्य के विपरीत रीति से कोई परीक्षण, जांच या निरीक्षण किया हो या अन्यथा किया हो।

(ग) संहिता और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार आवश्यक कार्य को करने में चूक की है;

(ii) किसी अन्य कारण से जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

स्पष्टीकरण। इस नियम के प्रयोजन के लिए, संस्था में संगठन भी शामिल है।

(6) मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, लिफ्टिंग मशीनों, लिफ्टिंग उपकरणों, प्रेशर प्लांट या वेंटिलेशन सिस्टम, जैसा भी मामला हो, के पुनः प्रमाणीकरण की अपेक्षा कर सकता है, जिसे उत्तराखंड राज्य के बाहर किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

अध्याय–दो

प्रतिष्ठान का पंजीकरण

पंजीकरण के लिए रीति और आवेदन पत्र का प्रपत्र, और धारा 3 के अधीन शुल्क और विलम्ब शुल्क

5. (1) पंजीकरण के लिए आवेदन–

(क) किसी प्रतिष्ठान के पंजीकरण के लिए इच्छुक नियोक्ता, प्रतिष्ठान के बारे में विवरण देते हुए और प्रपत्र–3 में निर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेज, पहचान प्रमाण और नियोक्ता(ओं) के पते का प्रमाण अपलोड करते हुए, इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट वेब–पोर्टल पर प्रपत्र–3 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करेगा।

(ख) प्रपत्र–3 पर पोर्टल पर आवश्यकतानुसार डिजिटल रूप से या किसी अन्य तरीके से हस्ताक्षर किए जाएंगे। आवेदन में दी गई सभी सूचनाओं की सत्यता के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

(ग) आवेदक या प्रतिष्ठान का स्थायी खाता नम्बर (पैन) जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आवंटित किया गया हो, या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत प्रतिष्ठान को आवंटित कोई अन्य विशिष्ट नम्बर, या प्रपत्र–3 में दी गई कोई अन्य जानकारी, ऑनलाइन सत्यापित की जा सकती है।

(घ) यदि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है तो पंजीकरण का प्रमाण पत्र– क में डिजिटल रूप से तत्काल किन्तु पूर्ण आवेदन जमा किए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा, ऐसा न करने पर ऐसे स्थापन को पंजीकृत मान लिया जाएगा और पंजीकरण का प्रमाण–पत्र स्वतः सृजित हो जाएगा।

परन्तु यह अपवादित परिस्थितियों में राज्य सरकार ऐसी अवधि के लिए अधिसूचना द्वारा राज्य

के किसी भाग अथवा सम्पूर्ण राज्य को प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठान की किसी श्रेणी के संबंध में इलैक्ट्रॉनिक पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त कर सकती है और इस प्रकार उपलब्ध कराया गए प्रपत्र–3 में आवेदन भेजने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

(ङ) पंजीकरण प्रमाण–पत्र अहस्तांतरणीय होगा और पंजीकरण की एक प्रति प्रतिष्ठान के परिसर में किसी प्रमुख स्थान पर हार्ड कॉपी के रूप में या इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी।

(2) संहिता के अधीन पंजीकरण अधिकारी, उप–नियम (1) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल रहने वाले नियोक्ता को उसमें निर्धारित समय के भीतर ऐसा करने का निर्देश दे सकता है, और ऐसा नियोक्ता इसके बाद इस निमित्त अधिकारी द्वारा जारी निर्देश का अनुपालन करेगा।

(3) नियोक्ता को संहिता, नियमों, विनियमों या योजना के संबंध में उसके द्वारा तैयार या पूर्ण किए गए सभी दस्तावेजों पर और संबंधित कार्यालय के साथ सभी पत्राचार में पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना होगा।

(4) प्रतिष्ठान के पंजीकरण के लिए शुल्क निम्नलिखित दरों पर देय होगा।

प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिकों की संख्या	शुल्क की धनराशि रुपये में
दस या उससे अधिक लेकिन बीस से कम श्रमिक	10000.00
बीस या उससे अधिक लेकिन पचास से कम श्रमिक	20000.00
पचास या उससे अधिक लेकिन सौ से कम श्रमिक	30000.00
सौ या उससे अधिक लेकिन दो सौ से कम श्रमिक	40000.00
दो सौ या उससे अधिक लेकिन पाँच सौ से कम श्रमिक	50000.00

पांच सौ या उससे अधिक लेकिन दो हजार से कम श्रमिक	100000.00
दो हजार या अधिक कर्मचारी	200000.00

परन्तु राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा पंजीकरण के लिए शुल्क की राशि में परिवर्तन कर सकती है।

(5) पंजीकरण अधिकारी प्रपत्र–4 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिष्ठानों का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें उन प्रतिष्ठानों का विवरण होगा जिनके संबंध में उसने पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए हैं।

(6) यदि कोई प्रमुख नियोक्ता धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसार निर्धारित साठ दिनों के भीतर पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे पंजीकरण हेतु आवेदन के साथ दस प्रतिशत वार्षिक विलंब शुल्क या राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा।

(7) धारा 3 की उपधारा (8) में निर्दिष्ट किसी केंद्रीय श्रम कानून के अधीन पहले से पंजीकृत प्रतिष्ठान के संबंध में नियोक्ता, इन नियमों के लागू होने की तिथि से छह महीने के भीतर राज्य सरकार के पोर्टल पर अपने पंजीकरण विवरण उपलब्ध करायेगा।

(8) पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रतिष्ठान के परिसर में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली जगह पर हार्डकॉपी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदर्शित की जाएगी।

(9) स्वामित्व, प्रबंधन या निर्दिष्ट पोर्टल पर प्रस्तुत पंजीकरण फॉर्म में दी गई किसी भी जानकारी में कोई भी परिवर्तन होने पर नियोक्ता द्वारा ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर पोर्टल पर आवेदन किया जाएगा।

(10) किसी प्रतिष्ठान का नियोक्ता, जिसकी व्यावसायिक गतिविधियां बंद होने की प्रक्रिया में हैं, केंद्रीय श्रम संहिता के अधीन देय बकाया राशि का पूरा विवरण देने के बाद आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है:

परन्तु पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि नियोक्ता ने सभी वैधानिक रिटर्न प्रस्तुत न कर दिए हों, केंद्रीय श्रम संहिता और लागू किसी अन्य केंद्रीय या राज्य श्रम कानून के अधीन सभी वैधानिक देय राशि का भुगतान न कर दिया हो, और आवेदन के साथ इस आशय का स्व–प्रमाणन प्रस्तुत न कर दिया हो।

धारा 4 के अधीन पंजीकरण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील

6. (1) पंजीकरण अधिकारी के आदेश से पीड़ित नियोक्ता, राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अपीलीय अधिकारी के समक्ष, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपील दायर कर सकता है।

(2) अपील ज्ञापन के रूप में होनी चाहिए और उसमें आदेश पर आपत्ति के आधारों का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए। अपील के साथ उस आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न होनी चाहिए जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

(3) जहां अपील ज्ञापन सही है, वहां अपीलीय अधिकारी अपील को स्वीकार करेगा, उसकी पुष्टि करेगा और ऐसी अपील की स्वीकृति की सूचना देगा, और अपील को इलेक्ट्रॉनिक रूप में पंजीकृत करेगा जिसे अपील रजिस्टर कहा जाएगा।

(4) अपील स्वीकार हो जाने पर, अपीलीय अधिकारी अपील की सूचना उस पंजीकरण अधिकारी को भेजेगा जिसके आदेश के विरुद्ध अपील दायर की गई है, और पंजीकरण अधिकारी इसके बाद मामले के अभिलेख अपीलीय अधिकारी को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजेगा।

(5) अपील प्राप्त होने पर, अपीलीय अधिकारी अपीलकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा, नोटिस में निर्दिष्ट तिथि और समय पर अपील की सुनवाई के लिए उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजेगा।

(6) यदि सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि पर अपीलकर्ता उपस्थित नहीं होता है, तो अपीलीय अधिकारी अपीलकर्ताओं की अनुपस्थिति के कारण अपील को खारिज कर सकता है और आदेश की प्रति आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज सकता है।

(7) जहां उप–नियम (6) के प्रावधानों के अधीन अपील खारिज कर दी गई है, वहां अपीलकर्ता आदेश प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर अपील अधिकारी को अपील बहाल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन कर सकता है और यदि अपील अधिकारी संतुष्ट है कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारण से उपस्थित होने से रोका गया था, तो अपील अधिकारी अपील बहाल कर देगा।

(8) अपीलीय अधिकारी का आदेश अपीलकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा सूचित किया जाएगा और उसकी एक प्रति उस पंजीकरण अधिकारी को भेजी जाएगी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील दायर की गई है और अपील प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर उसका निपटारा किया जाएगा।

धारा 5 के अधीन नियोक्ता द्वारा कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की सूचना

7. (1) संहिता की धारा 5 के अंतर्गत आने वाला प्रत्येक नियोक्ता, किसी भी कार्य के प्रारंभ और समापन के तीस दिनों के भीतर, उस क्षेत्र के क्षेत्राधिकार रखने वाले पंजीकरण अधिकारी को, जहां प्रस्तावित प्रतिष्ठान या कार्य निष्पादित किया जाना है, कार्य के प्रारंभ, समापन और प्रतिष्ठान के समापन की वास्तविक तिथि की सूचना देगा, जो इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र–5 में राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होगी।

(2) संचालन बंद करने की सूचना के साथ एक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिकों को सभी देय राशि का भुगतान कर दिया गया है और परिसर को खतरनाक रसायनों और पदार्थों के भंडारण से मुक्त रखा गया है।

अध्याय– तीन
नियोक्ता और कर्मचारियों के कर्तव्य

धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और धारा 135(2)(यक) के अधीन शारीरिक चोटों की रोकथाम

8. (1) किसी भी प्रतिष्ठान में कोई भी इमारत, दीवार, चिमनी, पुल, सुरंग, सड़क, गैलरी, सीढ़ी, रैंप, फर्श, प्लेटफॉर्म, स्टेजिंग या अन्य संरचना, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, इस प्रकार से निर्मित, स्थित या रखरखाव नहीं किया जाएगा जिससे शारीरिक चोट का खतरा उत्पन्न हो।

(2) किसी भी प्रतिष्ठान में कोई भी मशीनरी, संयंत्र या उपकरण इस प्रकार से निर्मित, स्थित, संचालित या रखरखाव नहीं किया जाएगा जिससे शारीरिक चोट का खतरा उत्पन्न हो।

(3) किसी भी प्रतिष्ठान में कोई भी प्रक्रिया या कार्य इस प्रकार से नहीं किया जाएगा जिससे शारीरिक चोट का खतरा उत्पन्न हो।

(4) किसी भी सामग्री या उपकरण को इस प्रकार ढेर या संग्रहित नहीं किया जाएगा जिससे शारीरिक चोट का खतरा उत्पन्न हो।

उन कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान जो धारा 2(1)(यय(i)) एवं धारा 135(2)(यक) से अच्छादित नहीं हो

9. संहिता एवं नियमों के ये प्रावधान, जिनमें कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, धारा 2(1)(यय(i)) के अंतर्गत न आने वाले कर्मचारियों पर भी निम्नलिखित के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे मानो वे संहिता एवं नियमों के अर्थ में आने वाले श्रमिक है–

(i) सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण;

(ii) अभिलेखों, रजिस्टरों और प्रपत्रों का रखरखाव;

(iii) धारा 2(1)(ब), धारा 2(1)(जा) के अंतर्गत किसी कारखाने और भवन या अन्य निर्माण कार्यों में श्रमिकों की संख्या की गणना करना तथा इन प्रतिष्ठानों के अंतर्गत पंजीकरण कराना;

(iv) संहिता का अध्याय VII किसी कारखाने के लिए, सामान्य दैनिक कार्य घंटों को छोड़कर, जब तक कि इसे धारा 91 के अधीन छूट न दी गई हो।

धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिष्ठानों में यांत्रिक परिवहन से उत्पन्न खतरे के विरुद्ध प्रावधान एवं धारा 135(2)(यक)

10. (1) किसी भी रेलगाड़ी के वैगन को बल या हाथ से तब तक नहीं चलाया जाएगा जब तक कि उसकी आवाजाही की सीधी निगरानी किसी जिम्मेदार व्यक्ति या इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त व्यक्ति द्वारा न की जाए। साथ ही, एक व्यक्ति को उपयुक्त घंटी या अन्य श्रव्य उपकरण के साथ वैगन या वैगनों के आगे चलने के लिए नियुक्त किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति चलती हुई वैगन या वैगनों के आगे या बीच से न गुजरे। ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम प्रपत्र-6 में उपस्थिति रजिस्टर में अलग से दर्ज किए जाएंगे।

(2) यांत्रिक परिवहन या परिवहन वाहन को चलाते समय केवल प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही संचालित किया जाना चाहिए, और ऐसे संचालन एक जिम्मेदार पर्यवेक्षक की देखरेख में होने चाहिए। नियोक्ता ऐसे वाहनों की सुरक्षित आवाजाही के लिए उचित कदम उठाएगें और व्यवस्था करेंगे।

अन्य शिक्षुओं के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण उपायों हेतु विशेष प्रावधान [धारा 135(2)(यक)]

11. (1) किसी प्रतिष्ठान में कोई शिक्षु या अन्य शिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो इन शिक्षुओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के संबंध में संहिता एवं नियमों के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो वे संहिता के अर्थ में श्रमिक हों।

(2) धारा 25 की उपधारा (1) और (4) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम, सामान्य कार्य घंटों के संबंध में, अन्य शिक्षुओं पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वे संहिता के अर्थ में श्रमिक हों।

धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन आने वाले पांच मंजिला या बीस मीटर से अधिक ऊँचाई वाले भवनों के लिए सुरक्षा प्रावधान [धारा 135(2)(यक)]

12. किसी प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के समूह का, जो पाँच मंजिल या उससे अधिक ऊँचा हो या जिसकी ऊँचाई बीस मीटर या उससे अधिक हो, नियोक्ता, स्वामी या दोनों को आग लगने की आपात स्थिति, लिफ्ट की खराबी या किसी अन्य खतरनाक घटना से निपटने के लिए एक आपातकालीन योजना तैयार करनी होगी और उसे अद्यतन रखना होगा। उसे भारतीय मानकों के अनुसार आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, जनता तक सूचना का प्रसार और सुरक्षा के लिए पर्याप्त पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना होगा।

धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (सी) के अधीन कुछ प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षा

13. (1) प्रत्येक प्रतिष्ठान के नियोक्ता को 40 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी कर्मचारियों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करनी होगी, कम से कम बारह माह में एक बार सभी व्यक्तियों की नियुक्ति से पहले निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करनी होगी: और उन सभी कर्मचारियों की भी निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करनी होगी जिन्हें पिछले दो वर्षों में रोजगार के दौरान किसी दुर्घटना में गंभीर शारीरिक चोट लगी हो:

परन्तु खतरनाक प्रक्रियाओं या खतरनाक कार्यों में कार्यरत कर्मचारियों की जांच उसमें विशेष रूप से दिए गए प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

(2) स्वास्थ्य जांच योग्य चिकित्सक या कारखाने के चिकित्सा अधिकारी द्वारा, जैसा भी मामला हो, की जाएगी। ऐसी वार्षिक जांच के रिकॉर्ड प्रपत्र–7 मे एक स्वास्थ्य रजिस्टर मे रखे जाएंगे। यदि यह परीक्षा रोजगार से पहले आयोजित की जाती है, तो इसे प्रपत्र–8 में फिटनेस प्रमाण पत्र के रूप में भी रखा जाएगा। ऐसी परीक्षाओं के परिणाम संबंधित कर्मचारी के साथ साझा किए जाएंगे–

(क) संपूर्ण चिकित्सा एवं व्यावसायिक इतिहास;

(ख) नैदानिक परीक्षण, विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में–

(i) संपूर्ण चिकित्सा एवं व्यावसायिक इतिहास;

(ii) नैदानिक परीक्षण, विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में–

(1) सामान्य भौतिकी;

(2) दृष्टि परीक्षण में दृश्य तीक्ष्णता और मैकुलर फंक्शन परीक्षण या फंडोस्कोपी परीक्षा शामिल होगी;

(3) यदि आवश्यक हो तो श्रवण माप परीक्षण;

(4) यदि आवश्यक हो तो श्वसन संबंधी फुफ्फुसी; कार्यक्षमता परीक्षण या एक्स–रे;

(5) ऊपरी अंगरू पर्याप्त भुजा कार्यक्षमता और पकड़ (दोनों भुजाएँ);

(6) निचले अंगरू पैरों और पंजों का पर्याप्त कार्य;

(7) रीढ़ की हड्डी – रीढ़ की हड्डी की सामान्य जांच

(8) अच्छी नेत्र, हाथ और पैर के समन्वय के साथ सामान्य मानसिक सतर्कता और स्थिरता;

(9) संपूर्ण रक्त गणना परीक्षण, लिपिड प्रोफाइल

(ग) कोई अन्य आवश्यक परीक्षण जिसे जांचकर्ता चिकित्सक आवश्यक समझे।

(घ) राज्य सरकार समय–समय पर किसी अन्य परीक्षण का निर्देश दे सकती है।

परन्तु नियोक्ता कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के माध्यम से उत्तराखण्ड सामाजिक सुरक्षा संहिता नियम, 2026 के प्रासंगिक नियम के तहत कर्मचारी(कर्मचारियों) की चिकित्सा जांच की सुविधा का लाभ उठा सकता है।

धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन नियुक्ति पत्र

14. नियोक्ता, प्रतिष्ठान में प्रत्येक कर्मचारी को उसकी नियुक्ति पर या कार्य प्रारंभ करने से पहले नियुक्ति पत्र जारी करेगा। नियुक्ति पत्र में प्रपत्र–9 में निर्दिष्ट विवरण शामिल होंगे।

धारा 10 और 11 के अधीन दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं की सूचना

15. (1) जब कोई दुर्घटना जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को ऐसी शारीरिक चोट लगती है जो यदि

किसी प्रतिष्ठान में ऐसी कोई घटना घटित होती है जिससे उसकी मृत्यु होने की संभावना हो, या नियम–16 में निर्दिष्ट कोई खतरनाक घटना घटित होती है, तो प्रतिष्ठान का नियोक्ता या प्रबंधक तुरंत टेलीफोन, विशेष संदेशवाहक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित निरीक्षक–सह–सुकारक और मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक को इसकी सूचना भेजेगा।

(2) जब किसी प्रतिष्ठान में कोई दुर्घटना या नियम–16 में निर्दिष्ट कोई खतरनाक घटना घटित होती है, जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को ऐसी शारीरिक चोट लगती है जिससे उसकी मृत्यु होने की संभावना हो, तो उप–नियम (1) में उल्लिखित सूचना भी निम्नलिखित को भेजी जाएगी:–

(क) जिला मजिस्ट्रेट या उप–जिला मजिस्ट्रेट,

(ख) निकटतम पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी, और

(ग) घायल या मृतक व्यक्ति के रिश्तेदार।

(3) उप–नियम (1) के अधीन अपेक्षित रूप से दी गई कोई सूचना और

(4) नियोक्ता या प्रतिष्ठान के प्रबंधक द्वारा उपरोक्त उप–नियमों में उल्लिखित अधिकारियों को दुर्घटना या खतरनाक घटना के 12 घंटे के भीतर लिखित रिपोर्ट भेजकर इसकी पुष्टि की जाएगी, यदि दुर्घटना या खतरनाक घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट हुई हो, तो प्रपत्र–10 में लिखित रिपोर्ट भेजकर और यदि खतरनाक घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को कोई शारीरिक चोट नहीं हुई हो, तो प्रपत्र–11 में लिखित रिपोर्ट भेजकर।

(5) जब किसी प्रतिष्ठान में नियम–16 में निर्दिष्ट कोई दुर्घटना या खतरनाक घटना घटित होती है और उससे किसी व्यक्ति को ऐसी शारीरिक चोट लगती है जो उसे दुर्घटना या खतरनाक घटना के तुरंत बाद 48 घंटे या उससे अधिक समय तक काम करने से रोकती है, तो प्रतिष्ठान का नियोक्ता या प्रबंधक

दुर्घटना या खतरनाक घटना के 48 घंटे बीत जाने के 24 घंटे के भीतर संबंधित क्षेत्राधिकार वाले निरीक्षक–सह–सुकारक और मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक को प्रपत्र–10 में इसकी रिपोर्ट भेजेगा.

परन्तु यदि किसी दुर्घटना या खतरनाक घटना के मामले में, उपर्युक्त उप–नियमों में निर्दिष्ट सूचना एवं रिपोर्ट भेजे जाने के बाद ऐसी दुर्घटना या खतरनाक घटना से घायल किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो प्रतिष्ठान का नियोक्ता या प्रबंधक तुरंत उप–नियम (1) और (2) में उल्लिखित अधिकारियों और व्यक्तियों को टेलीफोन, विशेष संदेशवाहक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसकी सूचना भेजेगा और मृत्यु के 12 घंटे के भीतर इस सूचना की लिखित पुष्टि भी करवाएगा:

परन्तु यह कि यदि उप–नियम (4) में निर्दिष्ट 48 घंटे या उससे अधिक समय तक दुर्घटना या खतरनाक घटना के तुरंत बाद काम करने में असमर्थता की अवधि रहती है लेकिन बाद में, या एक से अधिक बार घटित होती है, तो संदर्भित रिपोर्ट संबंधित क्षेत्राधिकार वाले निरीक्षक–सह–सुकारक और साथ ही मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक को प्रपत्र–10 में उस समय के तुरंत बाद 24 घंटों के भीतर भेजी जानी चाहिए जब दुर्घटना या खतरनाक घटना के परिणामस्वरूप काम करने में असमर्थता की वास्तविक कुल अवधि 48 घंटे हो जाती है।

(6) किसी भी व्यक्ति को निरीक्षक–सह–सुकारक या उप–निरीक्षक से कम रैंक के पुलिस अधिकारी के आने से पहले या ऐसे अधिकारी की सहमति के बिना, उस स्थल को, जहाँ कोई घातक दुर्घटना हुई हो, या दुर्घटना में शामिल किसी अन्य वस्तु को, छेड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

परन्तु आगे किसी दुर्घटना को रोकने या व्यक्तियों को खतरे से बचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

धारा 11 के अधीन खतरानाक घटनाओं की श्रेणी

16. निम्नलिखित प्रकार की खतरनाक घटनाएं, चाहे उनमें व्यक्तिगत चोट या विकलांगता हो या न हो, अर्थात्–

(क) पेट्रोलियम, भाप, संपीड़ित वायु या अन्य पदार्थ युक्त किसी संयंत्र, पाइपलाइन या उपकरण का वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव पर फटना।

(ख) व्यक्तियों या वस्तुओं को उठाने या नीचे उतारने में प्रयुक्त क्रेन, डेरिक, विंच, होइस्ट या अन्य उपकरणों का ढह जाना या विफल हो जाना, या उसका कोई भाग, या क्रेन का पलट जाना।

(ग) विस्फोट, विस्फोटकों के कारण विस्फोट, आग, हानिकारक विषैली गैसों का रिसाव या उत्सर्जन, पिघली हुई धातु, या गर्म तरल या गैस का फटना, रिसाव या निकलना जिससे किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट लगे या किसी कमरे या स्थान को नुकसान पहुंचे जिसमें लोग कार्यरत हों;

(घ) वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव पर किसी गैस या गैसों (हवा सहित) या किसी तरल या ठोस के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले रिसीवर या कंटेनर का विस्फोट, जो गैस के संपीडन के परिणामस्वरूप होता है।

(ङ) भवन या निर्माण सामग्री को संभालने के लिए उपयोग किए जाने वाले लिफ्टिंग उपकरण, होइस्ट, कन्वेयर या अन्य समान उपकरणों का गिरना या खराब होना रस्सी, चेन या ढीले गियर का टूटना या खराब होनाय भवन या अन्य निर्माण कार्य में प्रयुक्त क्रेनों का पलटनाय ऊँचाई से वस्तुओं का गिरना;

(च) किसी दीवार, फर्श, गैलरी, छत, पुल, सुरंग, चिमनी, इमारत का ढहना या धंसनाय मिट्टी या किसी अन्य संरचना, प्लेटफॉर्म, स्टेजिंग, मचान या पहुंच के किसी भी साधन का धंसना, जिसमें फॉर्मवर्क शामिल हैय संपर्क कार्य, खुदाई और संचरण का ढहना;

(छ) खतरनाक पदार्थों का रिसाव या फैलना तथा उनके कंटेनर को नुकसान पहुंचना;

(ज) प्रतिष्ठान के भीतर परिवहन उपकरणों का ढहना, पलटना, गिरना या टक्कर होना;

(झ) किसी खुदाई, लोडिंग या परिवहन मशीनरी की ऊंचाई से गिरना;

(ञ) भूमिगत कार्य करते समय कोयले के एक स्तंभ, स्तंभ के एक भाग या कई स्तंभों की तात्कालिक विफलता (अर्थात, एक उभार);

(ट) भूमिगत कार्य में चट्टान का फटना, कार्य के किसी भी भाग का समय से पहले ढह जाना।

(ठ) किसी मशीन या यंत्र के किसी आवश्यक भाग का टूटना, विखंडन या विफलता जिससे व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है;

(ड) भूस्खलन जिसके कारण किसी व्यक्ति को चोट लगे, किसी मशीनरी को नुकसान हो, या सामान्य खनन कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो;

(ढ) खुली खदान में डंप या साइड का टूट जाना, एक विस्फोट;

(ण) किसी संरचना या प्रतिष्ठान की विफलता जिससे व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, या विद्युत फ्लैशओवर के कारण उत्पन्न चिंगारी जिससे किसी व्यक्ति को जलने की चोट लग सकती है;

(त) पेट्रोलियम या रासायनिक रिसाव का एक बड़ा अनियंत्रित उत्सर्जन।

(थ) कोई अन्य घटना जिसे राज्य सरकार द्वारा आदेश द्वारा खतरनाक घटना घोषित किया जा सकता है।

धारा 12 उपधारा (1) के अंतर्गत कतिपय रोगों की सूचना

17. यदि किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत कोई कर्मचारी संहिता की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी रोग से ग्रसित हो जाता है, तो प्रतिष्ठान का प्रबंधक या नियोक्ता संबंधित निरीक्षक–चिकित्सा–सुकारक, मुख्य निरीक्षक–चिकित्सा–सुकारक और जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इसकी सूचना मिलने की तिथि से अड़तालीस घंटे के भीतर प्रपत्र–12 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से सूचना भेजेगा।

धारा 12 की उपधारा (2) के अंतर्गत अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रेषित किये जाने वाले लिखित रिपोर्ट का प्ररूप, रीति और समय

18. यदि कोई अर्हित चिकित्सा व्यवसाय किसी ऐसे व्यक्ति का इलाज करता है जो किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत है या रह चुका है और चिकित्सक को लगता है कि वह व्यक्ति संहिता की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी बीमारी से पीड़ित है, तो चिकित्सक बिना किसी देरी के मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें निम्नलिखित बातें बताई जाएंगी:–

(क) रोगी का नाम और पूरा डाक पता;

(ख) वह रोग जिससे रोगी के पीड़ित होने का उसे विश्वास है;

(ग) उस कारखाने का नाम और पता जिसमें रोगी कार्यरत है या अंतिम बार कार्यरत था;

(घ) ऐसी बीमारी के संभावित कारण;

(ङ) अन्य पीड़ित रोगियों की स्थिति और ऐसे रोग के फैलने की संभावना;

(च) रोग के प्रसार को रोकने के लिए किए जा सकने वाले निवारक उपाय (यदि कोई हो);और

(छ) अन्य मुद्दे, जिनका उल्लेख चिकित्सक इस संबंध में करना महत्वपूर्ण समझता है।

धारा 13 के अधीन कर्मचारियों के अन्य कर्तव्य

19. (1) यदि किसी कर्मचारी को कार्यस्थल पर किसी असुरक्षित या अस्वस्थ स्थिति के बारे में पता चलता है, तो वह यथाशीघ्र, नियोक्ता, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रतिनिधि, या कारखानों के मामले में सुरक्षा अधिकारी या प्रबंधक को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, लिखित रूप में या टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।

(2) प्रत्येक कर्मचारी को कार्यस्थल पर अपने कार्य समय के दौरान नियोक्ता द्वारा प्रदत्त पहचान पत्र अवश्य धारण करना या अपने पास रखना होगा। पहचान पत्र खो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में,

कर्मचारी को प्रबंधक को लिखित रूप में सूचित करना होगा। कोई भी कर्मचारी इस कार्ड का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(3) कोई भी कर्मचारी नशे की हालत में कार्य पर उपस्थित नहीं होगा और न ही ड्यूटी के दौरान किसी मादक पदार्थ का सेवन करेगा।

(4) प्रत्येक कर्मचारी ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सौंपे जा सकते हैं।

धारा 14 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कर्मचारी के अधिकार

20. (1) यदि किसी भी समय नियोक्ता/अधिभोगी को कर्मचारी/श्रमिक से गंभीर व्यक्तिगत चोट या मृत्यु की संभावना या सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए आसन्न खतरे के संबंध में उचित आशंका की सूचना प्राप्त होती है, तो नियोक्ता/अधिभोगी तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई करेगा।

(2) नियोक्ता/अधिभोगी, चाहे संतुष्ट हो या न हो, ऐसे आसन्न खतरे और उस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तुरंत इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को और आवश्यकता पड़ने पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजेगा।

अध्याय-चार

व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य

धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन

21. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा संहिता की धारा 17 के प्रयोजनों के लिए एक राज्य व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी।

(2) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे,-

(क) प्रमुख सचिव/सचिव श्रम, उत्तराखंड सरकार - पदेन अध्यक्ष;

(ख) श्रम आयुक्त, उत्तराखंड सरकार सदस्य-सचिव, पदेन

(ग) उद्योग महानिदेशक– उत्तराखण्ड;

(घ) सचिव, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून– पदेन सदस्य;

(ङ) महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड– पदेन सदस्य;

(च) सचिव, उत्तराखंड भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के पदेन सदस्य

(छ) निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखंड –पदेन सदस्य;

(ज) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत नियोक्ताओं के तीन प्रतिनिधि– सदस्य;

(झ) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों या फेडरेशन के तीन प्रतिनिधि– सदस्य

(ञ) व्यावसायिक, सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुडे हुए राज्य सरकार द्वारा नामित तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति – सदस्य;

परन्तु इस नियम के खंड (ज), (झ) और (ञ) के अधीन मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा;

परन्तु यह कि और अध्यक्ष बोर्ड की किसी भी बैठक में किसी भी व्यक्ति को विशेष आमंत्रितकर्ता के रूप में आमंत्रित कर सकता है, जिसके बारे में अध्यक्ष संतुष्ट हो कि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे मामले का विशेषज्ञ है जिस पर बोर्ड के समक्ष चर्चा की जानी है या निर्णय के लिए मामला उठा है;

राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल

22. बोर्ड के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

राज्य सलाहकार बोर्ड के किसी सदस्य का त्यागपत्र

23. (1) कोई भी मनोनीत सदस्य राज्य सरकार को संबोधित पत्र लिखकर और उस पर अपने हस्ताक्षर करके इस्तीफा दे सकता है।

(2) ऐसे सदस्य का पद उस तिथि से रिक्त हो जाएगा जिस तिथि को उसका त्यागपत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है या राज्य सरकार को त्यागपत्र की सूचना प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों की समाप्ति पर, जो भी पहले हो।

आकस्मिक रिक्तियों को भरना

24. (1) किसी मनोनीत सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से उत्पन्न आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त मनोनीत सदस्य, उस सदस्य के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है।

(2) किसी भी कारण से बोर्ड की सदस्यता में रिक्ति उत्पन्न होने या होने की संभावना होने पर, सदस्य-सचिव राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जो उस रिक्ति को उन व्यक्तियों की श्रेणी में से भरने के लिए कदम उठाएगी, जिनके लिए वह व्यक्ति उपयुक्त है। सदस्यता खाली करने वाले व्यक्ति का अधिकार है और इस प्रकार नामांकित व्यक्ति को शेष कार्यकाल के लिए पद धारण करना जिस सदस्य के स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है।

सदस्यता की समाप्ति

25. यदि बोर्ड का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य न हो, बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत अवकाश प्राप्त किए बिना लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो उसे राज्य बोर्ड के सदस्य पद से हटाया जा सकता है:

परन्तु यदि राज्य सरकार का समाधान हो गया हो कि किसी सदस्य को पर्याप्त कारणवश लगातार तीन बैठकों में उपस्थित होने से रोका गया था, तो वह यह निर्देश दे सकती है कि ऐसी समाप्ति न हो और ऐसा निर्देश दिए जाने पर, वह सदस्य राज्य बोर्ड का सदस्य बना रहेगा।

सदस्यता के लिए अयोग्यता

26. राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कोई व्यक्ति अयोग्य होगा–

(i) यदि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ्य या दिवालिया घोषित किया गया हो;या

(ii) वह दिवालिया घोषित होने के बाद भी मुक्त न हुआ हो ;या

(iii) यदि उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, जिसमें तीन महीने या उससे अधिक की कारावास की सजा हो या जो राज्य सरकार की राय में नैतिक उद्यमता से संबंधित हो,या

(iv) उसे राज्य सरकार द्वारा हटा दिया जाता है।

सदस्यता से हटाना

27. राज्य सरकार राज्य बोर्ड के किसी भी सदस्य को हटा सकती है, यदि उसकी राय में ऐसा सदस्य उस हित का प्रतिनिधित्व करने में विफल रहा है जिसका प्रतिनिधित्व करने का वह दावा करता है अथवा नियम–26 के खण्ड (i), (ii), (iii) के किसी प्रावधान के अन्तर्गत आता है:

परन्तु ऐसे किसी भी सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे इस नियम के अधीन प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का उचित अवसर न दिया जाए।

सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता

28. (क) किसी आधिकारिक सदस्य का यात्रा भत्ता उसके द्वारा आधिकारिक कर्तव्यों पर की गई यात्रा के लिए लागू नियमों द्वारा शासित होगा और उसका वेतन देने वाले प्राधिकरण द्वारा भुगतान किया जाएगा।

(ख) बोर्ड के गैर–सरकारी सदस्यों को बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

(ग) बोर्ड की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्यों को बोर्ड की ऐसी बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता मिलेगा, जैसा कि बोर्ड के अन्य गैर–सरकारी सदस्यों को प्राप्त करने का अधिकार है।

राज्य सलाहकार बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति

29. (1) बोर्ड की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकती है, जिसे वह बोर्ड के कृत्यों का सम्पादन करने के लिए आवश्यक समझे।

(2) अधिकारियों, कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों की सेवा की अन्य शर्तें वही होगें, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाय।

धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तकनीकी समिति का गठन

30. (1) राज्य सरकार, संहिता की धारा 17 की उपधारा (3) में अपने कार्यों के निर्वहन में राज्य सरकार या बोर्ड की सहायता के के उद्देश्य से एक या एक से अधिक तकनीकी समितियों का गठन कर सकती है।

(2) तकनीकी समितियाँ बहु-सदस्यीय समिति हो सकती हैं और इनमें सरकारी, सार्वजनिक, स्वायत्त या निजी संस्थानों/उद्योगों के सदस्य शामिल हो सकते हैं।

(3) समिति के सदस्यों के पास इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री के साथ औद्योगिक सुरक्षा में डिप्लोमा/नाषकोत्तर डिप्लोमा या (भौतिकी रसायन विज्ञान) में मास्टर डिग्री/एमबीबीएस के साथ औद्योगिक स्वास्थ्य के एसोसिएट फेलो (एएफनाईएच) की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही संबंधित क्षेत्र/उद्योग में कम से कम 20 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

(4) तकनीकी समिति का अध्यक्ष, राज्य सरकार द्वारा नामित पदेन सदस्य हो सकता है।

(5) तकनीकी समिति विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उप-समितियों का गठन कर सकती है।

(6) तकनीकी समिति अपने कार्य संचालन सहित ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो समय-समय पर राज्य सरकार या राज्य बोर्ड द्वारा आदेश द्वारा जारी किए जाए।

(7) तकनीकी समिति के गैर-सरकारी सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार होगा।

धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन तकनीकी समितियों या सलाहकार समिति के कार्य

31. (1) तकनीकी समितियाँ उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 के अंतर्गत मानक, नियम और विनियम तैयार करेंगी, उनका निर्माण करेंगी और उनकी समीक्षा करेंगी।

(2) तकनीकी समिति आवश्यकतानुसार नियमित रूप से बैठक करेगी और छह महीने में कम से कम एक बार बैठक अवश्य करेगी।

धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत तकनीकी समिति के सदस्यों का त्याग पत्र

32. (1) तकनीकी समिति का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य न हो, तकनीकी समिति के अध्यक्ष के माध्यम से राज्य सरकार को संबोधित लिखित पत्र द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे सकता है।

(2) तकनीकी समिति का अध्यक्ष उत्तराखंड सरकार के श्रम विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को लिखित पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है।

(3) ऐसे सदस्य या अध्यक्ष का पद उस तिथि से रिक्त हो जाएगा जिस तिथि से राज्य सरकार द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता है, या राज्य सरकार द्वारा त्यागपत्र प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों की समाप्ति पर, जो भी पहले हो।

धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तकनीकी समिति के सदस्यों के सदस्यता की समाप्ति

33. यदि तकनीकी समिति का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य न हो, ऐसी अनुपस्थिति के लिए समिति के अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किए बिना ऐसी समिति की लगातार दो बैठकों में उपस्थित होने में विफल रहता है, तो वह ऐसी समिति का सदस्य नहीं रहेगा:

परन्तु यदि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि किसी सदस्य को पर्याप्त कारणवश लगातार दो बैठकों में उपस्थित होने से रोका गया था, तो वह यह निर्देश दे सकती है कि ऐसी समाप्ति न हो और ऐसा निर्देश दिए जाने पर, वह सदस्य उस समिति का सदस्य बना रहेगा।

धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत तकनीकी समिति की सदस्यता के लिए अयोग्यता

34. कोई भी व्यक्ति तकनीकी समिति का सदस्य बनने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

(क) यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, या

(ख) यदि वह दिवालिया घोषित व्यक्ति है जिसका दिवालियापन अभी समाप्त नहीं हुआ है; या

(ग) यदि उसे किसी ऐसे अपराध का दोषी ठहराया गया हो, जो राज्य सरकार की राय में नैतिक पतन से संबंधित हो।

(घ) जहां उप–नियम (1) के अधीन अयोग्यता उत्पन्न हुई है या नहीं, इस संबंध में प्रश्न उठता है, तो राज्य सरकार ऐसे प्रश्न का निर्णय करेगी, जिसे अंतिम माना जाएगा।

धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन तकनीकी समिति के सदस्यों की सदस्यता की समाप्ति

35. राज्य सरकार किसी भी तकनीकी समिति के सदस्य या अध्यक्ष को हटा सकती है, यदि उसकी राय में ऐसा सदस्य उस हित का प्रतिनिधित्व करने में विफल रहा है जिसका प्रतिनिधित्व करने का वह उस समिति में दावा करता है:

परन्तु ऐसे किसी भी सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे इस नियम के अधीन प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का उचित अवसर न दिया जाए।

धारा 21 के अंतर्गत अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए सांख्यिकी संग्रह और पंजीकरण पोर्टल

36. (1) प्रत्येक नियोक्ता व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सांख्यिकी का विवरण श्रम आयुक्त कार्यालय तथा श्रम ब्यूरो के महानिदेशक कार्यालय को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे पोर्टल पर ऐसे प्रारूप और तरीके से प्रस्तुत करेगा जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जा सकता है।

(2) उत्तराखंड राज्य में कार्यरत या स्व–नियोजित प्रत्येक अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक को इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा।

धारा 22 के अंतर्गत सुरक्षा समितियों का गठन

37. (1) प्रत्येक प्रतिष्ठान में एक सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा, जहाँ–

(क) सामान्यतः ढाई सौ या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं,या

(ख) धारा 82 के अधीन खतरनाक घोषित की गई कोई प्रक्रिया या संचालन जारी रखा जाता है;या

(ग) धारा 2(1)(यक) के अधीन परिभाषित खतरनाक प्रक्रिया या खतरनाक पदार्थ का संचालन किया जाता है। या

(2) सुरक्षा समिति में प्रबंधन के प्रतिनिधियों में निम्नलिखित शामिल होंगे–

(क) नियोक्ता सुरक्षा समिति का अध्यक्ष होगा, और

(ख) संगठन में अपने पद के कारण समिति के कामकाज में प्रभावी ढंग से योगदान देने में सक्षम वरिष्ठ अधिकारी उपाध्यक्ष होंगे; और

(ग) इन नियमों के अधीन नियुक्त सुरक्षा अधिकारी, या कोई अन्य जिम्मेदार व्यक्ति समिति का सदस्य–सचिव होगा;और

(घ) प्रतिष्ठान के चिकित्सा अधिकारी–सदस्य, और

(ङ) उत्पादन, रखरखाव और खरीद विभागों से एक–एक प्रतिनिधि सहित तीन प्रतिनिधि; और

(च) श्रमिकों के प्रतिनिधियों की संख्या नियोक्ता के प्रतिनिधियों की संख्या से कम नहीं होगी। श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रतिष्ठान से संबद्ध पंजीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा आम सभा के माध्यम से आपसी सहमति से या चुनाव के माध्यम से किया जायेगा। ऐसे प्रतिष्ठानों में, जहाँ कोई पंजीकृत ट्रेड यूनियन नहीं है, वहाँ श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चुनाव श्रमिकों द्वारा स्वयं आम सहमति या चुनाव के आधार पर किया जाएगा बशर्ते कि ऐसी सुरक्षा समिति के गठन में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए।

(3) समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा;

परन्तु भवन या अन्य निर्माण कार्य के लिए सुरक्षा समिति का कार्यकाल, यदि स्थल पर निर्माण कार्य तीन वर्ष की अवधि से पहले पूरा हो जाता है या रुक जाता है, तो उतनी ही अवधि का होगा जितनी अवधि तक प्रतिष्ठान के निर्माण कार्य का पूरा होना या रुकना होता है

(4) सुरक्षा समिति के गठन की सूचना संबंधित अधिकार क्षेत्र के निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएगी।

(5) सुरक्षा समिति की बैठक आवश्यकतानुसार बार–बार होगी, लेकिन कम से कम प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य होगी। बैठक का विवरण और अनुवर्ती कार्य

योजनाएँ एक रजिस्टर में दर्ज की जाएँगी और माँगने पर निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता को प्रस्तुत की जाएँगी। बैठक के विवरण की एक प्रति संबंधित क्षेत्राधिकार वाले निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से भेजी जाएगी।

(6) सुरक्षा समिति को पर्याप्त और उपयुक्त रूप से सूचित किए जाने का अधिकार होगा।

(क) कार्यस्थल पर कर्मचारियों को जिन संभावित सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना करना पड़ सकता है।

(ख) दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़े, साथ ही कारखाने से संबंधित कार्यस्थल और खतरनाक पदार्थों के संपर्क में आने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य की निगरानी से प्राप्त आंकड़े;

परन्तु समिति कार्य वातावरण और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के उपायों पर डेटा का उपयोग करने का वचन देगी।

धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन सुरक्षा समिति के कार्य एवं कर्तव्य

38. (1) सुरक्षा समिति के कार्य एवं कर्तव्य निम्नलिखित होंगे–

(i) संस्था की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति में उल्लिखित उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रबंधन की सहायता और सहयोग करना, और

(ii) स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण से संबंधित सभी मामलों से निपटना और सामने आने वाली समस्याओं का समाधान निकालना;और

(iii) सभी कर्मचारियों के बीच सुरक्षा जागरूकता पैदा करना; और

(iv) शैक्षिक, प्रशिक्षण और प्रचार संबंधी गतिविधियों का संचालन करना; और

(v) सुरक्षा, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणों, लेखापरीक्षाओं, जोखिम आकलन, आपातकालीन और आपदा प्रबंधन योजनाओं और रिपोर्टों में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन पर रिपोर्टों पर चर्चा करना; और

(vi) स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सर्वेक्षण करना और दुर्घटनाओं के कारणों की पहचान करना; और

(vii) कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए आसन्न खतरे की संभावना के संबंध में की गई किसी भी शिकायत की जांच करना और सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना; और

(viii) इसके द्वारा की गई अनुशंसाएँ के कार्यान्वयन की समीक्षा करना

(ix) दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं आदि की जांच रिपोर्ट पर चर्चा करना और उचित कार्रवाई करना

(x) दुर्घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर उचित सुरक्षा अभियान तैयार करना और उन्हें लागू करना।

(xi) सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य मामलों पर संचार के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना, और

(xii) विभिन्न कार्यों के लिए तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं पर चर्चा करना।

(2) यदि प्रतिष्ठान के आकार या किसी अन्य कारण से उप–नियम (1) में निर्दिष्ट कार्यों को सुरक्षा समिति द्वारा प्रभावी ढंग से निष्पादित नहीं किया जा सकता है, तो वह अपनी सहायता के लिए आवश्यकतानुसार उप–समितियों की स्थापना कर सकती है;

परन्तु किसी भी प्रतिष्ठान में, जहाँ सामान्यतः एक हजार से अधिक कर्मचारी कार्यरत हों, विभागवार या अन्य किसी प्रकार से कम से कम दो उप–समितियाँ गठित की जाएँगी और विभागीय प्रमुख के पद का एक कर्मचारी उप–समिति का प्रमुख होगा।

(3) बैठक का कार्यवृत्त सुरक्षा समिति के सदस्य सचिव के साथ साझा किया जाएगा।

धारा 22 की उपधारा (2) और धारा 133 की उपधारा (2) के खंड (ययथ) के अधीन सुरक्षा

39. (1) प्रत्येक प्रतिष्ठान में जो –

(क) ऐसा कारखाना है जिसमें पाँच सौ या अधिक श्रमिक हों, या

(ख) कोई कारखाना जो खतरनाक प्रक्रिया चला

अधिकारियों की नियुक्ति

रहा हो जिसमें ढाई सौ या अधिक श्रमिक हों

(ग) भवन एवं अन्य निर्माण कार्य जिसमें ढाई सौ श्रमिक हों; या

(घ) प्रमुख दुर्घटना जोखिम वाली स्थापन हो तो वह नियोक्ता द्वारा कम से कम एक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा;

परन्तु

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट प्रतिष्ठान के लिए, यदि नियोजित श्रमिकों की संख्या एक हजार से अधिक हो लेकिन एक हजार पांच सौ से अधिक न हो, तो एक अतिरिक्त सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और प्रत्येक अतिरिक्त एक हजार श्रमिकों या उसके भाग के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

(ii) खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) में निर्दिष्ट प्रतिष्ठानों के लिए, यदि नियोजित श्रमिकों की संख्या पाँच सौ से अधिक है तो एक अतिरिक्त सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और प्रत्येक अतिरिक्त ढाई सौ श्रमिकों या उसके भाग के लिए एक और सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

(2) कारखाने का अधिभोगी या भवन या अन्य निर्माण प्रतिष्ठान का नियोक्ता, जैसा भी मामला हो, संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता और अधिकार क्षेत्र वाले निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता को सुरक्षा अधिकारी या मुख्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति के बारे में ऐसी नियुक्ति के सात दिनों के भीतर सूचित करेगा।

(3) जहां एक से अधिक सुरक्षा अधिकारी हो, वहां एक मुख्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन सुरक्षा अधिकारी की अर्हताएं

40. (1) कोई व्यक्ति सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने –

(क) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में डिग्री प्राप्त की हो और उत्पादन या रखरखाव विभाग में सुरक्षा विभाग में कारखाने के पर्यवेक्षक के रूप में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक काम करने का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए; या

(ख) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से भौतिकी या रसायन विज्ञान में डिग्री प्राप्त की हो और उत्पादन या रखरखाव या सुरक्षा विभाग में पर्यवेक्षी क्षमता में कारखाने में कम से कम पांच वर्षों तक काम करने का व्यावहारिक अनुभव हो; या

(ग) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में डिप्लोमा रखता हो और उत्पादन, रखरखाव या सुरक्षा विभाग में पर्यवेक्षी क्षमता में कारखाने में कम से कम पांच वर्ष की व्यावहारिक अनुभव रखता हो; या

(घ) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में मान्यता प्राप्त डिग्री रखता हो, और केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग में किसी ऐसे अधिनियम या संहिता के प्रशासन से संबंधित कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखता हो जो किसी कारखाने या भवन या अन्य निर्माण कार्यों में श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित हो, या

(ङ) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में मान्यता प्राप्त डिग्री रखता हो, और उद्योग या किसी भी संस्थान में दुर्घटना निवारण के क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षा, परामर्श या अनुसंधान से संबंधित संस्थानों में कम से कम पांच वर्ष का कार्य अनुभव रखता हो, और

(2) किसी राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में मान्यता प्राप्त औद्योगिक सुरक्षा में डिग्री या डिप्लोमा रखता हो या महानिदेशालय कारखाना परामर्श सेवा एवं श्रम संस्थान (डीजीएफएएसएलआई) के अधीन किसी श्रम संस्थान से मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा रखता हो।

(3) उसके पास स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण या अग्नि अभियांत्रिकी में बी.टी.ओ. या एम.टी. की डिग्री या कानून द्वारा विधिवत स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई अन्य समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्य और अन्य शर्तें

41. सुरक्षा अधिकारियों का कर्तव्य कारखाने के प्रबंधन को व्यक्तिगत चोटों की रोकथाम और सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखने से संबंधित वैधानिक या अन्य दायित्वों के अनुपालन में सलाह देना और सहायता करना होगा। इन कर्तव्यों में निम्नलिखित भी शामिल होंगे, अर्थात्–

(क) विभागीय प्रमुखों, पर्यवेक्षकों और अन्य ऐसे अधिकारियों को व्यक्तिगत चोटों के प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक उपायों की योजना बनाने और उन्हें व्यवस्थित करने में सलाह देना;

(ख) सभी कार्य अध्ययनों में सुरक्षा पहलुओं पर सलाह देना और चयनित कार्यों के विस्तृत कार्य सुरक्षा अध्ययन करना;

(ग) व्यक्तिगत चोटों को रोकने के लिए की गई या प्रस्तावित की जाने वाली कार्रवाई की प्रभावशीलता की जांच और मूल्यांकन करना;

(घ) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों आदि की उच्च गुणवत्ता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में स्टोर खरीद विभाग के कर्मियों को सलाह देना;

(ङ) संयंत्र सुरक्षा निरीक्षण करने से संबंधित मामलों पर सलाह देना;

(च) संयंत्र सुरक्षा निरीक्षण करना ताकि कार्यस्थल की भौतिक स्थितियों और कर्मचारियों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य प्रक्रियाओं का अध्ययन की निगरानी की जा सकी तथा कर्मचारियों द्वारा असुरक्षित भौतिक स्थितियों को कम करने और असुरक्षित स्थितियों को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों पर सलाह देना;

(छ) औद्योगिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रिपोर्टिंग और जांच से संबंधित मामलों पर सलाह देना,

(ज) घातक और गंभीर दुर्घटनाओं की जांच करना और प्रबंधन को उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना;

(झ) औद्योगिक रोगों और खतरनाक घटनाओं के रिपोर्ट करने योग्य मामलों की जांच करना;

(ञ) दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं और औद्योगिक बीमारियों से संबंधित आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव पर सलाह देना,

(ट) सुरक्षा समितियों की स्थापना को बढ़ावा देना और ऐसी समितियों के लिए सलाहकार और उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना,

(ठ) संबंधित विभाग के सहयोग से अभियान, प्रतियोगिताएं, प्रतिस्पर्धाएं और अन्य गतिविधियां आयोजित करना, जिससे कार्य और प्रक्रिया की सुरक्षा स्थितियों को स्थापित करने और बनाए रखने में कर्मचारियों की रुचि विकसित और बनी रहे।

(ड) औद्योगिक सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संगठनों, विभागों के साथ स्वतंत्र रूप से या सहयोग से व्यक्तिगत चोटों की रोकथाम के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करना और संचालित करना तथा वर्ष में कम से कम एक बार सुरक्षा सेमिनार आयोजित करना,

(ढ) दुर्घटनाओं और औद्योगिक बीमारियों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, जिसमें उनके निवारणात्मक उपायों का सुझाव दिया गया हो, और उसे निदेशक मंडल की वार्षिक बैठक के समक्ष प्रस्तुत करना,

(ण) संबंधित निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता को, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह कार्यरत है, अपने नियोक्ता के माध्यम से तिमाही रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा प्रस्तुत करना, जिसमें सुरक्षा विभाग द्वारा प्रतिष्ठान में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और बेहतर कार्य स्थितियों को बढ़ावा देने के लिए किए गए कार्यों का विवरण हो, और

(त) एक से अधिक सुरक्षा अधिकारियों के मामले में रिपोर्ट मुख्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन अन्य कर्तव्यों के निष्पादन पर प्रतिबंध

42. (1) किसी भी सुरक्षा अधिकारी को ऐसा कोई अन्य कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा या अनुमति नहीं दी जाएगी जो इन नियमों में निर्दिष्ट उसके कर्तव्यों के निष्पादन के साथ असंगत हो या उसके लिए हानिकारक हो।

(2) प्रतिष्ठान का नियोक्ता प्रत्येक सुरक्षा अधिकारी को ऐसी सुविधाएं, उपकरण और जानकारी प्रदान करेगा जो उसे अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है।

अध्याय– पांच

काम के घंटे और वेतन सहित छुट्टी

धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अंतर्गत प्रतिदिन और प्रति सप्ताह कार्य घंटे।

43. (1) किसी भी कर्मचारी को किसी प्रतिष्ठान में किसी भी कार्य में एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

(2) किसी श्रमिक के कार्य की अवधि इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि उसके विश्राम के अंतराल सहित, वह एक दिन में बारह घंटे से अधिक न हो।

(3) कोई भी श्रमिक कम से कम आधे घंटे के विश्राम अंतराल के बिना छह घंटे से अधिक काम नहीं करेगा।

(4) उपनियम (1) (2) और (3) के अध्याधीन राज्य सरकार द्वारा एक दिन में कार्य घंटों में संशोधन किया जा सकता है।

धारा 26 की उपधारा (2) एवं 135(2)(यक) के अधीन सप्ताह में विश्राम दिवस

44. (1) धारा 26 के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक प्रतिष्ठान के कार्यालय के बाहर एक सुस्पष्ट स्थान पर साप्ताहिक विश्राम दिवस दर्शाने वाली सूचना लगाई जाएगी।

(2) यदि प्रतिष्ठान में कार्यरत सभी व्यक्तियों के लिए साप्ताहिक विश्राम दिवस एक समान नहीं है, तो नोटिस में प्रत्येक समूह या व्यक्तियों के प्रत्येक दल को दिए गए विश्राम दिवस का उल्लेख किया जाएगा।

(3) यदि किसी कर्मचारी को उसकी साप्ताहिक छुट्टी के दिन काम पर लगाया जाता है, तो उसे इस साप्ताहिक छुट्टी के तीन दिनों के भीतर एक पूरा दिन की छुट्टी दी जाएगी, साथ ही अगले सप्ताह की साप्ताहिक छुट्टी भी दी जाएगी।

(4) जहां उप–नियम (3) के प्रावधानों के अनुसार, कोई श्रमिक उक्त दिन काम करता है और उससे ठीक पहले के तीन दिनों में से किसी एक दिन छुट्टी पर रहा हो, तो उसके साप्ताहिक कार्य घंटों की गणना के उद्देश्य से उक्त दिन को पिछले सप्ताह में शामिल किया जाएगा।

(5) किसी कर्मचारी की शिफ्ट बदलने के उद्देश्य से, धारा 28 के अधीन शिफ्टों के बीच 24 लगातार घंटों का अवकाश सुनिश्चित किया जाएगा।

(6) क्षतिपूर्ति अवकाश के दिन इस प्रकार निर्धारित किए जाएंगे कि किसी भी सप्ताह में किसी भी व्यक्ति को दो से अधिक अवकाश के दिन न दिए जाएं।

(7) उक्त अवकाश के स्थान पर वैकल्पिक अवकाश की सूचना निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता को वैकल्पिक अवकाश या उक्त अवकाश से पहले (कारखाने के मामले में, जो भी पहले हो) इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से दी जाएगी। प्रबंधक को इस वैकल्पिक अवकाश का रिकॉर्ड रखना होगा।

(8) उप–नियम (2) के अधीन दिए गए नोटिस को निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता के कार्यालय में दिए गए नोटिस और कारखाने में प्रदर्शित नोटिस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, जो उक्त दिन या रद्द किए जाने वाले अवकाश से एक दिन पहले तक, जो भी पहले हो, मान्य होगा।

धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन क्षतिपूर्ति अवकाश

45. (1) जिस महीने में छुट्टियां रद्द हुई हैं, उस महीने के अंत तक या उससे पहले, प्रतिष्ठान के प्रबंधक को अगले महीने में मिलने वाली क्षतिपूर्ति छुट्टियों और उनकी तिथियों के संबंध में एक सूचना उस स्थान पर

प्रदर्शित करनी होगी जहां धारा 26 के अधीन निर्धारित कार्य अवधियों की सूचना प्रदर्शित की जाती है। किसी भी क्षतिपूर्ति छुट्टी के संबंध में सूचना में कोई भी बाद का परिवर्तन उस छुट्टी की तिथि से कम से कम तीन दिन पहले किया जाएगा।

(2) कोई भी क्षतिपूर्ति अवकाश या अवकाश जिसके लिए कोई कर्मचारी हकदार हो वह उसे छुट्टी या सेवानिवृत्ति से पहले का दिया जाएगा और इसे छुट्टी सेवानिवृत्ति से पहले दी जाने वाली किसी भी सूचना अवधि के हिस्से के रूप में नहीं गिना जाएगा।

धारा 27 के अधीन अतिरिक्त वेतन और आवेरटाईम की शर्त

46. (1) संहिता की धारा 27 के अनुसरण में, यदि किसी प्रतिष्ठान में कोई दैनिक श्रमिक एक दिन में आठ घंटे से अधिक काम करता है, तो उसे ऐसे अतिरिक्त कार्य के लिए उसकी सामान्य मजदूरी दर से दोगुनी दर की मजदूरी का हकदार होगा और प्रत्येक दिन के अंत में भुगतान किया जाएगा।

(2) किसी भी दिन ओवरटाइम की गणना करते समय, 15 से 30 मिनट के बीच के घंटे के अंश को 30 मिनट के रूप में गिना जाएगा और 30 मिनट से अधिक होने की स्थिति में इसे पूर्णांकित किया जाएगा और वास्तविक आधार पर एक घंटे के रूप में गिना जाएगा।

(3) मासिक वेतन पाने वाले श्रमिक के मामले में मजदूरी या आय की गणना करते समय, दैनिक मजदूरी उसकी मासिक मजदूरी का 1/26वां हिस्सा होगी, और किसी अन्य श्रमिक के मामले में यह दैनिक मजदूरी या आय होगी, जैसा भी मामला हो।

(4) किसी भी कार्य दिवस में किसी कर्मचारी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन ओवरटाइम काम करने की अनुमति दी जा सकती है–

(क) कारखाने के मामले में ओवरटाइम के ऐसे घंटों के लिए शिफ्टों का कोई ओवरलैप नहीं होगा।

(ख) कर्मचारी को ओवरटाइम के घंटों के लिए काम

शुरू करने से पहले लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जाएगा और उसे प्रबंधक या अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित ओवरटाइम पर्ची की दो प्रतियां सौंपी जाएंगी जिसमें दिन के काम की अवधि और समय का उल्लेख होगा।

(ग) किसी श्रमिक को लगातार 5 दिनों से अधिक ओवरटाइम पर काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(घ) नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि कारखाने के मामले में खतरनाक संचालन या जोखिमपूर्ण प्रक्रियाओं में संलग्न होने के कारण ऐसे अतिरिक्त घंटे श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेंगे।

(ङ) ओवरटाइम के लिए श्रमिक की सहमति लिखित में ली जाएगी।

(च) मशीनरी या संयंत्र या अन्य किसी भी प्रकार के अत्यावश्यक कार्य के लिए, या अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेजर) के मामले में, या कारखाने के मामले में तैयारी या पूरक कार्य के लिए, जिसके लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है, ओवरटाइम की अनुमति दी जाती है।

(5) ओवरटाइम सहित किसी भी सप्ताह में काम के कुल घंटों की संख्या साठ घंटे से अधिक नहीं होगी।

(6) एक वर्ष में प्रति तिमाही ओवरटाइम के कुल घंटों की संख्या एक सौ चौवालीस घंटों से अधिक नहीं होगी।

वे परिस्थितियाँ जहाँ धारा 30 के अंतर्गत दोहरे रोजगार की अनुमति है

47. किसी कारखाने में अंशकालिक श्रमिक के रूप में नियुक्त श्रमिक को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी श्रेणी के कार्य में किसी अन्य प्रतिष्ठान में काम करने की अनुमति दी जा सकती है, किन्तु निम्नलिखित शर्तें लागू हों,–

(1) उपस्थिति के लिए एक अलग रजिस्टर रखा जाएगा। आनुपातिक आधार पर अवकाश और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

(2) एक नियोक्ता को दूसरे नियोक्ता का नाम और पता पता होना चाहिए जहां वह अंशकालिक कर्मचारी के रूप में काम करता है।

(3) दोनों प्रतिष्ठानों के लिए व्यक्ति के लिए अलग–अलग कार्य दिवस निर्धारित किए जाएंगे।

(4) कार्य घंटों से संबंधित संहिता और नियमों के प्रावधान,निर्धारित कार्य समय सीमा, साप्ताहिक अवकाश, ओवरटाइम लागू रहेंगे:

परन्तु, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी श्रेणी के श्रमिक और दोहरे रोजगार की शर्तों को जोड़ सकती है।

धारा 31 की उपधारा (2)के अधीन कार्य अवधि का नोटिस

48. (1) शिफ्ट प्रणाली में काम करने वाले श्रमिकों को उचित रूप से स्थानांतरित किया जाएगा। एक ही शिफ्ट में काम करने वाले श्रमिकों के कार्य अवधि भी निश्चित की जाएगी। कार्य की ऐसी अवधियों की सूचना निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से दी जाएगी।

(2) वयस्क श्रमिकों के कार्य की अवधि की सूचना प्रपत्र–13 में संहिता एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी और इसे प्रतिष्ठान में मुख्य प्रवेश द्वार के पास या उसके आसपास प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा। ऐसी सूचना संबंधित निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी। धारा 31 के प्रावधानों के अधीन इसे अद्यतन भी रखा जाएगा।

(3) उप–नियम (2) में उल्लिखित नोटिस में प्रत्येक दिन के लिए वह अवधि स्पष्ट रूप से इंगित की जाएगी जिसके दौरान किसी वयस्क कर्मचारी से काम करने की अपेक्षा की जा सकती है।

(4) उप–नियम (2) के अनुसार ही किसी प्रतिष्ठान में काम करने की अनुमति दी जाएगी:

परन्तु यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ओवरटाइम पर काम कर रहा है, तो ऐसे घंटे की अवधि और ऐसे कर्मचारी का नाम प्रबंधक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित करके एक प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(5) किसी प्रतिष्ठान में कार्य प्रणाली में कोई प्रस्तावित परिवर्तन, जिसके लिए उप–नियम (2) में निर्दिष्ट सूचना में परिवर्तन आवश्यक होगा, निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

अध्याय– छः

रजिस्टरों, अभिलेखों और विवरणों का रखरखाव

धारा 33 के अंतर्गत रजिस्टरों और अभिलेखों का रखरखाव

49. (1) प्रत्येक प्रतिष्ठान के नियोक्ता को संहिता या नियमों में निर्धारित अभिलेख, रजिस्टर, परीक्षण प्रमाण पत्र, परीक्षाएं, प्रपत्र, रिपोर्ट, लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से सुरक्षित रखने होंगे। ये प्रतिष्ठान परिसर में आसानी से उपलब्ध होने चाहिए।

(2) हस्तलिखित रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों के मामले में, उन्हें अंग्रेजी, हिंदी या कार्यरत व्यक्तियों के बहुमत द्वारा आसानी से समझी जाने वाली भाषा में स्याही से स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाना चाहिए।

(3) सभी रजिस्टर और अभिलेख नियोक्ता द्वारा अंतिम रिपोर्ट या प्रविष्टि की तिथि से पांच कैलेंडर वर्षों की अवधि तक मूल रूप में संरक्षित रखे जाएंगे:

परन्तु यदि मूल अभिलेख एक वर्ष की समाप्ति से पहले खो जाए या नष्ट हो जाए, तो उसकी सत्य प्रतियां, यदि उपलब्ध हों, तो निर्धारित अवधि के लिए संरक्षित रखी जाएंगी,

परन्तु यह और कि नियोक्ता द्वारा उन सभी मामलों में रजिस्टर और अभिलेखों का रखरखाव किया जाएगा, जिनमें कोई मामला किसी प्राधिकरण या किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष लंबित हो, जब तक कि ऐसे मामलों का अंतिम निपटारा और आदेशों का निष्पादन न हो जाए।

(4) प्रत्येक नियोक्ता मांग किए जाने पर सभी रजिस्टर और अभिलेख इलेक्ट्रॉनिक रूप से, पंजीकृत डाक द्वारा या मैन्युअल रूप से निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता या मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

धारा 32 और धारा 33 के अधीन छुट्टी पुस्तिका

50. (1) नियोक्ता या प्रबंधक धारा 32 के प्रावधानों के अधीन प्रपत्र–14 में प्रत्येक कर्मचारी को एक पुस्तिका प्रदान करेगा जिसे इसके बाद "छुट्टी पुस्तिका" कहा जाएगा।

(2) अवकाश पुस्तिका कर्मचारी की संपत्ति होगी और प्रबंधक या उसका प्रतिनिधि अवकाश या सेवा में व्यवधान की तिथियों को दर्ज करने के अलावा इसे नहीं मांगेगा और इसे एक बार में एक सप्ताह से अधिक समय तक अपने पास नहीं रखेगा। कर्मचारी प्रबंधक द्वारा मांगे जाने पर तीन दिनों के भीतर अवकाश पुस्तिका जमा करेंगे।

(3) यदि कोई कर्मचारी अपनी अवकाश पुस्तिका खो देता है, तो प्रबंधक उसे दस रुपये के भुगतान पर दूसरी प्रति प्रदान करेगा, जो मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 21 के प्रावधानों के अधीन होगी, और वह इसे अपने अभिलेख से भरेगा।

धारा 32 और धारा 33 के अधीन वेतन सहित अवकाश

51. नियोक्ता या प्रबंधक प्रपत्र–15 में प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक रजिस्टर रखेगा, जिसे इसके बाद "वेतन सहित अवकाश रजिस्टर" कहा जाएगा, संहिता की धारा 32 के प्रावधानों के अधीन, जिसे साप्ताहिक, या पाक्षिक या कम से कम महीने में एक बार भरा जाएगा।

धारा 33 के अंतर्गत ओवरटाइम के लिए रजिस्टर

52. (1) नियोक्ता या प्रबंधक, उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियम, 2021 के अधीन निर्धारित प्रारूप में, संहिता की धारा 27 के प्रावधान के अधीन श्रमिक के ओवरटाइम कार्य का रजिस्टर बनाए रखेगा।

(2) किसी भी श्रमिक द्वारा निर्धारित सामान्य कार्य अवधि से अधिक किया गया कोई भी कार्य, ओवरटाइम स्लिप की दो प्रतियों में दर्ज किया जाएगा, जिसमें उसके द्वारा किए गए ओवरटाइम की वास्तविक अवधि का उल्लेख होगा। प्रबंधक या उसके द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ऐसी ओवरटाइम स्लिप की एक प्रति ओवरटाइम कार्य पूरा होने के तुरंत बाद श्रमिकों को दी जाएगी:

परन्तु यदि निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता संतुष्ट हो कि कारखाने में किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के कारण श्रमिकों को दैनिक पर्ची जारी करना संभव नहीं है, तो वह श्रमिकों को साप्ताहिक पर्ची जारी करने की अनुमति दे सकता है।

ओवरटाइम पर्ची

प्रतिष्ठान का नाम और पता	
कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	
कार्य दिवस और कार्य की सामान्य अवधि	
ओवरटाइम की अवधि और समय (घंटों में)	
ओवरटाइम पर किया गया कार्य	
प्रबंधक/अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर	

धारा 33 की उपधारा (क) के खंड (v) के अंतर्गत श्रमिकों का रजिस्टर

53. (1) प्रत्येक प्रतिष्ठान के प्रबंधक या नियोक्ता को कारखाने में कोई भी कार्य चल रहा हो, तो श्रमिकों का एक रजिस्टर रखना होगा, जिसमें निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित हो:

(क) कारखाने में प्रत्येक कर्मचारी का नाम,

(ख) उसके काम की प्रकृति;

(ग) वह समूह, यदि कोई हो, जिसमें वह शामिल है

(घ) जहां समूह संबंधित कार्यों पर काम करता है, उसे आवंटित किया जाएगा

(ङ) ऐसी अन्य विशिष्टतायां जैसी विहित की गई हो।

(2) किसी भी श्रमिक को तब तक प्रतिष्ठान में काम करने के लिए नहीं कहा जाएगा या अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसका नाम और अन्य विवरण श्रमिक रजिस्टर में दर्ज न हो जाए।

(3) श्रमिकों का रजिस्टर या उपस्थिति रजिस्टर प्रपत्र–6 में रखा जाएगा।

(4) निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता या चिकित्सा अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर यह रजिस्टर प्रस्तुत किया जाएगा या दिखाया जाएगा। नियोक्ता या प्रबंधक ऐसी मांग पर रजिस्टर प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे वह निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में उपस्थित हो या न हो।

(5) यदि कोई किशोर श्रमिक कार्यरत है, तो उनके लिए प्रपत्र–6 में एक अलग रजिस्टर भी रखा जाएगा और उसे "किशोर श्रमिकों का उपस्थिति रजिस्टर" के रूप में अंकित किया जाएगा।

धारा 10, धारा 11 और धारा 33 के अंतर्गत दुर्घटना रजिस्टर

54. प्रत्येक प्रतिष्ठान के नियोक्ता या प्रबंधक को संहिता की धारा 10 और 11 के अनुसार प्रतिष्ठान में होने वाली सभी दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं का रजिस्टर प्रपत्र–16 में रखना होगा।

धारा 33 तथा वेतन संहिता, 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत वेतन पर्ची एवं भुगतान

55. (1) प्रत्येक नियोक्ता, वेतन भुगतान से पहले या उस समय तक, श्रमिकों को वेतन पर्ची इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से, ऐसे प्रारूप में जारी करेगा, जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा वेतन संहिता, 2019 (केंद्रीय अधिनियम संख्या 29 ऑफ 2019) के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(2) अतिरिक्त समय के काम के भुगतान के लिए वेतन पर्ची नियमित वेतन पर्ची से अलग होगी और उसमें कर्मचारी द्वारा किए गए अतिरिक्त समय के घंटों का उल्लेख किया जाएगा।

धारा 33 के अधीन विवरण

56. प्रत्येक प्रतिष्ठान के नियोक्ता या प्रबंधक को संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता और राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी या अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करने होंगे, अर्थात्:–

(क) प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी को या उससे पहले प्रपत्र–17 में वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना;

(ख) प्रमुख दुर्घटना जोखिम प्रतिष्ठान के मामले में, प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को या उससे पहले, 1 जनवरी से 30 जून की अवधि के लिए प्रपत्र–18 में अर्धवार्षिक विवरण प्रस्तुत करना होगा;

परन्तु यदि किसी प्रतिष्ठान में वर्ष के किसी निश्चित मौसम या मौसमों के दौरान ही कार्य किया जाता है, तो नियोक्ता या प्रबंधक उस मौसम या उन मौसमों में से अंतिम मौसम के समाप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

धारा 33 के अधीन नोटिसों का प्रदर्शित करना

57. (1) प्रत्येक नियोक्ता अपने नियंत्रणाधीन प्रतिष्ठान के कार्य स्थल के विशिष्ट स्थान पर, प्रतिष्ठान का नाम एवं पता, कार्य घंटे, वेतन अवधि, ऐसे वेतन के भुगतान की तारीख, गत 5 वर्षों के दौरान प्रतिष्ठान में हुई दुर्घटना तथा खतरनाक घटना का विवरण, ऐसे प्रतिष्ठान का क्षेत्राधिकार रखने वाले निरीक्षक–सह–सुकारक का नाम एवं पता तथा कामगारों के बकाया वेतन के भुगतान की तारीख का नोटिस अंग्रेजी, हिन्दी या अधिकतर कामगारों द्वारा समझे जाने वाली स्थानीय भाषा में प्रदर्शित करेगा अथवा प्रदर्शित कराएगा।

(2) इस संहिता या नियम के अंतर्गत किसी भी प्रतिष्ठान में प्रदर्शित किए जाने वाले नोटिसों के अतिरिक्त, प्रत्येक प्रतिष्ठान में एक नोटिस प्रदर्शित किया जाएगा जिसमें इस संहिता, अधिसूचनाओं और केंद्र सरकार के नियमों के ऐसे सारांश होंगे जो धारा 18, धारा 23 और धारा 24 के अंतर्गत स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण प्रावधानों के लिए निर्धारित हैं, और ऐसे सारांश में मुख्य बिंदुओं सहित कम से कम 2000 शब्द होंगे।

संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता का नाम और कार्यालय का पता भी प्रदर्शित किया जाएगा।

(3) इस संहिता के अंतर्गत किसी प्रतिष्ठान में प्रदर्शित किए जाने वाले सभी नोटिस हिंदी और अंग्रेजी में होंगे और इन्हें किसी प्रमुख और सुविधाजनक स्थान पर तथा नोटिस बोर्ड पर तथा कारखाने के मुख्य प्रवेश द्वार पर या उसके पास प्रदर्शित किया जाएगा तथा इन्हें स्वच्छ और सुपाठ्य स्थिति में रखा जाएगा।

(4) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता, किसी कारखाने या भवन या अन्य निर्माण कार्य के नियोक्ता या प्रबंधक को लिखित आदेश द्वारा यह अनिवार्य कर सकता है कि कारखाने में श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कोई अन्य सूचना या पोस्टर प्रदर्शित किया जाए।

(5) प्रत्येक नियोक्ता और प्रबंधक को प्रत्येक प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक चित्रित साइनबोर्ड लगाना होगा, जिस पर सफेद या किसी भी रंग के चमकदार पेंट से स्पष्ट अक्षरों में निम्नलिखित विवरण लिखे हों, जो बाहर से दिखाई दें,

(क) प्रतिष्ठान का पंजीकरण या लाइसेंस क्रमांक,

(ख) प्रतिष्ठान का नाम;

(ग) प्रतिष्ठान का पता (प्लॉट नंबर, इलाका, गली नंबर, पिन कोड आदि सहित);

(घ) नियोक्ता का नाम;

(ङ) प्रबंधक का नाम।

धारा 133 के उपधारा (2) खंड के (ययक) के अंतर्गत नमांकन प्रपत्र

58. (1) यदि कोई श्रमिक काम पर लौटने से पहले मर जाता है, तो वेतन सहित अवकाश की अवधि के लिए देय शेष वेतन, जिसका लाभ नहीं उठाया गया है, श्रमिक की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने के एक महीने के भीतर संहिता की धारा 32 की उपधारा (vi) के अनुसार उसके नामित व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा।

(2) प्रत्येक श्रमिक प्रपत्र–19 में अपना नामांकन प्रस्तुत करेगा, जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और दो गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाएगा। यह नामांकन तब तक वैध रहेगा जब तक कि इसे संशोधित न किया जाए या किसी अन्य नामांकन द्वारा रद्द न कर दिया जाए।

रजिस्टर प्रेषित करना 59. (1) किसी प्रतिष्ठान के नियोक्ता, स्वामी या प्रबंधक को निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता द्वारा संहिता के किसी प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने या निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता के किसी आदेश का विधिवत पालन किए जाने की पुष्टि के लिए आवश्यक कोई भी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। निरीक्षण के दौरान निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता द्वारा ऐसी किसी जानकारी की मांग किए जाने पर, यदि जानकारी प्रतिष्ठान में उपलब्ध है, तो उसका तुरंत पालन किया जाएगा, या यदि लिखित में मांग की गई है, तो उसकी प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर उसका पालन किया जाएगा।

(2) संहिता एवं नियमों के अंतर्गत रखे जाने वाले सभी रजिस्टर, प्रपत्र, प्रमाण पत्र, अभिलेख, जिनसे वे संबंधित हैं, कम से कम पांच वर्ष की अवधि तक संरक्षित रखे जाएंगे, जिनमें श्रमिकों के परीक्षण एवं चिकित्सा परीक्षा के अभिलेख भी शामिल हैं।

(3) किसी भी अधिसूचित बीमारी से ग्रसित या दुर्घटना में अस्वस्थ घोषित किए गए कर्मचारियों के चिकित्सा अभिलेखों को पांच दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा।

अध्याय – सात
निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता एवं अन्य प्रधिकारी

धारा 34 की उपधारा (5) के अंतर्गत मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधा कर्ता की अर्हताएं एवं अनुभव.

60. धारा 34 की उपधारा (5) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक के रूप में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की नियुक्त की जायेगी जो श्रम मामलों का अनुभव रखने वाले राजपत्रित अधिकारी हो।

धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (xiv) के अधीन निरीक्षक–सह–सुविधा कर्ता की शक्तियाँ एवं कार्य

61. (1) निरीक्षक–सह–सुकारक, प्रत्येक निरीक्षण के पश्चात् जैसा आवश्यक माना जाए, नियोक्ता अथवा अधिष्ठाता अथवा स्वामी अथवा मालिक अथवा प्रभारी अधिकारी अथवा उसके एजेंट को संहिता तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों एवं विनियमों के तहत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी दशाओं के उपबंधों की अनुपालना नहीं करने का उल्लेख करते हुए प्रपत्र–20 में प्रतिषेध अथवा सुधार नोटिस जारी करेगा।

(2) निरीक्षक–सह–सुकारक, प्रत्येक निरीक्षण में यह पता लगाएगा कि किस सीमा तक पूर्ववर्ती निरीक्षण में अधिसूचित कमियों को दूर किया गया है तथा पूर्व में जारी किए गए नोटिसों का पालन किया गया है तथा उसके निष्कर्ष तथा निरीक्षण के दौरान सामने आयी कमियों के साथ–साथ संहिता अथवा उसके अंतर्गत निर्मित विनियमों के तहत उसके द्वारा पारित किए गए आदेश को रिकॉर्ड किया जाएगा तथा उनका रख–रखाव किया जाएगा।

धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (x) के अधीन किसी स्थापन या परिसर में पाई गयी किसी वस्तु या पदार्थ और ऐसे स्थापन या परिसर के वायुमण्डल या उनके नजदीक वायु की नमूने लेने का रीति

62. (1) एक निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता प्रतिष्ठान के सामान्य कार्य समय के दौरान किसी भी समय प्रतिष्ठान के अधिभोगी या प्रबंधक या उस समय कारखाने के प्रभारी होने का दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को सूचित करने के बाद, कारखाने में उपयोग किए जाने वाले या उपयोग किए जाने वाले किसी भी पदार्थ का पर्याप्त नमूना, निम्नलिखित आधार पर ले सकता है:–

(क) निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता का यह मानना हो

यह इस संहिता के किसी उपबंधों अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन मे है, अथवा

(ख) निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता की मत मे प्रतिष्ठान कि किसी कर्मचारी को शारीरिक चोट अथवा उसके स्वास्थ्य पर जोखिम आने की संभावना हो।

(2) जहां निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता उप–नियम (1) के अधीन नमूना लेता है, तो वह उस उप–नियम के अधीन सूचित व्यक्ति की उपस्थिति में, जब तक कि ऐसा व्यक्ति जानबूझकर अनुपस्थित न हो, नमूने को तीन भागों में विभाजित करेगा और उन्हें प्रभावी ढंग से सील करेगा और उपयुक्त रूप से चिह्नित करेगा तथा ऐसे व्यक्ति को अपनी मुहर और चिह्न लगाने की अनुमति देगा।

(3) उपर्युक्त सूचना प्राप्त व्यक्ति, यदि निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता को आवश्यकता हो, तो इस नियम के अंतर्गत लिए गए नमूने को विभाजित करने, सील करने और चिह्नित करने के लिए उपकरण उपलब्ध कराएगा।

(4) निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता निम्नलिखित कार्य करेगा–

(क) उपनियम (1) के अंतर्गत सूचित व्यक्ति को सैंपल का एक भाग तुरन्त देगा।

(ख) दूसरे भाग को विश्लेषण और उस पर रिपोर्ट के लिए सरकारी विश्लेषक को तुरन्त भेजेगा, को सौंपना;

(ग) तीसरे भाग को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए रखेगा, जिसके समक्ष उस पदार्थ के संबंध मे कार्यवाहियां, यदि कोई हों, चलाई जाती है।

(5) इस नियम के अंतर्गत विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए किसी सरकारी विश्लेषक को प्रस्तुत किसी पदार्थ पर सरकारी विश्लेषक द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज, उस पदार्थ के संबंध में शुरू की गई किसी भी कार्यवाही मे साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है

धारा 37 के अधीन तृतीय पक्ष लेखा परीक्षक की अर्हताएं और अनुभव

63. (1) किसी तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षक या विशेषज्ञ को तब तक मान्यता नहीं दी जाएगी, जब तक कि उसके पास निम्नलिखित योग्यताएं न हों:

(क) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रसायन, यांत्रिक, विद्युत, सिविल या उत्पादन अभियांत्रिकी शाखा में डिग्री और कारखानों में या व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्यवेक्षी पद या उससे ऊपर के पद पर विनिर्माण, रखरखाव या सुरक्षा विभाग में कम से कम बारह वर्ष का व्यावहारिक अनुभव; या

(ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रासायनिक, यांत्रिक, विद्युत, सिविल या उत्पादन अभियांत्रिकी शाखा में डिप्लोमा और औद्योगिक सुरक्षा में एक वर्ष का पूर्णकालिक डिप्लोमा तथा कारखानों में विनिर्माण, रखरखाव या सुरक्षा विभाग में पर्यवेक्षी या उससे उच्च पद पर कम से कम पंद्रह वर्ष का व्यावहारिक अनुभव या

(ग) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से भौतिकी या रसायन विज्ञान में विज्ञान स्नातक की डिग्री और औद्योगिक सुरक्षा में एक वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा प्राप्त किया हो और कारखानों में पर्यवेक्षी या उससे ऊपर के पद पर विनिर्माण, रखरखाव या सुरक्षा विभाग में कम से कम पंद्रह वर्षों का व्यावहारिक अनुभव होय या

(घ) इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा में डिग्री या डिप्लोमा और डीजीएफएएसएलआई के अधीन कारखाना निदेशालय या केंद्रीय/क्षेत्रीय श्रम संस्थानों में सहायक निदेशक के पद से कम से कम दस वर्ष की अवधि का अनुभवय या

(ङ) उपरोक्त चारों खंडों के समतुल्य किसी भी संयोजन में,

परन्तु किसी भी विवाद की स्थिति में योग्यता और अनुभव की समतुल्यता के संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(2) विशेषज्ञ या तृतीय पक्ष लेखा परीक्षक की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी।

(3) तृतीय पक्ष लेखा परीक्षक की मान्यता/मान्यता के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र–21 में किया जायेगा।

धारा 38 की उपधारा (1) के खंड (अ) के उपखंड (घ) के अधीन वैकल्पिक रोजगार की रीति

64. (1) अधिभोगी का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करे जिसका रोजगार धारा 38 की उपधारा (1) के खंड (अ) के उपखंड (क) के अधीन आदेश से प्रभावित हुआ हो, यदि उसी नियोक्ता का कोई अन्य प्रतिष्ठान सौ किलोमीटर के दायरे में मौजूद हो।

(2) वैकल्पिक रोजगार की पेशकश केवल तभी की जा सकती है जब आदेश से प्रभावित रोजगार की अवधि पंद्रह दिन या उससे अधिक हो।

(3) ऐसे व्यक्तियों को ऐसे आदेश के वास्तविक दिनांक से कम से कम तीन दिन पहले सूचना दी जाएगी।

(4) वेतन और अन्य सुविधाओं पर इस प्रकार कोई प्रभाव नहीं डाला जाएगा जिससे ऐसे व्यक्ति को नुकसान हो।

धारा 42 के अधीन चिकित्सा अधिकारी की और अर्हताएं

65. (1) धारा 42 के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी वह चिकित्सक होगा जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) में दी गई परिभाषानुसार मान्यता प्राप्त कोई चिकित्सा योग्यता रखा हो तथा जो इस अधिनियम की धारा 35, 36, 37 तथा 40 के खंड (ङ) के अनुसार भारतीय चिकित्सा रजिस्टर तथा खंड (1) में दी गई परिभाषा के अनुसार राज्य चिकित्सा रजिस्टर में नामांकित हो।

(2) चिकित्सा अधिकारी को केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से मान्यत प्राप्त चैस्ट रेडियोग्राफ का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईसओ) वर्गीकरण सहित व्यावसायिक स्वाथ्य पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होना चाहिए।

(3) किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, न ही उसे चिकित्सा अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया जाएगा, और न ही नियुक्त या अधिकृत किए जाने के बाद वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग जारी रख सकेगा, जो किसी कारखाने का अधिभोगी हो या बन जाए, या उसमें या उसमें संचालित किसी प्रक्रिया या व्यवसाय में, या उससे संबंधित किसी पेटेंट या मशीनरी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हितधारक हो या बन जाए, या किसी अन्य प्रकार से कारखाने का कर्मचारी हो,

परन्तु राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा और आदेश में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी कारखाने या कारखानों के वर्ग या प्रकार के संबंध में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इस उप–नियम के प्रावधानों से छूट दे सकती है।

धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन चिकित्सा अधिकारी के कर्तव्य

66. (1) संहिता की धारा 42 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अंतर्गत संदर्भ प्राप्त होने पर, चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा जांच हेतु तारीख, समय एवं स्थान के संबंधित पूर्व में नोटिस देकर तथा ऐसे परीक्षण हेतु भेजे गए कामगार की जांच करने पर आयु एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र प्रपत्र– 8 पर तैयार करेगा तथा उसकी एक प्रति अपने पास रखकर उसे संबंधित प्रतिष्ठान के प्रबंधक और कामगार को भेजेगा।

(2) चिकित्सा अधिकारी आयु निर्धारण के प्रयोजनार्थ रेडियोलोजिस्ट, दंत चिकित्सक, आर्थोपेडिक सर्जन जैसा भी मामला हो, जैसे विशेषज्ञों की राय ले सकता है।

(3) चिकित्सा अधिकारी राज्य सरकार के निदेशानुसार ऐसी जांच करेगा और निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा–

(क) संहिता की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्टानुसार ऐसे खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में प्रतिष्ठान के कामगारों की जांच एवं प्रमाणन;

(ख) की गई किसी प्रक्रिया की जोखिमकारी प्रकृति

अथवा कार्य की जोखिमकारी दशा में कारण किसी प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठान की श्रेणी की चिकित्सकीय पर्यवेक्षण हेतु जहां चिरकालिक व्यावसायिक बीमारी के मामले घटित हो चुके है;

(ग) किसी प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठान की श्रेणी अथवा प्रतिष्ठान के विवरण के संबंध में जिसमें कार्य संचालन में जिनमें नियोजित किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग के स्वास्थ्य पर हानि होने का जोखिम शामिल है; या

(घ) किसी प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठान की श्रेणी, जहां बीमारी के मामले सामने आ चुके है अथवा इस संहिता की तृतीय अनुसूची में यथानिर्धारित बीमारियां प्रचलित है, का व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण कराना; या

(ङ) किसी प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठान की श्रेणी में नियोजन के लिए किशोर की आयु का पता लगाना तथा फिटनेस जारी करना।

अध्याय आठ

महिलाओं के रोजगार से संबंधित विशेष प्रावधान

धारा 43 के अंतर्गत महिलाओं के रोजगार से संबंधित विशेष प्रावधान

67. महिला कर्मचारी को सुबह 6:00 बजे से पहले और शाम 7:00 बजे के बाद किसी भी प्रतिष्ठान में निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियोजित किया जा सकता है:

(1) प्रत्येक महिला कर्मकार से रात्रि पाली में कार्य के संबंध में उसकी लिखित सहमति प्राप्त की जाएगी। यदि कोई महिला कर्मकार रात्रि पाली में कार्य करने से असहमति व्यक्त करती है तो, उसका नियोजक द्वारा किसी प्रकार से उत्पीड़न नहीं किया जायेगा।

(2) किसी भी महिला को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के अन्तर्गत निर्धारित प्रसूति लाभ के उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जाएगा;

(3) नियोजक द्वारा महिला कर्मकारों से कार्य कराये जाने की सूचना संबंधित श्रम अधिकारी व थाना प्रभारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) महिला कर्मकारों हेतु उनके निवास स्थान तक पिक–अप एवं ड्राप की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये पैनिक बटन (इमरजेंसी अलार्म) एवं जी०पी०एस० आधारित (G.P.S enabled) पर्याप्त परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा वाहन एवं कार्यस्थल पर पुलिस हैल्पलाईन नम्बर, पुलिस थाना/पुलिस चौकी के नम्बर दृश्य स्थान पर चस्पा किये जायेंगे।

(5) नियोजक द्वारा परिवहन चालक एवं परिचालक का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जायेगा।

(6) नियोजक द्वारा महिला कर्मकारों के लिये सुरक्षित, संरक्षित एवं स्वस्थ कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित की जायेंगी, ताकि उन्हें रोजगार से संबंधित किसी भी प्रकार की असुविधा या हानि न हो।

(7) शौचालय, वॉशरूम तथा पेयजल सुविधाएं ऐसे कार्य स्थल के पास ही होनी चाहिए, जहां महिला कर्मचारी नियोजित है।

(8) शौचालय, वॉशरूम, पेयजल तथा बाहर जाने के रास्ते जैसी सुविधाओं या सुविधा जैसी सुविधाओं या सुविधा–केन्द्रों सहित कार्य स्थल पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए;

(9) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का 14) के सभी लागू प्राविधानों का नियोजक द्वारा पूर्णतः अनुपालन कराया जायेगा।

(10) प्रतिष्ठान के प्रत्येक प्रवेश एवं निकास द्वार तथा उन सभी कार्यस्थलों पर जहां महिला कर्मकार कार्यरत हैं, या होंगी सी०सी०टी०वी० कैमरे स्थापित एवं सुचारू रूप से संचालित किये जायेंगे।

(11) प्रतिष्ठान में और साथ ही वाहनों के भीतर, दोनों स्थलों में प्रमुख स्थानों पर समर्पित दूरभाष संख्याएं प्रतिशित की जाएंगी, ताकि कोई भी महिला किसी आकस्मिकता या आपातस्थिति में उनका उपयोग कर सके।

धारा 44 के अधीन खतरनाक कार्यों में महिलाओं की पर्याप्त सुरक्षा के लिए रोजगार सुनिश्चित करना।

68. (1) महिला श्रमिकों को उनकी लिखित सहमति से खतरनाक और जोखिम भरे कार्यों में नियोजित किया जा सकता है।

(2) स्तनपान कराने वाली माताओं या गर्भवती महिलाओं को खतरनाक और जोखिम भरे कार्यों में रोजगार से छूट दी जाएगी।

(3) खतरनाक प्रक्रियाओं और जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित प्रावधानों में उल्लिखित सभी उपायों का अनुपालन किया जाएगा।

(4) महिलाओं को उनके काम के बारे में अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें कार्यस्थल पर मौजूद पदार्थों के खतरनाक गुणों और उनसे निपटने के उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी।

(5) कार्यरत महिलाओं को कार्यस्थल पर सभी आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, जहां उन्हें तैनात किया जाता है।

परन्तु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचनाओं के माध्यम से उपरोक्त शर्तों में आवश्यक परिवर्तन कर सकती है और स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्य स्थितियों से संबंधित सहायक मामलों को जोड़ सकेगी।

अध्याय नौ

संविदा श्रमिकों और अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों आदि के लिए विशेष प्रावधान

भाग I

ठेका श्रमिक

धारा 47 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन लाइसेंस की शर्तें

69. धारा 48 के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले या नवीनीकृत किये जाने वाले लाईसेंस निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:–

(1) यह लाइसेंस अहस्तांतरणीय होगा;

(2) ठेकेदार द्वारा किसी भी दिन, ठेका श्रमिकों के रूप में नियोजित कामगारों की संख्या लाईसेंस में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी;

(3) इन नियमों में यथा उपबंधित प्रावधानों को छोड़कर, लाईसेंस जारी करने एवं नवीनीकरण हेतु जमा की गई फीस जैसा भी मामला हो, वापस नहीं होगी;

(4) ठेकेदारों द्वारा कामगारों को देय वेतन की दरें वेतन संहिता, 2019 के अन्तर्गत निर्धारित दरों से कम नहीं होंगी तथा जहां समझौते, निपटान अथवा पंचाट द्वारा रहें निर्धारित की गई है, वहां ये दरें इस प्रकार निर्धारित दरों के कम नहीं होंगी।

धारा 48 की उपधारा (1) के अंतर्गत लाईसेंस के लिए आवेदन प्रपत्र एवं रीति

70. (1) ठेकेदार द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन को राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर फॉर्म–22 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

(2) प्रत्येक आवेदन के साथ मुख्य नियोक्ता द्वारा प्रपत्र–23 में प्रदत्त में एक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा, जिसमें अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के रोजगार से संबंधित जानकारी का विवरण शामिल होगा, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि आवेदक को उसके प्रतिष्ठान के संबंध में ठेकेदार के रूप में नियोजित किया गया है और वह इस संहिता और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के सभी प्रावधानों का पालन करने का वचन देता है, जहां तक ये प्रावधान आवेदक द्वारा संविदा श्रम के रोजगार के संबंध में मुख्य नियोक्ता के रूप में उस पर लागू होते हैं।

(3) आवेदन के साथ आवेदक की ओर से एक घोषणा पत्र संलग्न होना चाहिए जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि लाइसेंस प्रदान करने के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी सभी दृष्टि से सही है और निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता है।

(4) ठेकेदार द्वारा लाइसेंस आवेदन पत्र के साथ नियम में निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

(5) ठेकेदार को नियम में निर्धारित सुरक्षा और जमानत राशि जमा करनी होगी, जिसके लिए लाइसेंस हेतु आवेदन किया गया है।

धारा 48 के अंतर्गत लाईसेंस प्राप्त किये जाने हेतु शुल्क

71. लाइसेंस प्रदान करने के लिए देय शुल्क निम्नानुसार होंगे:–

ठेकेदार द्वारा प्रतिष्ठान मे नियोजित श्रमिकों की संख्या	राशि (रुपये में शुल्क)
49 संविदा कर्मचारियों तक के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।	शून्य
पचास या पचास से अधिक लेकिन सौ से कम श्रमिक	10000.00
सौ या उससे अधिक लेकिन दो सौ से कम श्रमिक	20000.00
दो सौ या उससे अधिक लेकिन पाँच सौ से कम श्रमिक	50000.00
पाँच सौ से अधिक कर्मचारी	100000.00

परन्तु राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा पंजीकरण शुल्क अनुसूची में संशोधन कर सकती है।

धारा 48 के अंतर्गत लाईसेंस प्राप्त किये जाने हेतु जमा किये जाने वाली सुरक्षा राशि

72. धारा 48 के अन्तर्गत लाईसेंस प्राप्त किये जाने हेतु ठेकेदार को प्रत्येक संविदा श्रमिक के लिए एक हजार रुपये की दर से सुरक्षा राशि जमा करनी होगी।

धारा 48 की उपधारा (2) के अधीन लाइसेंस जारी करने की रीति

73. (1) लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में, लाइसेंसिंग अधिकारी निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्:

(क) क्या आवेदक–

(i) नाबालिग है; या

(ii) मानसिक रूप से अस्वस्थ है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जा चुका है; या

(iii) एक अप्रतिबंधित दिवालिया है; या

(iv) दो वर्षों की अवधि के दौरान किसी भी समय ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जो आपराधिक प्रकृति का हो और जिसमें तीन महीने से अधिक कारावास की सजा का प्रावधान हो।

(ख) क्या केंद्र या राज्य सरकार का कोई आदेश, कोई पुरस्कार या समझौता है जिसके अधीन आवेदक जिस प्रतिष्ठान में ठेकेदार है, उसमें उस विशेष प्रकार के कार्य के संबंध में संविदा श्रम को समाप्त किया गया हो?

(ग) क्या संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (अधिनियम संख्या 37 ऑफ 1970) की धारा 14 की उपधारा (1) या संहिता के नियम 70 के अधीन आवेदक के संबंध में कोई आदेश दिया गया है, और यदि हां, तो क्या उस आदेश की तिथि से तीन वर्ष की अवधि बीत चुकी है;

(घ) क्या आवेदन शुल्क निर्दिष्ट दर पर जमा कर दिया गया है, और

(ङ) क्या आवेदक द्वारा निर्दिष्ट दरों पर सुरक्षा राशि जमा की गई है।

(2) जहां जारी किये गये ठेका लाईसेंस की अवधि समाप्त हो गयी है, उस मामले में प्रपत्र–22 में आवेदन के अनुरोध के आधार पर प्राधिकारी द्वारा नए लाइसेंस हेतु उसके आवेदन के लिए सुरक्षा जमा समायोजित कर सकता है।

(3) यदि लाइसेंस के लिए आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है, तो प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र–24 में लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 में अधिसूचित अवधि के भीतर प्रदान किया जाएगा, अन्यथा ऐसे आवेदन को लाइसेंस प्रदान किया हुआ मान लिया जाएगा और लाइसेंस का प्रमाण पत्र पोर्टल द्वारा स्वतः उत्पन्न हो जाएगा।

धारा 48 की उपधारा (2) के अधीन लाइसेंस देने से इनकार करना

74. (1) ठेकेदार से आवेदन प्राप्त होने पर, और उसके बाद यथाशीघ्र, लाइसेंसिंग अधिकारी आवेदन में दी गई जानकारी और तथ्यों की सत्यता और आवेदक की लाइसेंस के लिए पात्रता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए जांच करेगा या जांच करवाएगा।

(2) यदि लाइसेंसिंग अधिकारी की राय है कि लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाना चाहिए, तो वह उचित अवसर प्रदान करने के बाद, आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश दिया जाएगा।

(3) आदेश में अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख किया जाएगा और आवेदक को सूचित किया जाएगा।

धारा 47 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन जारी किये गये लाईसेंस के ठेकेदार के दायित्व

75. जारी किए गए प्रत्येक लाइसेंस हेतु ठेकेदार के निम्न दायित्व होगा:–

(1) लाइसेंसधारी कामगारों की संख्या या काम की स्थितियों में किसी भी परिवर्तन की सूचना प्राधिकरण को देगा;

(2) लाइसेंस की एक प्रति उस परिसर में प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी जहां संविदा कार्य किया जा रहा है;

(3) ठेकेदार को संहिता और इन नियमों के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा;

(4) लाइसेंसधारी प्रत्येक संविदा कार्य के प्रारंभ और समापन के पंद्रह दिनों के भीतर व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (37 ऑफ 2020) की धारा 46 के अंतर्गत नामित प्राधिकरण को प्रपत्र–25 में संविदा कार्य के प्रारंभ या समापन की वास्तविक तिथि की सूचना देते हुए एक विवरण प्रस्तुत करेगा।

धारा 48 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रमुख नियोक्ता का रजिस्टर

76. इन नियमों के अंतर्गत जिन प्रतिष्ठानों को पंजीकरण जारी किए गए है, उनके द्वारा प्रपत्र–4 में प्रधान नियोक्ताओं का एक रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाएगा।

धारा 48 की उपधारा (1) के अंतर्गत ठेकेदारों का रजिस्टर

77. इन नियमों के अंतर्गत जिन प्रतिष्ठान/ठेकेदारों को लाइसेंस जारी किए गए हैं, उनके द्वारा प्रपत्र–26 में ठेकेदारों का एक रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखा जाएगा।

धारा 48 के अंतर्गत प्रतिभूति की वापसी

78. (1) लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर या कार्य पूर्ण होने के बाद, यदि ठेकेदार अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराना चाहता है, तो वह मुख्य नियोक्ता द्वारा इस संबंध में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ प्रतिभूति की वापसी के लिए लाईसेंसिंग प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन कर सकता है। कार्य पूर्ण होने की प्रति और उस बैंक का विवरण जिसमें प्रतिभूति वापस की जानी है।

(2) यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी संतुष्ट है कि लाइसेंस की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है या सुरक्षा जमा राशि या उसके किसी भाग की जब्ती का कोई आदेश नहीं है, तो वह आवेदक को सुरक्षा जमा राशि वापस करने का निर्देश देगा।

(3) यदि ठेकेदार की सुरक्षा जमा राशि के किसी हिस्से को जब्त करने का कोई आदेश दिया जाता है, तो जब्त की जाने वाली राशि सुरक्षा जमा राशि से काट ली जाएगी, और शेष राशि, यदि कोई हो, ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी।

(4) धन वापसी के लिए किसी भी आवेदन का निपटारा, जहां तक संभव हो, आवेदन प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर किया जाएगा।

(5) जमा की गई और वापस की गई सुरक्षा राशि का रिकॉर्ड प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र–27 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखा जाएगा।

धारा 48 की उपधारा (3) के अधीन लाइसेंस में उपान्तरण या संशोधन की रीति

79. (1) धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत ठेकेदार द्वारा उसे निर्गत लाईसेंस में संशोधन के लि प्रपत्र–22 में लाईसेंस प्राधिकारी को आवेदन किया जायेगा।

(2) आवेदन प्रपत्र के साथ नियम में निर्धारित शुल्क को अतिरिक्त शुल्क के रूप और नियम में निर्धारित सुरक्षा राशि को अतिरिक्त सुरक्षा राशि के रूप में जमा किया जायेगा।

(3) परीक्षणोपरान्त संहिता एव नियमों के आलोक में प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र–24 में संशोधित अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी।

धारा 48 की उपधारा (3) के अधीन लाइसेंस का नवीनीकरण

80. (1) प्रत्येक ठेकेदार को लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट वेब–पोर्टल पर प्राधिकरण को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करना होगा।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन लाइसेंस अवधि की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पहले, लेकिन लाइसेंस की समाप्ति से नब्बे दिन पहले नहीं, उक्त पोर्टल पर जमा किया जाएगा।

(3) सुरक्षा जमा राशि और लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए देय शुल्क वही होगा जो नियम 71 एवं 72 के अधीन लाइसेंस प्रदान करने के लिए लागू होता है,

परन्तु यह कि यदि नवीकरण के लिए आवेदन उप–नियम (2) में निर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे नवीकरण के लिए पच्चीस प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

(4) उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 में अधिसूचित अवधि के भीतर लाइसेंस का नवीनीकरण करना संबंधित प्राधिकारी की जिम्मेदारी होगी, अन्यथा ऐसा लाइसेंस नवीनीकृत माना जाएगा और नवीनीकृत लाइसेंस का प्रमाण पत्र पोर्टल द्वारा स्वतः उत्पन्न हो जाएगा।

धारा 48 की उपधारा (4) के अधीन ठेकेदार के दायित्व

81. (1) संविदा श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान के लिए ठेकेदार की जिम्मेदारी वही होगी जो मजदूरी संहिता, 2019 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में नियोक्ता की है।

(2) ठेकेदार प्रतिष्ठान के प्रधान नियोक्ता को भुगतान की तिथि से सात दिनों के भीतर वेतन का विवरण और वेतन रजिस्टर की प्रति प्रदान करेगा।

(3) जहां धारा 55 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन धारा 55 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट तरीके से भुगतान करना व्यावहारिक न हो, वहां भुगतान मुख्य नियोक्ता के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही किया जाएगा और इसकी पूर्व सूचना नामित प्राधिकारी या निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से दी जाएगी।

(4) प्रत्येक लाइसेंसधारक केंद्रीय श्रम संहिता और केंद्र या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए अन्य श्रम कानूनों और नियमों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा भी लागू हो।

(5) सभी संविदा श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के संबंधित प्रावधानों के अधीन ईपीएफओ और ईएसआईसी का सदस्य बनाया जाएगा।

(6) ठेकेदार श्रमिकों की संख्या या कार्य की स्थितियों में किसी भी परिवर्तन की सूचना लाइसेंसिंग प्राधिकरण को इलेक्ट्रॉनिक रूप से देगा।

(7) यदि किसी भी स्थिति में ठेकेदार संहिता और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का पालन करने में विफल रहता है या अन्य श्रम कानूनों का उल्लंघन करता है, तो प्राधिकरण उसका लाइसेंस रद्द कर सकता है और सुरक्षा राशि जब्त कर सकता है। प्राधिकरण संबंधित निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता को ऐसे ठेकेदार के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का निर्देश भी दे सकता है।

धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन कार्य आदेश की सूचना

82. (1) जब किसी ठेकेदार को किसी प्रतिष्ठान से प्रतिष्ठान में संविदा श्रम की आपूर्ति करने या प्रतिष्ठान में

और सूचना देने की समय सीमा

संविदा श्रम के माध्यम से अनुबंध निष्पादित करने का कार्य आदेश प्राप्त होता है, तो वह ऐसे आदेश की प्राप्ति की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर इसकी सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से या राज्य सरकार के श्रम विभाग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से संहिता की धारा 119 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी को प्रपत्र–25 में देगा।

(2) कार्य आदेश का विवरण ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भेजा जाएगा।

(3) सूचना संबंधित नामित प्राधिकारी और अधिकार क्षेत्र रखने वाले निरीक्षक–सुविधाकर्ता को वेब–पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से भेजी जाएगी।

धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन समुचित सरकार को सूचना देने में विफलता के मामलों में लाइसेंस के निलंबन या रद्द करने का रीति

83. यदि ठेकेदार उपर्युक्त सूचना देने में विफल रहता है, तो नामित प्राधिकारी कम से कम पंद्रह दिन का कारण बताओ नोटिस देने और उसे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से लाइसेंस को निलंबित या रद्द कर सकता है।

धारा 55 की उपधारा (1) के अधीन मजदूरी भुगतान एवं मजदूरी भुगतान की अवधि

84. (1) ठेकेदार मजदूरी अवधि तय करेगा जिसके लिए मजदूरी देय होगी और कोई भी मजदूरी अवधि एक महीने से अधिक नहीं होगी।

(2) किसी प्रतिष्ठान में या किसी ठेकेदार द्वारा ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति, जिसके संबंध में वेतन देय है, के वेतन का भुगतान वेतन अवधि के अंतिम दिन के बाद सातवें दिन की समाप्ति से पहले किया जाएगा।

(3) वेतन केवल बैंक अंतरण या इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से संवितरित किया जाएगा।

(4) ठेका श्रमिकों के वेतन का भुगतान किसी भी प्रकार की कटौती के बिना किया जाएगा, सिवाय इसके कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो या ठेकेदारों द्वारा ठेका श्रमिकों को मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) के अंतर्गत अनुमत हो।

(5) ठेका श्रमिकों के वेतन के भुगतान के संबंध में मजदूरी की अवधि, तारीख और समय को दर्शाने वाला एक नोटिस कार्य-स्थल पर प्रदर्शित किया जाएगा और इसकी एक प्रति ठेकेदार द्वारा मुख्य नियोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप में पावती के तहत भेजी जाएगी।

(6) यदि ठेकेदार वेतन अवधि पूरी होने के 7 दिनों के भीतर ठेका श्रमिक को वेतन का भुगतान करने में विफल रहता है, प्रधान नियोक्ता आवश्यक कार्रवाई करेगा और 15 दिनों के भीतर ठेकेदार द्वारा नियोजित संबंधित ठेका श्रमिक को पूरी मजदूरी या अदत्त शेष राशि, जैसा भी मामला हो, का भुगतान करेगा एवं ठेकेदार से इस प्रकार भुगतान की गई राशि या तो किसी भी अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय किसी भी राशि से या ठेकेदार द्वारा देय ऋण के रूप में या प्रमुख नियोक्ता के पास पड़ी सुरक्षा जमा से कटौती करके वसूल की जाएगी।

उन संविदा श्रमिकों को भुगतान करने का तरीका जहां धारा 55 की उपधारा (2) के अधीन बैंक हस्तांतरण या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम संभव नहीं है

85. इंटरनेट की समस्या होने या श्रमिकों के पास सक्रिय बैंक खाता न होने जैसी अपरिहार्य परिस्थितियों में ही संविदा श्रमिकों को निम्न शर्तों के अधीन मजदूरी का नकद रूप या चेक द्वारा भुगतान किया जा सकता है:-

(क) ठेकेदार द्वारा बैंक हस्तांतरण या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मजदूरी का भुगतान संभव न होने के कारणों का उल्लेख करते हुए निरीक्षक-कम-सुकारक को सूचित किया जायेगा और लिखित अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(ख) भुगतान मुख्य नियोक्ता के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाना होगा, जो यह प्रमाणित करेगा कि पूरी राशि श्रमिक को मिल गई है।

(ग) श्रमिक को एक विस्तृत मजदूरी पर्ची दी जाएगी, जिसमें कुल कार्य दिवस, भत्ते और कटौतियों का विवरण हो।

यदि ठेकेदार धारा 55 की उपधारा (4) के अधीन भुगतान करने में विफल रहता है, तो संविदा श्रमिकों को सुरक्षा जमा से मजदूरी के भुगतान का तरीका।

86. (1) यदि ठेकेदार या प्रधान नियोक्ता अपने द्वारा नियोजित संविदा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नहीं करता है, तो नामित प्राधिकारी जांच करेगा या करवाएगा और ठेकेदार को सुनवाई का अवसर देने के बाद, भुगतान करने का आदेश पारित करेगा, और ठेकेदार को ऐसे आदेश जारी होने के 7 दिनों के भीतर श्रमिकों को भुगतान करना होगा।

(2) ठेकेदार को नामित प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर सुरक्षा जमा राशि वापस करनी होगी, अन्यथा उसका लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है।

(3) यदि बकाया मजदूरी सुरक्षा जमा राशि से अधिक है, तो प्रधान नियोक्ता मजदूरी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) ऐसे ठेकेदारों और मालिकों साझेदारों को नामित प्राधिकारी द्वारा ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और इसकी सूचना राज्य सरकार को भेजी जाएगी।

धारा 56 के अंतर्गत अनुभव प्रमाण पत्र

87. प्रत्येक संबंधित ठेकेदार अपने लेटरहेड पर अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ प्रपत्र–28 में संविदा श्रमिकों को मांग पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिसमें अवधि का विवरण, किए गए कार्य, विभिन्न क्षेत्रों में संविदा श्रमिकों द्वारा प्राप्त अनुभव जैसे मुख्य बिंदुओं का उल्लेख होगा।

धारा 57 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अंतर्गत मुख्य गतिविधि की घोषणा हेतु आवेदन का प्रपत्र एवं रीति

88. (1) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी प्रतिष्ठान की कोई गतिविधि मुख्य गतिविधि है या नहीं, तो पीड़ित पक्ष निर्णय हेतु राज्य सरकार को प्रपत्र–29 में आवेदन कर सकता है।

(2) उक्त आवेदन में संबंधित गतिविधि और प्रतिष्ठान की विनिर्माण प्रक्रियाएं का संपूर्ण विवरण होना चाहिए।

(3) ऐसे आवेदन में आवेदन करने का औचित्य भी शामिल होना चाहिए।

(4) आवेदन के साथ आवेदक द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए।

धारा 57 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन रिपोर्ट प्रेषित करने की अवधि व विनिश्चय करने की अवधि

89. यदि राज्य सरकार किसी ऐसे प्रश्न को स्वतःसंज्ञान से संदर्भित करती है या धारा 57 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन नामित प्राधिकारी को आवेदन संदर्भित करता है, तो ऐसे नामित प्राधिकारी ऐसे प्रश्न या आवेदन की प्राप्त होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर राज्य सरकार को एक रिपोर्ट भेजेगा और उसके बाद राज्य सरकार ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि की तिथि से दो माह के भीतर प्रश्न का निर्णय करेगी।

भाग–II

अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक

धारा 61 के अंतर्गत न्यूनतम सेवा अवधि, आवधिकता, यात्रा का वर्ग और यात्रा भत्ता से संबंधित मामले

90. (1) नियोक्ता अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक को उसके रोजगार स्थल से उसके गृह राज्य में निवास स्थान तक ट्रेन (द्वितीय श्रेणी स्लीपर से कम नहीं) या बस या किसी अन्य यात्री परिवहन साधन द्वारा आने–जाने के किराए के लिए एकमुश्त उचित राशि का भुगतान करेगा, यदि उसने पिछले बारह महीनों में संबंधित प्रतिष्ठान में कम से कम 180 दिनों तक काम किया हो;

परन्तु यात्रा भत्ता अंतर्राज्यीय श्रमिक को बारह महीनों में एक बार दिया जाएगा, यदि रोजगार की अवधि के बीच में अंतर–राज्यिक प्रवासी श्रमिक द्वारा अपना नियोक्ता बदल लिया जाता है और उसने अपने पिछले नियोक्ता से यात्रा भत्ता का लाभ नहीं उठाया है, तो अंतर्राज्यिक प्रवासी श्रमिक द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र के आधार पर नियोक्ता जहां अंतर–राज्यिक प्रवासी श्रमिक अब काम कर रहा है और ऐसे श्रमिक ने पूर्ववर्ती नियोक्ता के साथ बितायी अवधि सहित पिछले बारह महीनों में एक सौ अस्सी दिन पूरे कर लिये हैं, तो यात्रा भत्ता का भुगतान वर्तमान नियोक्ता करेगा

(2) यात्रा भत्ता का भुगतान मुख्य नियोक्ता द्वारा यथासंभव इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

धारा 63 के अंतर्गत टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर

91. (1) उत्तराखंड के श्रम आयुक्त, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों की पूछताछ और शिकायतों के समाधान हेतु एक टोल–फ्री हेल्पलाइन स्थापित करेंगे। यह हेल्पलाइन प्रवासी श्रमिकों के प्रश्नों और शिकायतों के निवारण हेतु होगी।

(2) टोल–फ्री नंबर पर की गई कॉलों का रिकॉर्ड श्रम आयुक्त द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाएगा।

धारा 64 के अंतर्गत अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक का अध्ययन

92. (1) अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार किसी भी समय, जब वह आवश्यक समझे या केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित किए जाने पर, उत्तराखंड राज्य से या उत्तराखंड राज्य में आने वाले अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों का अध्ययन कर सकती है।

(2) इस प्रकार के अध्ययन का तरीका, अध्ययन दल की संरचना और अन्य मामले राज्य सरकार द्वारा तय किए जाएंगे।

(3) जहां भी आवश्यक हो, राज्य सरकार अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े विशेषज्ञ संगठनों और विभिन्न हितधारकों से भी परामर्श कर सकती है।

भाग–III

श्रव्य–दृश्य श्रमिक

धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (क) के अंतर्गत श्रव्य–दृश्य कामगारों के लिए समझौता का प्ररूप व धारा 66 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अन्तर्गत समझौते का पंजीकरण

93. धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (क) के अंतर्गत श्रव्य–दृश्य कर्मकार के नियोजन के लिए समझौता प्रपत्र–30 में किया जाएगा। इस समझौते को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले समक्ष प्राधिकारी के पास पंजीकृत किया जाएगा।

धारा 66 की उपधारा (3) के अंतर्गत श्रव्य–दृकामगारों के लिए समझौता की प्रति का प्रेषण

94. श्रव्य–दृश्य कर्मकार के नियोजन से संबंधित धारा 66 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार, यदि ऐसे श्रव्य–दृश्य श्रमिक किसी अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत आते हैं जो उन्हें भविष्य निधि का लाभ प्रदान करने के लिए लागू है, तो श्रव्य–दृश्य श्रमिक के निर्माता द्वारा ऐसे समझौते की प्रति केंद्र सरकार के संबंधित भविष्य निधि अधिकारियों को भेजी जाएगी।

धारा 66 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विवादों को सुलह अधिकारी या किसी न्यायाधिकरण को संदर्भित करने के लिए प्रक्रिया

95. धारा 66 के उपधारा (1) के अन्तर्गत होने वाले विवादों को सुलह अधिकारी या किसी न्यायाधिकरण को संदर्भित करने के लिए प्रक्रिया औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) और इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुरूप होगी।

भाग–IV

बीड़ी और सिगार श्रमिक

धारा 74 की उपधारा (2) के अधीन लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र।

96. (1) धारा 74 की उपधारा (2) के अन्तर्गत किसी स्थान या परिसर को औद्योगिक परिसर के रूप में उपयोग करने या उपयोग करने की अनुमति के लिए अनुज्ञप्ति हेतु प्रत्येक आवेदन राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर प्रपत्र–31 में इलैक्ट्रॉनिक रूप में किया जाएगा।

(2) आवेदन के साथ योजनाएँ संलग्न होंगी।

(क) ऐसे स्थान या परिसर का स्थल, विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र और ऐसे स्थान या परिसर के तत्काल आसपास का क्षेत्र, जिसमें आस–पास की इमारतें, संरचनाएं, सड़कें, नालियां आदि शामिल हैं, और

(ख) विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न भवनों में या उनसे संबंधित प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था, वेंटिलेशन, आग लगने की स्थिति में निकलने के साधन, उपयोग किए जाने वाले संयंत्र और मशीनरी की स्थिति (यदि कोई हो), गलियारे और मार्ग से संबंधित विवरण सहित योजना, ऊँचाई और आवश्यक अनुप्रस्थ काट।

(3) लाइसेंस प्रदान करने से पहले प्राधिकरण इस बात पर भी विचार करेगा कि क्या औद्योगिक परिसर के स्थल में कोई परिवर्तन प्रस्तावित है या क्या आवेदक द्वारा आवेदन की तिथि से ठीक पहले के बारह महीनों की अवधि के दौरान श्रमिकों के हितों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से औद्योगिक परिसर को बंद कर दिया गया है।

(4) लाइसेंस के लिए शुल्क नियम 97 के उप–नियम (1) के अधीन निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान किया जाएगा।

(5) आवेदन के साथ धारा 74 की उपधारा (4) के अधीन नियोक्ता द्वारा प्रपत्र–32 में दी गई सकारात्मक घोषणा संलग्न होगी।

धारा 74 की उपधारा (2) के अधीन लाइसेंस प्रदान करने या नवीकरण के लिए शुल्क

97. (1) लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण के लिए देय शुल्क नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट अनुसार होंगे:–

	वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले कर्मचारियों की प्रस्तावित संख्या	शुल्क (रुपये में)
(क)	अधिकतम बीस	500
(ख)	बीस से अधिक किन्तु पचास से कम	1000
(ग)	पचास से अधिक किन्तु सौ से कम	1500
(घ)	सौ से अधिक	2000

(2) डुप्लिकेट लाइसेंस जारी करने के लिए देय शुल्क एक सौ रुपये होगा।

(3) यदि प्राधिकरण धारा 74 के अधीन किसी लाइसेंस को प्रदान करने या नवीनीकृत करने से इनकार करता है, तो उसके लिए भुगतान की गई फीस वापस नहीं की जाएगी।

धारा 119 और धारा 74 की उपधारा (3) के अधीन लाइसेंस के लिए आवेदन के संबंध में सूचना और स्थल योजना

98. यदि बीड़ी और सिगार प्रतिष्ठान का अधिभोगी/नियोक्ता संहिता की धारा 119 के प्रावधानों के अधीन लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है, तो उसे उस स्थान या परिसर में दिन के किसी भी समय नियोजित किए जाने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या का उल्लेख करना होगा और उपयोग किए जाने वाले स्थान या परिसर का प्लान प्रपत्र–31 में संलग्न करना होगा।

धारा 74 की उपधारा (4) के अधीन लाइसेंस के नियम एवं शर्तें

99. धारा 74 के अधीन जारी या नवीनीकृत प्रत्येक लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्:–

(1) विनिर्माण प्रक्रिया केवल औद्योगिक परिसर के उस भाग में ही की जाएगी जो इस प्रयोजन के लिए लाइसेंस, में निर्दिष्ट है।

(2) औद्योगिक परिसर में नियोजित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या लाइसेंस, में निर्दिष्ट संख्या से अधिक नहीं होगी।

(3) लाइसेंस में निर्दिष्ट न की गई विद्युत चालित मशीनरी का उपयोग परिसर में विनिर्माण प्रक्रिया में नहीं किया जाएगा।

(4) प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुमति के बिना औद्योगिक परिसर का विस्तार नहीं किया जाएगा और इसी तरह की अनुमति के बिना ऐसे परिसर में किसी भी भवन में कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा,

(5) लाइसेंसधारक हस्तांतरणीय नहीं होगा,

(6) नियमों में दिए गए प्रावधानों के अलावा, लाइसेंस के अनुदान या नवीनीकरण के लिए भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करना

100. लाइसेंस प्रदान करने या अस्वीकार करने का निर्णय लेते समय धारा 74 की उपधारा (4) में निर्धारित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यदि प्राधिकारी संतुष्ट है, तो वह उत्तराखंड

सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 में अधिसूचित अवधि के भीतर प्रपत्र–33 पर लाइसेंस का प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी करेगा, अन्यथा ऐसा लाइसेंस प्रदान किया हुआ माना जाएगा और लाइसेंस प्रदान करने का प्रमाण पत्र पोर्टल द्वारा स्वतः उत्पन्न हो जाएगा।

धारा 74 की उपधारा (4) के खंड (ङ) के अधीन कल्याणकारी उपाय

101. लाइसेंस जारी करते समय या लाइसेंस का नवीनीकरण करते समय, लाइसेंसिंग प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि बीड़ी और सिगार प्रतिष्ठान के स्वामी ने स्थानीय श्रमिकों के कल्याण और जनता के हित के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए हैं:–

(1) साफ–सफाई

(i) प्रत्येक औद्योगिक परिसर में–

(क) कार्यस्थलों के फर्शों और गलियारों तथा सीढ़ियों और गलियारों से गंदगी और कूड़े के ढेर को प्रतिदिन झाड़ू लगाकर या किसी अन्य प्रभावी विधि से हटाया जाएगा और उचित तरीके से निपटाया जाएगा,

(ख) प्रत्येक कार्यकक्ष के फर्श को सप्ताह में कम से कम एक बार धोकर, आवश्यकतानुसार कीटाणुनाशक का प्रयोग करके, या किसी अन्य प्रभावी विधि से साफ किया जाएगा,

(ग) कमरों की छतों और दीवारों, किनारों और सीढ़ियों की सभी भीतरी दीवारें और विभाजन–

(कक) जहां वे रंगे या वार्निश किए गए हों या जहां उनकी चिकनी अभेद्य सतह हो, उन्हें प्रत्येक चौदह महीने की अवधि में कम से कम एक बार ताजे पानी से साफ करके सुखाया जाए,

(खख) जहां उन्हें प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि में कम से कम एक बार रंगा या वार्निश किया जाता है, या फिर से रंगा या वार्निश किया जाता है,

(गग) किसी अन्य स्थिति में, उन्हें बाहर

महीने में कम से कम एक बार सफेदी या रंगाई करके रखा जाना चाहिए।

(ii) इसे प्रत्येक बारह महीने में कम से कम एक बार उपनियम (1) के अधीन सफेदी, रंगाई वार्निशिंग, पेंटिंग या सफाई द्वारा, जैसा भी मामला हो, रखा जाना चाहिए की गई तिथियों का रिकॉर्ड नियोक्ता द्वारा प्रपत्र–34 में बनाए गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

(2) वेंटिलेशन–

औद्योगिक परिसर के प्रत्येक कार्यकक्ष या हॉल में पर्याप्त संख्या में खिड़कियाँ और वेंटिलेशन के लिए अन्य प्रकार के खुले स्थान उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि ताजी हवा की निरंतर आपूर्ति हो सके और कमरे या हॉल के अंदर का वातावरण आरामदायक बना रहे तथा धूल, धुएँ और अन्य अशुद्धियों से मुक्त रहे।

(3) शौचालय और मूत्रालय–

(i) प्रत्येक औद्योगिक परिसर में बीस पुरुष कर्मचारियों के लिए अलग–अलग एक शौचालय और एक मूत्रालय की व्यवस्था की जाएगी:

परन्तु जहां ऐसे पुरुष कर्मचारियों की संख्या सौ से अधिक हो, वहां पहले सौ तक प्रत्येक पच्चीस पुरुष कर्मचारियों के लिए एक शौचालय सीट और उसके बाद प्रत्येक पचास के लिए एक शौचालय सीट पर्याप्त होगी।

स्पष्टीकरण– इस उप–नियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक सीटों की संख्या की गणना करते समय, बीस, पच्चीस या पचास से कम कर्मचारियों की किसी भी पुरानी संख्या को बीस, पच्चीस या पचास ही गिना जाएगा।

(ii) जहां किसी औद्योगिक परिसर में महिला कर्मचारियों को नियोजित किया जाता है, वहां उनके लिए खंड (1) में निर्दिष्ट पुरुष कर्मचारियों के लिए निर्धारित पैमाने के अनुसार अलग शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था की जाएगी।

(iii) प्रत्येक शौचालय ढका हुआ होगा और शौचालय और मूत्रालय में प्रत्येक सीट को इस प्रकार विभाजित किया जाएगा जिससे निजता सुनिश्चित हो सके और प्रत्येक विभाजन में एक निजी दरवाजा और कुंडी होगी।

(iv) जहाँ किसी औद्योगिक परिसर में सभी लिंगों के कर्मचारी कार्यरत हों, वहाँ प्रत्येक शौचालय और मूत्रालय ब्लॉक के बाहर हिंदी में तथा कर्मचारियों के बहुमत द्वारा समझी जाने वाली भाषा में एक सूचना प्रदर्शित की जाएगी जिस पर लिखा होगा केवल पुरुषों के लिए या, जैसा भी मामला हो, केवल महिलाओं के लिए तथा ऐसी सूचना पर एक पुरुष या महिला का चित्र भी अंकित होगा।

(v) जहाँ पाइप से पानी की आपूर्ति उपलब्ध है, वहाँ शौचालयों और मूत्रालयों में या उसके पास सुविधाजनक रूप से सुलभ पर्याप्त संख्या में पानी के नल उपलब्ध कराए जाएँगे और जहाँ पानी की निरंतर आपूर्ति नहीं है, वहाँ ऐसे शौचालयों और मूत्रालयों में या उसके पास धोने के प्रयोजनों के लिए डिब्बों के साथ पानी के कुंड उपलब्ध कराए जाएँगे।

(vi) जब किसी विशेष इलाके में सुनिश्चित जल आपूर्ति के साथ भूमिगत सीवेज की कोई सामान्य प्रणाली उपलब्ध कराई गई हो या मौजूद हो, तो उस इलाके में औद्योगिक परिसर में सेप्टिक टैंक शौचालय के अलावा सभी शौचालय और मूत्रालय ऐसे निकटतम सीवेज प्रणाली से जुड़े होंगे।

(vii) प्रत्येक शौचालय और मूत्रालय की दीवारों, छतों और विभाजनों पर सफेदी या रंगाई की जाएगी और प्रत्येक अवधि में कम से कम एक बार यह प्रक्रिया चार महीने मे दोहराई जाएगी। वे तिथियां जिन पर उपनियम 1 के अधीन या जैसा भी प्रावधान हो, डिटर्जेंट और कीटाणुनाशकों से धुलाई की जाती है, नियोक्ता द्वारा प्रपत्र 34 में रखे गए रजिस्टर में दर्ज की जाती है:

परन्तु खंड (vii) में कोई भी बात शौचालय या मूत्रालय की दीवारों और छतों तथा विभाजनों या ऐसी दीवारों, छतों और विभाजनों के किसी भी भाग पर लागू नहीं होगी, जो चमकदार टाइलों से बने हों या किसी अन्य प्रकार से चिकनी, पॉलिश की हुई, अभेद्य सतह प्रदान करने के लिए तैयार किए गए हों, लेकिन ऐसी दीवारों, छतों, विभाजनों या उनके भागों को प्रत्येक चार महीने की अवधि में कम से कम एक बार उपयुक्त डिटर्जेंट और कीटाणुनाशकों से धोया जाएगा।

(viii) औद्योगिक परिसर में अपशिष्ट या गंदे पानी को ले जाने के लिए बनाए गए सभी नालों का निर्माण ईंट–पत्थर की चिनाई या अन्य अनुमत सामग्रियों से किया जाएगा और उन्हें नियमित रूप से साफ किया जाएगा तथा अपशिष्ट जल को उपयुक्त जल निकासी लाइनों से जोड़कर निकाला जाएगा:

परन्तु जहां ऐसी कोई जल निकासी लाइन नहीं है, वहां अपशिष्ट जल को गंधहीन बनाने के लिए उसका उपचार किया जाएगा और फिर उसका निपटान किया जाएगा।

(4) धुलाई की सुविधाएँ–

(i) तंबाकू को मिलाने और छानने या गर्म भट्टियों में बीड़ी गर्म करने में लगे कर्मचारियों के उपयोग के लिए प्रत्येक औद्योगिक परिसर में पर्याप्त और उपयुक्त धुलाई की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी और उनका रखरखाव किया जाएगा, जिनमें साबुन और नाखून साफ करने वाले ब्रश या सफाई के अन्य उपयुक्त साधन शामिल होंगे, और ऐसी सुविधाएँ सुविधाजनक, सुलभ और स्वच्छ एवं व्यवस्थित स्थिति में उपलब्ध कराई जाएंगी।

(ii) यदि किसी औद्योगिक परिसर में महिला कर्मचारी कार्यरत हैं, तो पुरुष कर्मचारियों के संबंध में खंड (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं के समान ही, ऐसी महिला कर्मचारियों के लिए भी बंद या ढके हुए स्थानों में अलग धुलाई सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी, इस प्रकार कि ऐसे स्थानों के आंतरिक भाग किसी भी ऐसे स्थान से दिखाई न दें जहाँ पुरुष कर्मचारी काम करते हों या आते–जाते हों, और ऐसे प्रत्येक स्थान के प्रवेश द्वार पर कर्मचारियों के बहुमत द्वारा समझी जाने वाली भाषा में मोटे और स्पष्ट अक्षरों में "केवल महिलाओं के लिए" लिखा हुआ नोटिस लगा होगा, और ऐसे नोटिस पर एक महिला का चित्र भी होगा।

(iii) खंड (1) या खंड (2) के अंतर्गत धुलाई सुविधाओं के प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति ऐसी होनी चाहिए कि औद्योगिक परिसर में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 27.3 लीटर जल उपलब्ध हो सके और ऐसा जल स्वच्छ स्रोत से लिया जाए।

परन्तु यदि निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता संतुष्ट हो कि इस उप–नियम के अधीन निर्दिष्ट पैमाने के अनुसार जल आपूर्ति उपलब्ध कराना व्यावहारिक नहीं है, तो वह लिखित प्रमाण पत्र द्वारा कम मात्रा में आपूर्ति की अनुमति दे सकता है, जो किसी भी स्थिति में प्रत्येक कर्मचारी के लिए 4.5 लीटर प्रति दिन से कम नहीं होगी।

(5) शिशुगृह:–

प्रत्येक औद्योगिक परिसर में, जहाँ पिछले बारह वर्षों में किसी भी दिन तीस से अधिक महिला श्रमिक कार्यरत थी या कार्यरत है, नियोक्ता को इन नियमों में निर्धारित मानकों के अनुसार, छह वर्ष से कम आयु के अपने दो बच्चों के लिए एक या अधिक शिशुगृह उपलब्ध कराने और उनका रखरखाव करने होंगे।

(i) शिशुगृह को निम्नलिखित मानकों का पालन करना होगा–

(क) शिशुगृह उसमें रखे गए बच्चों की माताओं के लिए सुविधाजनक रूप से सुलभ होना चाहिए और जहां तक यथोचित रूप से संभव हो, यह औद्योगिक परिसर के किसी भी हिस्से के निकट स्थित नहीं होना चाहिए जहां से हानिकारक धुआं, धूल या दुर्गंध निकलती हो,

(ख) शिशुगृह के रूप में उपयोग किए जाने वाले कमरे या कमरे सुदृढ़ रूप से निर्मित होने चाहिए और उनकी दीवारें और छत ऊष्मारोधी सामग्री से बनी होनी चाहिए और जलरोधक होनी चाहिए,

(ग) शिशुगृह की फर्श और आंतरिक दीवारों को 1.2 मीटर की ऊंचाई तक इस प्रकार बिछाया या तैयार किया जाएगा कि एक चिकनी अभेद्य सतह उपलब्ध हो।

(घ) क्रेच के रूप में उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कमरे की ऊंचाई फर्श से छत के सबसे निचले हिस्से तक 3.7 मीटर से कम नहीं होगी और उसमें रखे जाने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए फर्श का क्षेत्रफल 1.9 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा,

(ङ) ताजी हवा के संचलन द्वारा पर्याप्त वेंटिलेशन सुनिश्चित करने और बनाए रखने के लिए क्रेच के प्रत्येक भाग में प्रभावी और उपयुक्त प्रावधान किया जाएगा,

(च) शिशुगृह पर्याप्त रूप से सुसज्जित और सुसज्जित होना चाहिए और विशेष रूप से वहां निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए–

(कक) दो वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए उपयुक्त बिस्तर;

(खख) दो वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक बिस्तर सहित एक उपयुक्त पालना या झूला;

(गग) प्रत्येक माँ के लिए बच्चे को दूध

पिलाते या उसकी देखभाल करते समय उपयोग हेतु कम से कम एक कुर्सी या अन्य उपयुक्त समान बैठने की व्यवस्थाय और

(घघ) बड़े बच्चों के लिए उपयुक्त खिलौनों की पर्याप्त आपूर्ति।

(थ) शिशुगृह में या उसके निकट बच्चों और उनके कपड़ों की धुलाई के लिए एक उपयुक्त धुलाई कक्ष होना चाहिए और ऐसा कक्ष निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होना चाहिए, अर्थात्–

(कक) कमरे के फर्श और आंतरिक दीवारों को 0.9 सेमी की ऊंचाई तक इस प्रकार बिछाया या तैयार किया जाएगा कि एक चिकनी अभेद्य सतह प्राप्त हो सके;

(खख) कमरा पर्याप्त रूप से व्यवस्थित और हवादार होना चाहिए तथा फर्श की जल निकासी प्रभावी होनी चाहिए और उसे साफ–सुथरा रखा जाना चाहिए;

(गग) धुलाई के लिए पानी की आपूर्ति स्वच्छ स्रोत से होनी चाहिए और यदि संभव हो तो नल के माध्यम से होनी चाहिए

(घघ) प्रत्येक बच्चे के लिए प्रतिदिन कम से कम 22.7 लीटर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी;

(ङङ) प्रत्येक बच्चे के उपयोग के लिए स्वच्छ कपड़े, साबुन और स्वच्छ तौलिये की पर्याप्त आपूर्ति की जाएगी;

(चच) वॉशरूम से सटे हुए क्रेच में बच्चों के विशेष उपयोग के लिए एक सेप्टिक प्रकार का शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा और उसे साफ और स्वच्छ स्थिति में रखा जाएगा।

(छ) नियोक्ता को क्रेच में रखे जाने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए प्रतिदिन कम से कम आधा पिंट शुद्ध दूध उपलब्ध कराना होगा और ऐसे बच्चे की माँ को दैनिक कार्य के दौरान बच्चे को दूध पिलाने के लिए कम से कम पंद्रह मिनट का पर्याप्त अंतराल दिया जाएगा।

(ज) उप–नियम (4) के प्रावधानों के अनुसार दूध उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, नियोक्ता दो वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए, जो क्रेच में रखे जाते हैं, पौष्टिक जलपान की आपूर्ति की व्यवस्था करेगा।

(झ) नियोक्ता बच्चों और शिशुओं की देखभाल में प्रशिक्षित महिला और क्रेच में रखे गए बच्चों की देखभाल के लिए पर्याप्त संख्या में आया नियुक्त करेगा और वह इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त उपकरण और सुविधाएं भी प्रदान करेगा।

स्पष्टीकरण: इस दुर्घटना में नियुक्त की जाने वाली आयाओं की संख्या की गणना नियोक्ताओं द्वारा नियुक्त प्रत्येक तीस बच्चों पर एक आया की दर से की जाएगी।

(ञ) नियोक्ता क्रेच में कार्यरत कर्मचारियों को क्रेच में ड्यूटी के दौरान उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ वस्त्र उपलब्ध कराएगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम में बच्चे से तात्पर्य महिला कर्मचारी के छह वर्ष से कम आयु के बच्चे से है।

(6) प्राथमिक उपचार–

(i) प्रत्येक औद्योगिक परिसर में, कार्य समय के दौरान आसानी से सुलभ होने की स्थिति में, खंड (2) में निर्दिष्ट उपकरण युक्त प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स या अलमारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी और उनका रखरखाव किया जाएगा, और इस प्रकार उपलब्ध कराए जाने वाले और रखरखाव किए जाने वाले बॉक्स या अलमारियों की संख्या परिसर में किसी भी समय सामान्य रूप से कार्यरत प्रत्येक एक सौ पचास कर्मचारियों के लिए एक से कम नहीं होगी।

(ii) प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स या अलमारियों पर सफेद पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस का स्पष्ट चिह्न अंकित होना चाहिए और उनमें निम्नलिखित उपकरण होने चाहिए, अर्थात्—

(क) छह छोटी निष्फल पट्टियाँ;

(ख) तीन मध्यम आकार की निष्फल पट्टियाँ;

(ग) तीन बड़े आकार की कीटाणुरहित पट्टियाँ;

(घ) तीन बड़े आकार की कीटाणुसहित जले हुए घावों की पट्टियाँ;

(ङ) आयोडीन के 2 प्रतिशत अल्कोहलिक घोल वाली एक (28.350 ग्राम) बोतल;

(च) एक (28.350 ग्राम) बोतल जिसमें लेबल पर दर्शाई गई खुराक और प्रशासन विधि के अनुसार सैल्बोलेटाइल हो;

(छ) सांप के काटने का लैंसेट;

(ज) पोटेशियम परमैंगनेट की एक बोतल (28.350 ग्राम);

क्रिस्टल;

(झ) एक जोड़ी कैंची;

(ञ) आई ड्रॉप;

(ट) चिपकने वाला प्लास्टर।

(iii) प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स या अलमारी को प्राथमिक चिकित्सा उपचार में प्रशिक्षित व्यक्ति के प्रभार में रखा जाएगा और जो औद्योगिक परिसर के कार्य घंटों के दौरान हमेशा आसानी से उपलब्ध रहेगा।

(7) कैंटीन–

(i) प्रत्येक औद्योगिक परिसर का नियोक्ता, जिसमें कम से कम दो सौ पचास कर्मचारी या सामान्य रूप से कार्यरत हों, औद्योगिक परिसर में या उसके निकट एक कैंटीन उपलब्ध कराएगा।

(ii) कैंटीन किसी भी शौचालय या मूत्रालय या धूल के किसी अन्य स्रोत से 15.2 मीटर के भीतर स्थित नहीं होगी।

(iii) कैंटीन भवन में कम से कम एक भोजन कक्ष, रसोईघर, भंडार कक्ष और पैंट्री के अलावा कर्मचारियों और बर्तनों के लिए अलग–अलग धुलाई स्थान होंगे।

(iv) भवन की न्यूनतम ऊँचाई 3.7 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए और सभी दीवारें और छत उपयुक्त ऊष्मारोधी सामग्री से बनी होनी चाहिए और जलरोधी होनी चाहिए। पर्याप्त वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। दरवाजे और खिड़कियाँ अग्निरोधी होनी चाहिए।

(v) कैंटीन में हर समय पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए जब भी किसी व्यक्ति को उसमें प्रवेश की अनुमति हो।

(vi) प्रत्येक कैंटीन में–

(क) कमरों की सभी भीतरी दीवारों और सभी छतों, गलियारों और सीढ़ियों पर प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार चूने की पुती या रंगाई की जाएगी या तीन वर्षों में एक बार रंगाई की जाएगी, जिसकी गणना अंतिम बार चूने की पुती या रंगाई या रंगाई किए जाने की अवधि से की जाएगी,

(ख) सभी लकड़ी के काम पर अंतिम बार वार्निश या पेंट किए जाने की अवधि से तीन साल में एक बार वार्निश या पेंट किया जाएगा,

(ग) सभी आंतरिक संरचनात्मक लोहे या इस्पात के कार्यों को वार्निश या पेंट किए जाने की अवधि से तीन वर्ष के भीतर वार्निश या पेंट किया जाएगा,

(घ) रसोई की दीवारों के भीतरी भाग पर हर चार महीने में एक बार चूने की पुती जाएगी।

(vii) चूने की सफेदी, रंगाई, वार्निशिंग या पेंटिंग किए जाने की तिथियों को नियोक्ता द्वारा प्रपत्र–34 में रखे गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

(viii) कैंटीन परिसर को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर बनाए रखा जाएगा। अपशिष्ट जल को उपयुक्त ढके हुए नालों में बहाया जाएगा और उसे इस प्रकार जमा नहीं होने दिया जाएगा जिससे उपद्रव उत्पन्न हो। कूड़े के संग्रहण और निपटान के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

(ix) भोजन कक्ष में एक समय में कम से कम तीस प्रतिशत कर्मचारी बैठ सकेंगे।

(X) भोजन कक्ष का फर्श, सेवा काउंटर और

मेज और कुर्सियों को छोड़कर किसी भी फर्नीचर द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र को छोड़कर, खंड (9) में निर्दिष्ट अनुसार समायोजित किए जाने वाले प्रत्येक भोजनकर्ता के लिए 93 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा।

(xi) भोजन कक्ष और सेवा काउंटर का एक भाग महिला कर्मचारियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में अलग से आरक्षित किया जाएगा। महिलाओं के लिए धोने के स्थान अलग होंगे और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए परदे से ढके होंगे।

(xii) भोजन करने वालों की संख्या खंड (9) में, के अनुसार पर्याप्त मेजें, कुर्सियाँ या बेंचें उपलब्ध कराई जाएगी।

(xiii) कैंटीन के कुशल संचालन के लिए पर्याप्त बर्तन, क्रॉकरी, कटलरी, फर्नीचर और अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे और उनका रखरखाव किया जाएगा। कैंटीन में सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए उपयुक्त स्वच्छ वस्त्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे और उनका रखरखाव किया जाएगा।

(xiv) फर्नीचर, बर्तन और अन्य उपकरण साफ–सुथरे और स्वच्छ अवस्था में रखे जाएंगे। यदि सर्विस काउंटर उपलब्ध कराया गया है, तो उसका ऊपरी भाग चिकना और अभेद्य पदार्थ का बना होगा। बर्तनों और उपकरणों की सफाई के लिए पर्याप्त गर्म पानी की आपूर्ति सहित उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

(xv) खाद्य और खाद्य सामग्री को मक्खी–रोधी तिजोरियों में संग्रहित किया जाएगा और लकड़ी के चम्मच या उपयुक्त धातु के चिमटे की सहायता से संभाला जाएगा, जो

भी सुविधाजनक हो। एक बार उपयोग किए गए बर्तनों को दोबारा उपयोग करने से पहले गर्म पानी से धोया जाएगा।

(xvi) कैंटीन में परोसे जाने वाले भोजन, पेय पदार्थ और अन्य वस्तुएं लाभ–रहित आधार पर परोसी जाएंगी।

धारा 74 की उपधारा (4) के खंड (ङ) के अधीन नियोक्ता द्वारा कच्चे माल के निर्गमन से संबंधित विवाद

102. (1) नियोक्ता और कर्मचारी या कर्मचारियों के बीच कोई विवाद के संबंध–

(क) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कच्चे माल की आपूर्ति,

(ख) नियोक्ता द्वारा बीड़ी या सिगार, या कर्मचारी द्वारा अस्वीकृत दोनों को अस्वीकार करना, या

(ग) नियोक्ता द्वारा अस्वीकृत बीड़ी या सिगार या दोनों के रूप में मजदूरी का भुगतान,

नियोक्ता या कर्मचारी द्वारा लिखित रूप में निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता को मामला भेजा जा सकता है, जो आवश्यक समझी जाने वाली जांच करने के बाद और पक्षों को अपने–अपने मामले प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद विवाद का निर्णय करेगा और विवाद के विवरण, पक्षों की दलीलें, दस्तावेज और साक्ष्य तथा उसके निष्कर्ष सहित कार्यवाही दर्ज करेगा।

(2) उप–नियम (1) के अधीन लिए गए निर्णय से असंतुष्ट कोई भी विवादित पक्षकार निर्णय की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर लाइसेंसिंग प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है,

परन्तु अपीलीय प्राधिकारी उक्त अवधि के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है यदि अपीलकर्ता ऐसे प्राधिकारी को संतुष्ट कर दे कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।

धारा 74 की उपधारा (4) के खंड (ङ) के अंतर्गत बीड़ी या

103. (1) कोई भी नियोक्ता या ठेकेदार सामान्यतः किसी श्रमिक, जिसमें गृह–श्रमिक भी शामिल है, से प्राप्त निम्न

सिगार की अस्वीकृति के संबंध में सीमा

गुणवत्ता वाली या छत्त या अन्यथा पांच प्रतिशत से अधिक बीड़ी या सिगार, या दोनों को अस्वीकार नहीं करेगा।

(2) यदि कोई बीड़ी या सिगार घटिया गुणवत्ता का होने के कारण, चाट होने के कारण या श्रमिक की जानबूझकर की गई लापरवाही के अलावा किसी अन्य कारण से अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो श्रमिक को अस्वीकृत बीड़ियों या सिगारों के लिए उस दर के आधे दर पर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा जिस दर पर उसे उन बीड़ियों या सिगारों (या दोनों) के लिए मजदूरी देय है जो अस्वीकृत नहीं किए गए हैं।

धारा 74 की उपधारा (6) के अंतर्गत लाइसेंस के नवीनीकरण, नवीनीकरण शुल्क

104. (1) लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर नियम–97 के तहत निर्धारित शुल्क के साथ किया जाएगा।

(2) आवेदन के साथ नियोक्ता की ओर से नियम 96 के उप–नियम (5) के अधीन प्रपत्र–32 में निर्धारित सकारात्मक घोषणा संलग्न होनी चाहिए।

(3) प्राधिकारी निर्धारित शुल्क के साथ नवीनीकरण आवेदन प्राप्त होने के 60 दिनों के अन्दर अनुज्ञप्ति का नवीनकरण या नवीनीकरण करने से इंकार कर सकेगा।

(4) प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र–33 पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाइसेंस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण करेगा।

धारा 75 के अधीन अपील की रीति व शुल्क

105. (1) धारा 75 के अधीन अपील के संबंध में देय शुल्क केवल एक हजार रुपये होगा जो कि अप्रतिदेय होगा।

(2) लाइसेंस प्रदान करने या नवीनीकरण से इनकार करने वाले लाइसेंसिंग प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है,

(क) अपील किए जाने वाले आदेश की प्राप्ति तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया गया हो;

(ख) अपील किए गए आदेश की एक प्रति के साथ,

(ग) ऐसी अपील के आधार और तथ्यों से युक्त ज्ञापन,

(घ) अपील के लिए शुल्क भुगतान के प्रमाण के रूप में ट्रेजरी चालान।

धारा 76 की उपधारा (1) के अधीन औद्योगिक परिसर के बाहर कर्मचारियों को कार्य करने की अनुज्ञा एवं अनुज्ञा प्रदान किये जाने की शर्तें

106. (1) नियोक्त राज्य सरकार को कर्मचारियों की ओर से प्रपत्र–35 पर आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें औद्योगिक परिसर के बाहर बीड़ी या तंबाकू के पत्तों को गीला करने और काटने की अनुमति प्राप्त करने का अनुरोध किया जायेगा।

(2) आवेदन के साथ उन सभी कर्मचारियों की सूची और उनके आधार/पहचान पत्र संलग्न करने होंगे, जो बाहर काम करेंगे।

(3) धारा 76 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुमति, अनुमति देने वाले आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए ही वैध होगी।

(4) धारा 76 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञा प्रदान किये जाने की शर्तें:–

(क) उपरोक्त अनुमति के लिए आवेदन करने वाले नियोक्ता के पास ऐसे परिसर के लिए धारा 74 के अधीन जारी वैध लाइसेंस होना चाहिए।

(ख) बीड़ी या तंबाकू के पत्तों को गीला करने या काटने के लिए प्रस्तावित स्थान की उपयुक्तता।

(ग) बीड़ी या तंबाकू के पत्तों को गीला करना या काटना केवल उसी स्थान पर किया जाएगा जहां अनुमति दी गई हो।

(घ) औद्योगिक परिसर के बाहर बीड़ी या तंबाकू के पत्तों को गीला करने या काटने के लिए नियोक्ता द्वारा नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या, धारा 74 के अधीन जारी लाइसेंस के लिए श्रमिकों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी।

(ङ) अन्य शर्तें जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाए।

अभिलेख धारा 76 के उपधारा (2) के अंतर्गत बाहरी श्रमिकों अभिलेखों का रखरखाव

107. (1) धारा 76 की उपधारा (1) के अधीन औद्योगिक परिसर के बाहर किए जाने वाले कार्य का अभिलेखन नियोक्ता द्वारा प्रपत्र–36 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखा जाएगा।

(2) नियोक्ता उन कर्मचारियों के संबंध में, जिन्हें अपने घरों में काम करने की अनुमति दी गई है (इसके बाद गृह–कार्यकर्ता कहा जाएगा), प्रपत्र–37 में एक अद्यतन रजिस्टर/लॉग–बुक इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखेगा।

भाग–7
कारखाना

धारा 79 की उपधारा (1) तहत कारखाने की योजनाओं और स्थल योजना का प्रस्तुतीकरण एवं अनुमोदन

108. (1) किसी भी स्थल का उपयोग कारखाने के स्थान के लिए नहीं किया जाएगा और ऐसे स्थल पर या कारखाने में कोई भी भवन निर्मित, संशोधित या परिवर्तित, विस्तारित या कारखाने या कारखाने के किसी भाग के रूप में उपयोग में नहीं लिया जाएगा, जब तक कि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता से पूर्व स्वीकृति प्राप्त न हो जाए।

(2) कारखाने के निर्माण या विस्तार के लिए आवेदन, राज्य सरकार के श्रम विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर मुख्य निरीक्षक–सह– सुविधाकर्ता को प्रपत्र–38 में योजना या अनुमति की मंजूरी हेतु आवेदक द्वारा परिसर पर कब्जा करने या उसका उपयोग शुरू करने से कम से कम तीस दिन पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

(3) आवेदन के साथ विधिवत भरा हुआ प्रपत्र–39 संलग्न होना चाहिए, जिसका सत्यापन उत्तराखंड सरकार द्वारा सूचीबद्ध पंजीकृत वास्तुकार और संरचना अभियंता के साथ–साथ प्रतिष्ठान कारखाने के मालिक द्वारा भी किया जाना चाहिए।

(4) आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए:

(क) आवेदक द्वारा विधिवत भरा गया प्रपत्र–39.

(ख) नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत या अधिसूचित क्षेत्र, जैसा भी मामला हो, से कारखाने के स्थान के लिए अनापत्ति पत्र

(ग) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति पत्र

(घ) अग्निशमन विभाग से अनापत्ति पत्र

(ङ) पेट्रोलियम नियम, 1976 में परिभाषित पेट्रोलियम के भंडारण के लिए पेट्रोलियम नियम, 1976 के तहत जारी लाइसेंस एनओसी

(च) आवेदक / अधिभोगी और संरचना अभियंता तथा उत्तराखंड सरकार द्वारा सूचीबद्ध पंजीकृत वास्तुकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रपत्र 40 में स्थिरता प्रमाण पत्र।

(छ) नियम–109 के उप–नियम (2) में निर्धारित शुल्क का ई–चालान या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान।

(ज) सक्षम प्राधिकारी से विधिवत अनुमोदित भवन योजना और संरचना अभियंता से संरचना चित्र।

(5) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता आवश्यकता पड़ने पर किसी अधीनस्थ अधिकारी को स्थल निरीक्षण के लिए अधिकृत कर सकता है।

(6) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता संतुष्ट होने पर कि योजना संहिता की आवश्यकताओं के अनुरूप है, ऐसी शर्तों या अनापत्ति प्रमाण पत्र के अधीन, जैसा वह निर्दिष्ट करे, योजना को अनुमोदित करेगा और अनुमोदन प्रमाण पत्र प्रपत्र 41 में जारी किया जाएगा। बशर्ते कि यदि आवेदन का निपटारा 30 कार्य दिवसों में नहीं किया जाता है, तो आवेदन को इस शर्त के साथ अनुमोदित माना जाएगा कि योजना संहिता के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए।

(7) यदि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता आवेदन से संतुष्ट नहीं है या आवेदन अपूर्ण है, तो वह पंद्रह दिनों के भीतर पोर्टल पर एक साथ आपत्तियां दर्ज करा सकता है और आवेदक को निर्धारित समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करना होगा या आवश्यकतानुसार सुधार या संशोधन करने होंगे। हालांकि, यदि आवेदक मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों का उत्तर देने में विफल रहता है, तो आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।

(8) इस नियम के तहत दी गई स्वीकृति को मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता द्वारा रद्द किया जा सकता है, यदि यह पाया जाता है कि अधिभोगी या प्रबंधक ने गलत बयानी या महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर, या आवेदन के साथ धोखाधड़ी वाले दस्तावेज प्रस्तुत करके, या अन्यथा, या अधिकांश निर्माण कार्य दी गई स्वीकृति के अनुसार नहीं किया जा रहा है।

धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन लाइसेंस के लिए आवेदन और निर्धारित शुल्क

109. (1) प्रत्येक कारखाने का अधिभोगी, नियम 108 के अधीन स्थल–योजना की स्वीकृति के लिए आवेदन के साथ, संहिता की धारा 79 के अधीन निर्धारित प्रपत्र–42 सहित, लाइसेंस प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के श्रम विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि नियम–108 के अधीन साइट–प्लान को मंजूरी मिल जाती है और कारखाने का नियोक्ता अधिभोगी संहिता और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के सभी प्रावधानों का अनुपालन करता है, तो कारखाने का पंजीकरण किया जाएगा और धारा 119 के अन्तर्गत निर्धारित लाईसेंसी प्राधिकारी द्वारा नीचे निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर प्रपत्र–43 में कारखाने का लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा, बशर्ते लाइसेंस में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन किया जाए।

स्थापित विद्युत की मात्रा (किलोवाट)	वर्ष के दौरान किसी भी दिन निर्धारित किए जा सकने वाले मानकों से अधिकतम मांग							
	50 तक	51 से 100	101 से 150	151 से 300	301 से 500	501 से 1000	1001 से 2500	2500 से अधिक
शून्य	1000	2000	2500	3000	6000	12000	22000	30000
50 तक	2250	4500	6000	9000	12000	22000	40000	55000
51 से 101	4500	7500	9000	13000	18000	30000	50000	80000
101 से 500	7500	12000	15000	22000	30000	40000	70000	85000
501 से 1000	15000	18000	22000	30000	35000	55000	75000	90000
1000 से 2500	18000	24000	30000	35000	45000	60000	80000	100000
2500 से अधिक	25000	30000	40000	45000	55000	70000	90000	110000

(3) आवश्यकता पड़ने पर पावर फैक्टर 0.9 लिया जाएगा।

(4) उप-नियम (2) के अधीन प्रदान किया गया लाइसेंस डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगा।

धारा 79 उपधारा (1) के खंड (सी) के अंतर्गत लाइसेंस का नवनीकिरण

110. (1) नियम-108 के अधीन जारी किया गया प्रत्येक लाइसेंस, एक वर्ष तक वैध रहेगा।

(2) लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन, जो अधिकतम दस वर्ष की अवधि के लिए हो, लाइसेंस की समाप्ति तिथि से कम से कम तीस दिन पहले प्रपत्र-42 में प्राधिकरण को ऑनलाइन किया जाएगा। आवेदन के साथ सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी और अधिभोगी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रपत्र-40 में स्थिरता प्रमाण पत्र और राज्य सरकार के वेब-पोर्टल पर उसमें निर्दिष्ट खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा की गई फीस संलग्न होनी चाहिए, जो नियम-109 में निर्दिष्ट प्रत्येक वर्ष के लिए आवश्यक फीस के भुगतान का प्रमाण हो।

(3) लाइसेंस के एक वर्ष के नवीनीकरण का शुल्क वही होगा जो लाइसेंस जारी करने का शुल्क है। यदि नवीनीकरण के लिए आवेदन एक वर्ष या दस वर्ष तक की किसी भी अवधि के लिए किया गया है, तो नवीनीकरण शुल्क नियम-109 में निर्धारित एक वर्ष

के लाइसेंस जारी करने के शुल्क को वर्षों की संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होगा।

(4) उप–नियम (2) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए किया गया कोई भी आवेदन, जब तक कि उसके साथ आवश्यक शुल्क विधिवत जमा न किया गया हो और लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए देय पच्चीस प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त शुल्क न हो, विलंब शुल्क के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(5) उप–नियम (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी, यदि वह संतुष्ट है कि लाइसेंस के नवीनीकरण पर कोई आपत्ति नहीं है, तो उसे दस वर्ष तक की अवधि के लिए नवीनीकृत करेगा और अधिसूचित अवधि के भीतर आवेदक को प्रपत्र–46 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाइसेंस जारी करेगा, अन्यथा ऐसे लाइसेंस को नवीनीकृत माना जाएगा और लाइसेंस के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र पोर्टल द्वारा स्वतः उत्पन्न हो जाएगा।

धारा 79 उपधारा (1) के खंड (सी) के अंतर्गत लाइसेंस में संशोधन

111. (1) यदि लाइसेंस की अवधि के दौरान किसी भी समय, अधिभोगी को किसी भी दिन स्थापित बिजली की सीमा या किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या को बढ़ाना आवश्यक लगता है, या कारखाने के नाम में कोई परिवर्तन होता है, या अधिभोगी में परिवर्तन होता है, या ऐसा कोई विवरण लाइसेंस आवेदन पत्र में उल्लिखित है, तो उसे ऐसे परिवर्तन से कम से कम पंद्रह दिन पहले लाइसेंस में संशोधन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ लाइसेंसिंग प्राधिकरण को आवेदन करना होगा और लाइसेंसिंग प्राधिकरण तदनुसार लाइसेंस में संशोधन कर सकता है।

(2) लाइसेंस में संशोधन के लिए आवेदन प्रपत्र–42 में ऑनलाइन किया जाएगा, साथ ही लाइसेंस में संशोधन के लिए शुल्क के भुगतान का प्रमाण भी संलग्न किया जाएगा, जो कि एक सौ रुपये होगा,

इसके अतिरिक्त किसी एक दिन में स्थापित कुल अधिकतम क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से या कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या, या दोनों के आधार पर नियम के अधीन देय शुल्क की राशि में से मूल लाइसेंस में पहले से जमा की गई राशि को घटा दिया जाएगा।

परन्तु कि एक सौ रुपये का संशोधन शुल्क लाइसेंस के नवीनीकरण के आवेदन के साथ संशोधनों का प्रस्ताव किए जाने पर देय नहीं होगा।

(3) नियम 112 के अनुसार योजना में संशोधन के लिए आवेदन, ऐसे संशोधन से कम से कम 15 दिन पहले ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए।

परन्तु किसी भी संयंत्र या मशीनरी के प्रतिस्थापन या ऐसी सीमा के भीतर किसी संयंत्र या मशीनरी के अतिरिक्त होने के कारण ही इस नियम के अर्थ के भीतर किसी भी कारखाने का विस्तार नहीं माना जाएगा, यदि ऐसा प्रतिस्थापन या अतिरिक्त मशीनरी या संयंत्र के आसपास सुरक्षित रूप से काम करने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्पष्ट स्थान को कम नहीं करता है।

परन्तु यह कि यदि किसी संशोधन से भाप, गर्मी, धूल या धुएं के उत्सर्जन या उत्सर्जन के कारण पर्यावरणीय स्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, तो ऐसे संशोधन के लिए नियम के अनुसार पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

(4) उप–नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, लाइसेंसिंग प्राधिकारी, यदि वह संतुष्ट है कि लाइसेंस में संशोधन करने में कोई आपत्ति नहीं है, तो अधिसूचित अवधि के भीतर प्रपत्र–43 में लाइसेंस में संशोधन करेगा, अन्यथा ऐसे लाइसेंस को संशोधित माना जाएगा और संशोधित प्रमाण पत्र पोर्टल द्वारा स्वतः उत्पन्न किया जाएगा।

(5) यदि निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता को यह प्रतीत होता है कि किसी कारखाने में कोई भवन या भवन का कोई भाग ऐसी स्थिति में है जिससे मानव जीवन और सुरक्षा को खतरा है, तो वह कारखाने के अधिभोगी को लिखित नोटिस जारी कर निर्दिष्ट समयावधि के भीतर भवन एवं संरचना जीवन परीक्षण कराने का निर्देश दे सकता है और सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित ऐसे परीक्षण का प्रमाण पत्र निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता को भेजा जाना चाहिए।

धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (सी) के अधीन लाइसेंस का हस्तांतरण

112. (1) लाइसेंस धारक, लाइसेंस की अवधि समाप्त होने से पहले किसी भी समय, अपना लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकता है। यदि लाइसेंसधारक की मृत्यु हो जाती है, वह दिवालिया हो जाता है या किसी अन्य कारण से अक्षम हो जाता है, तो यह आवेदन उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो लाइसेंस धारक का व्यवसाय चला रहा हो।

(2) ऐसा आवेदन राज्य सरकार के श्रम विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर प्रपत्र–44 में अधिभोग सूचना और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ किया जाएगा।

(3) यदि लाइसेंसिंग प्राधिकरण हस्तांतरण को मंजूरी देता है, तो वह अपने हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन लाइसेंस पर यह टिप्पणी दर्ज करेगा कि लाइसेंस, प्रपत्र–43 में नामित व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

(4) ऐसे प्रत्येक आवेदन पर एक हजार रुपये का शुल्क लिया जाएगा।

(5) जिस व्यक्ति को लाइसेंस हस्तांतरित किया जाता है, उसे वही शक्तियां प्राप्त होंगी और वह लाइसेंस के अंतर्गत मूल धारक के समान दायित्वों के अधीन होगा।

धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (सी) के अधीन लाइसेंसधारी की मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में प्रक्रिया

113. यदि कोई लाइसेंसधारी मर जाता है, दिवालिया हो जाता है या किसी अन्य कारण से अक्षम हो जाता है, तो ऐसे लाइसेंसधारी का व्यवसाय चलाने वाला व्यक्ति, लाइसेंस द्वारा लाइसेंसधारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए,

संहिता या इन नियमों के अंतर्गत किसी भी दंड का भागी नहीं होगा। यह अवधि 60 दिनों की होगी, जिसके दौरान वह मूल लाईसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंस को अपने नाम पर स्थानांतरित करने हेतु आवेदन कर सकता है।

परन्तु यदि लाइसेंस का हस्तांतरण जिसके पक्ष में किया जाना है, वह विलंब के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत करता है और लाइसेंसिंग प्राधिकारी दिए गए कारणों से संतुष्ट होता है, तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी पांच हजार रूपये का जुर्माने के साथ इस समय सीमा को एक माह तक और बढ़ा सकता है।

धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (सी) के अधीन लाइसेंस रद्द करने के संबंध में

114. यदि किसी भी समय कोई अधिभोगी राज्य सरकार के श्रम विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर विस्तृत कारणों सहित यह सूचित करता है कि जिस परिसर के लिए लाइसेंस जारी किया गया है, उसका उपयोग कारखाने के संचालन के लिए नहीं किया जाएगा, तो लाईसेंस प्राधिकारी ऐसे कारखाने के संबंध में जारी किए गए लाइसेंस को रद्द कर देगा और इसकी सूचना पोर्टल के माध्यम से अधिभोगी नियोक्ता को दी जाएगी।

परन्तु ऐसा आवेदन परिसर के कारखाने के रूप में उपयोग बंद होने की तिथि से कम से कम दो महीने पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए:

परन्तु यह और कि नियोक्ता यह वचन देगा कि दो महीने की अवधि से पहले वह अपने सभी बकाया और कर्मचारियों को किए जाने वाले भुगतानों का निपटारा कर देगा और परिसर से सभी खतरनाक पदार्थों और कचरे को हटा देगा।

धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (सी) के अधीन अधिभोग की सूचना

115. अधिभोग की सूचना प्रपत्र–44 में होगी।

प्रबंधक परिवर्तन की सूचना

116. (1) कारखाने के मालिक को एक प्रबंधक नियुक्त करना होगा। यदि कारखाने के प्रबंधक की नियुक्ति नहीं की गई है, तो कारखाने के मालिक को ही कारखाने का प्रबंधक माना जाएगा।

(2) प्रबंधक परिवर्तन की सूचना प्रपत्र–45 में होगी। प्रबंधक परिवर्तन के लिए आवेदन राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जाएगा।

(3) प्रबंधक परिवर्तन की स्वीकृति लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस पर ऑनलाइन की जाएगी।

धारा 80 के अधीन कुछ परिस्थितियों में परिसर के स्वामी का दायित्व

117. (1) यदि किसी परिसर में अलग–अलग भवनों को अलग–अलग कारखानों के रूप में उपयोग के लिए अलग–अलग किरायेदारों को पट्टे पर दिया जाता है, तो परिसर का स्वामी सामान्य सुविधाओं और सेवाओं जैसे पहुँच मार्ग, जल निकासी, जल आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता के प्रावधान और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) यदि किसी परिसर में, चाहे वह स्वतंत्र हो या स्व–निहित, मंजिलें या फ्लैट अलग–अलग कारखानों के रूप में उपयोग के लिए विभिन्न अधिभोगियों को पट्टे पर दिए गए हों, तो परिसर का स्वामी इस संहिता के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होगा, मानो वह किसी कारखाने का अधिभोगी या प्रबंधक हो।

(i) शौचालय, मूत्रालय और धुलाई सुविधाओं के संबंध में, जहां तक इन प्रयोजनों के लिए पानी की सामान्य आपूर्ति के रखरखाव का संबंध है,

(ii) मालिक की मशीनरी और संपत्ति की बाड़ लगाना, जिसे विशेष रूप से कब्जेदार को अभिरक्षा या उपयोग के लिए नहीं सौंपा गया है।

(iii) फ्लैटों के फर्शों की सुरक्षा, और सीढ़ियों और परिसर की रखरखाव और सफाई।

(iv) आग लगने की स्थिति में बरती जाने वाली सावधानियां,

(v) होइस्ट और लिफ्टों का रखरखाव, और

(vi) परिसर में उपलब्ध कराई गई किसी अन्य सामान्य सुविधाओं का रखरखाव

(3) मालिक की देयता से संबंधित प्रावधान उन मामलों में लागू होंगे जहां किसी परिसर में साझा शौचालय, मूत्रालय और धुलाई सुविधाओं वाले स्वतंत्र कमरे अलग–अलग कारखानों के रूप में उपयोग के लिए विभिन्न कब्जेदारों को पट्टे पर दिए गए हों।

परन्तु शौचालयों, मूत्रालयों और धुलाई सुविधाओं के प्रावधान और रखरखाव से संबंधित आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए भी स्वामी जिम्मेदार होगा।

(4) यदि किसी परिसर में कोई भाग, कमरा या शेड अलग–अलग कारखानों के रूप में उपयोग के लिए अलग–अलग किराएदारों को पट्टे पर दिया जाता है, तो परिसर का स्वामी उपरोक्त नियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होगा।

धारा 82 की उपधारा (क) के अन्तर्गत किसी विनिर्माणकारी प्रक्रिया या संक्रिया को विनिर्दिष्ट करना एवं खतरनाक घोषित करना

118. राज्य सरकार समय–समय पर राजपत्र में अधिसूचना उन विनिर्माण प्रक्रियाओं या संक्रिया की सूची जारी करेगा, जिन्हें 'खतरनाक' माना जाएगा।

धारा 82 की उपधारा (ख) के अन्तर्गत किसी खतरनाक विनिर्माणकारी प्रक्रिया या संक्रिया में नियोजन से प्रतिबंध

119. किसी भी ऐसी प्रक्रिया जिसे खतरनाक घोषित किया गया है, गर्भवती महिलाओं और 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।

परन्तु महिला श्रमिकों को उनकी लिखित सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अधीन कार्य कर नियोजित किया जा सकेगा:–

(क) अधिभोगी द्वारा व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के अंतराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपना गया हो।

(ख) अधिभोगी समय–समय पर प्रक्रियाओं/स्थल पर आधुनिकीकरण करेगा तथा आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगा।

(ग) स्तनपान कराने वाली महिला श्रमिकों को ऐसे नियोजन से मुक्त रखा जाएगा।

धारा 82 की उपधारा (ग) के अन्तर्गत खतरनाक विनिर्माणकारी प्रक्रिया या संक्रिया में चिकित्सा परीक्षण

120. (1) खतरनाक प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक श्रमिक की प्रथम नियुक्ति के 15 दिनों के भीतर कारखाना चिकित्साधिकारी द्वारा जाँच की जाएगी।

(2) सामान्य जांच के अतिरिक्त रक्त, मल, मूत्र और फेफड़ों की क्षमता की विशिष्ट जांच आदि भी जोखिम की प्रकृति के आधार पर अनिवार्य होगी।

(3) कोई भी श्रमिक, प्रथम नियुक्ति के 15 दिवस के पश्चात, तब तक खतरनाक प्रक्रियाओं में कार्य नहीं करेगा जब तक उसे चिकित्साधिकारी द्वारा उपयुक्त प्रमाणित न किया जाए।

(4) उक्त प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक श्रमिक की पुनः जाँच प्रत्येक तीन कैलेंडर माह में कम से कम एक बार की जाएगी।

(5) जाँच के पश्चात चिकित्साधिकारी प्रपत्र–8 में स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र जारी करेगा। अभिलेख प्रबंधक की अभिरक्षा में रखा जाएगा और समस्त विवरण स्वास्थ्य रजिस्टर प्रपत्र–7 में अंकित किए जाएंगे।

(6) स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक–सह–प्रवर्तक द्वारा निरीक्षण हेतु सदैव उपलब्ध रहेंगे।

(7) यदि किसी भी समय चिकित्साधिकारी यह मानता है कि किसी श्रमिक को उक्त प्रक्रियाओं में कार्य करने से स्वास्थ्य के लिए विशेष खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो वह अपने निष्कर्ष प्रमाण–पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर में अंकित करेगा और अवधि भी उल्लेख करेगा।

(8) चिकित्साधिकारी द्वारा खतरनाक प्रक्रियाओं हेतु अनुपयुक्त घोषित किसी भी व्यक्ति को तब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे पुनः उपयुक्त प्रमाणित न किया जाए।

(9) यदि चिकित्सक किसी श्रमिक को उस खतरनाक कार्य के लिए अक्षम पाता है, तो नियोक्ता को उसे बिना वेतन काटे किसी अन्य सुरक्षित विभाग में स्थानांतरित किया जायगा।

(10) चिकित्सा परीक्षण, लैब टेस्ट आदि का शुल्क का सम्पूर्ण व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा। श्रमिक से इससे लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

धारा 82 की उपधारा (घ) के अन्तर्गत खतरनाक विनिर्माणकारी प्रक्रिया या संक्रिया में सुरक्षात्मक उपाय

121. (1) नियोक्ता प्रत्येक श्रमिक को उनके कार्य की प्रकृति के अनुसार उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे:– दस्ताने, चश्मा, फेस शील्ड, एप्रन और जूते आदि मुफ्त में उपलब्ध करायेगा। सुरक्षा उपकरण के नियमित निरीक्षण, सफाई, खराब होने पर तत्काल बदलने की जिम्मेदारी भी उठायेगा।

(2) सभी सुरक्षा उपकरण बीआईएस/आईएसआई या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होने चाहिए।

(3) प्रत्येक इकाई में कम आपातकालीन कार्य योजना तैयार रखी जाएगी और श्रमिकों को साल में कम से कम दो बार मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया जाएगा।

(4) खतरनाक क्षेत्रों के बाहर स्पष्ट चेतावनी संकेत जैसे खतरा, प्रवेश निषेध, मास्क अनिवार्य आदि अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(5) जहां धूल, धुंआ या गैस निकलती है, वहां पर उच्च क्षमता वाले चूषण सिस्टम और वेंटिलेशन लगाना अनिवार्य होगा ताकि प्रदूषण तत्व की मात्रा निर्धारित सीमा के ऊपर न जाए।

(6) जहां तक संभव हो, खतरनाक रसायनों की हैंडलिंग को स्वचालित या बंद सिस्टम में किया जाएगा ताकि श्रमिक का सीधा संपर्क न हो।

(7) अन्य उपाय जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाएँगे।

धारा 82 की उपधारा (घ) के अन्तर्गत खतरनाक विनिर्माणकारी प्रक्रिया या संक्रिया हेतु कल्याणकारी और स्वच्छता सुविधाएं

122. (1) खतरनाक रसायनों के संपर्क में आने वाले श्रमिकों के लिए पर्याप्त संख्या में नहाने के स्थान और साबुन/तौलिया की सुविधा कार्यस्थल के पास ही दी जाएगी।

(2) श्रमिकों के व्यक्तिगत कपड़ों और कार्य के दौराने पहने जाने वाले सुरक्षात्मक कपड़ों को रखने के लिए अलग–अलग लॉकर की व्यवस्था होगी ताकि संदूषण न हो।

(3) भोजन कक्ष और विश्राम कक्ष खतरनाक प्रक्रिया वाले क्षेत्र से दूर और पूरी तरह सुरक्षित स्थान पर होगा।

(4) अन्य सुविधाएं जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाएँगे।

धारा 83 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थल मूल्यांकन समिति और उसके कार्य

123. राज्य सरकार, किसी खतरनाक प्रक्रिया से जुड़े कारखाने के प्रारंभिक स्थान निर्धारण या ऐसे किसी कारखाने के विस्तार के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदनों पर विचार करने के लिए परामर्श हेतु, अधिसूचना के माध्यम से एक स्थल मूल्यांकन समिति नियुक्त कर सकती है, जिसमें उसके कार्यों का विवरण दिया गया हो।

धारा 84 की उपधारा (1) के अंतर्गत पदार्थ सुरक्षा डेटा शीट पर खतरनाक पदार्थों की जानकारी प्राप्त करना या विकसित करना

124. सूचना का संग्रह, विकास और प्रसार–

(1) किसी भी खतरनाक प्रक्रिया को संचालित करने वाले प्रत्येक कारखाने के स्वामी को कारखाने में निर्माण, परिवहन और भंडारण के दौरान उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक खतरनाक पदार्थ या सामग्री के संबंध में सामग्री सुरक्षा डेटा शीट (एमएसडीएस) के रूप में जानकारी प्राप्त करने या विकसित करने की व्यवस्था करनी होगी। अनुरोध करने पर, यह जानकारी किसी भी कर्मचारी को संदर्भ के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

(क) प्रत्येक सामग्री सुरक्षा डेटा शीट में निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी:–

(i) लेबल पर प्रयुक्त पहचान चिह्न;

(ii) पदार्थ के खतरनाक तत्व;

(iii) खतरनाक पदार्थ की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं;

(iv) खतरनाक पदार्थ के भौतिक खतरे, जिनमें आग, विस्फोट और प्रतिक्रियाशीलता की संभावना शामिल है।

(v) खतरनाक पदार्थ के स्वास्थ्य संबंधी खतरे, जिनमें जोखिम के संकेत और लक्षण तथा कोई भी चिकित्सीय स्थिति शामिल है, जिन्हें आम तौर पर मान्यता प्राप्त है, पदार्थ के संपर्क में आने से स्थिति और बिगड़ जाती है;

(vi) प्रवेश का प्राथमिक मार्ग या मार्ग;

(vii) अनुसूची–III में निर्धारित जोखिम की अनुमेय सीमाएं;

(viii) खतरनाक पदार्थ के सुरक्षित संचालन और उपयोग के लिए कोई भी सामान्य रूप से लागू सावधानियां, जो ज्ञात हों, जिनमें उचित स्वच्छता प्रथाएं, दूषित उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव के दौरान सुरक्षात्मक उपाय, रिसाव और लीक की सफाई की प्रक्रियाएं शामिल हैं;

(ix) कोई भी सामान्य रूप से लागू नियंत्रण उपाय, जैसे कि उपयुक्त इंजीनियरिंग नियंत्रण, कार्य पद्धतियाँ, या व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग;

(x) आपातकालीन और प्राथमिक उपचार प्रक्रियाएं;

(xi) सामग्री सुरक्षा डेटा शीट तैयार करने की तिथि, या उसमें अंतिम परिवर्तन की तिथि;

(xii) सामग्री सुरक्षा डेटा शीट तैयार करने

या वितरित करने वाले निर्माता, आयातक, कब्जेदार या अन्य जिम्मेदार पक्ष का नाम, पता और टेलीफोन नंबर, जो आवश्यकता पड़ने पर खतरनाक पदार्थ और उचित आपातकालीन प्रक्रियाओं के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर सकता है।

(ख) किसी खतरनाक पदार्थ के संबंध में सामग्री सुरक्षा डेटा शीट प्राप्त करते या विकसित करते समय, अभियोगी यह सुनिश्चित करेगा कि दर्ज की गई जानकारी सटीक रूप से खतरे के निर्धारण में प्रयुक्त वैज्ञानिक प्रमाणों को प्रतिबिंबित करती हो। यदि उसे खतरों के संबंध में कोई नई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, तो उस नई जानकारी को यथाशीघ्र सामग्री सुरक्षा डेटा शीट में जोड़ दिया जाएगा।

(ग) इस प्रकार की सामग्री सुरक्षा डेटा शीट का एक उदाहरण अनुसूची–II में दिया गया है।

(2) किसी भी खतरनाक पदार्थ के प्रत्येक कंटेनर पर स्पष्ट रूप से लेबल या चिह्न लगा होना चाहिए ताकि उसकी पहचान हो सके।

(क) पात्र की सामग्री,

(ख) खतरनाक पदार्थों के निर्माता या आयातक का नाम और पता,

(ग) शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी खतरे; और

(घ) खतरनाक पदार्थ के साथ सुरक्षित रूप से काम करने के लिए आवश्यक अनुशंसित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण।

धारा 84 की उपधारा (1) के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रकटीकरण संबंधी जानकारी

125. (1) किसी भी खतरनाक प्रक्रिया को संचालित करने वाले प्रत्येक कारखाने के स्वामी को सभी कर्मचारियों को खतरनाक सामग्रियों या पदार्थों के निर्माण, परिवहन, भंडारण और अन्य प्रक्रियाओं में उनके संचालन से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होगी;

(क) संहिता की धारा 84, 85 और 89 की आवश्यकताएं;

(ख) कारखाने में की जाने वाली खतरनाक प्रक्रियाओं की सूची;

(ग) नियम–128 के अनुसार सभी सामग्री सुरक्षा डेटा शीटों का स्थान और उपलब्धता;

(घ) पदार्थों के संपर्क में आने या उन्हें संभालने से उत्पन्न होने वाले शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी खतरे।

(ङ) काम्बेदार द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित करने और भौतिक एवं स्वास्थ्य संबंधी खतरों को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए उपाय;

(च) कर्मचारियों द्वारा खतरनाक पदार्थों के सुरक्षित संचालन, भंडारण और परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले उपाय;

(छ) खतरनाक प्रक्रियाओं या जोखिमपूर्ण कार्यों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण;

(ज) इन नियमों के अधीन खतरनाक पदार्थों के डिब्बों पर प्रयुक्त विभिन्न लेबल और चिह्नों का अर्थात्;

(झ) खतरनाक पदार्थों के संपर्क में आने पर प्रकट होने वाले संभावित संकेत और लक्षण तथा किसे सूचित करना है;

(ञ) किसी खतरनाक पदार्थ के रिसाव या फैलने की स्थिति में कर्मचारियों द्वारा उठाए जाने वाले उपाय;

(ट) कारखाने की आपातकालीन योजना, विशेष रूप से निकासी प्रक्रियाओं के संबंध में कर्मचारियों की भूमिका;

(ठ) कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए अधिभोगी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली कोई अन्य जानकारी।

(2) उप–नियम (1) द्वारा अपेक्षित जानकारी संकलित की जाएगी और कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से पुस्तिकाओं या पर्चों की आपूर्ति और कार्यस्थलों पर चेतावनी नोटिस प्रदर्शित करके बताई जाएगी।

(3) कारखाने में प्रदर्शित पुस्तिकाएँ, पर्चे और चेतावनी नोटिस कर्मचारियों के बहुमत द्वारा समझी जाने वाली भाषा में होंगे और उन्हें समझाए भी जाएंगे।

(4) निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता या मुख्य निरीक्षक– सह–सुविधाकर्ता, आवश्यकतानुसार, अधिभोगी को कर्मचारियों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दे सकते हैं।

धारा 84 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकरण के मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधा कर्ता को सूचना का प्रकटीकरण

126. (1) किसी भी खतरनाक प्रक्रिया को संचालित करने वाले प्रत्येक कारखाने का अधिभोगी, धारा 84 की उपधारा (1) के अधीन कर्मचारियों को दी गई सभी सूचनाओं की एक प्रति मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता को लिखित रूप में प्रस्तुत करेगा।

(2) कारखाने में उपयोग किए जाने वाले, उत्पादित या भंडारित खतरनाक पदार्थों से संबंधित सामग्री सुरक्षा डेटा शीट के संकलन की एक प्रति मै यह जानकारी मुख्य खाद्य भंडार निर्माता और स्थानीय निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी।

(3) उप नियम (1) और उप–नियम (2) के अधीन दी गई सूचना की एक प्रति उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट और उप–विभागीय मजिस्ट्रेट को भी भेजी जाएगी जहां प्रतिष्ठान स्थित है।

(4) खतरनाक प्रक्रिया उद्योग के अधिभोगी को मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता और निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता को निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रत्येक वर्ष इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना प्रस्तुत करनी होगी:

क कारखाने का नाम;

ख पता;

ग.उत्पाद

घ विनिर्माण प्रक्रिया;

i. कच्चा माल;

ii . नाम और अधिकतम भंडारण क्षमता;

ङ तैयार उत्पाद;

नाम और अधिकतम भंडारण क्षमता

च मध्यवर्ती उत्पाद;

नाम और अधिकतम भंडारण क्षमता;

छ कारखाने से जुड़े खतरे ;

ज सुरक्षा उपायों का पालन किया गया

झ आग और विस्फोट का खतरा;

ञ. खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए विवरण

धारा 84 की उपधारा (1) के अंतर्गत आस–पास रहने वाले आम जनता को सूचना का प्रकटीकरण

127. (1) किसी भी खतरनाक प्रक्रिया को संचालित करने वाले प्रत्येक कारखाने का स्वामी, राज्य सरकार द्वारा नामित जिला आपातकालीन प्राधिकरण के परामर्श से, दुर्घटना से प्रभावित होने की संभावना वाले क्षेत्र में मौजूद आम जनता को सूचित करने के लिए उचित कदम उठाएगा।

(2) ऐसी जानकारी में निम्नलिखित शामिल होंगे,

(क) कारखाने का नाम और पता जहां वह स्थित है;

(ख) सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान, नाम और पद सहित;

(ग) इस बात की पुष्टि कि कारखाने को मुख्य निरीक्षक सह–सुविधाकर्ता एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त है;

(घ) परिसर में की जाने वाली खतरनाक प्रक्रियाओं का सरल शब्दों में स्पष्टीकरण;

(ङ) उपयोग किए जाने वाले खतरनाक पदार्थों के सामान्य नाम, जिनसे दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है और जो उन्हें प्रभावित कर सकते हैं, और उनकी प्रमुख हानिकारक विशेषताओं का संकेत;

(च) प्रासंगिक सुरक्षा कानूनों के अधीन अपने कानूनी दायित्वों के अनुपालन में ऐसी दुर्घटना के जोखिम को कम करने के लिए उठाए जाने वाले उपायों का संक्षिप्त विवरण;

(छ) कारखाने में अपनाए गए अनुमोदित आपदा

नियंत्रण उपायों की प्रमुख विशेषताएं;

(ज) कारखाने की आम जनता के लिए आपातकालीन चेतावनी प्रणाली का विवरण;

(झ) चेतावनी सुनने पर जनता को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, इस संबंध में सामान्य सलाह;

(ञ) कारखाने में की गई व्यवस्थाओं का संक्षिप्त विवरण, जिसमें आपातकालीन सेवाओं के साथ संपर्क भी शामिल है, ताकि इस प्रकार की संभावित दुर्घटनाओं से निपटा जा सके और उनके प्रभावों को कम किया जा सके; और

(ट) आगे की जानकारी कहाँ से प्राप्त की जा सकती है, इसका विवरण।

धारा 84 की उपधारा (2) के अंतर्गत नीति

128. (1) उप–नियम(2) को छोड़कर, प्रत्येक कारखाने का अधिभोगी कार्यस्थल पर कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में अपनी नीति का एक लिखित विवरण तैयार करेगा।

(2) सभी कारखाने;

(क) धारा 2(1)(ब) (i) के अंतर्गत आने वाले, लेकिन 50 से कम कर्मचारियों को नियोजित करने वालेय

(ख) धारा 2 (1)(ब) (ii) के अंतर्गत आने वाले, लेकिन 100 से कम कर्मचारियों को नियोजित करने वाले उप–नियम (1) की आवश्यकताओं से छूट प्राप्त होंगे;

परन्तु यह कि ऐसे कर्मचारी संहिता की धारा 87 के अधीन खतरनाक घोषित किए गए कार्यों के अंतर्गत न आते हों।

(3) उप–नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता किसी कारखाने या कारखाने के वर्ग या प्रकार के अधिभोगियों को उप–नियम (1) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए कह सकता है, यदि उसकी राय में ऐसा करना उचित हो।

(4) स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति में निम्नलिखित बातों का समावेश होना चाहिए या उनसे संबंधित प्रावधान होने चाहिए–

(क) स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति संहिता तथा अन्य प्रासंगिक कानूनों की वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप होगी;

(ख) संगठनात्मक ढांचा घोषित नीति का पालन करेगा, जिसमें विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से सौंपी जाएगी, और

(ग) नीति को प्रभावी बनाने के लिए व्यवस्थाएँ।

(5) विशेष रूप से, स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति में निम्नलिखित बातें निर्दिष्ट होनी चाहिए,

(क) कर्मचारियों को शामिल करने की व्यवस्था,

(ख) विभिन्न स्तरों पर व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए उनकी कैरियर उन्नति पर विचार करने का इरादा,

(ग) परिसर में प्रवेश करने वाले ठेकेदारों, उप–ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों और अन्य एजेंसियों की जिम्मेदारी,

(घ) कारखाने की वार्षिक रिपोर्ट में स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदर्शन का सारांश;

(ङ) स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण की स्थिति का समय–समय पर आकलन करने और सभी उपचारात्मक उपाय करने के लिए लेखापरीक्षा और जोखिम मूल्यांकन जैसे प्रासंगिक तकनीकें और विधियाँ जैसे कि जोखिम और संचालन क्षमता अध्ययन (एचएजेडओपी) आदि और अन्य सुरक्षा तकनीकें,

(च) संयंत्र, उपकरण, मशीनरी और सामग्री की खरीद के साथ–साथ कर्मियों के चयन और नियुक्ति से संबंधित निर्णयों सहित सभी निर्णयों में स्वास्थ्य और सुरक्षा को एकीकृत करने का इसका इरादा, और

(छ) अपने कर्मचारियों को विभिन्न स्तरों पर और

जनता को, जहाँ भी आवश्यक हो, सूचित करने, शिक्षित करने, प्रशिक्षित करने और पुनः प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करना।

(6) अधिभोगी द्वारा हस्ताक्षरित घोषित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति की एक प्रति मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता तथा निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी।

(7) स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति को व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा;–

(क) संविदा कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं, परिवहन कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं आदि सहित सभी कर्मचारियों को प्रतियां उपलब्ध कराना;

(ख) नीति की प्रतियां प्रमुख स्थानों पर ऐसी भाषा में प्रदर्शित करना जो अधिकांश कर्मचारियों द्वारा समझी जाती हो, और

(ग) संचार के अन्य साधन।

(8) कब्जेदार सुरक्षा नीति को आवश्यकतानुसार संशोधित कर सकते हैं, लेकिन निम्नलिखित परिस्थितियों में इसे संशोधित करना अनिवार्य होगा;–

(क) जहां कहीं भी कोई विस्तार या संशोधन किया जाता है जिसका कार्यस्थल पर व्यक्तियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है;या

(ख) जब भी विनिर्माण प्रक्रिया में नए पदार्थ या वस्तुएं शामिल की जाती हैं जिनका ऐसे पदार्थों या वस्तुओं के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है।

धारा 84 की उपधारा (3) के अंतर्गत आद्यौगिक अपशिष्ट की सूचना

129. (1) नियम 128 से नियम 130 के अधीन दी गई जानकारी में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले ठोस और तरल अपशिष्टों की मात्रा, उनकी विशेषताएं और उपचार के तरीके जैसे ठोस अपशिष्टों का भस्मीकरण, तरल अपशिष्टों का रासायनिक और जैविक उपचार और उनके अंतिम निपटान की व्यवस्था शामिल होगी।

(2) इसमें चिमनियों या अन्य खुले स्थानों से निकलने वाले गैसीय अपशिष्ट की गुणवत्ता और मात्रा के बारे में जानकारी भी शामिल होगी, साथ ही पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्क्रबर, साइक्लोन सेपरेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या इसी तरह की व्यवस्थाओं का प्रावधान भी शामिल होगा।

(3) अधिभोगी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उप–नियम (1) और (2) में निर्धारित जानकारी भी प्रदान करेगा।

धारा 84 की उपधारा (4) के अंतर्गत ऑन–साइट आपातकालीन योजना

130. किसी खतरनाक प्रक्रिया को संचालित करने वाले कारखाने के स्वामी को एक मसौदा ऑन–साइट आपातकालीन योजना तैयार करनी होगी और उसे मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता की स्वीकृति के लिए निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता को प्रस्तुत करना होगा।

धारा 84 की उपधारा (5) के अंतर्गत खतरनाक प्रक्रिया में व्यस्त होने के लिए प्रस्तावित कारखाने के अधिभोगी द्वारा मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधा कर्ता को सूचना।

131. (1) अधिभोगी/नियोक्ता धारा 84 की उपधारा (5) के अंतर्गत खतरनाक प्रक्रिया से संबंधित कारखाने की जानकारी का खुलासा करेगा, अर्थात्:–

(क) खतरनाक प्रक्रियाओं से जुड़े प्रत्येक कारखाने के स्वामी को वास्तविक संचालन और रासायनिक अभिक्रियाओं से उत्पन्न सभी खतरों की पहचान करनी होगी। कच्चे माल, बनने वाले अंतिम उत्पादों और प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होने वाले किसी भी उप–उत्पाद के गुणों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाएगा और उत्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी खतरे, जिसमें कर्मचारियों पर पड़ने वाले प्रभाव भी शामिल हैं, से निपटने के लिए प्रावधान किए जाएंगे।

(ख) प्रक्रिया, उसके खतरों और डिजाइन चरण से निपटान चरण तक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उप–नियम (1) में उल्लिखित चरणों का विवरण देते हुए जानकारी मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता और निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता को ऑनलाइन माध्यम से

शीघ्र ही और किसी भी स्थिति में खतरनाक प्रक्रिया से जुड़े निर्माण, संचालन या भंडारण शुरू करने से कम से कम 30 दिन पहले भेजी जानी चाहिए।

(2) खतरनाक प्रक्रिया उद्योग के अधिभोगी द्वारा दी जाने वाली जानकारी:

(क) कारखाने का नाम:.....

(ख) पता.....

(ग) विनिर्माण प्रक्रिया का विवरण.....
..... (रासायनिक कारखाने के मामले में सभी प्रतिक्रियाओं का सामग्री संतुलन संलग्न किया जाएगा)

(घ) प्रयुक्त कच्चा माल (नाम, भंडारण विधि, अधिकतम) भंडारण क्षमता).....
.....

(ङ) तैयार उत्पाद (नाम और अधिकतम भंडारण क्षमता).....
.....

(च) मध्यवर्ती उत्पाद (नाम और अधिकतम भंडारण क्षमता) क्षमता).....
.....

(छ) पहचाने गए खतरे (प्रक्रिया संबंधी खतरे, भंडारण और प्रबंधनखतरनाक पदार्थों पर आधारित रसायनों की जानकारी रासायनिक कारखाने के मामले में संलग्न की जानी चाहिए।

.....

(ङ) उपचारात्मक उपाय (उपकरणों के लिए अंतर्निहित सुरक्षा प्रणाली, प्रक्रिया नियंत्रण, इंजीनियरिंग नियंत्रण और प्रशासनिक नियंत्रण).....
.....

(प) खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए विवरण

कब्जेदार के हस्ताक्षर नाम सहित

(3) उपरोक्त जानकारी को तकनीकी उन्नति में किसी भी परिवर्तन के तुरंत बाद या हर तीन साल में एक बार ऑनलाइन संशोधित और अपडेट किया जाएगा।

(4) उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन के लिए मुख्य निरीक्षक–सुविधाकर्ता या निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता द्वारा मांगी गई कोई भी अतिरिक्त जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।

धारा 84 की उपधारा (7) के अधीन कर्मचारियों और आम जनता को सूचना देना

132. (1) इन नियमों के नियम 125 से 127 के अधीन दी गयी सूचना को कारखाने के द्वार या द्वारों पर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करके सार्वजनिक किया जायेगा और ऐसी सूचना जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य निरीक्षक–सह सुविधाकर्ता को भी दी जायेगी।

(2) इस प्रकार की जानकारी को आम जनता में व्यापक रूप से प्रचारित करना अधिभोगी/नियोजा की जिम्मेदारी होगी।

धारा 84 की उपधारा (2) अधीन कर्मचारियों को दी गई सूचना की समीक्षा

133. (1) अधिभोगी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार कर्मचारियों, निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता और मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता को दी गई जानकारी की समीक्षा करेगा और यदि आवश्यक हो तो उसमें संशोधन करेगा।

(2) कार्यप्रणाली या कार्यप्रणाली में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में, या प्रक्रिया मे किसी नए पदार्थ के शामिल होने की स्थिति मे, या किसी गंभीर दुर्घटना के घटित होने की स्थिति में, दी गई जानकारी की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन किया जाएगा।

धारा 133 की उपधारा (2) के खण्ड (ययथ) के अधीन सूचना की गोपनीयता

134. (1) किसी कारखाने का स्वामी, जो खतरनाक प्रक्रिया संचालित कर रहा हो, कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक सभी जानकारी का खुलासा करेगा।

(क) उसके कर्मचारी, और

(ख) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता या अधिकार क्षेत्र रखने वाला निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता,

इन नियमों के अनुसार आवश्यक होने पर। यदि अधिभोगी को लगता है कि प्रक्रिया और उसके

सूत्रों से संबंधित विवरणों का खुलासा उसके व्यावसायिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, तो वह मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता को अभ्यावेदन दे सकता है जिसमें ऐसी जानकारी को रोके रखने का कारण बताया गया हो। मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता अधिभोगी को सुनवाई का अवसर देने के बाद अभ्यावेदन पर आदेश पारित करेगा।

(2) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता के आदेश से पीड़ित कोई भी कब्जेदार तीस दिनों की अवधि के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपील कर सकता है और राज्य सरकार कब्जेदार को सुनवाई का अवसर देने के बाद एक आदेश पारित करेगी और राज्य सरकार का आदेश अंतिम होगा।

धारा 85 की उपधारा (क) के अंतर्गत चिकित्सा परीक्षा

135. (1) किसी खतरनाक प्रक्रिया में कार्यरत कर्मचारियों की चिकित्सकीय जांच एक योग्य चिकित्सक द्वारा की जाएगी, जिसे आगे चलकर फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर कहा जाएगा, और यह जांच निम्नलिखित तरीके से की जाएगी।

(क) रोजगार से पहले एक बार, किसी विशेष कार्य को करने के लिए व्यक्ति की शारीरिक फिटनेस का पता लगाने के लिए,

(ख) महीने की अवधि में एक बार, 72 लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगाने के लिए) सभी श्रमिकों को उनके व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, और यदि कारखाने के चिकित्सा अधिकारी को लगता है कि ऐसा करना आवश्यक है तो कम अंतराल पर सूचित किया जाना चाहिए।

(ग) उपर्युक्त विधि से किए गए पूर्व–रोजगार और आवधिक चिकित्सा परीक्षणों का विवरण प्रपत्र–7 में स्वास्थ्य रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

(2) कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रपत्र–8 में फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति को पहली बार नियोजित नहीं किया जाएगा। यदि कारखाना चिकित्सा अधिकारी उप–नियम (1) के अंतर्गत आने वाली किसी प्रक्रिया में किसी व्यक्ति को रोजगार के लिए अयोग्य घोषित करता है, तो उसे क्षेत्र के निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा, जो एक चिकित्सा अधिकारी से परामर्श करने के बाद अपील का निर्णय करेगा और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

(3) यदि कारखाने के चिकित्सा अधिकारी को प्रक्रिया में कार्यरत किसी व्यक्ति में कोई असामान्यता या अनुपयुक्तता पाई जाती है, तो वह संबंधित श्रमिक की जांच करेगा और 30 दिनों के भीतर अपने नियोक्ता मालिक को सूचित करेगा। यदि चिकित्सा अधिकारी को लगता है कि स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जांच किए गए श्रमिक को प्रक्रिया से हटाना आवश्यक है, तो वह मालिक को तदनुसार निर्देश देगा, जो उक्त श्रमिक को उसी प्रक्रिया में नियोजित नहीं करेगा। किन्तु हटाए गए श्रमिक को वैकल्पिक कार्यस्थल उपलब्ध कराया जाएगा, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी की राय में वह पूरी तरह से अक्षम न हो, ऐसी स्थिति में प्रभावित श्रमिक का उचित पुनर्वास किया जाएगा।

(4) किसी निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता के अनुरोध या सिफारिश पर चिकित्सा अधिकारी किसी श्रमिक की चिकित्सा जांच करा सकता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वह किसी खतरनाक प्रक्रिया में कार्यरत होने के योग्य है या नहीं, या उसकी स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाया जा सके। ऐसे मामले में चिकित्सा अधिकारी की राय अंतिम होगी। इस चिकित्सा जांच का आवश्यक शुल्क अभियोगी द्वारा वहन किया जाएगा।

(5) उप–नियम (2) के अधीन किसी प्रक्रिया में रोजगार से हटाए गए श्रमिक को चिकित्सा अधिकारी से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने और स्वास्थ्य रजिस्टर में इस आशय की प्रविष्टियाँ करने के बाद ही उसी प्रक्रिया में पुनः नियोजित किया जा सकता है।

(6) इन नियमों के अधीन और केंद्र या राज्य सरकार द्वारा या उनकी ओर से आयोजित किसी भी चिकित्सा सर्वेक्षण के लिए चिकित्सा परीक्षण से गुजरना आवश्यक होने पर कोई भी श्रमिक ऐसे चिकित्सा परीक्षण से गुजरने से इनकार नहीं करेगा।

(7) चिकित्सा अभिलेखों और रिपोर्टों की एक प्रति संबंधित कर्मचारी को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

धारा 85 के खंड (ख) के अंतर्गत अर्हता प्राप्त व्यक्तियों की योग्यता और अनुभव के संबंध में योग्यताएं आवश्यक हैं

138. (1) खतरनाक पदार्थों के संचालन की निगरानी करने के लिए आवश्यक सभी व्यक्तियों के पास निम्नलिखित योग्यता और अनुभव होना चाहिए,

(क) रसायन विज्ञान में डिग्री या रासायनिक अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा के साथ पांच वर्ष का अनुभव या

(ख) रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या रासायनिक अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी में डिग्री के साथ दो वर्ष का अनुभव,

(2) उपरोक्त उप–नियम (1) में निर्धारित अनुभव रासायनिक उद्योग में प्रक्रिया संचालन एवं रखरखाव होना चाहिए।

(3) मुख्य निरीक्षक–सह–प्रशिक्षक पर्यवेक्षक को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रशिक्षण लेने के लिए कह सकते हैं। उक्त प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम, अवधि और प्रशिक्षण आयोजित करने वाले संगठन, कारखाना परामर्श सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशक (डीजीएफएएसएलआई) या राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुमोदित किए जाएंगे।

धारा 85 की उपधारा (ग) के अंतर्गत व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र

137. (1) किसी भी कारखाने में "खतरनाक प्रक्रिया" चलाने के संबंध में, नीचे दिए गए पैमाने के अनुसार सेवाओं और सुविधाओं से युक्त एक व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध कराया जाएगा और उसे सुव्यवस्थित रखा जाएगा,

(क) 50 कर्मचारियों तक कार्यरत कारखानों के लिए:

(i) अधिभोगी द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले अपने क्लिनिक में संविदा आधार पर एक कारखाना चिकित्सा अधिकारी की सेवाएं, जो नियम 145 में निर्धारित अनुसार पूर्व–रोजगार और आवधिक चिकित्सा परीक्षाएं आयोजित करेगा तथा आपातकाल के दौरान चिकित्सा सहायता प्रदान करेगा;

(ii) प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित कम से कम 5 व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक व्यक्ति कार्य अवधि के दौरान हमेशा उपलब्ध रहेगा, और

(iii) सभी विभागों में एक पूर्ण रूप से सुसज्जित प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स;

(ख) 51 से 200 कर्मचारियों को नियोजित करने वाले कारखानों के लिए:

(i) एक व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसमें कम से कम 15 वर्ग मीटर का फर्श क्षेत्र वाला एक कमरा हो, जिसकी फर्श और दीवारें चिकनी और अभेद्य सतह की बनी हों और जिसमें पर्याप्त रोशनी और वेंटिलेशन के साथ–साथ इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार उपकरण हों;

(ii) केंद्र का समग्र प्रभार अंशकालिक फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी के पास होगा, जो सप्ताह में कम से कम दो बार कारखाने का दौरा करेगा और चिकित्सा आपात स्थितियों के दौरान उसकी सेवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी;

(iii) कार्य अवधि के दौरान एक योग्य और प्रशिक्षित ड्रेसर–सह–कंपाउंडर ड्यूटी पर तैनात रहेगा; और

(iv) सभी विभागों में पूरी तरह से सुसज्जित प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स।

(ग) 200 से अधिक कर्मचारियों वाले कारखानों के लिए:

(i) 500 कर्मचारियों तक कार्यरत कारखानों के लिए एक पूर्णकालिक कारखाना चिकित्सा अधिकारी और प्रत्येक अतिरिक्त 1000 कर्मचारियों या उसके भाग के लिए एक अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारी;

(ii) एक व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसमें कम से कम दो कमरे हों, जिनमें से प्रत्येक का न्यूनतम क्षेत्रफल 15 वर्ग मीटर हो, और जिनकी फर्श और दीवारें चिकनी और अभेद्य सतह की बनी हों, तथा पर्याप्त प्रकाश और वेंटिलेशन हो, साथ ही इस नियम के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार उपकरण हों;

(iii) कार्य अवधि के दौरान एक नर्स, एक ड्रेसर–सह–कंपाउंडर और एक स्वीपर–सह–वार्ड बॉय, और

(iv) व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा आपात स्थितियों के प्रबंधन के लिए उपयुक्त रूप से सुसज्जित होगा।

(2) फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति के एक महीने के भीतर, फैक्ट्री के मालिक को मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करने होंगे;

(क) फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी का नाम और पता;

(ख) योग्यताएं;

(ग) अनुभव, यदि कोई हो; और

(घ) वह उप–नियम जिसके अंतर्गत कारखाना चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

(3) कारखानों में व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवश्यक उपकरण निम्नलिखित होंगे,

(क) गर्म और ठंडे पानी की सुविधा वाला एक कांच का सिंक (हमेशा उपलब्ध होना चाहिए),

(ख) कम से कम 180 सेमी 105 सेमी आकार की चिकनी सतह वाली मेज;

(ग) उपकरणों को कीटाणुरहित करने के साधन;

(घ) एक सोफा;

(ङ) दो बाल्टियाँ या पात्र जिनके ढक्कन कसकर बंद होते हों;

(च) केतली और स्पिरिट स्टोव या पानी उबालने का कोई अन्य उपयुक्त साधन;

(छ) स्पिरिटस अमोनिया एरोमैटिकस की एक बोतल (120 मिलीलीटर);

(ज) दो मध्यम आकार के स्पंज;

(झ) टॉयलेट साबुन की चार टिकिया, अधिमानतः एंटीसेप्टिक साबुन,

(ञ) दो शकिडनी, ट्रे,

(ट)दो कांच के गिलास और दो शराब के गिलास,

(ठ) दो नैदानिक थर्मामीटर,

(ड) दो चम्मच,

(ढ) दो अंशांकित (120 मिलीलीटर) मापने वाले गिलास,

आँखों को धोने के लिए एक बॉश बोतल (1000 सीसी),

(ण)एक बोतल (एक लीटर) कार्बोलिक लोशन 20 में,

(त) न कुर्सियाँ,

(थ) एक स्क्रीन,

(द) एक इलेक्ट्रिक हैंड टॉर्च,

(ध) टेटनस विष की पर्याप्त आपूर्ति,

(न) कोरामाइन तरल (60 मिली.),

(प) गोलियां–एंटीहिस्टामाइन, एंटीस्पास्मोडिक (प्रत्येक 25),

(फ) 2 सीसी और 10 सीसी की सुइयों वाली सीरिंज

(ब) दो सुई धारक, बड़ा और छोटा,

(भ) टांके लगाने वाली सुइयां और सामग्री,

(म) ड्रेसिंग फोरसेप्स का एक जोड़ा,

(य) ड्रेसिंग फोरसेप्स का एक जोड़ा,

(यक) एक स्केलपेल,

(यख) एक स्टेथोस्कोप

(यग) रबर पट्टी–प्रेशर पट्टी

(यघ) आवश्यक उपकरणों सहित ऑक्सीजन सिलेंडर,

(यङ) एक रक्तचाप यंत्र

(यच) एक पटेला हैमर,

(यछ) फेफड़ों की कार्यक्षमता मापने के लिए एक पीक–फ्लो मीटर,

(यज) एक पेट धोने का सेट,और

(यझ) किसी विशिष्ट विनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित फैक्ट्री चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुशंसित कोई अन्य उपकरण,

(4) उप–नियम (3) में निर्दिष्ट उपकरणों के अतिरिक्त, एक व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र,

(क) 51 से 200 कर्मचारियों को नियोजित करने वाले कारखानों में, उपकरणों में निम्नलिखित शामिल होंगे–

(i) 900 मिमी • 100 मिमी • 6 मिमी आकार की चार सादी लकड़ी की पट्टियाँ,

(ii) 350 मिमी • 75 मिमी • 6 मिमी आकार की चार सादी लकड़ी की पट्टियाँ,

(iii) 250 मिमी • 50 मिमी • 12 मिमी आकार की दो सादी लकड़ी की पट्टियाँ,

(iv) धमनी संदंश का एक जोड़ा,

(v) इंजेक्शन–मॉर्फिया, पेथिडीन, एट्रोपिन, एड्रेनालाईन, कोरामाइन, नोवाकैन (प्रत्येक 2) और

(vi) शल्य चिकित्सा कैंची का एक जोड़ा,

(ख) 200 से अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले कारखानों के लिए, उपकरण शामिल करना–

(i) 900 मिमी • 100 मिमी • 6 मिमी आकार की आठ सादी लकड़ी की पट्टियाँ,

(ii) 350 मिमी • 75 मिमी • 6 मिमी आकार की आठ सादी लकड़ी की पट्टियाँ,

(iii) 250 मिमी • 50 मिमी • 12 मिमी आकार की चार सादी लकड़ी की पट्टियाँ,

(iv) धमनी संदंशों के दो जोड़े,

(v) इंजेक्शन–मॉर्फिया, पेथिडीन, एट्रोपिन, एड्रेनालाईन, कोरामाइन, नोवोकैन (प्रत्येक 2) और

(vi) शल्य चिकित्सा कैंची के दो जोड़े।

धारा 85 की उपधारा (ग) के अंतर्गत एम्बुलेंस वैन

138. (1) प्रत्येक कारखाने में, जहाँ कोई खतरनाक प्रक्रिया चल रही हो, वहाँ इस नियम के उप–नियम (2) में निर्दिष्ट वस्तुओं से सुसज्जित और पूर्णकालिक चालक–सह–यांत्रिकी तथा प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित एक सहायक द्वारा संचालित एक उपयुक्त एम्बुलेंस वैन उपलब्ध कराई जाएगी और उसे अच्छी स्थिति में रखा जाएगा, जिसका उपयोग बीमारी की स्थिति में किया जाएगा। एम्बुलेंस वैन का उपयोग यहाँ निर्धारित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा और सामान्यतः यह व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र पर या उसके निकट तैनात रहेगी:

परन्तु 150 से कम कर्मचारियों वाली कोई फैक्ट्री आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए

निकटवर्ती अस्पताल या अन्य स्थानों से अल्प सूचना पर ऐसी सुविधा प्राप्त करने की व्यवस्था कर सकती है।

(2) एम्बुलेंस वैन में निम्नलिखित उपकरण होने चाहिए,–

(अ) सामान्य,

(क) एक पहिएदार स्ट्रेचर जिसमें मोड़ने और समायोजित करने की व्यवस्था हो और स्ट्रेचर का सिरा ऊपर की ओर झुकाया जा सके,

(ख) उपकरण सहित स्थिर suction इकाई;

(ग) उपकरण सहित ऑक्सीजन की निश्चित आपूर्ति;

(घ) तकिया आवरण सहित, चादरें, कंबल, तौलिए;और

(ङ) उल्टी की थैली, बेड पैन, मूत्रालय, गिलास,

(ब) सुरक्षा उपकरण जैसे ;–

(क) 30 मिनट की अवधि वाले फ्लेयर्स, फ्लड लाइट्स;

(ख) फ्लैश लाइट, अग्निशामक यंत्र–शुष्क पाउडर प्रकार; और

(ग) ऊष्मारोधी दस्ताने।

(स) आपातकालीन देखभाल उपकरण जैसे ;–

(क) पुनर्जीवन उपकरण जैसे ;–

(i) भाग चूषण इकाई, पोर्टेबल ऑक्सीजन इकाई;

(ii) बैग–वाल्व–मास्क, हाथ से संचालित कृत्रिम,

(iii) वेंटिलेशन यूनिट,

(iv) वायुमार्ग,मुख थैली, श्वासनली एडेप्टर,

(v) शॉर्ट स्पाइन बोर्ड, प्रशासन इकाई

के साथ आई.वी. तरल पदार्थ, और

(vi) बी.पी. मैनोमीटररू कुग्गय स्टेथोस्कोप,

(ख) स्थिरीकरण उपकरण–

(i) लंबी और छोटी गद्देदार तख्तियाँ, तार की सीढ़ी, स्प्लिंटय और

(ii) त्रिकोणीय पट्टीय लंबी और छोटी रीढ़ की पट्टियाँ।

(ग) ड्रेसिंग जैसे ,–

(i) गॉज पैड –4'4 यूनिवर्सल ड्रेसिंग 10'36,

(ii) एल्युमिनियम फॉइल का रोल, 6•5 गज की मुलायम रोलर पट्टियाँय 3 रोल में चिपकने वाली टेपय सेफ्टी पिन;और

(iii) पट्टी की चादरें, जलने की चादर,

(घ) जहर से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण जैसे,–

(i) syrup of ipecac ,खुराक में पहले से पैक किया हुआ सक्रिय चारकोल, सांप के काटने की किट, और

(ii) पीने का पानी,

(ङ) आवश्यकतानुसार आपातकालीन दवाएं (केवल योग्य चिकित्सा व्यवसायी की सलाह पर)।

धारा 85 की उपधारा (ग) के अंतर्गत परिशोधन सुविधाएँ

139. किसी भी खतरनाक प्रक्रिया को संचालित करने वाले प्रत्येक कारखाने में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए जाएंगे,

(क) पूर्ण रूप से सुसज्जित प्राथमिक चिकित्सा कक्ष

(ख) कर्मचारियों द्वारा धोने के लिए तथा खतरनाक एवं संक्षारक पदार्थ से दूषित कर्मचारियों के वस्त्रों को निगोने के लिए आसानी से उपलब्ध जल के साधनय तथा ऐसे साधन नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए पैमाने के अनुसार होंगे

किसी भी समय कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	नेत्र धोकरों की संख्या
(i) अधिकतम 50 कर्मचारी	2
(ii) 51 और 200 के बीच कर्मचारी	2+1 प्रत्येक अतिरिक्त 50 या उसके भाग के लिए
(iii) 201 और 500 कर्मचारियों के बीच	5+1 प्रत्येक अतिरिक्त 100 या उसके भाग के लिए
(iv) 501 कर्मचारी और उससे अधिक।	8+1 प्रत्येक अतिरिक्त 200 या उसके भाग के लिए

(ग) आसुत जल या उपयुक्त तरल से भरी पर्याप्त संख्या में नेत्र धोने की बोतलें, सुविधाजनक रूप से रखे गए बक्सों या अलमारियों में रखी जानी चाहिए और एक विशिष्ट चिह्न द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित की जानी चाहिए जो हर समय आसानी से उपलब्ध हो।

धारा 85 की उपधारा (ग) के अंतर्गत कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी अभिलेखों की उपलब्धता

140. (1) किसी भी खतरनाक प्रक्रिया को संचालित करने वाले प्रत्येक कारखाने के स्वामी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड, जिसमें खतरनाक प्रक्रिया के संपर्क में आने का रिकॉर्ड या, जैसा भी मामला हो, किसी भी श्रमिक के चिकित्सा रिकॉर्ड शामिल हैं, को उनकी जानकारी के लिए उपलब्ध कराना होगा,

(क) प्रत्येक छह महीने में एक बार या चिकित्सा परीक्षण के तुरंत बाद, जो भी पहले हो,

(ख) यदि कारखाना चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, की राय हो कि श्रमिक में संहिता की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी स्पष्ट बीमारी के लक्षण और संकेत प्रकट हो गए हों,

(ग) यदि कर्मचारी रोजगार छोड़ देता है,

(घ) यदि निम्नलिखित में से कोई भी प्राधिकारी ऐसा निर्देश दे–

(i) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता,

(ii) केंद्र या राज्य सरकार का स्वास्थ्य प्राधिकरण,

(iii) कामगार मुआवजा आयुक्त,

(iv) महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम,

(v) निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (चिकित्सा लाभ), और

(vi) महानिदेशक, कारखाना परामर्श सेवा एवं श्रम संस्थान।

(2) खतरनाक प्रक्रियाओं के संपर्क में आए कर्मचारियों के रिकॉर्ड सहित अद्यतन स्वास्थ्य रिकॉर्ड की एक प्रति, या जैसा भी मामला हो, चिकित्सा रिकॉर्ड, कर्मचारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर उसे उपलब्ध कराई जाएगी। एक्स–रे प्लेट और अन्य चिकित्सा निदान रिपोर्ट भी उसके चिकित्सक के संदर्भ के लिए उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

धारा 85 की उपधारा (ग) के अंतर्गत दिशानिर्देश जारी करना

141. धारा 84 या धारा 85 की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए, मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता, यदि आवश्यक समझे, तो खतरनाक प्रक्रियाओं को संचालित करने वाले कारखानों के मालिकों को समय–समय पर दिशानिर्देश जारी कर सकता है। ये दिशानिर्देश राष्ट्रीय मानकों, आचार संहिता या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों की अनुशंसाओं पर आधारित हो सकते हैं।

धारा 88 के अंतर्गत रासायनिक और विषैले पदार्थों के संपर्क में आने की अनुमेय सीमा निर्धारित की गई है।

142. (1) किसी भी कारखाने में विनिर्माण प्रक्रियाओं (चाहे खतरनाक हों या नहीं) में रासायनिक और विषैले पदार्थों के संपर्क की अधिकतम अनुमेय सीमा अनुसूची–III में दर्शाए गए मान के बराबर होगी।

(2) राज्य सरकार, किसी भी समय, संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ संस्थानों या विशेषज्ञों से प्राप्त किसी वैज्ञानिक प्रमाण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उक्त अनुसूची में उपयुक्त परिवर्तन कर सकती है।

धारा 90 के अधीन अपील

143. निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता या मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता द्वारा दिए गए किसी आदेश से पीड़ित किसी भी कारखाने का मालिक, आदेश की सूचना मिलने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, आदेश पर आपत्ति के आधारों को संक्षेप में बताते हुए और न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की अनुसूची II के अनुच्छेद 11 के अनुसार न्यायालय शुल्क स्टाम्प के साथ अपील कर सकता है, और अपील किए गए आदेश की एक प्रति भी संलग्न होनी चाहिए। यह अपील नामित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, जो अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद यथाशीघ्र अपील का निपटारा करेगा:

परन्तु अपीलीय प्राधिकारी उक्त पंद्रह दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारण से समय पर अपील दाखिल करने में असमर्थ था।

धारा 91 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन पर्यवेक्षी, प्रबंधकीय या गोपनीय पदों पर आसीन व्यक्ति

144. (1) वे कर्मचारी जो धारा 2(1)(ययठ) के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे कर्मचारी जो किसी कारखाने में गोपनीय पद पर कार्यरत हैं, बशर्ते कि उन्हें अपने कर्तव्यों के नियमित भाग के रूप में शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता न हो और उनका सामान्य वेतन, समय–समय पर संशोधित वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा 1 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट वेतन सीमा से अधिक हो या समकक्ष संहिता में निर्दिष्ट हो, तो धारा 27 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों को निम्नलिखित सीमा तक छूट दी जाएगी,

(क) ऐसे कर्मचारियों को अतिरिक्त घंटों या ओवरटाइम के बदले क्षतिपूर्ति अवकाश/छुट्टी के रूप में कम से कम उतने समतुल्य घंटे प्रदान किए जाएंगे, या

(ख) ऐसे अतिरिक्त घंटे के काम के लिए सामान्य मजदूरी दर से कम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाएगा, या

(ग) उपखंड (क) और (ख) के समतुल्य कोई भी,

परन्तु ऐसे कर्मचारियों को आपातकालीन परिस्थितियों में किसी भी समय किसी भी कार्य के लिए बुलाया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों या आसपास के आम जनता के जीवन को खतरा हो सकता है।

(2) उप–नियम (1) में उल्लिखित कर्मचारियों के लिए, इन नियमों के अध्याय–V के प्रावधान लागू नहीं होंगे और सामान्य दैनिक कार्य घंटे साप्ताहिक घंटों की सीमा के अधीन 8 घंटे से अधिक हो सकते हैं।

(3) चीनी कारखानों के अतिरिक्त अन्य कारखानों में निम्नलिखित व्यक्तियों को पर्यवेक्षण या प्रबंधन के पदों पर आसीन माना जाएगा, बशर्ते कि उन्हें अपने कर्तव्यों के नियमित भाग के रूप में शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता न हो,–

(क) प्रबंधक,

(ख) सहायक प्रबंधक,

(ग) मिल सचिव,

(घ) उप मिल सचिव,

(ङ) श्रम अधिकारी,

(च) सुरक्षा अधिकारी,

(छ) तकनीकी विभाग के प्रमुख,

(ज) इंजीनियर,

(झ) सहायक अभियंता,

(ञ) फोरमैन,

(ट) सहायक फोरमैन,

(ठ) चार्जमैन,

(ड) निरीक्षक

(ढ) वस्त्र कारखानों में कामगार,

(ण) पर्यवेक्षक,

(त) शिफ्ट अधिकारी,

(थ) शिफ्ट इंचार्ज,

(द) कागज निर्माता,

(ध) प्रधान स्टोरकीपर, बशर्ते कि वे केवल पर्यवेक्षण क्षमता में कार्यरत हों, और

(न) कोई अन्य व्यक्ति, जो राज्य सरकार की राय में पर्यवेक्षण या प्रबंधन का पद धारण करता है और जिसे सरकार द्वारा लिखित आदेश के माध्यम से ऐसा घोषित किया गया है।

(4) चीनी कारखानों में, निम्नलिखित व्यक्तियों को पर्यवेक्षण या प्रबंधन के पदों पर कार्यरत माना जाएगा,–

(क) महाप्रबंधक,

(ख) प्रबंधक,

(ग) मिल सचिव,

(घ) उप मिल सचिव,

(ङ) केन, प्रबंधक,

(च) गन्ना अधीक्षक, जहाँ कोई गन्ना प्रबंधक नहीं है,

(छ) मुख्य रसायनज्ञ,

(ज) श्रम कल्याण अधिकारी,

(झ) प्रबंध एजेंट का सचिव या महाप्रबंधक का निजी सहायक,

(ञ) मुख्य अभियंता,

(ट) गन्ना विकास अधिकारी,

(ठ) वाणिज्य विभाग के प्रमुख, जैसे लेखा, क्रय भंडार, कानूनी खानपान आदि,और

(ड) कोई अन्य व्यक्ति जो राज्य सरकार की राय में पर्यवेक्षण या प्रबंधन का पद धारण करता है और जिसे सरकार द्वारा लिखित आदेश के माध्यम से ऐसा घोषित किया गया है।

(5) कारखाने में निम्नलिखित व्यक्तियों को गोपनीय पदों पर आसीन माना जाएगा,

(क) स्टेनोग्राफर,

(ख) निजी सहायक,

(ग) निजी सचिव,

(घ) कार्यालय अधीक्षक,

(ङ) प्रधान क्लर्क, जहाँ कोई कार्यालय अधीक्षक नहीं है,

(च) प्रधान मुनीम जहां कोई कार्यालय अधीक्षक नहीं है या

प्रधान लिपिक,

(छ) प्रधान लेखाकार,

(ज) मुख्य कैशियर,

(झ) कैशियर,

(ञ) मुख्य समय–पालक,

(ट) टेलीफोन ऑपरेटर,

(ठ) रिसेप्शनिस्ट, और

(ड) कोई अन्य व्यक्ति, जो राज्य सरकार की राय में गोपनीय पद धारण करता है और जिसके बारे में सरकार द्वारा लिखित आदेश के माध्यम से ऐसा घोषित किया गया है।

(6) उप–नियम (1), (2) और (3) में उल्लिखित सभी व्यक्तियों की सूची प्रपत्र–46 में एक रजिस्टर में रखी और रखी जाएगी।

धारा 133 की उपधारा (2) के खंड (ययथ) के अंतर्गत निरीक्षण पुस्तिका

145. (1) प्रत्येक कारखाने के नियोक्ता या प्रबंधक को एक बंधी हुई निरीक्षण पुस्तिका रखनी होगी। निरीक्षण पुस्तिका का आकार 13 इंच 8.1/2 इंच होगा। इसमें कम से कम 180 पृष्ठ होने चाहिए।

(2) इसकी प्रत्येक चौथी शीट पर क्रम संख्या अंकित होगी और प्रत्येक दो क्रम संख्या वाली शीट के बीच की दो बिना संख्या वाली शीटों के बाईं ओर 1 इंच के मार्जिन पर एक ऊर्ध्वाधर छिद्रित सीधी रेखा होगी।

(3) अधिभोगी/नियोक्ता निरीक्षण पुस्तिका में प्रपत्र–42 को अद्यतन रखेगा।

धारा 133 की उपधारा (2) के खंड

146. निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता या चिकित्सा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय पाई गई सभी कमियों और अनियमितताओं

(यथा) के अंतर्गत निरीक्षण का अभिलेख

का एक नोट निरीक्षण पुस्तिका में तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा, जिसमें संहिता और नियमों की उन प्रासंगिक धाराओं का संदर्भ दिया जाएगा जिनका उल्लंघन किया गया है।

भाग–VI

बगान

धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत आवास की व्यवस्था

147. (1) प्रत्येक नियोक्ता को बागान में रहने वाले प्रत्येक श्रमिक और उसके परिवार के लिए कार्यस्थल के यथासंभव निकट किराया मुक्त आवास उपलब्ध कराना होगा। नियोक्ता कई वर्षों के दौरान ऐसा आवास उपलब्ध करा सकता है, बशर्ते कि प्रत्येक वर्ष कम से कम पच्चीस प्रतिशत श्रमिकों के लिए आवास निर्मित किए जाएं।

(2) बागान में कामगारों के लिए सभी आवासों में महिला कर्मचारियों के लिए अलग कमरे होंगे। प्रत्येक कमरे में ताजी हवा के संचार द्वारा पर्याप्त वेंटिलेशन सुनिश्चित करने और बनाए रखने के लिए प्रभावी और उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।और पर्याप्त एवं उपयुक्त प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी और उसे बनाए रखा जाएगा। कमरे या अन्य उपयुक्त वैकल्पिक आवास का आकार ऐसा होना चाहिए कि रसोई और शौचालय के क्षेत्र को छोड़कर, कमरे का उपयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम से कम दस वर्ग मीटर का फर्श क्षेत्र उपलब्ध हो। आवास का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि वह गर्मी, हवा और बारिश से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करे और उसका फर्श चिकना, कठोर और जलरोधी हो।

(3) आवास का निर्माण सूखी, अच्छी जल निकासी वाली भूमि पर किया जाएगा, जो प्लांटेशन से दूरी संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप, उचित दूरी के भीतर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता से युक्त हो। मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में, आवास दलदलों और कीचड़ से

सुरक्षित दूरी पर और बाढ़ के उच्चतम स्तर से ऊपर बनाए जाएंगे।

(4) आवास उपलब्ध कराए जाने वाले क्षेत्र में और उसके आसपास पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की व्यवस्था की जाएगी।

(5) नियोक्ता उस क्षेत्र में स्थित मकानों तक पहुँचने वाली सड़कों और रास्तों के साथ–साथ उस क्षेत्र में स्थित सीवर और नालियों को अच्छी स्थिति में बनाए रखेगा।

(6) नियोक्ता जनता को बागान के उन हिस्सों में मुफ्त प्रवेश से वंचित नहीं करेगा जहां श्रमिकों को रखा जाता है।

(7) नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि सभी घरों के आसपास का क्षेत्र कूड़ा–करकट और मल–मूत्र से मुक्त रखा जाए और शौचालयों और नालियों की प्रतिदिन सफाई की जाए तथा उनमें या उनके आसपास मौजूद सभी कूड़े–करकट को एकत्र करके स्वच्छतापूर्वक निपटाया जाए।

(8) आवास उपलब्ध कराने में हुई प्रगति को दर्शाने के उद्देश्य से प्रत्येक नियोक्ता प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता प्लांटेशन को प्रपत्र–47 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत मकान का रखरखाव

148. (1) नियोक्ता समय–समय पर आवश्यक होने पर मकानों की मरम्मत अपने खर्च पर करवाएगा और मकानों को रहने योग्य और सुरक्षित स्थिति में बनाए रखेगा।

(2) किसी मकान में रहने वाला श्रमिक, और संहिता एवं उसके बाद बनाए गए नियमों के अंतर्गत नियुक्त निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता, मकान की स्थिति में किसी भी ऐसी खामी को नियोक्ता के ध्यान में ला सकते हैं जो श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए खतरनाक हो।

यदि कोई निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता इस प्रकार की कमियों को ध्यान में लाता है, तो नियोक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह बिना किसी देरी के उन्हें दूर करे।

(3) नियोक्ता को सभी मकानों पर साल में कम से कम एक बार चूने की पुदीनी होगी और सभी दरवाजों, खिड़कियों और अन्य लकड़ी की संरचनाओं पर हर तीन साल में एक बार वार्निश या पेंट करवाना होगा। चूने की पुदीनी या पेंट करवाने की तारीखों का रिकॉर्ड नियोक्ता द्वारा राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार रखा जाएगा।

धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन मकानों का आवंटन एवं अधिभोग

149. (1) नियोक्ता द्वारा अपने बागान में रहने वाले श्रमिकों और उनके परिवारों को उपलब्ध कराए गए आवास के लिए कोई किराया नहीं लिया जाएगा।

(2) परिवार सहित किसी कामगार को एक ही मकान आवंटित किया जाएगा, जिसका उपयोग कामगार और उसके परिवार के लिए होगा:

परन्तु यदि किसी परिवार में दो या दो से अधिक कामगार हैं, तो ऐसे परिवार के लिए एक की महान परिवार के किसी एक कामगार के नाम पर आवंटित किया जाएगा:

परन्तु यह और कि, यदि किसी ऐसे कामगार की सेवा समाप्त हो जाती है जिसके नाम पर उक्त प्रावधान के अधीन मकान आवंटित किया गया है, तो यह मकान उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर आवंटित किया जाएगा जो श्रमिक हो।

(3) मकान में रहने वाला व्यक्ति मकान में कोई अनधिकृत निर्माण या परिवर्तन नहीं करेगा।

(4) किसी मकान का निवासी नियोक्ता की लिखित अनुमति के बिना किसी अन्य मकान के निवासी के साथ मकान का आदान-प्रदान नहीं करेगा।

(5) मकान का मालिक मकान या उसके किसी भी हिस्से को किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर नहीं देगा।

(6) घरों में रहने वाले सभी कामगार और उनके परिवार के सदस्य उपलब्ध कराए गए शौचालयों का उपयोग करेंगे और मिट्टी को प्रदूषित नहीं करेंगे तथा घरों

और उसके आसपास के क्षेत्र को साफ–सुथरा रखेंगे तथा पीने के पानी को बर्बाद नहीं करेंगे।

(7) बैठक कक्षों या बरामदों में मवेशी या बकरियां नहीं रखी जाएंगी और न ही खिड़कियों या हवादार स्थानों को बंद किया जाएगा।

(8) नियोक्ता प्रत्येक श्रमिक को, जिसे आवास उपलब्ध कराया गया है, आवास में रहने से संबंधित शर्तों की लिखित सूचना उस भाषा में देगा जिसे श्रमिक समझ सके।

धारा 92 की धारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत रोजगार समाप्त होने के बाद आवास का अधिवास

150. (1) जब कोई कर्मचारी नियोक्ता की सेवा में रहते हुए मर जाता है, या सेवानिवृत्त हो जाता है, या उसका तबादला हो जाता है, या वह इस्तीफा दे देता है, या वह छुट्टी पर चला जाता है, या जब उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं, तो वह या उसका परिवार नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अवधि तक घर को अपने पास रख सकता है,

(क) मृत्यु, स्थानांतरण या सेवा समाप्ति की स्थिति में, दो महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं,

(ख) सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र की स्थिति में, एक माह से अधिक की अवधि के लिए नहीं,

(ग) अवकाश की स्थिति में, अवकाश की अवधि के लिएय और

(घ) यदि किसी श्रमिक की बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के परिणामस्वरूप औद्योगिक विवाद उत्पन्न होता है, तो जब तक मामले का अंतिम निपटारा नहीं हो जाता, तब तक

(2) यदि, ऐसे आवासों वाले क्षेत्राधिकार के निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता को किए गए आवेदन पर यदि निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता संतुष्ट हो जाता है कि कोई श्रमिक या उसके परिवार का कोई सदस्य उप–नियम (1) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद ऐसे श्रमिक को आवंटित घर खाली करने से इनकार करता है, तो वह, उस समय लागू किसी अन्य कानून के बावजूद, नोटिस जारी करके,

(क) डाक द्वारा; या

(ख) इसकी एक प्रति ऐसे मकान के बाहरी द्वार या किसी अन्य प्रमुख भाग पर चिपकाकर; या

(ग) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन निर्धारित नोटिस तामील करने के किसी अन्य माध्यम से। ऐसे श्रमिक या उसके परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति को, जो पूरे या घर के किसी हिस्से पर कब्जा कर रहा हो, सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, ऐसे आदेश की तामील की तारीख से एक महीने के भीतर उसे खाली करने का आदेश पारित किया जाएगा।

(3) यदि श्रमिक या घर में रहने वाला कोई अन्य व्यक्ति उप–नियम (2) के अधीन दिए गए आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले उप–जिला मजिस्ट्रेट से कम रैंक के अधिकारी को लिखित अनुरोध कर सकता है कि वह ऐसे श्रमिक, सदस्य या अन्य व्यक्ति को घर से बेदखल कर दे।

(4) उप–नियम (3) के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर, उप–नियम (3) में निर्दिष्ट उप–जिला मजिस्ट्रेट निरीक्षक– सह–सुविधाकर्ता द्वारा पारित आदेश का निष्पादन करेगा और ऐसे सदस्य या अन्य व्यक्ति को बेदखल करना सुनिश्चित करेगा तथा मकान का कब्जा नियोक्ता को सौंप देगा। इस उद्देश्य के लिए उप–जिला मजिस्ट्रेट आवश्यक बल का प्रयोग कर सकता है,

परन्तु बेदखली के ऐसे आदेश को लागू करने से पहले, बेदखली के आदेश की एक प्रति श्रमिक या परिवार के किसी सदस्य या उक्त मकान में रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति को दी जाएगी।

धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत पेयजल

151. (1) प्रत्येक बागान स्थल पर, प्रत्येक स्थान पर, कार्य समय के दौरान हर समय पीने के पानी की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) किसी भी खुले कुएं या जलाशय से पीने का पानी तब तक आपूर्ति नहीं किया जाएगा जब तक कि

उसका निर्माण, स्थान, संरक्षण और रखरखाव इस प्रकार न किया गया हो कि रासायनिक या जीवाणु तथा बाहरी अशुद्धियों से प्रदूषण की संभावना न हो।

(3) यदि ऐसे कुएँ या जलाशय से पीने का पानी आपूर्ति किया जाता है, तो निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता द्वारा लिखित आदेश के अनुसार उसमें मौजूद पानी को समय–समय पर रोगाणु रहित किया जाएगा और रोगाणु रहित करने की तिथि दर्ज की जाएगी; परन्तु यह आवश्यकता ऐसे किसी कुएँ या जलाशय पर लागू नहीं होगी यदि उसमें मौजूद पानी को उपभोग के लिए आपूर्ति करने से पहले छानकर उपचारित किया जाता है।

(4) निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता लिखित आदेश द्वारा नियोक्ता को निर्देश दे सकता है कि वह स्वास्थ्य अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी से श्रमिकों को आपूर्ति किए जाने वाले पानी की मानव उपभोग्यता के संबंध में किसी भी समय या अंतराल पर रिपोर्ट प्राप्त करे, और प्रत्येक मामले में स्वास्थ्य अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होते ही उसकी एक प्रति निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता को प्रस्तुत करे।

(5) कार्यस्थलों पर सुगम्य स्थानों पर पानीवालों या टैंकरों आदि के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत शौचालय की व्यवस्था

152. (1) प्रत्येक बागान में खेती या उसके भाग के प्रत्येक पचास एकड़ के लिए, एक शौचालय की व्यवस्था की जाएगी।

परन्तु प्रत्येक शौचालय में दोनों लिंगों के लिए कम से कम एक शौचालय होना चाहिए।

(2) शौचालय सुविधाजनक स्थान पर स्थित होना चाहिए, और उसमें दोनों लिंगों के लिए विशेष प्रवेश की सुविधा होनी चाहिए।

(3) प्रत्येक शौचालय और मूत्रालय की दीवारों, छतों और विभाजनों को सफेदी और रंगाई से रंगा जाएगा और सफेदी या रंगाई की प्रक्रिया प्रत्येक चार महीने की अवधि में कम से कम एक बार दोहराई जाएगी।

(4) शौचालय सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहि, और कुशल जल–जनित सीवेज प्रणाली से जुड़े शौचालयों के अलावा अन्य शौचालयों को सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों की आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा।

(5) प्रत्येक शौचालय ढका हुआ होना चाहि, और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लि, इस प्रकार विभाजित होना चाहि, तथा उसमें उचित दरवाजा और कुंडी होनी चाहिए।

(6) जहां दोनों लिंगों के श्रमिक कार्यरत हों, वहीं प्रत्येक शौचालय या शौचालय ब्लॉक के बाहर हिंदी में और साथ ही अधिकांश श्रमिकों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में केवल पुरुषों के लिए या केवल महिलाओं के लिए का नोटिस प्रदर्शित किया जाएगा। नोटिस पर पुरुष या महिला का चित्र भी अंकित होगा।

(7) जहां पाइप द्वारा जल आपूर्ति उपलब्ध हो, वहां शौचालय के अंदर या उसके आस–पास पर्याप्त संख्या में सुविधाजनक रूप से सुलभ पानी के नल उपलब्ध करा, जाएगें:

परन्तु यदि पाइप द्वारा जल आपूर्ति उपलब्ध न हो, तो शौचालयों के पास उपयुक्त पात्रों में पर्याप्त मात्रा में पानी संग्रहित करके रखा जाए।

धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत मूत्रालय की व्यवस्था

153. (1) खेती योग्य भूमि या उसके भाग के प्रत्येक 10 एकड़ क्षेत्र कि लिए एक मूत्रालय की व्यवस्था की जाएगी। मूत्रालय पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए, सुविधाजनक स्थान पर स्थित होगें और किसी एक लिंग के लिए ही उपयोग किय जाने योग्य होंगे।

(2) मूत्रालय सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए, कुशल जल–जनित सीवेज प्रणाली से जुड़े मूत्रालयों के अलावा अन्य मूत्रालयों को सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों की अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा।

और धारा 92 की उपधारा (1) के खंड

154. अपशिष्ट या गंदे पानी को ले जाने वाली सभी नालियों का

(क) के अंतर्गत नालियों का निर्माण और रखरखाव।

निर्माण ईंटों या अन्य अभेद्य सामग्रियों से किया जाए और उन्हें नियमित रूप से साफ किया जाएगा, और अपशिष्ट जल को उपयुक्त जल निकासी लाइन से जोड़कर निपटाया जाएगा।

परन्तु जहां ऐसी कोई जल निकासी लाइन नहीं है, वहां अपशिष्ट जल को दुर्गंध रहित और हानिरहित बनाया जाएगा और फिर स्वास्थ्य अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार उचित तरीके से निपटाया जाएगा।

धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अंतर्गत क्रेच

155. (1) प्रत्येक बागान में, जहाँ तीस या उससे अधिक महिला श्रमिक कार्यरत हैं या पिछले बारह महीनों में किसी भी दिन कार्यरत थीं, नियोक्ता को इन नियमों में निर्धारित मानकों के अनुसार छह वर्ष से कम आयु के उनके बच्चों के उपयोग के लिए एक या अधिक शिशुगृह उपलब्ध कराने और उनका रखरखाव करेगा।

(2) प्रत्येक शिशुगृह में उसमें रखे गए बच्चों की माताओं के लिए सुगम पहुंच होनी चाहिए।

(3) प्रत्येक बच्चे को क्रेच में रखने के लिए कम से कम 15 वर्ग फुट का फर्श क्षेत्र होना चाहिए।

(4) जिस भवन में शिशुगृह स्थित है, वह सुदृढ़ निर्माण और अच्छी नींव वाला होना चाहिए।

(5) शिशुगृह भवन की योजना मुख्य निरीक्षक सुविधाकर्ता द्वारा निर्धारित मानक योजना या योजनाओं के अनुसार होगी:

परन्तु जहां कोई मानक योजना निर्धारित नहीं की गई है या जहां मानक योजना से विचलित होने का प्रस्ताव है, वहां मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

(6) शिशुगृह में उपयुक्त फर्नीचर और दो वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए एक पालना उपलब्ध कराया जाएगा।

(7) बड़े बच्चों के लिए उपयुक्त बाड़ से घिरा और छायादार खुला खेल का मैदान उपलब्ध कराया जाएगा।

(8) नियोक्ता निम्नलिखित की नियुक्ति करेगा–

(क) माताओं की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल के लिए एक महिला को क्रेच प्रभारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिसके पास राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसी योग्यताएं और प्रशिक्षण होंगे, और

(ख) उक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वेतनमान पर ऐसे अन्य कर्मचारी।

(9) शिशुगृह में या उसके निकट एक उपयुक्त शौचालय और शौचालय होना चाहिए।

(10) प्रत्येक बच्चे के लिए प्रतिदिन कम से कम आधा पिंट शुद्ध दूध (संभवतः अन्यथा चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुमोदित पाउडर वाला दूध) उपलब्ध कराया जाएगा, जिस दिन बच्चा क्रेच में रहेगा। बच्चे की माता को अपने दैनिक कार्य के दौरान क्रेच में जाकर बच्चे को दूध पिलाने के लिए पर्याप्त समय के दो अंतराल दिए जाएंगे। दो वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए उपरोक्त के अतिरिक्त, पौष्टिक जलपान की पर्याप्त आपूर्ति भी की जाएगी।

(11) क्रेच के कर्मचारियों को क्रेच में ड्यूटी के दौरान उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ कपड़े उपलब्ध कराए जाएंगे।

(12) जब तक बच्चा क्रेच में है, तब तक प्रत्येक बच्चे के लिए साफ कपड़े, साबुन और तेल की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी।

(13) उपर्युक्त उप–नियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, नियोक्ताओं का एक समूह संयुक्त रूप से क्रेच उपलब्ध करा सकता है और उसका रखरखाव कर सकता है तथा उसके खर्चों को साझा कर सकता है।

धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षण सुविधाएं

156. (1) यदि किसी बागान में 6 से 12 वर्ष की आयु के श्रमिकों के बच्चों की संख्या 25 से अधिक हो, तो प्रत्येक नियोक्ता को बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक या अधिक प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराने और उनका रखरखाव करने की आवश्यकता होगी:

परन्तु कोई नियोक्ता प्राथमिक विद्यालय स्थापित और संचालित नहीं कर सकता है यदि राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय के प्रत्यक्ष प्रबंधन के अधीन कोई प्राथमिक विद्यालय पहले से ही मौजूद है, जो उसके बागान में काम करने वाले श्रमिकों के छह से बारह वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक या उच्चतर स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है, और जिसमें श्रमिकों के निवास स्थान से एक मील की दूरी के भीतर पर्याप्त सीटें हों, या यदि किसी अन्य कानून के अधीन उसे प्राथमिक शिक्षा के लिए उपकर या कर का भुगतान करना आवश्यक हो:

परन्तु यह और कि इन नियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, नियोक्ताओं का एक समूह संयुक्त रूप से एक प्राथमिक विद्यालय का संचालन और रखरखाव कर सकता है तथा उसके खर्चों को साझा कर सकता है।

(2) इन नियमों के अधीन स्थापित और संचालित किए जाने वाले प्रत्येक विद्यालय को श्रमिकों के आवासों से एक मील की दूरी के भीतर सुविधाजनक रूप से स्थित होना चाहिए।

(3) विद्यालय भवन का निर्माण निर्धारित मानक या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार किया जाएगा :

परन्तु कोई मानक योजना उपलब्ध न हो या मानक योजना से विचलन प्रस्तावित हो, तो विद्यालय भवन की योजना के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(4) जहां पर्याप्त जगह उपलब्ध हो, वहां विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए उपयुक्त उपकरणों से सुसज्जित एक खुला खेल का मैदान भी उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) नियोक्ता(ओं), जैसा भी मामला हो, इन नियमों के अधीन संचालित प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के लिए ऐसे शैक्षिक और अन्य उपकरण उपलब्ध कराएगा जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे।

(6) संबंधित नियोक्ता या नियोक्ताओं द्वारा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक चालीस बच्चों के लिए एक शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। शिक्षक के पास सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता, होनी चाहिए:

परन्तु इन नियमों के प्रारंभ होने के समय किसी बागान में विद्यालय शिक्षक के रूप में कार्यरत किसी व्यक्ति के मामले में, राज्य सरकार, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह निर्दिष्ट करे, किसी भी योग्यता में छूट दे सकती है।

(7) प्राथमिक विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा के पाठ्यक्रम , अवधि, मानक और सिलेबस ऐसा होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए।

(8) प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले श्रमिकों के बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं

157. राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण विभाग के परामर्श से समय-समय पर अधिसूचित सुविधाओं के अनुसार बागान श्रमिकों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा, प्रदान की जाएगी।

धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अंतर्गत मनोरंजन सुविधा

158. (1) प्रत्येक नियोक्ता को निम्नलिखित प्रदान करना और बनाए रखना होगा:

(क) श्रमिकों के लिए एक या एक से अधिक मनोरंजन केंद्र जिनमें वयस्क और बाल श्रमिकों के लिए उपयुक्त इनडोर खेलों की व्यवस्था हो;

(ख) जहाँ उचित दूरी के भीतर पर्याप्त समतल खुली जगह उपलब्ध हो, वहाँ वयस्क और बाल श्रमिकों के लिए आवश्यक खेल उपकरणों सहित एक या अधिक खेल के मैदान बनाए जा सकते हो।

परन्तु इन नियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, नियोक्ताओं का एक समूह मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता की स्वीकृति से संयुक्त मनोरंजन केंद्र और खेल के मैदान उपलब्ध करा सकता है और उनका रखरखाव कर सकता है तथा उनके खर्चों को साझा कर सकता है।

(2) इन नियमों के अधीन उपलब्ध कराए, जाने और रखरखाव किए जाने वाले प्रत्येक मनोरंजन केंद्र को श्रमिकों के आवासों के यथासंभव निकट सुविधाजनक स्थान पर स्थित होना चाहिए।

धारा 93 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्लांटेशन में खतरनाक रसायनों, कीटनाशकों, पेस्टिसाइड्स और विषैले पदार्थों का उपयोग एवं संचालन।

159. (1) किसी भी किशोर श्रमिक को ऐसी किसी गतिविधि या कार्य में शामिल नहीं किया जाएगा, जहाँ उनके खतरनाक रसायनों, कीटनाशकों, कीटनाशकों, खतरनाक पदार्थों और अन्य विषैले पदार्थों के उपयोग, संचालन, भंडारण और परिवहन के संपर्क में आने की संभावना हो:

परन्तु महिला कामगारों को उनकी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियोजित किया जा सकता है –

(क) अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का अधिभोगी द्वारा व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ (ओ.एस.एच) प्रदान करने के लिए अनुपालन किया जाएगा

(ख) अधिभोगी समय–समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/स्थानों का यथासंभव आधुनिकीकरण करेगा तथा आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करेगा।

(ग) स्तनपान कराने वाली महिला कामगारों को रोजगार से छूट दी जाएगी।

(2) नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि प्लांटेशन के किसी भी कार्य में लगी सभी महिला और किशोर श्रमिकों की नियमित स्वास्थ्य जांच नियम–66 के अनुसार की जाए और इन नियमों के नियम–66 में उल्लिखित अभिलेख रखे जाएं।

धारा 93 की उपधारा (3) के अधीन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति एवं अर्हताएं

160. (1) धारा 93 की उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए, नियोक्ता कीटनाशकों, रसायनों और विषैले पदार्थों के उपयोग, संचालन, भंडारण और परिवहन की निगरानी के लिए निम्नलिखित योग्यता रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करेगा।

(2) उप–नियम (1) के अधीन नियुक्त पर्यवेक्षकों के पास

निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए, अर्थात्:–

(क) वह कृषि या किसी विज्ञान में स्नातक होना चाहि, या उसके पास उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा संचालित रसायनों और विषैले पदार्थों के प्रबंधन पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम होना चाहिए या कानून के अधीन स्थापित और मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा प्रदान की गई समकक्ष डिग्री होनी चाहिए;

(ख) उसे निर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण दिया जाए; और

(ग) उसके पास श्रमिकों को प्राथमिक उपचार देने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी या सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन या राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से वैध प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।

(3) पर्यवेक्षक निम्नलिखित कार्य करेगा–

(क) नियोक्ता को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर सलाह देना;

(ख) उपकरणों, रसायनों, कीटनाशकों आदि के भंडारण के लिए जिम्मेदार होना;

(ग) उपरोक्त कार्य में शामिल रसायनों, कीटनाशकों और कर्मियों के समन्वय और परिवहन के लिए जिम्मेदार होना।

(घ) कीटनाशक छिड़काव के उपयोग के कारण रसायनों से संबंधित किसी भी घटना औरध्या दुर्घटना की रिपोर्ट करने के लिए, जिम्मेदार होना:–

(ङ) श्रमिकों और उनके प्रतिनिधियों के साथ अच्छे संबंध सुनिश्चित करना;

(च) रसायनों के सही उपयोग और छिड़काव को सुनिश्चित करना जहां रासायनिक छिड़काव से सफाई होती हैय

(छ) यह सुनिश्चित करना कि छिड़काव कर्मियों को सुरक्षात्मक वस्त्र और धूल का मुखौटा उपलब्ध कराया जा, और यह सुनिश्चित करना कि वे अपने

ड्यूटी समय के दौरान इसका उपयोग कर रहे हों;

(ज) गुणवत्तापूर्ण छिड़काव में सुरक्षा प्रक्रिया और नियंत्रण के सही उपयोग को सुनिश्चित करना

(झ) लोगों, विशेषकर बच्चों को छिड़काव के संपर्क के खतरे से दूर रखना;

(ञ) जारी करते समय तैयार किए गए रसायनों और कीटनाशकों की मात्रा को नोट करेंगा

(ट) बागानों के मजदूरों द्वारा रसायनों के भंडारण, उपयोग और निपटान की निगरानी करना।

धारा 93 की उपधारा (4) के अन्तर्गत श्रमिकों का प्रशिक्षण

161. नियोक्ता को रसायनों, कीटनाशकों और विषैले पदार्थों के उपयोग के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना होगा और श्रमिकों को दिए गए उपकरणों के उपयोग में सुरक्षा सावधानियां बरतनी होंगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित विषयों पर आयोजित किया जाएगा, अर्थात्–

(क) प्रक्रिया जिसमें हैंडलिंग, मिश्रण और ब्लेंडिंग शामिल है और कीटनाशकों, रसायनों और विषैले पदार्थों का प्रयोग;

(ख) छिड़काव की गुणवत्ता और गुणवत्ता को नियंत्रित करने के प्रयुक्त समाधान;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि उपकरण का अच्छी तरह से रखरखाव किया जाए और काम के बाद उसे साफ किया जाए;

(घ) कीटनाशक को छिड़काव मशीन में स्थानांतरित करने की विधि,

(ङ) लोगों को, विशेषकर बच्चों को, छिड़काव के समय दूर रखना

(च) रसायनों और कीटनाशकों को किस प्रकार संग्रहित किया जाना है,

(ज) कीटनाशक घोल तैयार करने के लिए रसायनों को मिलाने का तरीका;

(झ) सुरक्षात्मक वस्त्र और मास्क का उपयोग करते समय छिड़काव;

(ञ) विभिन्न कार्यों में निहित खतरों पर प्रशिक्षण;

(ञ) कीटनाशकों, रसायनों और विषैले पदार्थों के रिसाव से संबंधित प्रक्रिया।

धारा 93 की उपधारा (5) के अंतर्गत बागान श्रमिकों की चिकित्सा परीक्षा।

162. (1) किसी भी बागान के नियोक्ता को उन सभी कर्मचारियों के लिए निशुल्क चिकित्सा परीक्षण की व्यवस्था करनी होगी, जो बागान में उपयोग किए जाने वाले, संभाले जाने वाले, भंडारित किए जाने वाले या परिवहन किए जाने वाले कीटनाशकों, रसायनों और विषैले पदार्थों के संपर्क में आते हैं, और यह परीक्षण संहिता के अधीन नियुक्त चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सक द्वारा नब्बे दिनों से अधिक के अंतराल पर नहीं किया जाएगा:

परन्तु यदि किसी व्यक्ति में जहर के लक्षण या किसी संक्रामक रोग के लक्षण दिखाई दें तो उसकी तुरंत जांच की जाएगी और उचित उपचार किया जाएगा।

(2) नियोक्ता को ऐसे पदार्थों के उपयोग, संचालन, मिश्रण, भंडारण और परिवहन के कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना की सूचना तुरंत मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देनी होगी।

(3) जहर के सभी मामलों में, चिकित्सक को बुलाने से पहले प्राथमिक उपचार अवश्य दिया जाना चाहिए। कीटनाशक जहर के मामलों से निपटने के लिए भारतीय मानक मार्गदर्शिका भाग–1, प्राथमिक उपचार उपाय [I.S4015(Part-II-1967)], का संदर्भ प्राथमिक उपचार के लिए लिया जाना चाहिए, साथ ही इस विषय पर अन्य पुस्तकों का भी उपयोग किया जाना चाहिए। श्रमिकों को जहर के प्रभावों और दिए जाने वाले प्राथमिक उपचार के बारे में भी शिक्षित किया जाना चाहिए।

(4) छिड़काव कार्य में लगे श्रमिकों को तीन महीने की अवधि तक काम करने के बाद बदल दिया जाएगा और उनकी जगह श्रमिकों के दूसरे बैच को नियुक्त किया जाएगा।

धारा 93 की उपधारा (3) के अंतर्गत बागान श्रमिकों की चिकित्सा परीक्षा के अभिलेख

163. (1) नियम–66 और नियम–162 के अधीन आयोजित चिकित्सा परीक्षा के अभिलेख प्रपत्र–7 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों और प्रपत्रों के अनुसार रखे जाएंगे।

(2) ऐसी चिकित्सा रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित श्रमिक को फॉर्म–7 के अधीन रखे गए, दी जाएगी एवं चिकित्सा अभिलेखों को नियोक्ता द्वारा रखा जाएगा और नियोक्ता को ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे संबंधित श्रमिकों को इन अभिलेखों तक आसानी से पहुंच प्राप्त हो सके।

धारा 93 (7) की उपधारा के खंड (क) और खंड (ख) के अंतर्गत धुलाई, स्नान और वस्त्रगृह, सुरक्षात्मक वस्त्र और उपकरण संबंधी सुविधाएं।

164. कपड़े धोने, नहाने और घड़ी देखने के कमरे की सुविधाएं सभी कार्यरत व्यक्तियों के उपयोग के लिए निम्नलिखित तरीके से स्वच्छ और अच्छी स्थिति में उपलब्ध कराई जाएंगी और उनका रखरखाव किया जाएगा।

(क) एक चिकनी, अभेद्य सतह वाली नाली जिसमें प्लग सहित अपशिष्ट पाइप लगा हो, और जिसकी लंबाई इतनी हो कि किसी भी समय कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम से कम दो फीट जगह हो, और जिसमें नाली के ऊपर लगे नलों या जेटों से दो फीट से अधिक के अंतराल पर पानी की निरंतर आपूर्ति हो, या

(ख) किसी भी समय कार्यरत ऐसे प्रत्येक दस व्यक्तियों के लिए कम से कम एक वॉश बेसिन, जिसमें अपशिष्ट पाइप और प्लग लगा हो और पानी की निरंतर आपूर्ति हो, साथ ही दोनों ही मामलों में पर्याप्त मात्रा में नेल ब्रश, साबुन या अन्य उपयुक्त सफाई सामग्री और प्रतिदिन बदले जाने वाले साफ तौलिये उपलब्ध हों।

(ग) कार्य समय के दौरान न पहने जाने वाले कपड़ों के लिए उपयुक्त आवास, जिसमें गीले होने पर कपड़ों को सुखाने की पर्याप्त व्यवस्था हो। प्रदान किया जाने वाला आवास एक जिम्मेदार व्यक्ति के प्रभार में होगा।

(घ) कोई भी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ, जिसमें पैन सुपारी या तंबाकू शामिल है, किसी भी कर्मचारी द्वारा कार्यस्थल या शौचालयों में लाया या सेवन नहीं किया जाएगा।

(ग) परिवहन या प्रयोग के दौरान कीटनाशकों को संभालने वाले प्रत्येक श्रमिक को उपयुक्त वस्त्रों से पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखा जाएगा।

(ङ) विषाक्त धूल, वाष्प या गैसों के साँस लेने से रोकने के लिए जहाँ भी आवश्यक हो, उपयुक्त श्वसन उपकरणों के साथ सुरक्षात्मक वस्त्रों का उपयोग किया जाएगा,

(च) छिड़काव के लिए उपयोग किए जाने वाले रासायनिक घोलों को पतला करने की अनुमति किसी भी श्रमिक को नहीं दी जाएगीय दस्ताने, धूलरोधी टोपी, हुड, चश्मे, घुटने तक लंबे पॉलीथीन एप्रन, रबर के दस्ताने, मोजे सहित रबर के जूते (गम बूट), नाक पर मास्क आदि का उपयोग किए बिना छिड़काव करने की अनुमति नहीं होगी या नाक और मुंह को ढकने के लिए ब्लीच किए हुए रूमाल,

(छ) चश्मे के लेंस अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए,

(ज) छिड़काव मशीनों के झटकों को कम करने के लिए पीठ पर रबर या गलीचे की गद्दी का प्रयोग किया जाएगा,

(झ) छिड़काव कार्य में लगे प्रत्येक श्रमिक को प्रत्येक पखवाड़े में एक साबुन की टिकिया उपलब्ध कराई जाएगी,

(ञ) छिड़काव के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण, साथ ही सुरक्षात्मक वस्त्र और अन्य उपकरण का उचित रखरखाव किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत बदल दिया जाएगा।

धारा 93 की उपधारा (9) के अंतर्गत कीटनाशकों, रसायन और विषैले पदार्थों के खतरों को दर्शाने वाली सूचना का प्रदर्शन।

165. किसी भी बागान के प्रत्येक नियोक्ता को कीटनाशकों, रसायनों और विषैले पदार्थों के संचालन के स्थान पर या उसके आसपास एहतियाती सूचना प्रदर्शित करनी होगी।

(i) सुरक्षात्मक कपड़े जैसे ओवरऑल, दस्ताने, रबर के गम–बूट और चौड़ी किनारी वाली टोपी का प्रयोग करें।

(ii) कीटनाशकों और पेस्टिसाइड्स से दूषित कपड़े न पहनें।

(iii) सुरक्षात्मक वस्त्रों को साबुन और पानी से धोकर साफ करें।

(iv) बच्चों, बीमार व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं को स्तनपान कराने वाली माताओं को कीटनाशकों और पेस्टिसाइड्स को संभालने की अनुमति न दे ।

(v) कीटनाशकों और पेस्टिसाइड्स को संभालते समय खाना, पीना, धूम्रपान करना या चबाना नहीं चाहिए।

(vi) कभी भी बंद नोजल को मुंह से न फूंक मारें।

(vii) रसाव वाले स्प्रेयर का उपयोग न करें। त्वचा मुंह और आंखों के संक्रमण से बचें।

(viii) खेतों में कीटनाशकों को बिना निगरानी के सांस के साथ अंदर न लें।

(ix) हवा के विरुद्ध कीटनाशकों का छिड़काव कभी न करें।

(x) खेतों में कीटनाशकों को बिना निगरानी के न छोड़ें।

(xi) कीटनाशकों और पेस्टिसाइड्स के छिड़काव वाले खेतों में निर्माताओं द्वारा सुझाई गई अवधि तक मनुष्यों और कीटों को प्रवेश न करने दें।

(xii) कीटनाशकों और पोमसाइड के कंटेनरों को कुएं के पास न धोएं।

(xiii) साफ पानी, साबुन और तौलिये तैयार रखें।

(xiv) काम के बाद खाने, पीने, धूम्रपान करने या चबाने से पहले हाथों और खुली त्वचा को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं।

(xv) कीटनाशकों और पेस्टिसाइड्स को भंडार कक्ष में ताला लगाकर रखें और बच्चों तथा अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों की पहुँच से दूर रखें।

(xvi) खुले खेतों में प्रवेश न करें। कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों सहित सभी कीटनाशकों के लिए निर्माताओं द्वारा सुझाई गई पुनः प्रवेश अवधि का पालन करें।

(xvii) कीटनाशकों और पेस्टिसाइड्स को उनके मूल लेबल वाले डिब्बों में ही रखें।

(xviii) कीटनाशकों और पेस्टिसाइड्स को कंटेनरों से न निकालें और उन पर लेबल लगाएं, सिवाय तत्काल उपयोग के लिए।

(xix) बर्तनों को अच्छी तरह खाली करके और

धोकर सुरक्षित रूप से ठिकाने लगा दें। इन्हें पानी से दूर किसी स्थान पर फेंका जा सकता है।

(xx) यदि कंटेनर से कीटनाशक और पेस्टिसाइड के अंशों को पूरी तरह से हटाना असंभव हो, तो कंटेनर का उपयोग कभी भी किसी अन्य उद्देश्य के लिए न करें।

अध्याय दस

अपराध और शास्ति

धारा 111 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जांच की रीति

166. राज्य सरकार द्वारा धारा 111 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत धारा 12 की उपधारा (3), धारा 94, धारा 96, धारा 97, धारा 99, धारा 106 और धारा 114 की उपधारा (3) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा इस धारा के अधीन निर्धारित रीति से जांच की जायेगी।

धारा 111 की उपधारा (3) के अधीन अपील के लिए प्रपत्र, शुल्क और रीति

167. कोई व्यक्ति धारा 111 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध आदेश की प्रति प्राप्त होने के साठ दिन की अवधि के भीतर धारा 111 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अपील अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे:–

(क) अपील किए गए आदेश,

(ख) अपील के अधीन लगाए गए जुर्माने की राशि के पांच प्रतिशत के बराबर अप्रतिदेय राशि;

(ग) विवादित बिंदुओं का विवरण ;

(घ) दस्तावेजी साक्ष्य जिस पर भरोसा किया गया है;

(ङ) राहत मांगी गई।

धारा 114 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अपराधों के शमन की रीति

168. (1) अधिसूचित अधिकारी, जिसे इसके बाद इसके पश्चात् प्रशमन अधिकारी कहा जाएगा, धारा 114 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपराधों के शमन के प्रयोजनार्थ, उन

अपराधों के लिए जिनके लिए धारा 114 की उपधारा (1) के तहत शमन किया जा सकता है, अभियुक्त व्यक्ति को प्रपत्र–48 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा प्रशमन नोटिस जारी करेगा।

(2) जिस व्यक्ति को सूचना दी गई है, वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से समझौता अधिकारी को आवेदन कर सकता है और सूचना प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण या किसी अन्य माध्यम से पूरी समझौता राशि जमा कर सकता है।

(3) समझौता अधिकारी समझौता राशि प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर उस व्यक्ति को समझौता प्रमाण पत्र जारी करेगा जिससे समझौता नोटिस के अनुपालन में वह राशि प्राप्त हुई है। यदि आरोपी के विरुद्ध अभियोग शुरू नहीं किया गया है, तो आरोपी के विरुद्ध अभियोग हेतु कोई शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी।

(4) यदि अभियोग शुरू होने के बाद अपराध का समझौता हो जाता है, तो समझौता अधिकारी राज्य सरकार को आरोपी को बरी करने और अभियोग बंद करने के लिए उचित कार्रवाई करने का अनुरोध भेजेगा।

(5) यदि नोटिस प्राप्त व्यक्ति अभियोग शुरू होने से एक महीने पहले समझौता राशि जमा करने में विफल रहता है, तो सक्षम न्यायालय के समक्ष अभियोग चलाया जाएगा।

(6) नियोक्ता को धारा 110 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन तथा धारा 114 के अनुसार समझौता करने के अधीन ऐसे प्रावधानों का अनुपालन करने का अवसर दिए बिना कोई अभियोग शुरू नहीं किया जाएगा।

(7) समझौता अधिकारी इस नियम के अंतर्गत अपराध का समझौता करने के लिए राज्य सरकार के निर्देश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए शक्तियों का प्रयोग करेगा।

अध्याय–ग्यारह
सामाजिक सुरक्षा कोष

धारा 115 की उपधारा (2) के अधीन सामाजिक सुरक्षा कोष के अन्य स्रोत

169. धारा 115 की उपधारा (2) के अधीन सामाजिक सुरक्षा कोष के अन्य स्रोत वही होगें, जो सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 141 की उपधारा (5) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सामाजिक सुरक्षा संहिता नियामवली, 2026 में निर्दिष्ट किए गए है।

धारा 115 की उपधारा (3) के अधीन सामाजिक सुरक्षा कोष का प्रशासन एवं व्यय की रीति

170. धारा 115 की उपधारा (3) के अधीन सामाजिक सुरक्षा कोष के प्रशासन एवं व्यय की रीति वही होगी, जो सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 141 की उपधारा (5) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सामाजिक सुरक्षा संहिता नियामवली, 2026 में निर्दिष्ट की गयी है।

अध्याय–बारह
विविध

धारा 119 की उपधारा (2) के खंड (क) के अंतर्गत ठेकेदार, कारखानों और औद्योगिक परिसरों आदि के लिए सामान्य अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन का प्रारूप, शुल्क और आवेदन करने की रीति

171. संहिता की धारा 119 के अंतर्गत सामान्य लाइसेंस चाहने वाला व्यक्ति उत्तराखंड सरकार के श्रम विभाग के निर्दिष्ट वेब–पोर्टल पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रपत्र–49 में नियम–71, नियम–72 व नियम 109 संबंधी लागू शुल्क के साथ आवेदन करेगा।

धारा 119 की उपधारा (3) के अधीन सामान्य अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए रीति

172. (1) आवेदन प्राप्त होने पर, नामित प्राधिकारी आवेदन में दी गई जानकारी और अन्य दस्तावेजों की सत्यता की जांच करेगा या करवाएगा, ताकि वह इससे संतुष्ट हो सके।

(2) उप–नियम (1) के अधीन ऐसी जांच के लिए नामित प्राधिकारी किसी अन्य अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है, जो पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(3) आवेदन और रिपोर्टों की जांच करने के बाद, यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि सामान्य लाइसेंस जारी किया जा सकता है, तो वह प्रपत्र–50 में से आवेदन की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर इसे जारी करेगा।

(4) गलत जानकारी प्रदान करके प्राप्त किया गया कोई भी लाइसेंस रद्द किया जा सकता है,

परन्तु उस व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा यह कारण बताने का अवसर दिया गया हो कि लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

धारा 119 की उपधारा (6) के अंतर्गत अपील

173. (1) धारा 119 के अधीन प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति, आदेश की तिथि से तीस दिनों के भीतर अपील अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस रीति से और ऐसे शुल्क के साथ जैसा कि उप–नियम (2) में उल्लेख किया गया है अपील दायर कर सकता है।

(2) अपील के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे–

(i) आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

(ii) सामान्य लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जमा किया गया शुल्क के बीस प्रतिशत के बराबर शुल्क।

(iii) विवाद के बिंदुओं का विवरण।

(iv) दस्तावेजी साक्ष्य पर भरोसा किया गया।

(v) दावाकृत अनुतोष।

(3) अपील प्राधिकारी अपील दाखिल होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपील का निपटारा करेगा।

धारा 121 की उपधारा (2) के अंतर्गत सर्वेक्षण

174. धारा 121 की उपधारा (2) के अन्तर्गत किये जाने वाले सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों,

की रीति

बीमारियों के प्रसार या दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करना होगा एवं सर्वेक्षण निम्न प्रकार से किया जायेगा:–

(क) सर्वेक्षण शुरू करने से कम से कम 24 घंटे पूर्व लिखित में या इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से नियोक्ता को सूचित किया जायेगा, किन्तु अत्यावश्यक परिस्थिति में बिना पूर्व सूचना के भी कार्यस्थल का निरीक्षण करया जा सकता है।

(ख) सर्वेक्षण के दौरान विभिनन हितधारकों जैसे कि नियोक्ता, कर्मचारी, आस–पास के रहने वाले लोगों से जानकारी प्राप्त की जायेगी है। इसमें डिजिटल फॉर्म, साक्षात्कार या कार्यस्थल पर भौतिक निरीक्षण शामिल हो सकता है।

(ग) कार्यस्थल के वातावरण (जैसे शोर, वेंटिलेशन, धूल या रासायनिक उत्सर्जन) के नमूने ले सकेगा और उसकी जांच अधिकृत प्रयोगशाला से करा सकता है।

(घ) सर्वेक्षण की रिपोर्ट जांच रिपोर्ट के समान होगी और इसमें दुर्घटनाओं या खतरनाक घटनाओं या व्यसायजनित रोगों की रोकथाम के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने के लिए सिफारिशों के साथ सर्वेक्षण के निर्णायक निष्कर्ष शामिल होगी तथा अनुपालन के लिए इसके कार्यान्वय हेतु सुझाव शामिल होगें।

विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना

175. इन नियमों को उनके अंतिम अधिसूचना की तारीख से एक महीने के भीतर श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

निरसन एवं व्यावृत्ति

176. (1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, 1950) अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश कारखाना कल्याण अधिकारी नियमावली, 1955) अनुकूलन एवं संशोधन आदेश, 2002, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सुरक्षा अधिकारी नियमावली, 1984) अंगीकरण एवं संशोधन ओदश, 2002, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश

औद्योगिक दुर्घटना नियंत्रण नियमावली, 1996) अनुकूलन एवं संशोधन, आदेश, 2002, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश ठेका श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन नियम, 1975) अनुकूलन एवं संशोधन आदेश, 2002, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश अन्तराज्यिक प्रवासी कर्मकार) (रोजगार एवं शर्तों का विनियमन) सेवा नियमवली, 1983) अनुकूलन एवं संशोधन आदेश, 2002 एवं उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (रोजगार विनियमन एवं सेवा की शर्तें) नियमावली, 2005 इन नियमों के अंतिम अधिसूचना की तिथि से निरस्त मानी जाएगी।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त नियमावलियों/विनियमावलियों के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई इस संहिता/नियमावली के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

(3) उपनियम (2) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के प्रावधान ऐसे नियमावलियों/विनियमावलियों के निरसन पर लागू होंगे।

आज्ञा से,

डॉ० श्रीधर बाबू अद्दांकी,
सचिव।

अनुसूची-4
(देखें नियम 4 का उप-नियम (1))

क्र.सं.	जिस धारा या नियम के अंतर्गत योग्यता की मान्यता दी गई है	अपेक्षित योग्यताएं	उपयोजन हेतु अनुभव	अधिकाराधीन उपलब्ध सुविधाएँ
1	2	3	4	5
1.	धारा 79 तथा धारा 2(1)(i) के अंतर्गत बनाए गए नियम – भवनों के लिए संबंधित प्रमाणपत्र।	सिविल या संरचनात्मक अभियांत्रिकी में उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि	(एक) संरचनाओं के अभिकल्पन (डिजाइन) या निर्माण या परीक्षण या मरम्मत के क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव। (दो) अविनाशकारी परीक्षण (नॉन-डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग) का ज्ञान, वर्तमान में प्रचलित विभिन्न आचार संहिताओं (कोड ऑफ प्रैक्टिस) का ज्ञान तथा भवन की स्थिरता पर कंपन और प्राकृतिक बलों के प्रभाव का ज्ञान।	उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यक सुविधाएँ एवं उपकरण।
2	धारा 18(2)(घ) के अधीन खतरनाक मशीनों से संबंधित बनाए गए नियम।	विद्युत या यांत्रिक या वस्त्र अभियांत्रिकी में उपाधि या उसके समकक्ष कोई उपाधि।	(1) न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव– (क) अभिकल्पन या संचालन या अनुरक्षण; या (ख) संबंधित मशीनरी, उसके संचालन, सुरक्षा उपकरणों एवं साधनों का परीक्षण, परीक्षण-परिक्षण तथा निरीक्षण। (2) यह– सुरक्षा उपकरणों तथा उनके समुचित कार्यकरण से भली-भांति परिचित हो।	मापन हेतु गेज, मशीन के मापन के लिए उपकरण तथा खतरनाक मशीनों के उपयोग में सुरक्षा निश्चित करने हेतु कोई अन्य उपकरण या गेज।
3.	धारा 18(2)(घ)– लिफ्ट एवं हॉइस्ट	विद्युत या यांत्रिक अभियांत्रिकी में उपाधि या उसके समकक्ष कोई उपाधि।	(एक) न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव– (क) अभिकल्पन या स्थापना या अनुरक्षण; या (ख) लिफ्ट एवं हॉइस्ट के निरीक्षण तथा परीक्षण प्रक्रियाएँ। (दो) यह– (क) वर्तमान में प्रचलित संबंधित आचार संहिताओं एवं परीक्षण प्रक्रियाओं से भली-भांति परिचित हो; (ख) हॉइस्ट एवं लिफ्ट की सुरक्षा को आच्छादित करने वाली अन्य वैधानिक आवश्यकताओं से भी भली-भांति परिचित हो।	हॉइस्ट एवं लिफ्ट की सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ निर्धारित करने हेतु आवश्यक भार परीक्षण, लम्ब परीक्षण की सुविधाएँ, गेज, मापन हेतु उपकरण/गैजेट्स तथा कोई अन्य आवश्यक उपकरण।
4.	धारा 18(2)(घ)–उठाने वाली मशीनें, जंजीरें, रस्सियाँ तथा उठाने के उपकरण।	विद्युत या यांत्रिक या धातुकर्म अभियांत्रिकी में उपाधि या उसके समकक्ष कोई उपाधि।	(एक) न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव– (क) अभिकल्पन या स्थापना या अनुरक्षण; या (ख) उठाने वाली मशीनों, जंजीरों, रस्सियों तथा उठाने के उपकरणों का परीक्षण, परीक्षण-परिक्षण एवं निरीक्षण।	उठाने वाली मशीनों, जंजीरों, रस्सियों तथा उठाने के उपकरणों की सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ निर्धारित करने हेतु आवश्यक भार परीक्षण, लम्ब परीक्षण, ताप उपचार की सुविधाएँ, मापन हेतु उपकरण/गैजेट्स, गेज तथा ऐसे

			(दो) वह- (क) वर्तमान में प्रचलित संबंधित आचार संहिताओं एवं परीक्षण प्रक्रियाओं से भली-भांति परिचित हो; (ख) निर्माण सामग्री की भग्न-यांत्रिकी (Fracture Mechanics) तथा धातुकर्म से परिचित हो; (ग) उठाने वाली मशीनों एवं उठाने के उपकरणों के रख-रखाव करने वाले घटकों एवं भागों पर लागू ताप उपचार तथा स्नेहन-मुक्ति तकनीकों से भली-भांति परिचित हो।	अन्य उपकरण।
5.	धारा 18(2)(च)–"बाध संयंत्र"	रासायनिक या विद्युत या धातुकर्म या यांत्रिक अभियांत्रिकी में उपाधि या उसके समकक्ष कोई उपाधि।	(एक) न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव– (क) अभिकल्पन या रचना या अनुरक्षण; या (ख) बाध सामग्री का परीक्षण, परीक्षण-परीक्षण एवं निरीक्षण। (दो) वह– (क) बाध पात्रों से संबंधित प्रासंगिक आचार संहिताओं एवं परीक्षण प्रक्रियाओं से भली-भांति परिचित हो; (ख) अतिरिक्त बाध मार्गों तथा बाध के अधीन स्थापित उपकरणों की सुरक्षा से संबंधित विधिक आवश्यकताओं से भली-भांति परिचित हो; (ग) बाध पात्रों पर लागू गैर-विनाशकारी परीक्षण तकनीकों से भली-भांति परिचित हो।	बाध पात्रों के उपयोग में सुरक्षा निश्चित करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण, गैर-विनाशकारी परीक्षण की सुविधाएं, मापन हेतु गेज, उपकरण/ गैजेट्स तथा अन्य आवश्यक उपकरण या गेज।
6.	धारा 18(2)(ठ)– "अंतर-राज्य पुरी बांध के विरुद्ध सहभागियों"	रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या रासायनिक अभियांत्रिकी में उपाधि।	(एक) पर्यावरणीय नमूनों के संग्रहण एवं विश्लेषण तथा निगरानी उपकरणों के अंशांकन में न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव; (दो) वह– रसायनों के खतरनाक गुणधर्मों तथा उनके अनुमेय सीमा मानों से भली-भांति परिचित हो।	सीमित स्थानों में कार्य के दौरान सुरक्षा प्रभावी परीक्षण एवं प्रमाणन करने हेतु विधिवत अंशांकित (कैलिब्रेटेड) तथा प्रमाणित मीटर, उपकरण एवं गेज।
7.	धारा 83 के अधीन निर्मित विनियम अनुसूचियों के अनुसार आवश्यक वेंटिलेशन प्रणाली, जैसे कि निम्नलिखित अनुसूचियाँ– (एक) धातुओं की ग्राइंडिंग या मशीनिंग तथा उससे संबंधित सहायक प्रक्रियाएँ; (दो) संचयित वायु या भाप के विस्फोट द्वारा प्रवाहित रेत, धातु कॉट या शॉट या अन्य अपघर्षक की जेट से वस्तुओं की सफाई,	यांत्रिक या विद्युत अभियांत्रिकी में उपाधि या उसके समकक्ष कोई उपाधि।	(एक) वेंटिलेशन प्रणालियों तथा धूल, धुंए एवं वाष्प के निष्कर्षण एवं संग्रहण हेतु प्रमुख प्रणालियों एवं अन्य सहायक उपकरणों के अभिकल्पन, निर्माण, स्थापना एवं परीक्षण में न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव। (दो) वह– धूंए के लिए वेंटिलेशन एवं निष्कर्षण प्रणालियों से संबंधित डोमेन में प्रचलित प्रासंगिक आचार संहिताओं एवं परीक्षण प्रक्रियाओं से भली-भांति	वेंटिलेशन सिस्टम की टेस्टिंग के लिए सुविधाएं, धूल, भाप और धुंए के लिए एग्जॉस्टेशन सिस्टम का असर टेस्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट और गेज, और इस सिस्टम की सुविधाएं और कारगर है या नहीं, यह तय करने के लिए जरूरी कोई भी दूसरा इक्विपमेंट। उन्हें ऐसे व्यक्ति की मदद लेनी होगी जिसके पास सिविल में चीफ इंजीनियर रिटायर या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो और संबंधित सुविधाओं पर काम

	समतलीकरण, खुरदापन आदि। (तीन) एस्बेस्टस का हैंडलिंग एवं प्रसंस्करण। (चार) विस्कोस प्रक्रिया द्वारा रेयॉन का निर्माण। (पांच) कताई-बुनाई संचालन।		परिचित हो।	से कम 7 वर्ष का अनुभव हो।

अनुसूची-II

(नियम 124 देखें)

सामग्री सुरक्षा डेटा पत्रक (Material Safety Data Sheet - MSDS):

1. रासायनिक पहचान

रासायनिक नाम रासायनिक वर्गीकरण सामान्यनाम व्यावसायिक नाम
यू.सी.ए.एस. संख्या यू.एन. संख्या
नियंत्रित पहचान / चिह्नांकन और हाजर्ड जानकारी कोड / तेज
इनिकारक अवयव पहचान संख्या
इनिकारक घटक सी.ए.एस. सं. इनिकारक घटक सी.ए.एस. सं.
1. 2. 3.
2. भौतिक और रासायनिक जानकारी
उबाल सीमा / बिंदु (°C)भौतिक अवस्थाठोस/तरल
पिघलने / जमने का बिंदु (°C)वाष्प दाब
गैस वाष्प घनत्व (वायु = 1) @ 20°0 C mmHg अन्य
जल में घुलनशीलता
20°0 C mm Hg
विशिष्ट घनत्व pH
जल = 1
3. अग्नि और विस्फोट खतरे की जानकारी
ज्वलनशीलता ही नहीं UEL (ऊपरी विस्फोटक सीमा) % ज्वलनांक
0 C स्व-ज्वलनतापमान 0 C
टी.डी.जी. ज्वलनशीलता LEL (ऊपरी विस्फोटक सीमा) % ज्वलनांक C इस से उपर इनिकारक उत्पाद
प्रति विस्फोट संवेदनशीलता
स्थैतिक विद्युत के प्रति विस्फोटसंवेदनशीलता
इनिकारक बहुलकीकरण
ज्वलनशील द्रव विस्फोटक पदार्थ सहायक पदार्थ
ज्वलनशील पदार्थ ऑक्सीकारक अन्य
अज्वलनशील पदार्थ कार्बनिक पेरोक्साइड
4. प्रति क्रियाशीलता संबंधी आकड़े
रासायनिक स्थिरता
अन्य पदार्थों के साथ असंगति
प्रति क्रियाशीलता प्रतिक्रिया से उत्पन्न इनिकारक उत्पाद
5. स्वास्थ्य जोखिम संबंधी आकड़े
प्रवेश मार्ग संपर्क के प्रभाव / लक्षण
आपातकालीन-उपचार
टी.एल.वी. (ए.सी.जी.आई.एच.) ppm Mg/m3 STEL ppm Mg / m3
अनुमत संपर्क सीमाOD 50 ppm Mg/m3 क्रमppm सीमामान Mg / m3 LD50
एन.एफ.पी.ए. द्वारा संकेत कारक ज्वलनशीलता स्थिरता विशेष
6. रोकथाम के उपाय / सुरक्षा पाठ
श्रमिक सुरक्षाउपकरण
संपर्क और भंडारण संबंधीसावधानियाँ

7. आपातकालीन और प्राथमिक उपचार उपाय: आग - आग बुझाने के साधन
विशेष प्रक्रियाएं
अग्निकाण्ड खतरे
प्रभावित प्राथमिक उपचार उपाय
एंटीडोट/ मात्रा
रिसाव(Spills)उठाए जाने वाले कदम
अपशिष्ट निपटान विधि (Waste Disposal Method)
8. अतिरिक्त जानकारी / संदर्भ (Additional Information / References)
9. निर्माता / आपूर्तिकर्ता का डेटा (Manufacturer / Supplier Data) आपातकाल में संपर्क व्यक्ति (Contact Person in Emergency)
अपशिष्ट निपटान विधि (Waste Disposal Method)
कंपनी का नाम डाक पता संबंधित स्थानीय निकाय टेलीफोन / टेलीक्स संख्या टेलीग्राफिक पता
मानक पैकिंग
ट्रांस कार्ड विवरण/ संदर्भ
अन्य

अस्वीकृति (Disclaimer):

इस सामग्री सुरक्षा डेटा पत्रक (Material Safety Data Sheet) में निहित जानकारी को विश्वसनीय माना जाता है, लेकिन इसकी शुद्धता, किसी विशेष प्रयोजन के लिए उपयुक्तता या इससे प्राप्त परिणामों के बारे में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिनिधित्व, गारंटी या वारंटी नहीं दी जाती है।

यह निर्माता/विक्रेता की जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि सामग्री सुरक्षा डेटा पत्रक में दी गई जानकारी उनके द्वारा निर्मित, संभाली या बेचे जाने वाले उत्पाद से संबंधित और प्रासंगिक है।

सरकार इस दस्तावेज़ की किसी विशेष उद्देश्य के लिए पर्याप्तता के संबंध में न तो स्पष्ट और न ही अप्रत्यक्ष रूप से कोई गारंटी देती है।

अनुसूची-III

(नियम 124 की उप-नियम (1) देखें)

कार्यस्थल पर्यावरण में कुछ रासायनिक पदार्थों के अनुमत स्तर

क्रमांक	पदार्थ	व्यक्तियों की अनुमत सीमाएं			
		समयभारित औसत सीमा(8 hrs)		अल्पकालिक सीमा(15 min)=	
		ppm	mg/m³	ppm	mg/m³
1.	एसीटिलिहाइड	100	180	150	270
2.	एसिटिक एसिड/ सिरकाअम्ल	10	25	15	37
3.	एसीटोन	750	1780	1000	2375
4.	ऐक्रोलिन	0.1	0.25	0.3	0.8
5.	एक्रिलोनिट्राइल-लगा	2	4.5	–	–
6.	एनिलिन-लगा	–	0.25	–	–
7.	एनिलक्लोराइड	1	3	2	6
8.	अमोनिया	25	18	35	27
9.	एनिसीडीन-लगा	2	10	–	–
10.	एनिसिडीन (o-p- आइसोमर्स)-लगा	0.1	0.5	–	–
11.	आर्सेनिक और यौगिक (As के रूप में)	–	0.2	–	–
12.	बेंजीन (H.C.)	10	30	25	7.5
13.	बेरिलियम और यौगिक (Be के रूप में) (S.C.)	–	0.002	–	–
14.	बोरोन ट्राइफ्लोराइड-सी	1	3	–	–
15.	ब्रोमीन	0.1	0.7	0.3	2
16.	ब्यूटेन	800	1900	–	–
17.	2-ब्यूटेनोन (मिथाइल-एथिल कीटोन एनबीके)	200	590	300	885
18.	1, ए-ब्यूटाइल एसीटेट	150	710	200	900
19.	एन-ब्यूटाइल अल्कोहल-लगा-सी	50	150	–	–
20.	Sec/tert, ब्यूटाइल एसीटेट	200	950	–	–
21.	ब्यूटाइल मर्कैप्टान	0.5	1.5	–	–
22.	कैडमियम धूल और लगा (Cd के रूप में)	–	0.05	–	–
23.	कैल्शियम ऑक्साइड	–	2	–	–
24.	कार्बोलिक (सेलिन)	–	5	–	–
25.	कार्बोमुरान (फ्यूराडान)	–	0.1	–	–
26.	कार्बन डाइसल्फाइड-लगा	10	30	–	–
27.	कार्बन मोनोऑक्साइड	50	55	400	440
28.	कार्बन टेट्राक्लोराइड-लगा	5	30	–	–
29.	कार्बोनिल क्लोराइड (फॉस्जीन)	0.1	0.4	–	–
30.	क्लोरोबेंजीन (मोनोक्लोरो-बेंजीन)	75	350	–	–
31.	क्लोरिडीन-सिलन	–	0.5	–	–
32.	क्लोरीन	1	3	3	9
33.	क्लोरोप्रेन (S.C.)	10	50	–	–
34.	बिस-(क्लोरोमेथिल) ईथर (H.C.)	0.001	0.005	–	
35.	क्रोमिक एसिड और क्रोमेट (Cr के रूप में) - पानी में घुलनशील	–	0.05	–	–
36.	क्रोमिक लवण (Cr के रूप में)	0	05	–	–
37.	कोबाल्ट धातु	–	0.2	–	–
38.	कोबाल्ट डस्ट, सी	–	0.2	–	–
39.	कोयला, समस्त आइसोमर्स-सिलन	5	22	–	–
40.	साइनाइड (CN कम्पाउंड)-सिलन	–	5	–	–
41.	साइक्लोहेक्सेन	10	20	–	–
42.	DDT (डाइक्लोरोडाइफेनिलट्राइक्लोरोइथेन)	–	1	–	–
43.	डेकेलोन-सिलन	0.01	0.1	–	–

44.	डायक्विनोल-सिल्क	–	0.1	–	–
45.	डाइक्लूटाइलफास्फेट	–	5	–	–
46.	डाइचिओवॉस (DDVP)-सिल्क	0.1	1	–	–
47.	डाइएल्ड्रिन-सिल्क	–	0.25	–	–
48.	डाइनिट्रोबेंजीन, (समस्त आइसोमर्स)-सिल्क	0.15	1	–	–
49.	डाइनिट्रोटोलूइन-सिल्क	–	1.5	–	–
50.	डायोफिनाइट (बाइफिनाइल)	0.2	1.5	–	–
51.	ऐंडोसल्फान (थियोडॉन)-सिल्क	–	0.1	–	–
52.	एंड्रिन-सिल्क	–	0.1	–	0.3
53.	एथिलएसीटेट	400	1400	–	–
54.	एथिल अल्कोहल	1000	1500	–	–
55.	एथिलीन	10	18	–	–
56.	फ्लोराइड (F केरूपमें)	–	2.5	–	–
57.	फ्लोरीन	1	2	2	4
58.	फॉर्मिक एसिड	5	9	–	–
59.	हाइड्राजीन-सिल्क (S.O.)	0.1	0.1	–	–
60.	हाइड्रोजन क्लोराइड-C	5	7	–	–
61.	हाइड्रोजन साइनाइड-सिल्क-C	10	10	–	–
62.	हाइड्रोजन फ्लोराइड (F केरूपमें)-C	3	2.5	–	–
63.	हाइड्रोजन पेरॉक्साइड	1	1.5	–	–
64.	हाइड्रोजन सल्फाइड	10	14	15	21
65.	मैलाथीन	300	900	500	1500
66.	आयोडीन -C	0.1	1	–	–
67.	आयरन ऑक्साइडयुक्त (Fe2O3)(Fe के रूप में)	–	5	–	–
68.	आइसोप्रपाइल एसीटेट	100	525	–	–
69.	आइसोप्रपाइल अल्कोहल	100	350	125	450
70.	आइसोब्यूटाइल अल्कोहल	50	150	–	–
71.	लेड, इनऑर्ग, धूल और धुआं (Pb के रूप में)	–	0.15	–	–
72.	लिंडेन-सिल्क	–	0.5	–	–
73.	मैलाथियान-सिल्क	–	10	–	–
74.	मैंगनीज धूल और कंपाउंड (Mn के रूप में)	–	5	–	–
75.	मैंगनीज धुआं (Mn केरूपमें)	–	1	–	3
76.	मरकरी (Hg के रूप में)-सिल्क				
	(एक)एलिमेंटल कंपाउंड	–	0.01	–	0.03
	(दो) एलिमेंटल वेपर को छोड़कर समस्त रूप	–	0.05	–	–
	(तीन) एरील और इनऑर्गेनिक कंपाउंड	–	0.1	–	–
77.	मिथाइल अल्कोहल (मेथनॉल)-सिल्क	200	260	250	310
78.	मिथाइल सेलोसोल - सिल्क (2-मेथॉक्सी इथेनॉल) - सिल्क	5	10	–	–
79.	मिथाइल आइसोब्यूटील कीटोन	50	205	75	300
80.	मिथाइल आइसोसाइनेट	0.02	0.05	–	–
81.	नेफ्थलीन	10	50	15	75
82.	निकल कार्बोनिल (Ni के रूप में)	0.05	0.35	–	–
83.	नाइट्रिक एसिड	2	5	4	10
84.	नाइट्रिक ऑक्साइड	25	30	–	–
85.	नाइट्रोबेंजीन - सिल्क	1	5	–	–
86.	नाइट्रोजन डाइऑक्साइड	3	6	5	10
87.	ऑयल मिस्ट, मिनरल	–	5	–	10
88.	ओजोन	0.1	0.2	0.3	0.6
89.	पैराथियॉन - सिल्क	–	0.1	–	–
90.	फिनोल - सिल्क	5	19	–	–

91.	फोरेट (थिमेट) - स्किन	–	0.05	–	0.2
92.	फॉसजीन (कार्बोनिल क्लोराइड)	0.1	0.4	–	–
93.	फॉस्फीन	0.3	0.4	1	1
94.	फॉस्फोरिक एसिड (मिस्ट)	–	1	–	–
95.	फॉस्फोरस (पीला)	–	0.1	–	–
96.	फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड	0.1	1	–	–
97.	फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड	0.2	1.5	0.5	3
98.	पिक्रिक एसिड - स्किन	–	0.1	–	0.3
99.	पाइरीडीन	5	15	–	–
100.	सिलेन (सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड)	5	7	–	–
101.	सोडियम हाइड्रोक्साइड - C	–	2	–	–
102.	स्टाइरीन, मोनोमर (विनिल बेंजीन)	50	215	100	425
103.	सल्फर डाइऑक्साइड	2	5	5	10
104.	सल्फर हेक्साफ्लोराइड	1000	6000	–	–
105.	सल्फ्यूरिक एसिड	–	1	–	–
106.	टोलुइन (टोलुऑल)	100	375	150	560
107.	O-टोलुइडीन - स्किन (S.C.I.E.N.C.E.)	2	8	–	–
108.	ट्राइब्यूटाइल फॉस्फेट	0.2	2.5	–	–
109.	ट्राइक्लोरोइथीलीन	50	270	200	1080
110.	यूरेनियम, प्राकृतिक (U के रूप में)	–	0.2	–	–
111.	विनाइल क्लोराइड (H.C.)	5	10	–	–
112.	वॉल्डिन का धुआ	–	5	–	–
113.	जाइलीन (o-, m-, p-आइसोमर्स)	100	435	150	655
114.	जिंक ऑक्साइड (क) धुआ (ख) धूल (कुल धूल)				
	जिरोनियम कम्पाउंड (Zr के रूप में)	–	5	–	10
	नाइट्रिक ऑक्साइड	–	10	–	–
115.	नाइट्रोबेंजीन - स्किन	–	5	–	10

ppm: वायु या गैस के मिलियन भागों में से प्रदूषित हवा के प्रत्येक भाग के अनुपात के रूप में, 25° C और 760 मिमी एचजी पर।

mg/m³: हवा के घन मीटर में पदार्थ के मिलीग्राम।

*: पल्स दें - दिन में 4 बार से अधिक नहीं, प्रत्येक संपर्क के बीच कम से कम 60 मिनट का अंतर होना चाहिए।

**: $\text{mg/m}^3 = \frac{\text{molecular weight}}{24.45} \times \text{ppm}$

C: छत सीमा (Ceiling Limit) को दर्शाता है।

Skin: त्वचा मार्ग (Skin) सहित श्लेष्म झिल्ली और आंखों के माध्यम से कुल संपर्क में संभावित योगदान को दर्शाता है।

S.C.: संदिग्ध मानव कार्सिनोजन (Suspected Human Carcinogen) को दर्शाता है।

H.C.: पुष्टिकृत मानव कार्सिनोजन (Confirmed Human Carcinogen) को दर्शाता है।

पदार्थ	सीमाएं समय-भारित औसत सीमा (TWA)(8 घंटे)
(क) सिलिका, SiO_2 (क)क्रिस्टलीय (Crystalline) (क्क) क्वार्ट्ज (Quartz) 1. धूल की मात्रा के अनुसार 2. मांस द्वारा ग्रहण की जाने योग्य धूल के अनुसार 3. कुल धूल के अनुसार 1.	 10600 / (% Quartz + 10) mppcm 10 / (% respirable quartz + 2) mg/m³ 30 / (% respirable quartz + 3) mg/m³
(ख) क्रिस्टोबेलाइट	क्वार्ट्ज के लिए दी गई आधी लिमिट।
(ग्ग) ट्राइडिमाइट	क्वार्ट्ज के लिए दी गई आधी लिमिट।
(घ) सिलिका फ्यूम	क्वार्ट्ज के लिए दी गई वही लिमिट।
क्वार्ट्ज के खिलाफ दिए गए आइटम 2 में धूल के अनुसार समान सीमा।	
(ख)अमोर्फस सिलिकेट्स (Amorphous Silicates): कुल धूल 10 mg/m³	
अस्बेस्टोस	(H.C.)

(क)एमीसाइट	.....	0.1	फाइबर/cc***
(ख)क्रिसोटाइल	.....	0.1	फाइबर/cc***
(ग)क्रोसिडोलाइट ..... 0.1 फाइबर/cc***			
पोर्टलैंड सीमेंट: 10 mg/m³, कुल धूल जिसमें 1% से कम क्वार्ट्ज हो।			

mppcm - हवा के घन मीटर में मिलियन कण (Million particles per cubic metre of air), इम्पिंज (impinge) नमूनों पर आधारित, जिन्हें लाइट-फील्ड तकनीकों से गिना गया।

**

1. उन तंतुओं के लिए जिनकी लंबाई 5 µm से अधिक और चौड़ाई 5 µm से कम हो, लंबाई से चौड़ाई का अनुपात 3:1 या अधिक हो।
2. 400-450× पर असर्मन (4 µm ऑक्यूलेटिव) और फेज कॉन्ट्रास्ट प्रकाश के तहत मेम्ब्रेन फिल्टर विधि (Membrane Filter Method) से निर्धारित।

सांस द्वारा ग्रहण की जाने योग्य धूल (Respirable Dust): उस हिस्से को कहते हैं जो निम्नलिखित विशेषताओं वाले साइक्लोन सेपरेटर से पार हो जाए:

एरोडायनामिक व्यास (µm) (एकक घनत्व गोला)	% घटना पार होने वाला
2	90
2.5	75
3.5	50
5.0	25
10	01

धातु पुनर्चक्रण उद्योगों में सामान्यतः पाए जाने वाले कुछ रेडियोन्यूक्लाइड्स के लिए अनुमत गतिविधि सांद्रता स्तर

रेडियोन्यूक्लाइड	रेडियोन्यूक्लाइडसांद्रता(Bq/ग्राम-) (Bq/g-)
Co-60	0.1
Cs-137	0.1
Am-241	0.1
Ir-192	1.0*

टिप्पणी (Footnote):

1. Bq/g का अर्थ है बेकेरेल प्रति ग्राम। बेकेरेल (Becquerel) का मतलब है किसी रेडियोन्यूक्लाइड का एक रूपांतरण प्रति सेकंड; यह रेडियोधर्मिता की SI इकाई है।
2. माप में धातु स्क्रैप, अर्द्ध-निर्मित और तैयार उत्पादों पर बाहरी विकिरण स्तर के साथ-साथ मापन स्थल पर पृष्ठभूमि स्तर (Background Level) शामिल होना चाहिए और इनका रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। यदि सामग्री पर विकिरण स्तर पृष्ठभूमि स्तर से 20 µR/hr (Micro Rad per hour) से अधिक हो, तो आवश्यक कार्रवाई की जाए।
3. Atomic Energy Regulatory Board (AERB) को सूचित सूचित किया जाना चाहिए।

प्रपत्र–क

(नियम–6(1) देखें)

प्रतिष्ठान के पंजीकरण का प्रमाण–पत्र

पंजीकरण संख्या: दिनांक:

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं, 2020 (2020 का 37) की धारा 3 की उप–धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरणों में अंतर्विष्ट पंजीकरण प्रमाण–पत्र एतद्द्वारा _____ (प्रतिष्ठान का नाम) को प्रदान किया जाता है।

1. प्रतिष्ठान में किए जाने वाले कार्य की प्रकृति (कृपया निशान लगाएं)

(क) कारखाना
(ख) ठेका कार्य
(ग) भवन और अन्य सनिर्माण कार्य (घ) कोई अन्य कार्य (जो ऊपर शामिल नहीं किए गए हैं)

2. प्रतिष्ठान के विवरण:

क. प्रतिष्ठान में सीधे कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या:
ख. ठेकेदार के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या:
ग. ठेकेदारों की संख्या और उनके विवरण:
घ. नियोजित अंतर–राज्यीय प्रवासी कामगारों की कुल संख्या:

3 (क) कारखानों के लिए

विनिर्माण प्रक्रिया का विवरण	योजना अनुमोदन के विवरणों के साथ पूरा डाक पता और कारखाने की स्थिति	अधिभोक्ता और प्रबंधक का नाम और पता	किसी भी दिवस नियोजित होने वाले कामगारों की अधिकतम संख्या
1	2	3	4

3 (ख) भवन और अन्य सनिर्माण कार्य के लिए

निर्माण कार्य के प्रकार	कार्य प्रारंभ करने की संभावित अवधि	काम समाप्ति की अपेक्षित अवधि	स्थानीय प्राधिकारी के अनुमोदन का विवरण
1	2	3	4

4. पंजीयन अधिकारी की टिप्पणी

स्थान:

दिनांक :

पदनाम सहित पंजियन अधिकारी का हस्ताक्षर/ई–हस्ताक्षर/डीएससी

पंजीकरण की शर्तें

(1) नियम 5 के अंतर्गत जारी किया गया प्रत्येक पंजीकरण प्रमाण–पत्र निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात:

(क) पंजीकरण प्रमाण–पत्र गैर–हस्तांतरणीय होगा;

(ख) सीधे प्रतिष्ठान में नियोजित कामगारों और ठेका कर्मचारियों की संख्या किसी भी दिन पंजीकरण प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगा; और

(ग) इन नियमों में उपबंध अनुसार संचित करें, पंजीकरण प्रमाण–पत्र के अनुदान के लिए भुगतान की गई शुल्क गैर–प्रतिदेय होगी।

(2) नियोक्ता कामगारों की संख्या या पंजीयन अधिकारी के कार्य शर्तों के बदलाव की सूचना को 30 दिनों के भीतर देगा, यदि कोई हो.

(3) नियोक्ता किसी कार्य के आरंभ और समापन के 30 दिनों के भीतर कार्य क्षेत्र में आने वाले निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को जहां प्रस्तावित प्रतिष्ठान है या जैसा भी मामला हो, कार्य किया जाता है, ऐसे कार्य के आरंभ होने या जैसा भी मामला हो समाप्ति की वास्तविक तिथि, इन नियमों में संलग्न प्रपत्र 5 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित करेगा।

(4) पंजीकरण प्रमाण–पत्र की एक प्रति उस परिसर में विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी जहाँ काम चल रहा है।

प्रपत्र-1

[Section 2(1)(*l*) and sub rule (3) of Rule-4]

भाग–1

नियम-4 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को सक्षम व्यक्ति (Certificate of Competency) का प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने हेतु आवेदन-पत्र

Passport size Photograph

1.नाम

2. जन्मतिथि

3. संस्था का नाम (यदि स्वरोजगार में न हो)

4.पदनाम

5. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण-पत्रों की प्रतियां संलग्न की जाएं)

6. व्यावसायिक अनुभव का विवरण (कालानुक्रमिक क्रम में):

संस्था का नाम	सेवा की अवधि	पदनाम	उत्तरदायित्व का क्षेत्र

7. यदि किसी व्यावसायिक संगठन/संघ की सदस्यता हो तो उसका विवरण

8. (एक) उपलब्ध सुविधाओं का विवरण (परीक्षण, लैब आदि)

(दो) इन सुविधाओं के अंशांकन (कैलिब्रेशन) तथा उनकी शुद्धता बनाए रखने की व्यवस्था

9. किस उद्देश्य के लिए सक्षम व्यक्ति का प्रमाण-पत्र मांगा गया है (संहिता की संबंधित धाराधाराएँ स्पष्ट रूप से लिखी जाएं)

10. क्या आवेदक को किसी अन्य विधि के अंतर्गत सक्षम व्यक्ति घोषित किया गया है? यदि हाँ, तो विवरण दें .....

11. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी .....

12. आवेदक द्वारा घोषणा .....

मैं, _____, यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त दी गई जानकारी सत्य है। मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि–

(क) मेरी उपलब्ध सुविधाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन (जोड़ या हटाना) होने पर मैं उपर्युक्त संस्था छोड़ने की स्थिति में, मैं तुरंत मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधादाता (Chief Inspector-cum-Facilitator) को सूचित करूँगा/करूँगी;

(ख) उपलब्ध सुविधाओं को अच्छी कार्यशील स्थिति में बनाए रखूँगा/रखूँगी तथा नियंत्रक के निर्देशों या राष्ट्रीय मानकों एवं प्रासंगिक मानकों के अनुसार उनका समय-समय पर अंशांकन कराऊँगा/कराऊँगी;

(ग) सुविधाओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधादाता को दूँगा/दूँगी;

(घ) संस्था अधिष्ठा प्रमाण-पत्र में उल्लिखित समस्त शर्तों तथा मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधादाता द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करूँगा/करूँगी।

स्थान: _____

दिनांक: _____

आवेदक के हस्ताक्षर: _____

(पासपोर्ट आकार का फोटो)

संस्था द्वारा घोषणा (यदि नियोजित हो)

मैं, _____ यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्रीमती/श्री _____, जिनका विवरण ऊपर दिया गया है, हमारी संस्था में कार्यरत हैं तथा संहिता (Code) के अंतर्गत उन्हें सक्षम व्यक्ति घोषित किए जाने के उद्देश्य से संस्था की ओर से उनका पंजीकरण किया जाता है। मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि–

(क) यदि उक्त सक्षम व्यक्ति हमारी सेवा छोड़ता/छोड़ेगी/छोड़ेगी है, तो इसकी सूचना मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधादाता (Chief Inspector-cum-Facilitator) को दी जाएगी;

(ख) उपलब्ध सुविधाएँ अच्छी कार्यशील स्थिति में उपलब्ध कराई जाएँगी एवं बनाए रखी जाएँगी तथा नियंत्रक के निर्देशों या राष्ट्रीय मानकों एवं प्रासंगिक मानकों के अनुसार उनका समय-समय पर अंशांकन (कैलिब्रेशन) किया जाएगा; और

(ग) सुविधाओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन (चाहे जोड़ हो या हटाना) की सूचना मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधादाता को दी जाएगी।

दिनांक: _____

हस्ताक्षर: _____

पदनाम: _____

संपर्क नंबर: _____

ई-मेल आईडी: _____

आधिकारिक मुहर

टिप्पणी–(ii) घोषणा, एसोसिएशन, कंपनी के प्रबंध निदेशक (Managing Director) या फर्म के भागीदार (Partner) या स्वामी (Proprietor) द्वारा की जानी चाहिए।

भाग-II

नियम-4 के अंतर्गत किसी संस्था को सक्षम प्रमाण-पत्र (Certificate of Competency) प्रदान किए जाने हेतु आवेदन-प्रपत्र

1. संस्था का नाम एवं पूर्ण पता _____
2. संस्था की स्थिति (यह स्पष्ट करें कि संस्था सरकारी, स्वायत्त, सहकारी, कॉर्पोरेट या निजी है) _____
3. किस उद्देश्य के लिए सक्षम प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना है (संहिता की प्रासंगिक धाराएँ/नियम स्पष्ट करें)।
4. क्या इस नियम या किसी अन्य विधि के अंतर्गत संस्था को सक्षम व्यक्ति/संस्था घोषित किया गया है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दें।
5. नियम-4 के संलग्न अनुसूची-II में निर्धारित योग्यता एवं अनुभव रखने वाले नियोजित व्यक्तियों का विवरण:

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	जिन धाराओं एवं नियमों के अंतर्गत सक्षम प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना है

6. उपर्युक्त मद-3 से संबंधित सुविधाओं का विवरण तथा उनके अंशांकन एवं समय-समय पर अंशांकन (कैलिब्रेशन) हेतु की गई व्यवस्थाएँ।
7. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी।
8. घोषणा

मैं, _____, _____ की ओर से यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह वचन देता/देती हूँ कि–

(एक) उपलब्ध सुविधाओं को अच्छी कार्यशील अवस्था में बनाए रखा जाएगा तथा नियंत्रक के निर्देशों या राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उनका समय-समय पर अंशांकन किया जाएगा, तथा

(दो) संस्था प्रमाण-पत्र में उल्लिखित समस्त शर्तों तथा मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधादाता (Chief Inspector-cum-Facilitator) द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा।

स्थान: _____

दिनांक: _____

संस्था प्रमुख की मुहर एवं हस्ताक्षर
या संस्था की ओर से हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
पदनाम: _____

प्रपत्र-2

[धारा 2(1)(ग) तथा नियम-4 के उप-नियम (3) के अंतर्गत]

धारा 2(1)(ग) के अंतर्गत बनाए गए नियम-3 के अनुसरण में किसी व्यक्ति या संस्था को जारी किए जाने वाला सक्षम प्रमाण-पत्र (Certificate of Competency) का प्रारूप

मैं, _____, संहिता की धारा 2(1)(ग) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्रीमती/श्री _____ को, जो _____ (संस्था का नाम) में कार्यरत है

या

_____ (संगठन का नाम),

को _____ में स्थित कारखाने में प्रयुक्त भवन, जलरनक मशीनरी, लिफ्ट एवं होइस्ट, उठाने वाली मशीनें एवं उठाने के उपकरण, दाब संयंत्र (Pressure Plants), सीमित स्थान (Confined Space), वेंटिलेशन प्रणाली तथा अन्य ऐसी प्रक्रिया, संयंत्र या उपकरणों-जैसा भी लागू हो-के परीक्षण, परीक्षण-परीक्षा (Examination), निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण (Certification) के प्रयोजन हेतु, धारा _____ तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन सक्षम व्यक्ति (Competent Person) के रूप में मान्यता प्रदान करता/करती हूँ।

यह प्रमाण-पत्र _____ से _____ तक वैध रहेगा।

यह प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्-

(एक) समस्त परीक्षण, परीक्षण-परीक्षाएँ एवं निरीक्षण संहिता तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार किए जाएँगे;

(दो) समस्त परीक्षण, परीक्षण-परीक्षाएँ एवं निरीक्षण सक्षम व्यक्ति के समक्ष अथवा में या उस संस्था द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किए जाएँगे, जिसे सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है;

(तीन) किसी व्यक्ति के पक्ष में जारी किया गया सक्षम प्रमाण-पत्र उस तिथि में स्वतः निरस्त (रद्द) हो जाएगा, यदि वह व्यक्ति अपने अधीनस्थ संगठन/संस्था की सेवा छोड़ देता/देती है;

(चार) सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था, परीक्षण, परीक्षण-परीक्षाएँ एवं निरीक्षण करने हेतु अपने द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के नाम, पदनाम एवं योग्यताओं की सूचना मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधादाता (Chief Inspector-cum-Facilitator) को देती रहेगी;

(पाँच) ——

(छः)——

स्थान: _____

दिनांक: _____

मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधादाता के हस्ताक्षर

आधिकारिक मुहर

टिप्पणी-प्रत्येक संबंधित धारा के अंतर्गत पृथक प्रमाण-पत्र जारी किया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति या संस्था संहिता की एक से अधिक धाराओं के प्रयोजन हेतु सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता/सकती है।

प्रपत्र-3

[नियम-5 के उप-नियम (1) के खंड (ग)को देखें]

विद्यमान प्रतिष्ठानों / नवीन प्रतिष्ठान / पंजीकरण प्रमाण-पत्र में संशोधन हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र

क प्रतिष्ठान का विवरण-

1. एलआईएन नम्बर (यदि पोर्टल से प्रतिष्ठान का विवरण प्राप्त करने के लिए पहले से पंजीकृत है)
2. प्रतिष्ठान का नाम
3. प्रतिष्ठान का स्थान और पता
4. प्रतिष्ठान का अन्य विवरण:

(क)प्रतिष्ठान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित कुल कर्मचारियों एवं श्रमिकों की संख्या: _____

(ख)नियोजित कुल ठेका कर्मचारियों एवं श्रमिकों की संख्या: _____

(ग)किसी प्रक्रिया में नियोजित या नियोजित किए जाने वाले ठेका कर्मचारियों की अधिकतम संख्या: _____

(घ)नियोजित अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों की कुल संख्या: _____

5. प्रतिष्ठान का प्रकार (जो संबंधित हो, उस पर ✓ अंकित करें)–

(क)कारखाना

(ख)खनन

(ग)मोटर परिवहन उपक्रम

(घ)बीड़ी एवं सिगार श्रमिक

(ङ)भवन या अन्य निर्माण कार्य

(च)अभिलेखे विद्युत उत्पादन

(छ)अन्य प्रतिष्ठान _____

6. (क) कारखानों के लिए

निर्माण प्रक्रिया का विवरण	किसी का पूर्ण डाक पता एवं सिटी, योजना स्टेशनरी का विवरण सहित	अधिभोक्ता(Occupier) एवं प्रबंधक का नाम एवं पता	किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या	संभाले एवं भण्डारित किए जाने वाले खतरनाक रसायनों के नाम तथा उनकी मात्रा

6. (ख) वृक्षारोपण के लिए(For Plantation)

वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल(हेक्टेयरमें)	निदेशकों के पूर्ण नाम एवं आवासीय पते (कम्पनी होने की स्थिति में)	नियोक्ता का नाम एवं पता	नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या	संभाले एवं भंडारित किए जाने वाले खतरनाक रसायनों, औद्योगालों एवं सीट-नाशकों के नाम तथा उनकी मात्रा
1	2	3	4	5

6. (ग)मोटर परिवहन उपक्रम के लिए

मोटर परिवहन सेवा का प्रकार (रूट- शहरी सेवा, लम्बी दूरी की सेवा, लम्बी दूरी की माल परिवहन सेवा)	कुल मार्गों की संख्या	कुल मार्ग दूरी(नाइलो में)	पूर्ववर्ती वर्ष की औसत रोज़ी को परिवहन वाहनों की कुल संख्या	पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित मोटर परिवहन श्रमिकों की अधिकतम संख्या	नियोक्ता का नाम एवं पता	निदेशकों के पूर्ण नाम एवं आवासीय पते(कम्पनी होने की स्थिति में
1	2	3	4	5	6	7

6. (घ)बीड़ी एवं सिगार कार्य के लिए (For Beedi and Cigar Work)

नियोक्ता के विशेष संस्थान(जैसे-नाम एवं अन्य शाखाओं का विवरण एवंमुख्य बैंक संपर्क, अन्य का निर्माण आदि)	क्या नियोक्ता उत्पाद एवं माल चिह्न अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पंजीकृत ट्रेडमार्क धारक है?	उद्योग में नियोक्ता का पूर्व अनुभव	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान औद्योगिक परिसर में निर्मित बीड़ी एवं सिगार (या दोनों) का मूल्य	क्या प्रस्तावित औद्योगिक परिसर का स्थान किसी विद्यमान औद्योगिक परिसर के स्थान में परिवर्तन (Alteration) के अंतर्गत आता है? यदि हाँ, तो ऐसे परिवर्तन का कारण:

क्या आवेदन की तिथि से ठीक पूर्ववर्ती बारह महीनों की अवधि के दौरान आवेदक द्वारा कोई औद्योगिक परिसर बंद किया गया था? यदि हाँ, तो उसके कारण	उत्कृष्ट माल कारीगरों स्रोत	क्या आवेदक द्वारा निर्मित बीड़ी या सिगार (या दोनों) का विक्रय एवं वितरण क्या आवेदक द्वारा किया जाएगा, या यह कारखाना एवं मालचिह्न अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पंजीकृत ट्रेडमार्क के स्वामी/पंजीकृत उपयोगकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से किया जाएगा?	निदेशकों के पूर्ण नाम एवं आवासीय पते(कम्पनी होने की स्थिति में)	किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या

6	7	8	9	10

6. (ड) भवन तथा अन्य निर्माण कार्य के लिए

निर्माण कार्य का प्रकार	कार्य प्रारंभ होने की प्रत्याशित अवधि	कार्य पूर्ण होने की अपेक्षित अवधि	स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त स्वीकृति का विवरण

6. (च) अक्षिमंत्र-विद्युत उत्पादन के लिए

उत्पादन गृह के निर्माता/निर्माताओं का नाम एवं पता	किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले अक्षिमंत्र विद्युत श्रमिकों की अधिकतम संख्या
1	2

6. (छ) अन्य प्रतिष्ठान के लिए

उद्योग / व्यापार / व्यवसाय का पेशे का विवरण	स्थानों / प्रतिष्ठान का पूर्ण डाक पता एवं स्थिति, योजना स्वीकृति के विवरण सहित	अधिभोक्ता (Occupier) एवं प्रबंधक का नाम एवं पता	किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या	छात्र एवं भंडारित किए जाने वाले रसायनों के नाम एवं उनकी मात्रा

7. (क) अध्याय XI के भाग-ब के अंतर्गत प्रधान नियोक्ता के पंजीकरण हेतु:

1	प्रतिष्ठान का नाम एवं स्थान
2	प्रतिष्ठान का डाक पता
3	प्रधान नियोक्ता का पूर्ण नाम एवं पता (व्यक्ति होने की स्थिति में पिता का नाम भी अंकित करें)
4	प्रतिष्ठान के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिए उत्तरदायी प्रबंधक या व्यक्ति का पूर्ण नाम एवं पता
5	प्रतिष्ठान में किए जाने वाले कार्य का स्वरूप
6	ठेकेदारी एवं ठेका श्रमिकों का विवरण: (क)ठेकेदारों के नाम एवं पते (ख)वह कार्य/स्कीम जिसमें ठेका श्रमिक नियोजित किए गए हैं (ग)प्रत्येक ठेकेदार के माध्यम से किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले ठेका श्रमिकों की अधिकतम संख्या (घ)प्रत्येक ठेकेदार के अधीन प्रत्येक ठेका कार्य के प्रारंभ होने की अनुमानित तिथि (ङ)ठेकेदार के अधीन ठेका श्रमिकों के नियोजन की समाप्ति की अनुमानित तिथि (च)ठेकेदार के अधीन ठेका श्रमिकों के नियोजन की समाप्ति की अनुमानित तिथि

घोषणा:

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई समस्त जानकारियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं।

प्रधान नियोक्ता

7. (ख)ठेके कार्य के लिए (For Contract Work):

ठेकेदार का नाम एवं पता	ठेकेदार का ई-मेल पता एवं मोबाइल नंबर	कार्य का नाम एवं स्वरूप	नियोजित ठेका श्रमिकों की अधिकतम संख्या	कार्य प्रारंभ की तिथि / कार्य पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि

7.(ग) प्रतिष्ठान में नियोजित / नियोजित किए जाने वाले अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों का विवरण

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता				आधार	मोबाइल नं.
			गांव/नगर	तहसील	जिला	राज्य		

7. स्वामित्व का प्रकार / क्षेत्र (Ownership Type / Sector)
8. राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (NIC) के अनुसार गतिविधि
9. चयनित NIC कोड का विवरण
10. प्रतिष्ठान के उद्घाटन / व्यवसाय प्रारंभ करने की तिथि
11. प्रतिष्ठान की प्रकृति : नियोक्ता / प्रतिनिधि का ई-हस्ताक्षर (e-sign) / डिजिटल हस्ताक्षर
12. नियोक्ता का विवरण:

(क)नियोक्ता / अधिनियोक्ता / स्वामी / अभिकर्ता (Agent) का नाम एवं पता
(ख)मदनाम
(ग)नियोक्ता के पिता / पति का नाम
(घ)ई-मेल पता, टेलीफोन एवं मोबाइल नम्बर

13. प्रबंधक / अभिकर्ता का विवरण:
(क)प्रतिष्ठान के प्रबंधन एवं नियंत्रण हेतु उत्तरदायी प्रबंधक / अभिकर्ता या व्यक्ति का पूर्ण नाम एवं पता
(ख)प्रबंधक / अभिकर्ता का पता
(ग)ई-मेल पता, टेलीफोन एवं मोबाइल नंबर

14. अन्य विवरण

दिनांक: _____

नियोक्ता के हस्ताक्षर / ई-हस्ताक्षर / डिजिटल हस्ताक्षर

नाम: _____

प्रपत्र-4

(नियम-5 के उप-नियम (3) तथा नियम-28 देखें)

प्रतिष्ठानों एवं प्रवासन नियोक्ताओं का रजिस्टर

क्रमांक	कार्य का स्वरूप	पंजीकरण संख्या एवं दिनांक	पंजीकृत प्रतिष्ठान का नाम, पता एवं संपर्क	नियोक्ता / अधिनियोक्ता का नाम, पता एवं संपर्क विवरण	कारखाना प्रबंधक का विवरण (यदि कोई हो)	नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या
1	2	3	4	5	6	7
	(क)कारखाना (ख)खनन (ग)मोटर परिवहन उपक्रम (घ)बीड़ी एवं सिगार कार्य (ङ)भवन एवं अन्य निर्माण कार्य (च)मोटरयुक्त विद्युत उत्पादन (छ)ठेका कार्य (ज) अन्तर-राज्य प्रवासी श्रमिक कार्य (झ) अन्य कोई कार्य जो					

	उपर्युक्त में सम्मिलित न हो)					

कुल हॉर्स-पावर (यदि कोई हो)	ठेकेदारों की कुल संख्या	किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले ठेका श्रमिकों की अधिकतम संख्या	ठेकाकरण समझौते की समाप्ति तिथि	ठेका श्रमिकों के कार्य का स्वरूप	टिप्पणी
9	10	11	12	13	15

प्रपत्र-5

(नियम-7 के उप-नियम (1) को देखें)

कार्य के प्रारंभ, समाप्ति या पूर्ण होने की सूचना

क. प्रतिष्ठान के कार्य के प्रारंभ / समाप्ति (Cessation) की सूचना:

1. पंजीकरण संख्या एवं प्रतिष्ठान का प्रकार:
2. प्रतिष्ठान का नाम एवं पता:
3. नियोक्ता का नाम एवं पदनाम:
4. प्रतिष्ठान से संबंधित पत्राचार भेजे जाने का पूर्ण पता:
5. प्रतिष्ठान में किए जाने वाले कार्य का स्वरूप:
6. यदि सूचना कार्य के प्रारंभ के संबंध में है, तो कार्य की अनुमानित अवधि (भवन एवं अन्य निर्माण कार्य (BOCW) से संबंधित प्रतिष्ठानों के मामले में)
7. यदि कार्य की समाप्ति (Cessation) के संबंध में है, तो समाप्ति की तिथि:

मैसर्स एतद्द्वारा सूचित करते हैं कि पंजीकरण संख्या _____ दिनांक _____ वाला उपर्युक्त प्रतिष्ठान का कार्य दिनांक _____ से प्रारंभ हो जाने / समाप्त होने / पूर्ण होने की संभावना है।

या

दिनांक _____ को पूर्ण हो गया है।

ख. कार्य की समाप्ति (Cessation) की स्थिति में:

मैसर्स एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि प्रतिष्ठान में नियोजित समस्त श्रमिकों के समस्त देयकों का भुगतान कर दिया गया है तथा परिसर को क्षतिपूर्ण समस्त एवं पदार्थों के भंडारण से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया है।

नियोक्ता के हस्ताक्षर

प्रति,

पंजीकरण अधिकारी,

_____

प्रपत्र-6

(नियम-10 के उप-नियम (1) तथा नियम-53 के उप-नियम (3) एवं (5) को देखें)

उपस्थिति रजिस्टर (Attendance Register)

कारखाने / विभाग का नाम : _____

	कार्य प्रारंभ का समय	विश्राम अवधि				कार्य समाप्ति का समय
		से	तक	से	तक	
सोमवार से शुक्रवार शनिवार साप्ताहिक रिलेय (शिफ्ट) परिवर्तन की प्रणाली						

क्रम सं.	श्रमिक कोड	श्रमिक का नाम	पिता का नाम	कार्य का स्वरूप	विभाग	प्रपत्र-13 के अनुरूप		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						समूह रिलेय	शिफ्ट															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		

माह..... वर्ष.....

14th से	15th से	16th से	17th से	18th से	19th	20th	21st	22nd	23rd	24th	25th	26th	27th	28th	29th	30th	31st	कार्य किए गए कुल दिनों की कुल संख्या	कुल मजदूरी की दर	भत्ते की दर (यदि कोई हो)	ओवर टाइम के कुल घंटे
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

1.

ओवरटाइम की दर	कटौती (यदि कोई हो)		दुर्घटना	उपस्थित में भुगतान किया गया मजदूरी	श्रमिक द्वारा छोड़ी गई साप्ताहिक छुट्टियों की कुल संख्या	प्रतिपूरक अवकाश दिए जाने की तिथियाँ	टिप्पणियाँ (भुगतान किए जाने का संकेत एवं तिथियों सहित)
	भविष्य निधि (प्रोविडेंट फंड)	आयकर					
44	45	46	47	48	49	50	51

अपत्र-7

(नियम-13 के उपनियम (2), उपर नियम-100 के उप-नियम (1) एवं (2) को देखें)

स्वास्थ्य रजिस्टर (स्वास्थ्य रजिस्टर (Health Register) ।)

चिकित्सीय परीक्षण निम्नलिखित प्रपत्र के अनुसार योग्य चिकित्सक द्वारा किया जाएगा:

क. जनसांख्यिकीय विवरण (Demographics)

प्रश्न	उत्तर	टिप्पणियाँ
दिनांक		
श्रमिक का नाम		
आयु		
लम्बाई फल		
लिंग		
परिवार के सदस्यों की कुल संख्या		
परिवार की कुल मासिक आय		
क्या श्रमिक ईएसआई (श्रमिक राज्य बीमा) योजना से आच्छादित है? यदि हाँ, तो आईपी (IP) नंबर दें	हाँ / नहीं	
क्या श्रमिक ईएसआई योजना के अतिरिक्त किसी अन्य स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत है? (यदि हाँ, तो योजना का नाम दें)	हाँ / नहीं	

ख. व्यावसायिक इतिहास (Occupational History)

प्रश्न	उत्तर	टिप्पणियाँ
वर्तमान पदनाम		
कार्य शेड्यूल		
वर्तमान कार्य शेड्यूल में सेवा की अवधि		
प्रति शिफ्ट कार्य घंटे		

प्रति सप्ताह नाइट शिफ्ट		
प्रति माह नाइट शिफ्ट		

ख. चिकित्सीय इतिहास की संक्षिप्त समीक्षा
(पूर्व में निदान किया गया हो / वर्तमान में उपचाराधीन हो / वर्तमान में पीड़ित हो)

प्रश्न	उत्तर (हाँ / नहीं)	टिप्पणियाँ
एनीमिया (रक्ताल्पता)		
पीलिया		
दमा (अस्थमा)		
सीओपीडी (COPD)		
किसी अन्य फेफड़ों की बीमारी का इतिहास (यदि हाँ, तो विवरण दें)		
थकान आना / चक्कर (वर्टिगो)		
मधुमेह (डायबिटीज मेलिटस)		
उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन)		
कोई कैंसर (यदि हाँ, तो कैंसर का प्रकार बताएं)		
पुराना कमर दर्द		
हाथ या कोहनी में पुराना दर्द		
हर्निया		
हाइड्रोसील		
वैरिकोज वेन		
बवासीर		
कार्य के दौरान विस्थापन / फ्रैक्चर / डिसलोकेशन की चोट का इतिहास (यदि हाँ, तो विवरण दें)		
डर्मेटाइटिस (यदि हाँ, तो स्थान बताएं)		
श्रवण हानि		
दृष्टि हानि		
पिछले 1 वर्ष में किसी गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होना (यदि हाँ, तो बीमारी का नाम)		
पिछले 1 वर्ष में व्यावसायिक चोट (यदि हाँ, तो चोट का स्थान एवं प्रकृति बताएं)		

ग. वर्तमान लक्षण - रोग संबंधित

प्रश्न	उत्तर (हाँ / नहीं)	टिप्पणियाँ
धूम्रपान की आदत		
तंबाकू / पान मसाला / गुटखा चबाने की आदत		
बाल की लट		
त्वचा रोग (इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस / एक्जिमा / कोई एक्ने / एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस)		
रासायनिक या जैविक एजेंट के संपर्क से आंख / नाक / गले की श्लेष्मा झिल्ली में जलन		
शिफ्ट की शुरुआत में छाती में कठिनाई / सीने में जकड़न / सूखी खांसी जैसे लक्षण		
वर्तमान में टीबी से पीड़ित		
पीलिया या हेपेटाइटिस		
वर्तमान में कमर दर्द से पीड़ित		
वर्तमान में हाथ या कोहनी के दर्द से पीड़ित		
वर्तमान में दृष्टि संबंधी समस्याएं		
वर्तमान में श्रवण संबंधी समस्याएं		
कोई वर्तमान चोट (विस्थापन / फ्रैक्चर / डिसलोकेशन)		

ङ. शारीरिक परीक्षण (Physical Examination)

प्रश्न	उत्तर(हाँ / नहीं)	टिप्पणियाँ
परीक्षण की तिथि		
लक्षण तथा की तिथि (यदि कोई इमर्जेंसी हो)		
वजन (किलोग्राम में)		
ऊँचाई (मीटर में)		
तापमान (°F में)		
रक्तचाप (BP)		
नाड़ी (Pulse)		
एसपीओ2 (SPO2)		
श्वसन दर (Respiratory Rate)		
महिला कर्मिक के स्तन का परीक्षण		

ख. जाँच रिपोर्ट (Investigation Report):

(क)नियमित रक्त जाँच (रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न करें)
(ख)रक्त समूह एवं आरएच (Rh) टाइपिंग तथा ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम
(जीवन में एक बार)

पैरामीटर	परिणाम(सामान्य/ बढ़ा हुआ कम)	मान(Value)
Hb %		
कुल WBC गणना एवं डिफरेंशियल काउंट		
प्लेटलेट काउंट		
ESR		
उपवास रक्त शर्करा (FBS)		
भोजन उपरांत रक्त शर्करा (PPBS)		
HbA1C स्तर		
BUN		
क्रिएटिनिन		
कुल प्रोटीन		
एल्बुमिन		
बिलीरुबिन		
एसजीओटी (SGOT)		
एसजीपीटी (SGPT)		
हिमोग्लोबिन		
मूत्र RE (Routine Examination)		
मूत्र ME (Microscopic Examination)		
प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन (PSA)		

ग. वक्षस्थल छाती एक्स-रे (PA view)
(रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें)

पैरामीटर	उत्तर(सामान्य/ असामान्य)	मान(यदि कोई महत्वपूर्ण हो)
तिथि		
रिपोर्ट		

घ. नेत्र परीक्षण (Eye Examination)
(रिपोर्ट की फोटो प्रति संलग्न करें)

पैरामीटर	मान/ परिणाम/ आकलन
तिथि	
आँखों का दृश्य निरीक्षण (कॉर्नियल अपारदर्शिता / ग्लाउकोमा, मोतियाबिंद आदि किसी भी असामान्यता के लिए)	
दृष्टि तीक्ष्णता: दाहिनी आँख	
दृष्टि तीक्ष्णता: बाईं आँख	
रंग दृष्टि (Colour Vision)	
दृष्टि क्षेत्र (Field of Vision)	
द्विनेत्री दृष्टि (Binocularity)	
क्षैतिज फोरिया (Lateral Phoria)	
वर्टिकल फोरिया (Vertical Phoria)	
स्टीरियोस्कोपिक दृष्टि एवं गहराई अनुभूति परीक्षण (Stereoscopic Vision & Depth Perception)	
ठ. फंडस (रेटिना) परीक्षण	

झ. ईसीजी एवं इकोकार्डियोग्राफी (ECG and Echocardiography):

ञ. अंतिम रिपोर्ट (Final Report):

ट. ऊँचाई पर कार्य करने वाले कार्मिकों हेतु विकित्सीय फिटनेस परीक्षण
(जहाँ लागू हो)

ठ. विस्तृत चिकित्सीय इतिहास एवं सामान्य चिकित्सीय परीक्षण
जिसमें दृष्टि, श्रवण, मांसपेशीय-अस्थिगत, श्वसन तंत्र, हृदय-रक्तवाहिनी तंत्र आदि से संबंधित परीक्षण शामिल हों
(समस्त कार्मिकों पर लागू)

ड. विशेष परीक्षण (Special Examination):
(क) हृदय-रक्तवाहिनी (Cardiovascular):
अनियंत्रित उच्च रक्तचाप (Uncontrolled Hypertension) या इस्केमिक हृदयरोग (Ischemic Heart Disease) को अनेयता (Contra-indication) माना जाएगा।
उच्च रक्तचाप एवं असामान्य ईसीजी निष्कर्षों की स्थिति में अधिक को फिटनेस हेतु हृदयरोग विशेषज्ञ (Cardiologist) के पास संदर्भित किया जाएगा।
(ख) तैराकी/गोताखोर कार्य एवं स्थिति-बोध (Sense of Position) हेतु परीक्षण:
द्विपक्षीय निस्टेग्मस (Bilateral Nystagmus) एवं रोमबर्ग साइन (Romberg Sign) हेतु नेत्र परीक्षण।
द्विपक्षीय निस्टेग्मस की उपस्थिति एवं पॉजिटिव रोमबर्ग साइन को पूर्ण अनेयता (Absolute Contra-indication) माना जाएगा।
(ग) तंत्रिका संबंधी परीक्षण (Neurological Examination):
दौरे (Seizure Disorders) का मूल्यांकन।
आवश्यक होने पर मस्तिष्क का सीटी स्कैन (CT Scan) एवं ईईजी (EEG)।
(घ) मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन:
(समुद्रीय मेडिसिन से प्रवृत कर्मचारियों के मामले में)
(ङ) भय (Acrophobia - ऊँचाई का भय) एवं अन्य मानसिक स्वास्थ्य विकार
जैसे चिंता (Anxiety) या अवसाद (Depression) का आकलन।
(च) चक्कर (Vertigo) एवं चक्कर-आना (Dizziness) का मूल्यांकन।

ढ. औद्योगिक सुरक्षा अनुभाग के उपयोग हेतु:
1. 1 फुट ऊँचाई पर क्षैतिज मार्ग पर सामान्य रूप से चलना: उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण
2. सेफ्टी बेल्ट पहनना एवं रस्सी की गाँठ बाँधना: उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण
3. 9 फुट ऊँचाई पर सेफ्टी बेल्ट पहनकर क्षैतिज संरचना पर चलना: उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण
4. सामान्य शारीरिक बनावट (O.K. / NOT O.K.): उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण

ण. नियोक्ता एवं योग्य चिकित्सक द्वारा आवश्यक समझे जो किया गया कोई अन्य विवरण / परीक्षण / मेडिकल नोट।

हस्ताक्षर एवं मुहर:
योग्य चिकित्सक / फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर के हस्ताक्षर, मुहर एवं पंजीकरण संख्या

चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रपत्र-9

(नियम 13 के उप-नियम (2), नियम 68 को देखें)

चिकित्सीय स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (Certificate of Fitness)

क्रम संख्या (Serial Number): _____

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने आज/_____ को श्रीमती/श्री _____ पुत्र/पुत्री _____ निवासी _____ का चिकित्सीय परीक्षण किया है, जो _____ (पदनाम) के रूप में _____ (प्रतिष्ठान, विभाग तथा कारखाना/प्रतिष्ठान) में नियोजित होने के इच्छुक/इच्छुक है। मेरी जाँच के अनुसार उनकी आयु लगभग _____ वर्ष है, तथा मेरी राय में वे उपर्युक्त कारखाना/प्रतिष्ठान में नियोजन हेतु योग्य / अयोग्य हैं।
2. इन्हें _____ अवधि के पश्चात् पुनः परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।
3. पूर्ववर्ती प्रमाण-पत्र की क्रम संख्या _____ है।
4. यह प्रमाण-पत्र दिनांक _____ तक बढ़ाया जाता है।
(यदि प्रमाण-पत्र नहीं बढ़ाया जाता है, तो यह अवधि अंकित की जाए जिसके लिए श्रमिक को कार्य हेतु अयोग्य माना गया है)
5. परीक्षण के दौरान पाए गए लक्षण एवं संकेत (Signs and Symptoms):
6. टिप्पणियाँ / अनुशंसाएँ (यदि कोई हों):

परीक्षित व्यक्ति के हस्ताक्षर / बाएँ अंगूठे का निशान

दिनांक: _____

योग्य चिकित्सक / फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर के हस्ताक्षर, मुहर एवं पदीकरण संकेत

चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रपत्र 9

(नियम 14 के उप-नियम (1) को देखें)

कर्मचारियों की नियुक्ति पत्र

1. प्रतिष्ठान का नाम: _____
2. श्रमिक का नाम: _____
3. श्रमिक की विशिष्ट संख्या या कोड: _____
4. पिता का नाम: _____
5. आधार संख्या: _____
6. प्रतिष्ठान का श्रम पहचान संख्या (LIN): _____
7. यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) / बीमा संख्या (ESIC): _____
8. पदनाम (Designation): _____
9. कौशल की श्रेणी: _____
10. कार्य ग्रहण की तिथि (Date of Joining): _____
11. वेतन, मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता: _____
12. अन्य भत्ते, जिसमें आवास भत्ता शामिल है (जो भी लागू हो): _____
13. उच्च वेतन / उच्च पद प्राप्त करने के अवसर: _____
14. सामाजिक सुरक्षा लाभों की उपलब्धता - ईपीएफओ (EPFO) एवं ईएसआईसी (ESIC): _____
15. स्वास्थ्य परीक्षण: _____
16. नियमित किए जाने वाले कार्यों की व्यापक प्रकृति: _____
17. कोई अन्य जानकारी: _____

अधिष्ठाता / निदेशक / कुलपति / अधिकारी / प्रबंधक के हस्ताक्षर

प्रपत्र-10

(नियम 15 के उप-नियम (1), उप-नियम (3), उप-नियम (4) एवं उप-नियम (5) को देखें)

मृत्यु, शारीरिक चोट या अक्षमता के कारण हुई दुर्घटना या खतरनाक घटना की सूचना

दिनांक: _____

सेवा में:

_____

_____

महोदय,

मैं इतद्वारा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता, 2020 की धारा 10 के अन्तर्गत यह सूचना देता/देती हूँ कि इस प्रतिष्ठान में नीचे उल्लिखित व्यक्ति के साथ घातक / अघातक दुर्घटना या खतरनाक घटना घटित हुई है:

1. अधिभोगी / नियोक्ता का नाम: _____
2. ई.एस.आई. नियोक्ता संहिता संख्या सहित पता तथा दुर्घटना / खतरनाक घटना का स्थल:
   _____
3. उद्योग का प्रकार: _____
4. शाखा / विभाग एवं दुर्घटना या खतरनाक घटना का सटीक स्थान:
   _____
5. घायल व्यक्ति का नाम एवं पता: _____
   (क) लिंग: _____
   (ख) आयु (अंतिम जन्मदिन के अनुसार): _____
   (ग) घायल व्यक्ति का व्यवसाय / कार्य: _____
6. स्थानीय ई.एस.आई. कार्यालय, जिससे घायल व्यक्ति संबंधित है:
   _____
7. दुर्घटना या खतरनाक घटना की तिथि, पाली (शिफ्ट) एवं समय:
   _____
   (क) दुर्घटना / घटना के दिन घायल व्यक्ति द्वारा कार्य प्रारंभ करने का समय:
   _____
   (ख) क्या उस दिन पूर्व या अतिरिक्त काम दिया है:
   _____
8. दुर्घटना या खतरनाक घटना का कारण या स्वरूप:
   _____
9. दुर्घटना या खतरनाक घटना का कारण:
   (क) यदि मशीनरी से हुई हो:
   (i) मशीन का नाम तथा वह भाग जिससे दुर्घटना / घटना हुई:
   _____
   (ii) क्या उस समय मशीन यांत्रिक शक्ति से संचालित थी:
   _____
   (ख) उस समय घायल व्यक्ति क्या कर रहा था, स्पष्ट रूप से बताएं:
   _____
   (ग) आपके विचार में, क्या घायल व्यक्ति उस समय–
   (i) अपने पर लागू किसी विधि के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा था, या
   (ii) नियोक्ता द्वारा दिए गए किसी आदेश का उल्लंघन कर रहा था, या
   (iii) नियोक्ता के निर्देश के बिना कार्य कर रहा था।
   (घ) यदि (ग)(i), (i)(ii) या (iii) से कोई उत्तर हाँ में है, तो क्या वह कार्य नियोक्ता के व्यापार या व्यवसाय से संबंधित सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु किया गया था।
   (ङ) यदि दुर्घटना / घटना नियोक्ता के परिवहन में यात्रा के दौरान हुई हो, तो बताएं कि–
   (i) घायल व्यक्ति कार्य स्थल आने-जाने हेतु यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था,
   (ii) क्या यात्रा नियोक्ता की स्पष्ट या निहित अनुमति से थी,
   (iii) क्या परिवहन नियोक्ता द्वारा या उसकी ओर से संचालित था,
   (iv) क्या वाहन सार्वजनिक परिवहन से या कार्य के सामान्य क्रम में संचालित नहीं था।
   (च) यदि दुर्घटना / घटना अघातक स्थिति में हुई हो, तो बताएं–
   (i) अघातक स्थिति की प्रकृति,
   (ii) क्या उस समय घायल व्यक्ति नियोक्ता के व्यापार / व्यवसाय के प्रयोजन से दुर्घटना स्थल पर कार्यरत था।
   (छ) संक्षेप में बताएं कि दुर्घटना / खतरनाक घटना कैसे हुई।
   (ज) प्रत्यक्षदर्शियों के नाम एवं पते:
   (1) _____
   (2) _____
   (झ) (क) चोट का प्रकार एवं सीमा (जैसे– मृत्यु, उंगली की हानि, पैर की हड्डी टूटना, घाव, खरोंच एवं संक्रमण आदि)
   चोट का स्थान (दाया पैर, बाया हाथ, बायीं आँख आदि)
   (ख) यदि दुर्घटना / घटना घातक नहीं है, तो क्या घायल व्यक्ति 48 घंटे से अधिक समय तक कार्य करने में असमर्थ है।
   कार्य पर पुनः लौटने की तिथि एवं समय।
   (ञ) (क) वह चिकित्सक / औषधालय / अस्पताल जहाँ से घायल व्यक्ति ने उपचार प्राप्त किया।
   (ख) घायल व्यक्ति द्वारा चयनित औषधालय / पैनल चिकित्सक का नाम।

(i) क्या प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु हो गई है।

(ii) यदि हाँ, तो मृत्यु की तिथि।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उपर्युक्त विवरण पूर्णतः सत्य है।

हस्ताक्षर: _____

अधिवेशी / प्रबंधक-निरीक्षक का नाम एवं पदनाम

निरीक्षक का पता एवं संहिता संख्या

(यह भाग निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता द्वारा भरा जाएगा)

प्राप्ति की तिथि: _____

दुर्घटनाओं / खतरनाक घटनाओं की संख्या, कारण संख्या एवं अन्य विवरण

(जैसे- गहरा पैर की चोट, हाथ की चोट आदि)

_____

जांच की तिथि: _____

जांच का परिणाम: _____

प्रपत्र-11

(नियम 15 के उप-नियम (4) को देखें)

खतरनाक घटना की सूचना

1. प्रतिष्ठान का नाम एवं पता:

_____

2. अधिवेशी / नियोक्ता का नाम:

_____

3. प्रबंधक का नाम:

_____

4. उद्योग का नाम:

_____

5. कारखाना / विभाग तथा वह सटीक स्थान जहाँ खतरनाक घटना हुई:

_____

6. घटना की तिथि एवं समय:

_____

7. दुर्घटना या खतरनाक घटना का स्वरूप
(यह स्पष्ट रूप से बताएं कि वास्तव में क्या हुआ)

_____

8. उक्त खतरनाक घटना से प्रभावित कर्मचारियों का विवरण:

_____

क्रम सं.	श्रमिक का नाम	श्रमिक कोड	पदनाम

(यह भाग निरीक्षक-सह-सुविधा कर्ता द्वारा भरा जाएगा)

जिला: _____ डी.ओ. संख्या: _____ कारण संख्या: _____	प्राप्ति की तिथि: _____ जांच की तिथि: _____
जांच का परिणाम:	

प्रपत्र-12
(नियम 17 को देखें)
रोग की सूचना (NOTICE OF DISEASE)

1. प्रतिष्ठान का नाम एवं पता:
.....
2. प्रतिष्ठान का प्रकार:
.....
3. रोगी का विवरण:
(क)रोगी का नाम: .....
(ख)आयु एवं लिंग: .....
(ग)रोगी का कार्यकर्ता / वर्कर नंबर: .....
(घ)रोगी का पता: .....
(ङ)रोगी का दैनिक कार्य / पेशा: .....
4. जिस रोग से रोगी पीड़ित है उसका स्वरूप:
.....
5. रोग की पहचान / पता चलने की तिथि:
.....
6. चिकित्सक का विवरण (Medical Practitioner):
.....
7. क्या इस मामले की सूचना चिकित्सा अधिकारी को दी गई है:
हाँ / नहीं

नियोक्ता / अधिभोगी / प्रबंधक के हस्ताक्षर:

दिनांक: .....

प्रपत्र-13
(नियम 48 के उप-नियम (2) को देखें)

कार्य अवधि की सूचना (Notice of Period of Work)

प्रकाशन की तिथि: .....
जिस प्रतिष्ठान के अंतर्गत पंजीकृत / पंजीकरण प्रस्तावित है उसका नाम:
.....
स्थान: .....
जिला: .....

समूह	प्रत्येक समूह के कार्य की प्रकृति	प्रत्येक समूह में नियोजित श्रमिकों की संख्या		पिटो / कर्मचारियों का समूह	पाली (शिफ्ट) या कार्य अवधि	प्रति दिन कार्य के घंटे (प्रत्येक दिवस के लिए)													
						सोमवार		मंगलवार		बुधवार		गुरुवार		शुक्रवार		शनिवार		रविवार	
		स्थायी	अस्थायी			पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

प्रत्येक शिफ्ट / समूह के लिए कार्य प्रारंभ एवं समाप्ति का समय तथा नियम के अधीन निर्धारित विश्राम अंतराल
नियम ___ के अंतर्गत निर्धारित

श्रमिक	समूह	प्रत्येक समूह के कार्य का स्थान	निरीक्षकीय क्षेत्र	कार्य प्रारंभ समय		विश्राम अंतराल	कार्य समाप्ति समय								
				मोबाइल से छायाचित्र	शिफ्ट	अवधि	रविवार	सोमवार	मंगलवार	बुधवार	गुरुवार	शुक्रवार	शनिवार	रविवार	सप्ताहिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
पुरुष महिला किशोर (Adolescent)																

टिप्पणी : सतत प्रक्रियाओं में कार्यरत शिफ्ट / समूहों के अलग्नी संबंध को दर्शाने वाले नक्शे, अनुसूची II में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार प्रदर्शित किए जाएंगे।

प्रथम सप्ताह	द्वितीय सप्ताह	तृतीय सप्ताह
सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि	सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि	सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि
पाली शिफ्ट		

कारखाना प्रबंधक के हस्ताक्षर .....
निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता के हस्ताक्षर .....

कार्य अवधि की सूचना भरते समय पालन किए जाने वाले निर्देश

1. समस्त श्रमिकों को उनके कार्य की प्रकृति के अनुसार समूहों में विभाजित करें तथा प्रत्येक समूह में कार्यरत श्रमिकों की संख्या दर्शाएं।
2. समूहों के लिए संख्यात्मक चिन्ह (1, 2, 3, 4 आदि) का उपयोग करें।
3. प्रत्येक समूह के सामने उसके कार्य की प्रकृति स्पष्ट रूप से दर्शाएं।
4. समूहों के अनुसार शिफ्ट (पाली) बनाएं और उन्हें I, II, III आदि के रूप में निर्दिष्ट करें।
5. प्रत्येक शिफ्ट या श्रमिक समूह के लिए निर्धारित विश्राम अंतराल को छोड़कर प्रतिदिन के कार्य घंटे सूचना के ऊपरी भाग में दर्शाएं।
6. पाली एवं कार्य अवधि के लिए A, B, C आदि अक्षरों का प्रयोग करें।
7. पाली व्यवस्था इस प्रकार करें कि एक ही समय में एक से अधिक शिफ्ट समान प्रकार का कार्य न करें, क्योंकि अतिव्यापी पाली (Overlapping Shifts) वर्जित है।
8. कर्मचारियों की कार्य अवधि इस प्रकार निर्धारित करें कि कोई भी वयस्क श्रमिक किसी भी दिन 9 घंटे से अधिक कार्य न करे तथा कोई भी श्रमिक काम से काम आधे घंटे के विश्राम अंतराल के बिना 5 घंटे से अधिक कार्य न करे।
9. कार्य घंटे इस प्रकार व्यवस्थित करें कि साप्ताहिक कार्य अवधि 48 घंटे से अधिक न हो। वयस्क श्रमिकों के लिए विश्राम अंतराल सहित कुल कार्य अवधि 10½ घंटे से अधिक न हो।
10. प्रत्येक शिफ्ट या श्रमिक समूह के लिए साप्ताहिक अवकाश को प्रत्येक सूचना के पाद-टिप्पणी (Foot-note) में दर्शाएं।

11. कार्य अवधि की सूचना को लागू किए जाने से पूर्व, संबंधित सेक्शनिकार वाले निरीक्षक-राज-सुनिश्चितकर्ता को दो प्रतियों में प्रस्तुत करें। यदि कार्य प्रणाली में कोई परिवर्तन हो, तो संशोधित कार्य अवधि की सूचना प्रस्तुत की जायगी। (धारा 31)

यह चार्ट केवल निरंतर प्रक्रिया पर चलने वाली रिले इकाइयों या क्रमिक अवधियों में काम करने वाले श्रमिकों के समूहों के मामलों में ही उपयोग किया जाना है। इसे भरने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं।
निरंतर प्रक्रियाओं पर काम करने वाले वयस्क श्रमिकों के विश्राम अंतराल सहित कार्य अवधियों को नोटिस के ऊपरी भाग में दर्शाएं।

प्रपत्र-14
(धारा 50 के अनुसार)
अवकाश पुस्तिका (Leave Book)

प्रतिष्ठान का नाम: .....

क्रमांक: ..... विभाग: ..... श्रमिक रजिस्टर में क्रमांक या कोड: ..... सेवा में प्रवेश की तिथि:	नाम:- ..... पिता का नाम:- ..... भुगतान की तिथि और पारिश्रमिक:- ..... अवकाश के स्थान पर भुगतान:- .....

1	कैलेंडर वर्ष सेवा (Calendar Year Service)	
2	वेतन भुगतान की अवधि: ..... से ..... तक	
3	वेतन अवधि के दौरान अर्जित वेतन:	
4	काम किए गए दिनों की संख्या / कैलेंडर वर्ष में काम किए गए दिन:	कैलेंडर वर्ष के दौरान काम किए गए दिनों की संख्या
5	अवकाश / बेरोजगारी के दिन:	
6	मातृत्व अवकाश के दिन:	
7	उपयोग किए गए अवकाश के दिन:	
8	स्तंभ 4 से 7 का कुल योग:	
9	पिछले वर्ष से शेष अवकाश / क्रेडिट में अवकाश:	क्रेडिट के लिए छुट्टी
10	स्तंभ 1 में उल्लिखित वर्ष के दौरान अर्जित अवकाश:	
11	स्तंभ 9 और 10 का कुल योग:	
12	क्या सेक्शन 32 के अंतर्गत योजना के अनुसार अवकाश देने से इंकार किया गया: हाँ / नहीं	
13	अवकाश का उपयोग: ..... से ..... तक	
14	शेष अवकाश / क्रेडिट में अवकाश:	
15	सामान्य वेतन दर:	
	यदि कोई टिप्पणी हो तो:	

प्रपत्र - 15
(देखें नियम 51)
अवकाश के साथ वेतन रजिस्टर

संस्थान का नाम: .....

क्रमांक: ..... विभाग: ..... क्रमिक रजिस्टर में क्रमांक या कोड: ..... सेवा में प्रवेश की तिथि:	नाम: ..... पिता का नाम: ..... अवकाश के बदले भुगतान की विधि और धनराशि:- ....

1	कैलेंडर वर्ष सेवा	
2	वेतन भुगतान की अवधि: ..... से ..... तक	
3	वेतन अवधि के दौरान अर्जित वेतन	
4	किए गए कार्य के दिनों की संख्या	वर्ष के दौरान काम किए गए दिनों की संख्या
5	अवकाश / छुट्टियों के दिन	
6	मासूल अवकाश के दिन	
7	उपयोग किए गए अवकाश के दिन	
8	स्तंभ 4 से 7 का कुल योग	
9	पिछले वर्ष से शेष अवकाश / क्रेडिट में अवकाश	जमा अवकाश
10	स्तंभ 1 में उल्लिखित वर्ष के दौरान अर्जित अवकाश	
11	स्तंभ 9 और 10 का कुल योग	
12	कथा संख्या 32 के अतिरिक्त योजना के अनुसार अवकाश देने से इनकार किया गया	
13	अवकाश का उपयोग: ..... से ..... तक	
14	शेष अवकाश / क्रेडिट में अवकाश	
15	सामान्य वेतन दर	
16	टिप्पणी	

दिनांक: .....

नियोक्ता या उसके अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर: .....

प्रपत्र - 16
(देखें नियम 54)
दुर्घटना और खतरनाक घटनाओं का रजिस्टर

क्र.सं.	प्रपत्र - 10/11 निरीक्षक-सह-सूचिकाकार की रिपोर्ट की तिथि (और बीमा अधिकारियों को नोटिस):	रिपोर्ट और नोटिस का कथन	घायल व्यक्ति का नाम और पता	लिंग	आयु	बीमा सं.
1	2	3	4	5	6	7

श्रमिक का जिला, विभाग और पदाभिधान	चोट या खतरनाक घटना का विवरण					
	दिनांक	समय	स्थान	चोट या खतरनाक घटना का कारण	चोट या खतरनाक घटनाओं की प्रकृति	चोट लगने के समय प्रभावित व्यक्ति असल में क्या कर रहा था ?
8	9	10	11	12	13	14

सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम, पदाभिधान, पता और हस्ताक्षर या अंगूठा	प्रतिहि करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर और पद नाम	दो गवाहों का नाम, पता और पदाभिधान	घायल व्यक्ति के कार्य में वापसी की तिथि	जिस राज्य बीमा स्थानीय कार्यालय से घायल व्यक्ति जुड़ा है उसका नाम	यदि कोई टिप्पणी
15	16	17	18	19	20

प्रपत्र - 17
(देखें उप-नियम (क) नियम 56)
वार्षिक विवरण
वर्ष समाप्ति: 31 दिसंबर, 20__

1. मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता / पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस संख्या: _____
2. कारखाना / संस्थान का नाम: _____
3. स्वामी / नियोक्ता का नाम: _____
4. प्रबंधक का नाम: _____ से _____
5. जिला: _____
6. डाक पता, ईमेल पता और मोबाइल नंबर: _____
7. संस्थान / उद्योग का प्रकार (सामान्य / खतरनाक / MAH): _____
8. रोजगार का विवरण:
(एक) प्रतिदिन औसत कर्मचारियों की संख्या: _____
(दो) प्रतिदिन औसत श्रमिकों की संख्या [धारा 2(1)(zd)]: _____
औसत प्रतिदिन संख्या की गणना:
यह औसत इस प्रकार निकाला जाता है:
वर्ष के कार्यदिवसों में उपस्थितियों का कुल योग ÷ कार्यदिवसों की संख्या
उपस्थिति गिनने के नियम:

1. यदि किसी श्रमिक ने किसी कार्यदिवस में निर्धारित कार्य समय का आधा से कम काम किया, तो उसे उपस्थितियों में नहीं गिना जाएगा।
2. यदि किसी श्रमिक ने किसी कार्यदिवस में निर्धारित कार्य समय का आधा या उससे अधिक काम किया, तो उसे पूर्ण उपस्थिति माना जाएगा।
3. अस्थायी और स्थायी दोनों श्रमिकों की उपस्थितियों को नहीं गिना जाएगा।
4. अलग-अलग शिफ्ट (जैसे दिन और रात की शिफ्ट) की उपस्थिति अलग गिनी जाएगी।
5. जिन दिनों कारखाना बंद था, भले किसी भी कारण से, और जिन दिनों निर्माण प्रक्रिया नहीं हुई, उन्हें कार्यदिवस नहीं माना जाएगा।

	नियोक्ता द्वारा सीधेनियोजित श्रमिक	ठेकेदार द्वारा सीधे नियोजित श्रमिक	कुल औसत	प्रशिक्षुओं की संख्या	अन्यप्र शिक्षुओं की संख्या
पुरुष					
महिला					
किन्नर					
कुल					

10. ठेकेदार का नाम, पता और ईमेल पता: _____

11. कार्य समय:

(क)साप्ताहिक सामान्य कार्य समय:

पुरुष श्रमिक : _____

महिला श्रमिक : _____

अन्य प्रविधि: _____

(ख) धारा 25 के अंतर्गत कुल सामान्य घण्टा-घंटे काम किए: ____

(आशय: मानक-घंटे में कर्मचारियों द्वारा किया गया कार्य शामिल है)

12. वर्ष में काम किए गए दिनों की संख्या: ____

13. कर्मचारियों को विश्राम / इंटरवल जितने समय के लिए दिया गया (आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटे या अन्य): _____

14. क्या सप्ताह के चलते दिन को साप्ताहिक अवकाश के रूप में बदल दिया गया: ____

ऐसे दिनों की संख्या: ____

15. क्या कारखाने या कारखाने का कोई भाग अनुसूची-II के अंतर्गत सतत प्रक्रिया में लगा है (कार्य का वर्ष विवरण): ____

16. अतिरिक्त समय (धारा 27):

धारा 27 के अंतर्गत अवधि में कुल मानव-घंटे काम किए: ____

17. एक शिफ्ट या इसके किसी भाग में लगे महिलाओं कर्मचारियों की औसत संख्या (सुबह 7 बजे से सुबह 6 बजे तक):

(क)सुबह 7 बजे से सा 10 बजे तक: ____

(ख)रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक: ____

18. प्रतिपूरक छुट्टियाँ:

(1) धारा 26 के प्रावधानों से मुक्त किए गए कर्मचारियों की संख्या: ____

(2) वे श्रमिक जिन्हें छुट्टियाँ मिलीं:

(क)पहली माह में: ____

(ख)अगले माह में: ____

(ग)तीसरे माह में: ____

19. वेतन सहित अवकाश (धारा 32):

(क)वर्ष के दौरान नियोजित कुल व्यक्तियों की संख्या: ____

(ख)उन व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें उस वर्ष के लिए वेतन सहित अवकाश का अधिकार था, जिसके पूर्व वर्ष की यह प्रतिवेदन प्रस्तुत की जा रही है: ____

(ग)उन व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें उस वर्ष के लिए वेतन सहित अवकाश का अधिकार है, जिसके लिए यह प्रतिवेदन प्रस्तुत की जा रही है: ____

(घ)उन व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें पिछले वर्ष में अवकाश प्रदान किया गया: ____

(ङ)उन व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें उस वर्ष के लिए अवकाश प्रदान किया गया, जिसके लिए यह प्रतिवेदन प्रस्तुत की जा रही है: ____

(च)(i) वर्ष के दौरान सेवा से मुक्त या कार्यरत किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या: ____

(ii) मुक्त किए गए कर्मचारियों में से जिन्हें अवकाश के बदले वेतन दिया गया, उनकी संख्या: ____

(iii) अवकाश के बदले कुल भुगतान की गई वेतन राशि: ____

(iv) वे कर्मचारियों की कुल संख्या, जिन्होंने अपनी सेवाएं से सेवा छोड़ दी: ____

(छ)उन व्यक्तियों की संख्या, जिन्होंने उस वर्ष में अवकाश लेने से मना किया, जिससे अवकाश अर्जित हुआ: ____

20.(i) वर्ष के दौरान अनिवार्य बेरोजगारी के कुल दिन: ____

(ii) बेरोजगार कर्मचारियों की संख्या: ____

21. क्या यह कारखाना निम्नलिखित के अंतर्गत आता है:

(i) धारा 2(1)(ee): ____

(ii) धारा 82: ____

(iii) धारा 80: ____

22. सतत्तक संचालन या प्रक्रियाओं में लगे दैनिक कर्मचारियों की संख्या, कारखाने, भवन और अन्य निर्माण कार्य में: ____

23. सुरक्षा अधिकारी विवरण:

(i) धारा 22 के अंतर्गत नियोजित सुरक्षा अधिकारियों की संख्या: ____

(ii) मुख्य सुरक्षा अधिकारी का नाम और ईमेल पता: ____

(iii) सुरक्षा समिति के सचिव का नाम: ____

24. यदि धारा 24(2)(भाग) के अंतर्गत कल्याण अधिकारी नियुक्त किया गया है: ____

25. क्या धारा 24(1)(पांच) और इसमें बनाए गए नियमों के अनुपालन में कैंटीन उपलब्ध कराई गई है: ____

क्या कैंटीन प्रदान करती है—

पकाया हुआ भोजन और ताजा पेय आदि	केवल पका या हुआ भोजन	केवल ताजा पेय और स्नाक्स	केवल चाय	कैंटीन का औसत दैनिक उपयोग करने वाले श्रमिक संख्या	क्या लागत मूल्य से कम पर्क दिया जाता है, यदि हाँ तो लागत से कम दिए जाने वाले आइटम का विवरण	नियोक्ता द्वारा वहन किए गए व्यय का ब्यौरा (यदि कोई आइटम और सब्सिडी की राशि हो तो विवरण दें)	कैंटीन का प्रबंधन कैसे किया जाता है	सामान्य टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* (नोट 25)

1. यदि विवरण देने के लिए कॉलम पर्याप्त नहीं हैं, तो एक अलग पत्रक संलग्न किया जा सकता है और विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जा सकती है।
2. इस कॉलम में "शून्य" लिखें जो आपके कारखाने पर लागू नहीं है।

26. क्रेशेज (CRECHE) (सामान्यतः 50 से अधिक कर्मचारियों वाली स्थापना के लिए)
क्या धारा 24(3) और इसमें बनाए गए नियमों के अनुसार क्रेशेज कक्ष उपलब्ध / व्यवस्थित किया गया है: _____
(विस्तृत विवरण दें, आवश्यक हो तो अलग पत्रक संलग्न करें)

27. कैंटीन, विश्राम कक्ष या लंच रूम (सामान्यतः 50 से अधिक कर्मचारियों वाली स्थापना के लिए)
क्या धारा 24(2)(कैंटीन) और इसमें बनाए गए नियमों के अनुसार कैंटीन के अतिरिक्त कैंटीन, विश्राम कक्ष या लंच रूम उपलब्ध कराए गए हैं?
_____

(विस्तृत विवरण दें, आवश्यक हो तो अलग पत्रक संलग्न करें)

कैंटीन, विश्राम कक्ष या लंच रूम में कर्मियों की औसत दैनिक उपस्थिति	पीने के पानी की सुविधाओं का विवरण	आवास, फर्नीचर और अन्य उपकरणों का विवरण	सामान्य टिप्पणियाँ
1	2	3	4

28. दुर्घटनाएँ

"घातक और गैर-घातक दुर्घटनाएँ"

1			2	3	4					
वर्ष के दौरान संलग्नक घटनाओं में कुल दुर्घटनाओं की संख्या			मृतक श्रमिकों की संख्या	घायल श्रमिकों की संख्या	गैर-घातक दुर्घटनाएँ जिनमें श्रमिक वर्ष में कार्य पर लौटे					
					वर्ष के दौरान हुई दुर्घटनाएँ			पिछले वर्ष के दौरान हुई दुर्घटनाएँ		
घातक	गैर-घातक	छोटे के लिए सहायक घटना			दुर्घटनाओं की संख्या	घायल श्रमिकों की संख्या	अनुपस्थिति के कारण होने वाले दिनों की संख्या	दुर्घटनाओं की संख्या	घायल श्रमिकों की संख्या	अनुपस्थिति के कारण होने वाले दिनों की संख्या

पिछले वर्ष में इस रिटर्न अवधि से संबंधित घातक दुर्घटनाओं की कुल संख्या: _____

मैंएतद् प्रमाणित करती/ हूँ कि मेरेहमारे ज्ञान के अनुसार दी गई जानकारी सत्य और सही है।

प्रत्येक स्थापना का नियोक्ता, क्षेत्राधिकार वाले निरीक्षक-कम-फैसिलिटेटर को प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक निर्धारित प्रपत्र के अनुसार वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा।

प्रबंधक के हस्ताक्षर: _____ दिनांक: _____ नियोक्ता के हस्ताक्षर: _____	प्रबंधक के हस्ताक्षर: _____ दिनांक: _____ निर्माता के हस्ताक्षर: _____

प्रपत्र - 18

(नियम 56 की उप-धारा (ख) के अनुसार देखें)

अर्धवार्षिक रिटर्न

अवधि समाप्ति: ___ 30 जून, 20___

1. मुख्य निरीक्षक-कम-फैसिलिटेटर द्वारा जारी लाइसेंस संख्या: _____
2. कारखाने का नाम: _____
3. अधिकारी का नाम: _____
4. प्रबंधक का नाम: _____ पी _____
5. जिला: _____
6. डाक पता, ईमेल पता और मोबाइल नंबर: _____
7. उद्योग का प्रकार (हानिकारक / MAH): _____
8. कारखाने का मुख्य उत्पाद: _____

9. रोजगार विवरण:

(i) दैनिक औसत कर्मचारियों की संख्या: ___

(ii) दैनिक औसत श्रमिकों की संख्या [धारा 2(1)(za)]: ___

औसत दैनिक संख्या की गणना:

कामकाजी दिनों पर उपस्थित कर्मचारियों की कुल संख्या को वर्ष में कामकाजी दिनों की संख्या से विभाजित करके।

उपस्थितियों की गणना में:

1. यदि किसी श्रमिक की किसी कामकाजी दिन पर निर्धारित कार्य घंटे का आधा से कम समय उपस्थित रहा, तो उसे गणित नहीं किया जाएगा। यदि आधे या अधिक घंटे उपस्थित रहा, तो पूर्ण उपस्थिति माना जाएगा।
2. अस्थायी और स्थायी दोनों श्रमिकों की उपस्थिति गिनी जाएगी।
   अलग-अलग शिफ्ट (जैसे, दिन और रात की शिफ्ट) की उपस्थितियाँ अलग से गिनी जाएँगी।
3. जिस दिन कारखाना किसी भी कारण से बंद था या उत्पादन प्रक्रिया नहीं चली, उसे कामकाजी दिन नहीं माना जाएगा।

कर्मचारियों के प्रकार	अधिष्ठाता द्वारा सीधे श्रमिक	ठेकेदार द्वारा सीधे श्रमिक	कुल औसत	प्रशिक्षुओं की संख्या	अन्य प्रशिक्षु की संख्या
पुरुष					
महिला					
किशोर					
कुल					

ठेकेदार का नाम, पता और ईमेल पता: _____

अवधि में किए गए दिनों की संख्या: ___

अवधि में घातक दुर्घटना या किसी मृत्यु की कुल संख्या: _____

साल में ऑडिट का महीना: ___

यदि ऑडिट में की गई सिफारिशों का पालन किया गया (हाँ / नहीं): _

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है।

निदेशक के हस्ताक्षर: _____

प्रबंधक के हस्ताक्षर: _____

प्रपत्र - 19

(नियम-58 की उप-नियम (2) के अनुसार देखें)

नामांकन प्रपत्र

यह नामांकन आज दिनांक _____ (दिनांक) _____ (माह) _____ (वर्ष) को किया गया।

मैं, _____ पुत्र/पुत्री _____, यह निर्देश देता/देती हूँ कि यदि कार्य पर कुल उपस्थित होने से पूर्व मेरी मृत्यु हो जाए, तो वेतन सहित अवकाश की वह शेष राशि, जिसका दावा मैंने नहीं किया है, _____ को भुगतान की जाए, जो मेरा/मेरी _____ (संबंध) है।

साक्षी (Witness):

(1)

हस्ताक्षर: _____

नाम: _____

पता: _____

पहचान प्रमाण संख्या: _____

(2)

हस्ताक्षर: _____

नाम: _____

पता: _____

पहचान प्रमाण संख्या: _____

श्रमिक के हस्ताक्षर एवं पता

प्रपत्र - 20

(नियम 61 के अनुसार देखें)

उन्नयन सूचना (IMPROVEMENT NOTICE)

निरीक्षक-कम-फैसिलिटेटर द्वारा स्थापना के नियोक्ता/अधिभोक्ता को सुधार हेतु सूचना

प्रति,

अधिभोक्ता/नियोक्ता,

_____

_____

चूँकि अधोहस्ताक्षरी ने आपकी स्थापना _____, जो _____ में स्थित है, दिनांक _____ को निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान अधोहस्ताक्षरी ने कुछ उल्लंघन पाए हैं, तथा यह राय बनाई है कि आपकी स्थापना में पाए गए निम्नलिखित उल्लंघनों में संहिता, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों तथा लागू अन्य विधियों के प्रावधानों के अनुसार सुधार आवश्यक है –

स्थापना का नाम एवं पता	वह कार्य स्थल जहाँ ऐसा कार्य किया जा रहा है	स्थापना का वर्गीकरण संख्या	संबंधित गजेटियर
1	2	3	4

उपर्युक्त नामित स्थापना का निरीक्षण दिनांक: _____ को किया गया, जिसमें निम्नलिखित उल्लंघन पाए गए –

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

आपको एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि उक्त उल्लंघनों का निवारण करें तथा इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से पंद्रह (15) दिनों के भीतर निम्नलिखित रूप में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

यह सूचना किसी भी विधिक कार्यवाही के प्रति पूर्वाग्रह रहित जारी की जा रही है, जो इन उल्लंघनों के संबंध में की जा सकती है। आपके द्वारा यह सूचित किए जाने पर कि आवश्यकताओं का अनुपालन कर लिया गया है, निरीक्षण पूर्ण करने के उद्देश्य से स्थापना का पुनः निरीक्षण किया जाएगा।

आदेश संख्या: _____

स्थान: _____

दिनांक: _____

वर्ष: 20__

निरीक्षक-कम-फैसिलिटेटर

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यपरिस्थितियाँ संहिता, 2020

सुधारों / निवारणों के पुनः निरीक्षण हेतु नियोक्ता / अधिभोक्ता द्वारा अनुरोध

उपर्युक्त उल्लंघनों में से समस्त या किसी या भी अनुपालन किए जाने पर, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार (जैसा कि पृष्ठ के पीछे वर्णित है) निरीक्षक-कम-फैसिलिटेटर को उस तिथि एवं स्थान की सूचना दी जाएगी, जहाँ स्थापना का पुनः निरीक्षण किया जा सकता है।

प्रति, निरीक्षक-कम-फैसिलिटेटर

_____

_____

महोदय,

आपके द्वारा सूचित उल्लंघनों का प्रभावी रूप से निवारण कर दिया गया है। नीचे उल्लिखित तिथि एवं स्थान पर स्थापना निरीक्षक हेतु तैयार रहेंगे:

प्रस्तावित निरीक्षण की तिथि: _____

प्रस्तावित निरीक्षण का स्थान: _____

किए गए अनुपालनों का संक्षिप्त विवरण: _____

स्थान: _____ दिनांक: _____ 20____

नियोक्ता / अधिभोक्ता के हस्ताक्षर एवं मुहर

_____

प्रपत्र - 21

(नियम 63 के उप-नियम (3) के अनुसार देखें)

तृतीय पक्ष लेखा परीक्षक (Third Party Auditor) की मान्यता / मान्यता के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र

(आवेदकों द्वारा भरा जाएगा)

1. नाम:
2. पिता/पति का नाम:
3. जन्म तिथि एवं आयु:
4. स्थायी पता:
5. संपर्क हेतु पता:
   (क) पत्राचार हेतु:
   (ख) दूरभाष संख्या:
   (ग) मोबाइल नंबर:
   (घ) फैक्स:
   (ङ) ई-मेल:
6. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें):
   (कक्षा / उपाधि / डिप्लोमा / कॉलेज / संस्थान / विश्वविद्यालय / उत्तीर्ण वर्ष)
7. आवेदक का नवीनतम फोटोग्राफ (जिस पर हस्ताक्षर किए गए हों):

_____

8. सुरक्षा विषय में तकनीकी योग्यता (प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें):

उपाधि / डिप्लोमा कॉलेज / संस्थान विश्वविद्यालय उत्तीर्ण वर्ष

9. कार्य अनुभव (प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें):

क्रम सं. नियोक्ता तिथि (से) नियोक्ता तिथि (तक) नियोक्ता का नाम एवं पता पदनाम कार्य की प्रकृति

10. मान्यता के नवीनीकरण हेतु: प्रमाणपत्र संख्या: _____ प्रमाणपत्र तिथि: _____

11. मान्यता के नवीनीकरण हेतु

प्रमाणपत्र संख्या: _____

प्रमाणपत्र तिथि: _____

घोषणा (DECLARATION)

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि –

(i) राज्य सरकार द्वारा मेरी तृतीय पक्ष लेखा परीक्षक (Third Party Auditor) के रूप में मान्यता पूर्व में कभी रद्द नहीं की गई है और न ही वापस ली गई है।

(ii) राज्य सरकार द्वारा मेरी तृतीय पक्ष लेखा परीक्षक के रूप में मान्यता पूर्व में रद्द / वापस ली गई थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है –

रद्द / वापसी की तिथि आदेश संख्या एवं तिथि (यदि कोई हो) अवधि (से-तक)

टिप्पणी : यदि पूर्व में मान्यता दोबारा रद्द या वापस की गई हो, तो तृतीय पक्ष लेखा परीक्षक मान्यता हेतु पात्र नहीं होगा।

(iii)मैंने पिछले दो वर्षों में तीन या उससे अधिक लेखा परीक्षण (ऑडिट) किए हैं, जिनकी सूची (कारखाने का नाम, पता तथा ऑडिट की तिथि सहित) संलग्न है।

(iv)मैं, _____ एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपर्युक्त दी गई समस्त जानकारी मेरे / मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य एवं सही है।

मैं, _____, यह कथन देता / देती हूँ कि –

(i) सुविधाओं को अच्छी कार्यशील स्थिति में बनाए रखूँगा / रखूँगी; तथा

(ii) मान्यता प्रमाणपत्र में, यदि कोई शर्तें निर्धारित हों, तो उनका पूर्ण पालन करूँगा / करूँगी।

दिनांक: _____ आवेदक के हस्ताक्षर: _____

स्थान: _____ पूरा नाम: _____

प्रपत्र - 22

(नियम 70 के उप-नियम (1), नियम 73 का उप–नियम (2), नियम 79 का उप–नियम (1) के अनुसार देखें)

लाइसेंस / लाइसेंस के नवीनीकरण / लाइसेंस में संशोधन हेतु आवेदन

I. जिस स्थापना के लिए लाइसेंस आवश्यक है, उसका विवरण:

1. स्थापना का नाम: _____
2. स्थापना का पता:
   (क)प्रधान कार्यालय का पता (ई-मेल आईडी सहित): _____
   (ख)कॉरपोरेट कार्यालय का पता (ई-मेल आईडी सहित): _____
3. दूरभाष संख्या: _____
4. राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (NIC) के अनुसार गतिविधि:
   (दिए गए समस्त लागू गतिविधियों का चयन करें) _____
5. चयनित NIC कोड का विवरण: _____
6. मुख्य स्थापना में किए जा रहे कार्य की प्रकृति:
   _____

II. नियोक्ता का विवरण:

1. नियोक्ता का पूरा नाम: _____
2. स्थापना से संबंध: _____
3. नियोक्ता का पूरा पता: _____
4. नियोक्ता का ई-मेल आईडी: _____
5. नियोक्ता का मोबाइल नंबर: _____

III. लाइसेंस हेतु आवेदन करने वाले ठेकेदार का विवरण:

1. ठेकेदार का नाम एवं पता
   (व्यक्तिगत विवरण में पिता का नाम सहित) _____
2. जन्म तिथि एवं आयु *(व्यक्तिगत विवरण में)* _____
3. संहिता के अंतर्गत स्थापना के पंजीकरण प्रमाणपत्र की संख्या एवं तिथि _____
4. मुख्य नियोक्ता का नाम एवं पता _____

5. संविदा श्रमिकों का विवरण:

(क)स्थापना में जिस कार्य में संविदा श्रमिक नियुक्त हैं / किए जाने प्रस्तावित हैं, उस कार्य की प्रकृति: _____

(ख)प्रस्तावित संविदा कार्य की अवधि (कार्य प्रारंभ एवं समाप्ति की प्रस्तावित तिथि का विवरण दें): _____

(ग)कार्य स्थल पर एजेंट / प्रबंधक / ठेकेदार का नाम एवं पता: _____

(घ)किसी भी दिन स्थापना में नियुक्त किए जाने वाले संविदा श्रमिकों की अधिकतम संख्या: _____

6. किसी भी तिथि को स्थापना में नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों की अधिकतम संख्या:
   _____
7. लाइसेंस आवेदन की तिथि को ठेकेदार के मास्टर रोल में कुल संविदा श्रमिकों की संख्या तथा प्रवासी श्रमिकों की संख्या:
   _____
8. श्रमिकों का विवरण:
   | नाम | वर्तमान पता | स्थायी पता | आधार संख्या | बैंक खाता |

IV. पिछले अनुभव और अन्य विवरण

1. क्या ठेकेदार को पिछले पाँच वर्षों में किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है?
   यदि हाँ, तो विवरण दें: _____
2. क्या ठेकेदार के विरुद्ध किसी पूर्व संविदा के संबंध में लाइसेंस निरस्त / निलंबित करने या सुरक्षा जमा जब्त करने का कोई आदेश पारित हुआ है?
   यदि हाँ, तो आदेश की तिथि बताएं: _____

3. क्या ठेकेदार ने पिछले पाँच वर्षों में किसी अन्य स्थापना में कार्य किया है?
यदि हाँ, तो मुख्य नियोक्ता / स्थापना का विवरण एवं कार्य की प्रकृति बताएं: _____
तथा क्या मुख्य नियोक्ता द्वारा प्रमाणित प्रपत्र 23 संलग्न है: _____

i. जमा की गई लाइसेंस शुल्क की राशि: _____
ii. जमा की गई सुरक्षा राशि: _____

घोषणा:
मैं, _____ एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपर्युक्त दी गई समस्त जानकारी मेरे / मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है।
स्थान: _____ आवेदक के हस्ताक्षर: _____
दिनांक: _____

II. लाइसेंस में संशोधन हेतु आवेदन

1. लाइसेंस संख्या: _____
2. दिनांक: _____
3. LIN एवं PAN: _____
4. स्थापना का नाम एवं पता: _____
5. ठेकेदार का नाम एवं पता: _____
6. जिस विवरण के लिए संशोधन चाहा गया है:

(क) वर्तमान में नियोजित श्रमिकों की अधिकतम संख्या, नाम, आधार संख्या एवं बैंक खाता संख्या:
(यदि नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या में वृद्धि हो, तो नियमों अनुसार अतिरिक्त शुल्क / सुरक्षा जमा राशि जमा करना अनिवार्य होगा)
(ख) वर्तमान की तिथि को स्थापना में नियोजित किए जाने वाले प्रवासित अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों की अधिकतम संख्या: _____
(ग) ई-भुगतान के माध्यम से जमा किए गए शुल्क का विवरण एवं भुगतान की तिथि: _____
(घ) जारी किए गए लाइसेंस में संशोधन हेतु आवश्यक अन्य विवरण:
(परिस्थिति के अनुसार में आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं)

घोषणा:
मैं, _____ एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपर्युक्त दी गई समस्त जानकारी मेरे / मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है।
आवेदन की तिथि: _____ ठेकेदार के हस्ताक्षर: _____

प्रपत्र - 23

(नियम 70 के उप-नियम (2) के अनुसार देखें)

मुख्य नियोक्ता द्वारा प्रमाणपत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि–

1. मैंने आवेदक _____ (ठेकेदार का नाम) को अपनी स्थापना में _____ कार्य के लिए ठेकेदार के रूप में संलग्न किया है, जो _____ (तिथि) से _____ (तिथि) तक किया जाएगा।

2. मैं यह वचन देता / देती हूँ कि आवेदक द्वारा मेरी स्थापना में नियुक्त संविदा श्रमिकों / अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों* के संबंध में, जहाँ तक प्रावधान मुझ पर लागू हों, मैं व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020 तथा उत्तराखंड व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ नियम, 2025 के समस्त प्रावधानों से आबद्ध रहूँगा / रहूँगी।

3. उक्त कार्य में संविदा श्रमिकों की नियुक्ति *व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020 की धारा 57 या किसी पुरस्कार (Award) या समझौते (Settlement)* के अंतर्गत निषिद्ध नहीं है।

4. संहिता के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के रूप में मेरा पंजीकरण संख्या: _____

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

दिनांक: _____ मुख्य नियोक्ता के हस्ताक्षर: _____

स्थान: _____ स्थापना का नाम एवं पता: _____

प्रपत्र - 23

(नियम 70 के उप-नियम (2) के अनुसार देखें)

मुख्य नियोक्ता द्वारा प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि–

1. मैंने आवेदक _____ (ठेकेदार का नाम) को अपनी स्थापना में _____ कार्य के लिए ठेकेदार के रूप में संलग्न किया है, जो _____ (तिथि) से _____ (तिथि) तक किया जाएगा।

2. मैं यह वचन देता / देती हूँ कि आवेदक द्वारा मेरी स्थापना में नियुक्त संविदा श्रमिकों / अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों* के संबंध में, जहाँ तक प्रावधान मुझ पर लागू हों, मैं व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020 तथा उत्तराखंड व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ नियम, 2025 के समस्त प्रावधानों से आबद्ध रहूँगा / रहूँगी।

3. उक्त कार्य में संविदा श्रमिकों की नियुक्ति *व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020 की धारा 57 या किसी पुरस्कार (Award) या समझौते (Settlement)* के अंतर्गत निषिद्ध नहीं है।

4. संहिता के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के रूप में मेरा पंजीकरण संख्या: _____

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

दिनांक: _____ मुख्य नियोक्ता के हस्ताक्षर: _____

स्थान: _____ स्थापना का नाम एवं पता: _____

प्रपत्र - 24

(नियम 73 के उप-नियम (3) तथा नियम 70 के उप-नियम (3) के अनुसार देखें)

लाइसेंस का प्रारूप

लाइसेंस संख्या: _____ दिनांक: _____

जमा किया गया शुल्क: ₹ _____

सुरक्षा जमा राशि: ₹ _____

1. यह लाइसेंस एतद्द्वारा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020 की धारा 47 की उप-धारा (1) के अंतर्गत, परिशिष्ट (ANNEXURE) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, _____ को प्रदान किया जाता है।
2. कार्य का नाम एवं स्थान: _____
3. मुख्य नियोक्ता का नाम: _____
4. मुख्य नियोक्ता का पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या एवं तिथि: _____
5. लाइसेंस की वैधता: यह लाइसेंस दिनांक _____ तक प्रभावी रहेगा।
6. लाइसेंस के अंतर्गत किसी एक दिन में नियोजित किए जाने वाले संविदा श्रमिक / प्रवासी श्रमिकों की अधिकतम संख्या: _____
7. ठेकेदार द्वारा नियोजित किए जाने वाले प्रवासी श्रमिकों की संख्या: _____

दिनांक: _____ निर्गत करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर: _____

संशोधन (AMENDMENTS)

किस वर्ष संशोधन किया गया	किसी एक दिन में संविदा श्रमिक/श्रमिकों की अधिकतम संख्या	संशोधन शुल्क भुगतान की तिथि	भुगतान की विधि	निर्गत करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नवीनीकरण (RENEWAL)

नवीनीकरण की तिथि	नवीनीकरण हेतु जमा शुल्क	समाप्ति की तिथि	प्राधिकारी की मुहर एवं हस्ताक्षर

परिशिष्ट (ANNEXURE) – लाइसेंस की शर्तें

लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

1. यह लाइसेंस अहस्तांतरणीय (Non-transferable) होगा।
2. स्थापना में संविदा श्रमिक / प्रवासी श्रमिक के रूप में नियोजित श्रमिकों की संख्या किसी भी दिन लाइसेंस में निर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी।
3. नियमों में अन्यथा प्रावधान न होने पर, लाइसेंस प्राप्त करने या उसके नवीनीकरण हेतु जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
4. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को देय मजदूरी की दर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 या वेतन संहिता, 2019, जहाँ लागू हो, के अधीन निर्धारित दरों से कम नहीं होगी; तथा जहाँ दरें किसी समझौते, निपटारे, पुरस्कार या सक्षम सरकार द्वारा निर्धारित की गई हों, वहाँ भी उन निर्धारित दरों से कम नहीं होंगी।
5. यदि ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिक वही या समान प्रकार के कार्य करते हैं, जो मुख्य नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए गए श्रमिक करते हैं, तो ऐसे ठेकेदार के श्रमिकों की मजदूरी दरें, अवकाश, कार्य घंटे एवं सेवाओं की अन्य शर्तें, मुख्य नियोक्ता द्वारा नियोजित समान श्रमिकों के समान होंगी। किसी विवाद की स्थिति में निर्णय सक्षम प्राधिकारी या निरीक्षक-कम-फैसिलिटेटर द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।
6. अन्य मामलों में, ठेकेदार के श्रमिकों की मजदूरी, अवकाश, कार्य घंटे एवं सेवा की शर्तें सक्षम प्राधिकारी या निरीक्षक-कम-फैसिलिटेटर द्वारा निर्दिष्ट अनुसार होंगी।
7. प्रत्येक संविदा श्रमिक / प्रवासी श्रमिक को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020 तथा उसके संबंधित नियमों के अनुसार निर्धारित भत्ते, लाभ और सुविधाएं प्राप्त होंगी।
8. प्रत्येक ऐसी स्थापना में, जहाँ सामान्यतः 20 या अधिक महिलाएँ नियोजित हों, छह वर्ष से कम आयु के उनके बच्चों के उपयोग हेतु उचित आकार के दो कक्ष उपलब्ध कराए जाएंगे।
   - एक कक्ष बच्चों के खेलने हेतु
   - दूसरा कक्ष बच्चों के सोने हेतु
   - ठेकेदार इन कक्षों में पर्याप्त खिलौने, खेल सामग्री, शयन कक्ष में पर्याप्त गद्दे एवं बिस्तर उपलब्ध कराएगा।
   - कक्ष के निर्माण एवं रख-रखाव का मानक नामित प्राधिकारी या निरीक्षक-कम-फैसिलिटेटर द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।
9. लाइसेंसधारी श्रमिकों की संख्या या कार्य की शर्तों में किसी भी परिवर्तन की सूचना नामित प्राधिकारी को देगा।
10. लाइसेंस की एक प्रति उस परिसर में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी, जहाँ संविदा कार्य किया जा रहा है।
11. ठेकेदार संहिता एवं इन नियमों के समस्त प्रावधानों का पालन करेगा।
12. लाइसेंसधारी प्रत्येक संविदा कार्य के प्रारंभ एवं पूर्ण होने के 15 दिनों के भीतर, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020 की धारा 46 के अंतर्गत नामित प्राधिकारी को फॉर्म-25 में रिटर्न प्रस्तुत करेगा, जिसमें कार्य के वास्तविक प्रारंभ या पूर्णता की तिथि की सूचना दी जाएगी।

प्रपत्र -ई:

{ sub-rule(4) of Rule- 75 and sub-rule (1) of rule 82}

कार्य के प्रारंभ / पूर्णता की सूचना

1. मुख्य नियोक्ता / नियोक्ता का नाम: अंतर्राज्यीय (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (37 का 1970) भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (27 का 1996) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020 (37 का 2020) के अन्तर्गत।
2. LIN / PAN संख्या: _____
3. ई-मेल आईडी: _____
4. मोबाइल नंबर: _____
5. ठेकेदार का नाम: _____
6. पंजीकरण प्रमाणपत्र / लाइसेंस संख्या एवं तिथि: _____
7. कार्य के प्रभारी व्यक्ति का नाम: _____
8. कार्य प्रभारी व्यक्ति का LIN / PAN नंबर: _____
9. कार्य प्रभारी व्यक्ति की ई-मेल आईडी: _____
10. कार्य प्रभारी व्यक्ति का मोबाइल नंबर: _____
11. कार्य की प्रकृति और स्थापना में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का विवरण, जिसमें संयंत्र (प्लांट) एवं मशीनरी शामिल हो: _____
12. स्थापना में उपयोग किए जाने वाले विस्फोटकों (यदि कोई हो) के भंडारण की व्यवस्था का विवरण: _____

घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा सूचित करते हैं कि कार्य _____ (कार्य का नाम), जो _____ (ठेकेदार का नाम) को लाइसेंस / पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या _____ दिनांक _____ के अंतर्गत दिया गया है,

कार्य दिनांक _____ से प्रारंभ किया गया है / किए जाने की संभावना है / दिनांक _____ को पूर्ण कर लिया गया है।

प्रेषित प्रति

1. प्राधिकारी: _____
2. निरीक्षक-कम-फैसिलिटेटर: _____

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

प्रपत्र -26:

(see Rule-77)

ठेकेदारों का रजिस्टर

क्रमांक	लाइसेंस संख्या एवं तिथि	प्रधान नियोक्ता का नाम एवं पता	ठेकेदार का नाम एवं पता	ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले कार्य/प्रक्रिया का प्रकार	किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या	सम्भावित प्रारंभ तिथि	समाप्ति तिथि	यदि कोई संशोधन हो तो उसका विवरण	अधिकतम नवीनीकरण तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रपत्र -27

(see sub-rule (5) Rule - 78)

सुरक्षा जमा राशि वापसी जारी करने का रजिस्टर

क्रमांक	ठेकेदार का नाम और पता,	जमा की गई प्रतिभूति राशि	जमा की गई प्रतिभूति की तिथि,	भुगतान के लिए प्रतिभूति जमा से जारी की गई राशि,	प्रतिभूति जमा से भुगतान जारी करने के लिए प्राधिकारी के आदेश का संदर्भ,	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7

प्रपत्र -28

संविदा श्रमिक का अनुभव प्रमाणपत्र

(नियम-87 के अनुसार)

1. ठेकेदार / नियोक्ता का नाम: _____*
2. ठेकेदार / नियोक्ता का UIN / PAN नंबर: _____*
3. ठेकेदार / नियोक्ता की ई-मेल आईडी: _____*
4. ठेकेदार / नियोक्ता का मोबाइल नंबर: _____*
5. कार्य की प्रकृति एवं स्थान: _____
6. मुख्य नियोक्ता का नाम: _____*
7. मुख्य नियोक्ता का UIN / PAN नंबर: _____*
8. मुख्य नियोक्ता की ई-मेल आईडी: _____*
9. मुख्य नियोक्ता का मोबाइल नंबर: _____*
10. श्रमिक / श्रमिक का नाम: _____*
11. UAN / आधार नंबर: _____*
12. मोबाइल नंबर: _____
13. श्रमिक रजिस्टर में क्रम संख्या: _____
14. श्रम एवं बोर्ड का पंजीकरण संख्या, तिथि एवं नाम

(यदि संविदा श्रमिक उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या उत्तराखंड असंगठित श्रमिक कल्याण बोर्ड में लाभार्थी के रूप में पंजीकृत है): _____

15. रोजगार की अवधि: _____
16. पदनाम: _____

दिनांक: _____ ठेकेदार के हस्ताक्षर: _____

स्थान: _____ मुहर: _____

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

प्रपत्र -29

कोर गतिविधि की घोषणा हेतु आवेदन

(नियम-88 के उप-नियम (1) के अनुसार)

सेवा में

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,

श्रम एवं रोजगार विभाग, उत्तराखंड सरकार

महोदय/महोदया,

1. स्थान/स्थानों का नाम एवं पता:

_____

_____

2. निर्माण / उत्पादन प्रक्रिया का फ्लो-चार्ट संलग्न है।
3. गतिविधि का प्रकार:

_____

(कोर गतिविधि / नॉन-कोर गतिविधि)

4. विशेष गतिविधि का विवरण:

_____

_____

_____

5. इस आवेदन के आधार का विवरण:

_____

_____

_____

6. विशेष गतिविधि में नियोजित श्रमिकों की संख्या: _____
7. संस्थान में नियोजित कुल श्रमिकों की संख्या: _____

प्रार्थना:

_____

_____

हस्ताक्षर:
(नाम एवं पता)

_____

सत्यापन:
यह सत्यापित किया जाता है कि इस आवेदन की विषयवस्तु मेरी / हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है।
हस्ताक्षर:
(नाम एवं पता)

_____

प्रपत्र -30
(नियम-53 के अनुसार)
श्रव्य-दृश्य कार्यक्रमकार एवं श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम के निर्माता/ठेकेदार के मध्य समझौता

यह समझौता दिनांक ____ महीना _____वर्ष____ को निम्नलिखित के बीच किया गया है.

1. मेसर्स _____ (प्रोडक्शन हाउस का नाम) (एकल स्वामित्व वाली फर्म-साझेदारी अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत फर्म-कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित और पंजीकृत कंपनी) जिसका कार्यालय _____ में है (जिसे इसके बाद -निर्माता- कहा गया है) प्रथम पक्ष

और

2. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ श्री _____ के पुत्र/पुत्री/पत्नी, निवासी (जिसे इसके बाद -ऑडियो विजुअल वर्कर- कहा गया है) द्वितीय पक्ष।

"निर्माता" और "श्रव्य-दृश्य कार्यकर्ता" शब्दों में उनके उत्तराधिकारी, वारिस, प्रशासक और कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे.

चूंकि निर्माता व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कार्य स्थितियों संहिता 2020 की धारा 2(ई) में परिभाषित श्रव्य-दृश्य निर्माण में संलग्न है;

चूंकि उक्त निर्माता उपरोक्त श्रव्य-दृश्य निर्माण में श्रव्य-दृश्य कार्यकर्ता को _____ के पद पर नियुक्त करना चाहता है और श्रव्य-दृश्य कार्यकर्ता इसे स्वीकार करता है;

अतः, यह समझौता निम्नानुसार किया जाता है:

1. दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि इस समझौते की अवधि आज की तारीख से ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन के पूरा होने तक रहेगी और यह अवधि लगातार ____ महीनों से अधिक नहीं होगी।

2. ऑडियो विजुअल वर्कर स्टूडियो, लोकेशन या कार्यस्थल पर, जैसा भी मामला हो, अपने पूर्व अनुबंध की आवश्यकता के अधीन और अपनी पुष्टि के बाद, निर्माता या उनके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित सूचना दिए जाने पर समय पर अपने संबंधित कार्य पर उपस्थित होने के लिए सहमत है।
3. ऑडियो विजुअल वर्कर की सेवाओं के बदले में, निर्माता _____ रुपये, _____ रुपये का भुगतान करने के लिए सहमत है और ऑडियो विजुअल वर्कर इस समझौते पर हस्ताक्षर करने पर अग्रिम के रूप में _____ रुपये प्राप्त करने के लिए सहमत है और शेष _____ रुपये _____ समान किस्तों में देय होंगे;

4. यदि ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन निर्धारित अवधि के भीतर पूरा नहीं होता है और निर्माता को प्रोडक्शन पूरा करने के लिए ऑडियो विजुअल वर्कर की सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो निर्माता आनुपातिक आधार पर अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए सहमत है और ऑडियो विजुअल वर्कर ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन के पूरा होने तक उपरोक्त खंड 3 में वर्णित तरीके से अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए सहमत है।

5. यदि ऑडियो विजुअल वर्कर का कार्य उपरोक्त खंड 1 और 4 में निर्धारित अवधि से पहले पूरा हो जाता है, तो निर्माता ऑडियो विजुअल वर्कर के खाते का निपटान करेगा और ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन के पुनः रिकॉर्डिंग/सेंसर कार्य शुरू होने से पहले, जो भी पहले हो, समझौते की शेष राशि का पूरा भुगतान करेगा।

6. निर्माता इस बात से सहमत है कि इस समझौते के प्रयोजनों के लिए-

(क) कार्य दिवस का अर्थ लगातार आठ घंटे से अधिक की अवधि नहीं होगी (जिसमे विश्राम और जलपान के लिए एक घंटे का अवकाश शामिल है);

(ख) कार्य सप्ताह का अर्थ सोमवार से शनिवार तक छह दिन का सप्ताह होगा, जिसमें दोनों दिन शामिल हैं, और ऑडियो विजुअल वर्कर रविवार और सार्वजनिक अवकाशों पर काम करने के लिए बाध्य नहीं होगा;
(ग) ऑडियो विजुअल वर्कर को बिना अवकाश के लगातार पांच घंटे से अधिक काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा; और
(घ) ऑडियो विजुअल वर्कर के स्टूडियो/स्थान/कार्यस्थल से छुट्टी होने और अगली कॉल के बीच कम से कम बारह घंटे का अंतराल होना चाहिए।
7. ऑडियो विजुअल वर्कर, यदि आवश्यक हो, तो-
(क) स्टूडियो, लोकेशन या कार्यस्थल पर, शिफ्ट के निर्धारित समय से पहले, तैयारी के काम के लिए उपस्थित होगा/होगी, और ऐसी स्थिति में, उसे निर्माता द्वारा इस समय से पहले उपस्थिति के लिए प्रति घंटा या उसके अंश के हिसाब से ___ रुपये की दर से अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाएगा;

(ख) कार्यदिवस के बाद एक घंटे के ब्रेक के साथ काम जारी रखेगा/रखेगी, और ऐसी स्थिति में, उसे निर्माता द्वारा अतिरिक्त घंटों के काम के लिए _____ रुपये की दर से अतिरिक्त मजदूरी, जलपान और परिवहन सुविधाओं का भुगतान किया जाएगा।
8. निर्माता, कार्य पर आने-जाने के लिए परिवहन और भोजन की व्यवस्था करेगा या यात्रा भत्ता देगा तथा कार्य के दौरान भोजन भत्ता देगा, जैसा कि निर्माता और ऑडियो विजुअल वर्कर के प्रतिनिधि संगठनों के बीच द्विपक्षीय समझौतों द्वारा निर्धारित किया गया हो;
9. निर्माता, ऑडियो विजुअल वर्कर के बाहरी स्थानों पर कार्य करने की स्थिति में, सभी यात्रा और आवास व्यय, किराया, भोजन की लागत और अन्य सभी प्रचलित भत्तों का भुगतान करेगा;
10. निर्माता, ऑडियो विजुअल वर्कर का बीमा कराएगा ताकि उसके रोजगार के दौरान या उससे संबंधित किसी दुर्घटना में हुई किसी भी चोट या क्षति, जिसमें मृत्यु भी शामिल है, से बचाव हो सके, जो इस समझौते के तहत उसके कार्य की अवधि के दौरान हुई हो;
11. यदि निर्माता आग, दंगा, प्राकृतिक आपदा, सार्वजनिक प्राधिकरण के आदेश या किसी अन्य ऐसे कारण से ऑडियो विजुअल का निर्माण करने में असमर्थ हो जाता है जो उसके नियंत्रण से बाहर हो।
(क) यदि निर्माण कार्य निलंबित हो जाता है, तो निर्माता को निर्माण कार्य के निलंबन की अवधि के दौरान इस समझौते के संचालन को निलंबित करने का अधिकार होगा। निर्माता ऑडियो विजुअल वर्कर को निलंबन की लिखित सूचना देगा और सूचना दिए जाने की तिथि तक उसके सभी बकाया का भुगतान करेगा। फिल्म पर काम फिर से शुरू होने पर, यह समझौता पुनर्जीवित हो जाएगा और खंड 1 में निर्धारित अवधि के लिए वैध रहेगा, जिसमें निलंबन की अवधि शामिल नहीं होगी, या
(ख) यदि निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद हो जाता है, तो निर्माता को निर्माण कार्य के बंद होने की तिथि से इस समझौते को समाप्त करने का अधिकार होगा। निर्माता ऑडियो विजुअल वर्कर को ऐसे बंद होने की लिखित सूचना देगा और समाप्ति के समय ऑडियो विजुअल वर्कर को देय सभी राशि का भुगतान करेगा।

12. यदि निर्माता, ऑडियो विजुअल वर्कर के कर्तव्यों के निर्वहन में दुर्व्यवहार या इस समझौते के तहत अपेक्षित सेवाओं को प्रदान करने की उसकी अनिच्छा के अलावा किसी अन्य कारण से, इस समझौते की अवधि समाप्त होने से पहले इसे समाप्त करना चाहता है, तो निर्माता ऐसा केवल समझौते की निर्धारित राशि का भुगतान करने पर ही कर सकेगा। ऑडियो विजुअल वर्कर को यह भुगतान करने के बाद ही निर्माता उसके स्थान पर किसी अन्य ऑडियो विजुअल वर्कर को नियुक्त करने का हकदार होगा।
13. निर्माता को ऑडियो विजुअल वर्कर द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में दुर्व्यवहार या समझौते के तहत अपेक्षित सेवाओं को प्रदान करने की उसकी अनिच्छा के आधार पर इस समझौते को समाप्त करने का अधिकार होगा, बशर्ते ऑडियो विजुअल वर्कर को समाप्ति के समय देय राशि का भुगतान किया जाए, जिसकी गणना फिल्म में ऑडियो विजुअल वर्कर के कुल कार्य और इस समझौते की समाप्ति की तिथि तक उसके द्वारा पूर्ण किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। निर्माता और ऑडियो विजुअल कार्यकर्ता के बीच सेवा समाप्ति या अन्य शर्तों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, विवाद समाधान तंत्र, प्रक्रिया और प्राधिकरणों तथा न्यायालयों का गठन औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार होगा।

14. इस समझौते के समय से पहले समाप्त होने की स्थिति में, निर्माता के पास यह विकल्प होगा कि वह फिल्म में ऑडियो विजुअल वर्कर के काम को बरकरार रखे या नहीं, और साथ ही, ऑडियो विजुअल वर्कर के पास यह विकल्प होगा कि वह ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन के क्रेडिट टाइटल में अपना नाम शामिल करने की अनुमति दे या नहीं।

15. निर्माता को स्क्रीन पर ऑडियो विजुअल वर्कर के व्यक्तित्व, उसके पहनावे, मेकअप और केशविन्यास को प्रदर्शित करने का तरीका तय करने का अधिकार होगा, और ऑडियो विजुअल वर्कर इस संबंध में निर्माता के निर्देशों का पूरी तरह और स्वेच्छा से पालन करेगा, बशर्ते कि निर्माता की इस संबंध में आवश्यकताओं की सूचना ऑडियो विजुअल वर्कर को दे दी गई हो और उसने उन्हें स्वीकार कर लिया हो।

16. ऑडियो विजुअल वर्कर इस बात से सहमत है कि वह निर्माता या, उसके निर्देश पर, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन के निर्देशक द्वारा निर्देशित तरीके से अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करेगा और ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन के निर्माण के लिए उनके द्वारा दिए गए सभी उचित निर्देशों का पालन करेगा।

17. ऑडियो विजुअल कर्मी स्टूडियो, लोकेशन या कार्यस्थल के सभी नियमों का पालन करेगा।

18. निर्माता ऑडियो विजुअल कर्मी की लिखित सहमति के बिना इस समझौते का लाभ किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित या सौंप नहीं सकता है।

19. कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधान इस समझौते पर लागू होंगे।

20. निर्माता ऑडियो विजुअल कर्मी की पूर्व अनुमति के बिना, इस समझौते के अंतर्गत निर्मित ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन के अलावा किसी अन्य ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन में ऑडियो विजुअल कर्मी के काम का उपयोग नहीं करेगा।

हस्ताक्षर और तिथि

उपरोक्त तिथि, माह एवं वर्ष को, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की उपस्थिति में तथा साक्षियों की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

साक्षी:

1. निर्माता के हस्ताक्षर
   नाम: _____
   पता: _____
2. अंशदायी कर्मचारी के हस्ताक्षर
   नाम: _____
   पता: _____

प्रपत्र-31

(नियम 98 के उप-नियम (1) एवं नियम 88 के अंतर्गत)

बीड़ी एवं सिगार कार्य हेतु लाइसेंस प्रदान करने / नवीनीकरण के लिए आवेदन

1. औद्योगिक परिसर का पूर्ण नाम: _____
2. पता एवं संपर्क विवरण:
   (एक) औद्योगिक परिसर का पूर्ण डाक पता एवं स्थिति: _____
   (दो) औद्योगिक परिसर से संबंधित पत्राचार जिस पते पर भेजा जाना है, उसका पूर्ण पता: _____
   (तीन) आवेदक का पूर्ण पता*: _____
3. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी एक दिन में नियोजित किए जाने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या: _____
4. संहिता के प्रयोजनों के लिए नियोक्ता होने वाले व्यक्ति का पूरा नाम एवं आवासीय पता: _____
5. यदि नियोक्ता साझेदारी फर्म या कंपनी है, तो अन्य भागीदारों या निदेशकों का पूरा नाम एवं आवासीय पता (अंत में दी गई टिप्पणी देखें): _____
6. नियोक्ता के वित्तीय संसाधन, जैसे-नकद एवं अचल संपत्तियों का विवरण एवं मूल्य, बैंक संदर्भ, आयकर निर्धारण का विवरण: _____
7. क्या नियोक्ता व्यापार एवं वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पंजीकृत ट्रेडमार्क धारक है: _____
8. क्या प्रस्तावित औद्योगिक परिसर का स्थल किसी विद्यमान औद्योगिक परिसर के स्थल में परिवर्तन के अंतर्गत आता है; यदि हाँ, तो ऐसे परिवर्तन के कारण: _____
9. संवाद प्राप्त करने का स्रोत: _____
10. *क्या आवेदक द्वारा निर्मित बीड़ी या सिगार या दोनों का विक्रय एवं विपणन स्वयं द्वारा किया जाएगा या व्यापार एवं वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पंजीकृत ट्रेडमार्क के स्वामी/पंजीकृत उपयोगकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से किया जाएगा:* _____
11. क्या परिसर के नक्शे संलग्न किए गए हैं (हाँ/नहीं): _____
12. शुल्क की राशि (रु.): _____

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं।

दिनांक: _____

हस्ताक्षर: आवेदक* _____

टिप्पणी:

यदि कोई औद्योगिक परिसर किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों/कंपनी के लिए या उनकी ओर से किसी ठेकेदार द्वारा संचालित किया जा रहा है या प्रस्तावित है, तो अधिनियम के अंतर्गत वही अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों/कंपनी नियोक्ता मानी जाएगी। इस प्रपत्र में 'नियोक्ता' के लिए प्रतिष्ठ की जाने वाली जानकारी उसी व्यक्ति/व्यक्तियों/कंपनी के संबंध में होगी।

*लाइसेंस हेतु आवेदक ठेकेदार या नियोक्ता–कोई भी हो सकता है।

प्रपत्र- 32

(नियम 98 के उप-नियम (5) एवं नियम 104 के उप-नियम (2) के अंतर्गत)

नियोक्ता द्वारा घोषणा-पत्र

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता/करती/करते हैं कि:

लाइसेंस हेतु आवेदन में दी गई समस्त जानकारियाँ प्रत्येक दृष्टि से सत्य, पूर्ण एवं सही हैं।

मैं/हम व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए उत्तराखंड नियमों के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंस की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करता/करती/करते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करता/करती/करते हैं कि आवेदन में दी गई किसी भी जानकारी के लिए मैं/हम पूर्णतः उत्तरदायी होंगे, तथा यदि किसी भी विवरण को असत्य या गलत पाया जाता है, तो संहिता, 2020 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुझे/हमें प्रदान किया गया लाइसेंस वापस लिया जा सकता है।

दिनांक: _____

स्थान: _____

हस्ताक्षर (नाम एवं पदनाम): _____

प्रपत्र-33

(नियम 100 एवं नियम 104 के उप-नियम (4) के अंतर्गत)

लाइसेंस

एकीकरण संख्या: _____

लाइसेंस संख्या: _____

अदा किया गया शुल्क (रु.): _____

एतद्द्वारा यह लाइसेंस _____ को नीचे वर्णित परिसर में औद्योगिक परिसर के रूप में उपयोग हेतु प्रदान किया जाता है, जिसमें वर्ष के दौरान किसी एक दिन में अधिकतम ___ कर्मचारियों को नियोजित किया जा सकेगा, जो परिशिष्ट में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा।

यह लाइसेंस दिनांक 31 मार्च ___ तक प्रभावी रहेगा।

औद्योगिक परिसर का नाम: _____

औद्योगिक परिसर की स्थिति/स्थान: _____

शक्ति-चालित मशीनरी की स्थापना हेतु भी अनुमति प्रदान की जाती है: _____

दिनांक: _____

प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर: _____

नवीनीकरण

(नियम 104 के अनुसार

नवीनीकरण की तिथि	नवीनीकरण हेतु अदा किया गया शुल्क	समाप्ति की तिथि
1. 2. 3. 4.		

दिनांक: _____

प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

परिशिष्ट (Annexure)

यह लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

1. निर्माण प्रक्रिया केवल उसी औद्योगिक परिसर के उस भाग में संचालित की जाएगी, जो इस प्रयोजन हेतु लाइसेंस में निर्दिष्ट है।
2. औद्योगिक परिसर में नियोजित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या किसी भी दिन लाइसेंस में निर्दिष्ट संख्या से अधिक नहीं होगी।
3. लाइसेंस में निर्दिष्ट की गई शक्ति-चालित मशीनरी का उपयोग परिसर में निर्माण प्रक्रिया हेतु ही किया जाएगा।
4. सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति अनुमति के बिना औद्योगिक परिसर का विस्तार नहीं किया जाएगा तथा ऐसी ही अनुमति के बिना किसी भी भवन में कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
5. यह लाइसेंस हस्तांतरणीय नहीं होगा।

प्रपत्र-34

(नियम 101 के उप-नियम (1) के खंड (i), उप-नियम (3) के खंड (vii) तथा उप-नियम (7) के खंड (vii) के अंतर्गत)

धूल-पुताई, रंगाई, वार्निशिंग, पेंटिंग एवं सफाई का अभिलेख

औद्योगिक परिसर का भाग(कक्ष का नाम))	किस भाग में धूल-पुताई / रंगाई / पेंटिंग / वार्निशिंग की गई (दीवारें, छत, सफाई का कार्य आदि))	किया गया उपचार – धूल-पुताई / पेंटिंग / वार्निशिंग / सफाई	जिस तिथि को धूल-पुताई / पेंटिंग / वार्निशिंग / सफाई की गई (DD / MM / YY))	टिप्पणी	नियोक्ता या प्रबन्धक के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

प्रपत्र-35

(नियम 100 के उप-नियम (1) के अंतर्गत)

औद्योगिक परिसर के बाहर कराए जाने वाले कार्य हेतु आवेदन

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,

श्रम एवं रोजगार विभाग,

उत्तराखंड सरकार।

विषय: औद्योगिक परिसर के बाहर कराए जाने वाले कार्य हेतु आवेदन

महोदय,

मैं, _____, _____ (स्थापनाक का नाम) का स्वामी / अधिभोक्ता / नियोक्ता, अपने कर्मचारियों की ओर से, बीड़ी या तंबाकू की पत्तियों को भिगोने (सोटिंग) एवं काटने (कटिंग) का कार्य औद्योगिक परिसर के बाहर कराए जाने हेतु अनुमतिप्रदान करने के लिए इतद्वारा आवेदन करता / करती हूँ।

1. स्थापनाक का प्रकार: _____
2. स्थापनाक का नाम एवं पता: _____
3. लाइसेंस संख्या: _____
4. लाइसेंस जारी करने की तिथि: _____
5. लाइसेंस की वैधता की तिथि: _____
6. कार्य की प्रकृति: _____
7. वह स्थान / स्थान जहाँ औद्योगिक परिसर के बाहर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है: _____
8. बीड़ी या तंबाकू की पत्तियों को भिगोने या काटने के लिए प्रस्तावित बाह्य कार्य-स्थल की उपयुक्तता का विवरण: _____
9. स्थापनाक का ब्रांड नाम / ट्रेडमार्क: _____
10. बीड़ी या तंबाकू की पत्तियाँ प्राप्त करने का स्रोत: _____
11. कार्य प्रारंभ करने की तिथि: _____
12. नियोजित किए जाने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या: _____
13. टिप्पणी: _____

घोषणा:

1. मैं एतद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है।
2. मैं यह आश्वासन देता / देती हूँ कि यदि इस हेतु अनुमतिप्रदान की जाती है, तो उस अनुमति के अंतर्गत निर्धारित समस्त शर्तों का पालन मेरे द्वारा किया जाएगा।
3. मैं यह भी आश्वस्त करता / करती हूँ कि मैं संहिता एवं उसके अंतर्गत बनाए गए समस्त नियमों के प्रावधानों का पालन करूँगा / करूँगी तथा यदि किसी भी चरण में किसी प्रकार का उल्लंघन पाया जाता है, तो यह अनुमति समाप्त की जा सकती है एवं मेरे विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकती है।

दिनांक: _____

स्थान: _____

मुहर एवं हस्ताक्षर:

स्वामी / अधिभोक्ता / नियोक्ता

या अधिकृत हस्ताक्षरी

प्रपत्र-36

(नियम 107 के उप-नियम (1) के अंतर्गत)

बाह्य कार्य का अभिलेख

औद्योगिक परिसर के बाहर कार्य की अनुमति प्रदान करने संबंधी सरकारी आदेश की संख्या एवं तिथि: _____

दिनांक	वह स्थान/स्थान जहाँ बाह्य कार्य की अनुमति दी गई	कार्य की प्रकृति	श्रमिक का नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5

प्रपत्र-37

(नियम 107 के उप-नियम (2) के अनुसार)

गृह-कार्यकर्ता (होमवर्कर) की डायरी

1. गृह-कार्यकर्ता का नाम: _____
2. गृह-कार्यकर्ता का पता (जहाँ निर्माण प्रक्रिया की जाती है): _____
3. माह एवं वर्ष: _____
4. घर पर किए गए कार्य का विवरण:

(क) कच्चा माल की आपूर्ति एवं प्राप्त बीड़ियों का विवरण: _____

दिनांक	श्रमिक को प्रदत्त कच्चा माल			श्रमिक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान	नियोक्ता द्वारा प्राप्त बीड़ियों की संख्या
	तेंदू पत्ता	तंबाकू	धागा		

1	2	3	4	5	6

मानक बीड़ियों की संख्या	अमानकाकार बीड़ियों की संख्या	बीड़ियों एवं मजदूरी का विवरण		भागीदारों को भुगतान की गई मजदूरी
		मानक बीड़ियों के लिए	अमानक या छंट बीड़ियों के लिए	
7	8	9	10	11

ट्रेन-नंबर	उक्त तिथि तक बकाया मजदूरी की धनराशि	श्रमिक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान	नियोक्ता के हस्ताक्षर
12	13	14	15

प्रपत्र-38

(नियम 108 के उप-नियम (7) को देखें)

योजना की स्वीकृति एवं स्थल के लिए अनुमति का प्रपत्र

1. कारखाने का नाम: .....
2. कारखाने का स्थान: ..... (यदि संभव हो तो जियो-मैपिंग संकेत)
3. नियोक्ता का नाम: .....
4. नियोक्ता का पता, दूरभाष संख्या एवं ई-मेल आईडी: .....
5. अधिभोगी (Occupier) का नाम, पता, दूरभाष संख्या एवं ई-मेल आईडी: .....
6. प्रबंधक (Manager) का नाम, पता, दूरभाष संख्या एवं ई-मेल आईडी: .....
7. राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (NIC) के अनुसार गतिविधियाँ / प्रस्तावित गतिविधि: .....
8. प्रस्तावित NIC कोड का विवरण: .....
9. नियोजित या नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की संख्या: .....
10. उपयोग की जा रही या लिए जाने वाली शक्ति (भार) का विवरण: .....

हस्ताक्षर

(नाम एवं पदनाम)

प्रपत्र-39

(नियम 108 के उप-नियम (3), उप-नियम (4) के खंड (क) को देखें)

[कारखाने के कमरों का विवरण]

कारखाने में कमरे का नाम	आयाम (मीटर में)					क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	मात्र 2 मजदूरों द्वारा काम करने	पूर्वज स्थान (छत मीटर में आवासी, दरवाजे से वायु का प्रवेश आवागमन	हवादारी की संख्या एवं आकार	प्रकाश			कमरे की अधिकतम क्षमता	कमरे में नियोजित किए जाने वाले मजदूरों की अधिकतम संख्या	क्या यह कक्ष कार्य-उपयोग के लिए में उपयोग किया जाएगा	प्रमाणित की तिथि	टिप्पणी
	लंबाई	चौड़ाई	कैनाई							विद्युतीय के कुल बल्बों की संख्या एवं आकार	फ्लोरोसेंट (नल की गोलाकारों के कुल बल्बों की संख्या एवं	कुल क्षेमता (वर्ग मुट मी)					
			अधिकतम	न्यूनतम	औसत												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

अधिभोगी (Occupier) के हस्ताक्षर: .....

प्रबंधक (Manager) के हस्ताक्षर: .....

प्रपत्र-39

प्रश्नावली (Questionnaire Annexed to प्रपत्र -39)

सावधानी: प्रश्नावली पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने से कानून के अनुरूप योजनाएँ तैयार करने में सहायता मिलेगी और योजनाओं के निपटान में अनावश्यक विलंब से बचा जा सकेगा।

टिप्पणी: साइट-प्लान न्यूनतम 100'-1" के पैमाने पर बनाना है।
अन्य समस्त योजनाएँ न्यूनतम 10'-1" के पैमाने पर बनानी चाहिए।

1. योजनाएँ (Plans)

(क) क्या संकलित आवेदन के क्षेत्र को इंगित मात्र साइट-प्लान (जिसमें सन्निकटवर्ती भवन/संरचनाएँ, सड़कें, गलियाँ आदि शामिल हैं) तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया गया है?

.....

(ख) यदि फैक्टरी से 100 फुट के भीतर भूमिगत सीवरेज प्रणाली है, तो क्या उसका स्थान साइट-प्लान में दर्शाया गया है?

.....

(ग) क्या उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की दिशाएँ साइट-प्लान तथा विस्तृत योजनाओं में दर्शाई गई हैं?

.....

(घ) क्या परिसर तथा आसपास के क्षेत्रों के नगरपालिका नंबर या कोई नंबर साइट-प्लान में दिखाए गए हैं?

.....

(ङ) क्या फैक्टरी परिसर को साइट-प्लान में विशिष्ट रंग से स्पष्ट रूप से सीमांकित किया गया है?

.....

(च) क्या दरवाजे, खिड़कियाँ, संरचनाएँ, अग्नि-निकास (Fire escapes) आदि से संबंधित समस्त आवश्यक विवरण दर्शाने वाली फैक्टरी की विस्तृत योजनाएँ तीन प्रतियों में प्रस्तुत की गई हैं?

.....

(छ) क्या नए भवन, भवन के भाग (यदि विस्तार हो) या मौजूदा भवनों में किए गए परिवर्तन, विशिष्ट रंग से चिह्नित सीमाओं सहित दिखाए गए हैं?

.....

(ज) क्या समस्त बाड़े, शेड, घेरे (enclosures) आदि योजनाओं में भूतल के भीतर उपयुक्त संख्या के साथ अंकित हैं, जो धारा -42 की आम प्रतिलिपि से मेल खाते हैं?

.....

(झ) क्या समस्त कमरों/वॉर्डों की कमरेवार साइट-प्लान में दर्शाई गई है और उन्हें वही क्रम संख्या दी गई है जो ऊपर (ङ) में है?

.....

(ञ) क्या ऐसे कमरों/वॉर्ड आदि का सेक्शनल एलीवेशन (Sectional Elevation) अलग से दर्शाया गया है?

.....

(ट) क्या प्रत्येक कमरे/वॉर्ड आदि की न्यूनतम और अधिकतम ऊँचाई सेक्शनल एलीवेशन में स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है?

.....

(ठ) क्या छत के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री सेक्शनल एलीवेशन में दर्शाई गई है?

.....

(ड) क्या समस्त कार्य-कक्षों (workrooms) की ऊँचाई Rule-70 के प्रावधानों के अनुरूप है?
(एक) C.I. शीट छत होने पर न्यूनतम ऊँचाई 20 फुट: .....
(दो) A.C. शीट या R.B.R.C.C. छत होने पर न्यूनतम ऊँचाई 14 फुट: .....
(तीन) 14 फुट की न्यूनतम ऊँचाई पर कम से कम 4 इंच के एयर-गैप के साथ ऊष्मा-रोधी सामग्री की आंतरिक छत (inner ceiling) एवं सामग्री का नाम: .....

(चार) R.B./R.G.C. छत के लिए 12 फुट तक की ऊँचाई हेतु छूट (exemption) मांगी गई

(पांच) किसी भी दिन फैक्टरी में 150 से अधिक कर्मचारियों को न नियुक्त करने का आश्वासन और छूट:

(n) चौकीदारों/सुरक्षागार्डों से निकटतम भवन की न्यूनतम दूरी योजनाओं में दर्शाई गई है?

(o) निकटतम कुआँ, हैंड-पंप या अन्य पेयजल केंद्र से न्यूनतम दूरी ड्रॉइंग में दर्शाई गई है?

(p) जल-केंद्र योजनाएँ दर्शाई गई हैं?

(q) समस्त दरवाजों और वेंटिलेटरों का आकार तथा उनकी सटीक स्थिति योजनाओं में दर्शाई गई है?

(r) फैक्टरी परिसर के भीतर बहने वाले सुलेज/स्वेज जल, अपशिष्ट जल और कचरे के निस्तारण हेतु समस्त नालियाँ, पाइप और सीवर निर्मित होकर योजनाओं में दर्शाए गए हैं?

(s) लगाए गए या प्रस्तावित समस्त मशीनों की स्थिति उनके नाम सहित ड्रॉइंग में दर्शाई गई है?

2. प्रपत्र 42 की प्रस्तुति

(क)क्या प्रपत्र -42 तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया गया है और उन समस्त कार्य-कक्षों/गोदामों आदि के लिए भरा गया है जिन्हें बनाया या विस्तारित किया जाना प्रस्तावित है?

(ख)क्या प्रपत्र -42 के समस्त कॉलमों में केवल आंतरिक आयाम (internal dimensions) ही दर्ज किए गए हैं?

(ग)क्या कार्य-कक्षक्षेत्र आदि का श्वसन-स्थान (Breathing space) निम्न प्रकार से गणना किया गया है:
कमरे का फर्श क्षेत्रफल × उसकी औसत ऊँचाई (14 फुट से ऊपर की ऊँचाई गणना से बाहर रखी जाएगी)?

(घ)क्या प्रपत्र No-42 के कॉलम संख्या15 में अधिकतम क्षमता दर्ज की गई है?
नीचे दी गई दो गणनाओं में से कम मान के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों की संख्या:
(एक) कमरे का फर्श क्षेत्रफल – कमरे में मशीनरी द्वारा घिरा क्षेत्रफल ÷ 35 [rule 70(2)]

(दो) श्वसन-स्थान (ऊपर (ग)के अनुसार) ÷ 500

(ङ)क्या ऊपर निकाली गई अधिकतम व्यक्तियों की संख्या (कम मान) को प्रत्येक कार्य-कक्ष के लिए योजनाओं में भी दर्शाया गया है, जो प्रपत्र -42 के कॉलम 15 से मेल खाती हो?

(च)क्या खिड़की, वेंटिलेटर और स्काईलाइट का क्षेत्रफल कमरे के फर्श क्षेत्रफल के प्रत्येक 15 वर्ग-फुट पर कम से कम 1 वर्ग-फुट की दर से प्रदान किया गया है?
(धारा 22(2)(दो) एवं उसके नियम)

(छ)क्या प्रपत्र -26 के कॉलम 12 और 13 के अंतर्गत खिड़कियाँ, वेंटिलेटर और/स्काईलाइट वेंटिलेशन हेतु खोले जा सकते हैं?

सिफारिश, क्रॉस-वेंटिलेशन के लिए खिड़कियाँ और स्काईलाइट आमने-सामने प्रदान की जाएँ।

(h) क्या निर्माण प्रक्रिया का फ्लो-चार्ट, विभिन्न चरणों के संक्षिप्त विवरण सहित, तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया गया है? [Rule 69(1)]

3. दरवाजे और वेंटिलेटर

(क)क्या प्रत्येक कार्य-कक्ष में कम से कम दो दरवाजे या निकास (exits) उपलब्ध हैं?

(ख)क्या प्रत्येक दरवाजे या निकास का न्यूनतम आकार 6'-6" × 3' है?

(ग)क्या दो आसन्न (adjacent) कमरों के बीच सामान्य दरवाजे या वेंटिलेटरों को दोनों कमरों में गिना गया है?

(घ)क्या सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलते हैं?

(ङ)क्या प्रपत्र -42 के कॉलम 12 और 13 में दर्ज खिड़कियाँ और स्काईलाइट वास्तव में वेंटिलेशन का उद्देश्य पूरा करती हैं?

4. अग्नि-निकास (Fire Exits)(a) – (एक से अधिक मंजिल वाले भवनों के मामले में)

(क)क्या भवन के दोनों ओर दो अग्नि-निकास उपलब्ध कराए गए हैं?

(ख)क्या भवन की ऊपरी मंजिल के प्रत्येक कमरे से अग्नि-निकास तक पहुँच संभव है?

(ग)क्या अग्नि-निकास के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री अ-दहनशील (non-combustible) है?

(घ)क्या बाहरी सीढ़ी तक पहुँच देने वाली खिड़कियाँ/दरवाजे भीतर से दूरा खुलने की व्यवस्था वाले हैं?

(ङ)क्या कोई अग्नि-निकास या सीढ़ी क्षैतिज से 45° से अधिक कोण पर निर्मित है?

(च)क्या किसी अग्नि-निकास या सीढ़ी की चौड़ाई 45 इंच से कम है?

(छ)क्या फैक्टरी भवन का कोई भी भाग (आवागमन की रेखा के अनुसार) अग्नि-निकास सीढ़ी से 150 फुट से अधिक दूरी पर है?

(ग) क्या ऊपर दिए गए बिंदु 4(a), (क)और (छ)के विवरण प्रस्तुत की जा रही विभिन्न दृष्टियों में स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं?

(घ) क्या फैक्टरी तथा उसके परिसर का सेट-बैक क्षेत्र खुला और अवरोध-मुक्त है?

5. सौचालय और मूत्रालय :

(ङ)क्या पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय और मूत्रालय उपलब्ध हैं?

(ख)क्या ये धारा 23(2)(आठ) तथा उससे संबंधित नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं?

(ग)क्या चारों ओर 4 फुट तक का आसपास का क्षेत्र अभेद्य (impermeable) सामग्री का बना है?

(घ)क्या अस्पताल की जमीन भूमि-स्तर से कम से कम 6 इंच ऊँची है?

(ङ)क्या किसी शौचालय का वेंटिलेटर या खुलापन मुख्य भवन के किसी खुलाव के निकट स्थित है?

(च)क्या कोई शौचालय या मूत्रालय बिना खुले आकाश वाले मध्यवर्ती स्थान के सीधे किसी कार्य-कक्ष से जुड़ा है?

(छ)क्या शौचालय चलन प्रकार के हैं?

(b) क्या फैक्टरी परिसर के भीतर बहने वाले मूत्रमेज, सीवेज जल, आवश्यिष्ट जल एवं कचरे के लिए समस्त नालियाँ, पाइप और सीवर अभेद्य सामग्री के बने हैं?

(एक) क्या चलन शौचालयों की नालियाँ स्थानीय बोर्ड की ड्रेनेज प्रणाली से जुड़ी हैं?

(i) यदि कोई ड्रेनेज प्रणाली उपलब्ध नहीं है, तो क्या प्रभावी सेप्टिक टैंक प्रणाली प्रदान की गई है?

(ii) क्या शौचालयों पर छत (roofing) उपलब्ध है?

6. पेयजल

(क)क्या पेयजल स्थानीय बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए स्रोत से प्रदान किया जाता है?

(ख)क्या फैक्टरी परिसर में पेयजल या आर्द्रीकरण (humidification) के लिए कोई कुआँ निर्मित है?

(ग)क्या कुएँ की सिलिंडर संरचना पक्की है और पूरी तरह जल-अभेद्य है, तथा उप-मृदा जल के न्यूनतम स्तर तक बनी है?

(घ)क्या जल-केंद्रों (कुएँ, हैंडपंप आदि) की स्थिति धुलाई स्थान, शौचालयों और मूत्रालयों से कम से कम 20 फुट दूर है?

---

7. विश्राम-आश्रय, कैंटीन और शिशु-गृह (Creche)

(यदि परिसरों द्वारों से किसी से संबंधित हों, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएँ)

(एक) विश्राम-आश्रय (Rest Shelter)

(क)क्या भवन धारा 24(2)(तीन) तथा उससे संबंधित नियमों की आवश्यकताओं को पूर्णतः पूरा करता है?

(ख)क्या छत ऊष्मा-रोधी सामग्री की बनी है?

.....

(ग)क्या विश्राम-अवध के प्रत्येक कमरे की ऊँचाई (फर्श-तल से छत के सबसे निचले भाग तक) कम से कम 12 फुट है?

.....

(घ) कैंटीन

(क)क्या भवन Section 24(1)(गाय) तथा उससे संबंधित नियमों की आवश्यकताओं को पूर्णतः पूरा करता है?

.....

(ख)क्या कैंटीन भवन रसोईघरों, भण्डारों, बर्तन-हाउस, खाद्य भंडार, कोयला-घर आदि से कम से कम 50 गज की दूरी पर स्थित है?

.....

(ग)कैंटीन भवन की न्यूनतम ऊँचाई (फर्श-तल से छत के सबसे निचले भाग तक) कितनी है?

.....

(ङ) शिशु-गृह (Creche)

(क)क्या शिशु-गृह का नक्शा Section 24(2) तथा उससे संबंधित नियमों की आवश्यकताओं को पूर्णतः पूरा करता है?

.....

(ख)क्या प्रत्येक की ऊँचाई (फर्श-तल से छत के सबसे निचले भाग तक) फ़र्श से कम 12 फुट है?

.....

प्रमाणन (Certification)

हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त प्रश्नावली के उत्तर सही हैं।

प्रबन्धक (Manager)

.....

इस्तामर्र–अधिभोगी (Occupier)

.....

टिप्पणी

(एक) उपर्युक्त विवरण भरने के पश्चात फोलस्कैप, साइज-स्तर, मय प्रश्नावली तथा प्रपत्र -42 – सलग्न – तीन प्रतियों में – अपने क्षेत्राधिकार के निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता, उत्तरांचल की अधिसूचित हेतु प्रस्तुत किए जाएँ।

(दो) स्थिति-स्थापना नक्शा विनिर्माण प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व, योग्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित सिरता प्रमाणपत्र (Certificate of Stability) प्रपत्र-43 में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्रपत्र-40

(नियम 108 के उप-नियम (4) के खंड (च) तथा Rule 110 के उप-नियम (2) के अनुसार)

फैक्टरी या फैक्टरी के किसी भाग की सिरता का प्रमाणपत्र

(निर्माण पूर्ण होने के बाद तथा कार्य प्रारंभ होने से पूर्व प्रस्तुत किया जाना है)

मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मैंने नीचे वर्णित भवन के नक्शों और विनिर्देशों (plans and specifications), उसके निर्माण में प्रयुक्त प्रासंगिक सामग्री एवं विधियों तथा पूर्ण हो चुके भवन का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया है, और मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि इस का निर्माण इस प्रकार का है कि घोषित प्रयोजनों के लिए इसी फैक्टरी या फैक्टरी के किसी भाग के रूप में उपयोग करने पर इसकी सिरता संतोषजनक रहेगी।

विवरण

1. फैक्टरी का नाम:

.....

2. निर्माता/ठेकेदार (Builder/Contractor) का नाम:

.....

3. निर्माण का सामान्य प्रकार:
(क)हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम (बड़े अक्षरों में):
.....
(ख)पेशा:
.....
(ग)वर्तमान व्यवसाय:
.....
(घ)स्थायी डाक पता:
.....
4. किस प्रयोजन के लिए भवन का उपयोग किया जाना है:
.....
5. किस कक्षभवन के लिए यह प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है (योजना संख्या के संदर्भ सहित):
.....
6. उपरोक्त कक्षभवन में किए जाने वाले कार्य का स्वरूप:
.....
7. प्रयुक्त/प्रस्तावित बल शक्ति (Moving Power) का प्रकार एवं मात्रा:
.....

दिनांक: .....
सक्षम व्यक्ति/संरचनात्मक अभियंता/वास्तुकार के हस्ताक्षर (नाम एवं पदनाम):
.....

अधिभोगी (Occupier) के हस्ताक्षर
(नाम एवं पदनाम)

टिप्पणी:
यह प्रमाणपत्र देने वाला व्यक्ति निम्न में से कोई होना चाहिए-
(क)सिविल इंजीनियर के संस्थान का कॉर्पोरेट सदस्य, या
(ख)संरचनात्मक (Structural) अभियंताओं के संस्थान का कॉर्पोरेट सदस्य, या
(ग)ब्रिटिश वास्तुकारों का मान्य संस्थान का फैलो / एसोसिएट / लाइसेंसिएट, या
(घ)सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक तथा भारतीय अभियंताओं के संस्थान (भारत) का कॉर्पोरेट सदस्य।
किसी व्यक्ति को-सरकारी भवनों के मामलों को छोड़कर (जहाँ कार्यपालक अभियंता से कम पद का अधिकारी नहीं)-निर्माण प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा, यदि वह भवन के स्वामी या निर्माता के पूर्णकालिक रोजगार में नहीं है।

प्रपत्र-41
(नियम 118 के उप-नियम (11) देखें)
फैक्ट्री के साइट-प्लान की स्वीकृति का प्रमाण-पत्र
प्रेषक:
.....
.....
प्रति:
.....
.....

साइट प्लान सं.: F/planfac दिनांक: .....
विषय: फैक्ट्री भवन के नए विस्तार तथा संबंधित भवन योजनाओं एवं निरस्ता प्रमाण-पत्र की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय/महोदया,
कृपया फैक्ट्री भवन के नए / विस्तारित तथा संशोधित भवन योजनाओं एवं निरस्ता प्रमाण-पत्र के साइट-प्लान की स्वीकृति हेतु मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता या ..... (लाइसेंस प्राधिकारी का उल्लेख करें) के समक्ष दिनांक ..... को प्रस्तुत आपके ऑनलाइन आवेदन का संदर्भ है।
उक्त आवेदन को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित शर्तों / कारणों सहित अनुमोदित किया जाता है:

शर्तें / टिप्पणियाँ - 1: .....
शर्तें / टिप्पणियाँ - 2: .....
शर्तें / टिप्पणियाँ - 3: .....
शर्तें / टिप्पणियाँ - 4: .....
समग्र शर्तें / टिप्पणियाँ: .....

साथ ही, दिनांक ____ को स्थिरता प्रमाण-पत्र, जो _____ द्वारा हस्ताक्षरित है, तथा फैक्ट्री योजनाओं में दर्शित कार्य-कक्ष संख्या _____ को _____ हॉर्सपावर विद्युत / _____ हॉर्सपावर डीजल / तेल ईंधन, कुल _____ हॉर्सपावर के उपयोग हेतु स्वीकृत किया जाता है।
इसके अतिरिक्त, आपका ध्यान नियमों के उन प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जिनके अनुसार बिजली की सहायता से कार्य प्रारंभ करने से पूर्व स्थिरता प्रमाण-पत्र जारी कराया जाए एवं उसकी स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्न,

1. योजनाएँ
2. लाइट योजनाएँ
3. प्रस्तावली
4. फोलियाँ
5. स्थिरताप्रमाण-पत्र (प्रपत्र-40)

भवदीय,

_____

_____

प्रपत्र 41

(नियम 108 के उप-नियम (6) देखें)

कारखाने के स्थल-योजना की स्वीकृति का प्रमाण पत्र

प्रेषक,

_____

_____

प्रति,

_____

_____

स्थल योजना संख्या: F/plan/lic: दिनांक

विषय: कारखाने के भवन के नए विस्तार और संशोधन की योजनाओं और स्थिरता प्रमाण पत्र की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया कारखाने के नए विस्तार और संशोधन की योजनाओं और स्थिरता प्रमाण पत्र की स्वीकृति के संबंध में दिनांक _____ को मुख्य निरीक्षक/सह-सुविधाकर्ता या _____ (लाइसेंसिंग प्राधिकारी का उल्लेख करें) को प्रस्तुत किए गए आपके अभिलेखन आवेदन का संदर्भ ले।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों संहिता 2020 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों/कारणों के अधीन आपका उपरोक्त आवेदन तत्काल अनुमोदित किया जाता है:
शर्तें/टिप्पणियाँ-1
शर्तें/टिप्पणियाँ-2
शर्तें/टिप्पणियाँ-3
शर्तें/टिप्पणियाँ-4
सभी शर्तें/टिप्पणियाँ

दिनांक _____ का स्थिरता प्रमाण पत्र, जिस पर _____ द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और जिसका कार्यकक्ष क्रमांक _____ है, और जैसा कि कारखाने के नक्शे क्रमांक _____ में दर्शाया गया है, _____ हॉर्सपावर विद्युत/ _____ हॉर्सपावर डीजल/तेल ईंधन के उपयोग के लिए अनुमोदित है। कुल _____ हॉर्सपावर के उपयोग की अनुमति है। इसके अतिरिक्त, इन नियमों के प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार बिजली की सहायता से कार्य शुरू करने से पहले स्थिरता प्रमाण पत्र जारी करना और उसकी स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्न:
1. योजनाएँ
2. स्थल योजनाएँ
3. प्रक्रियावली
4. प्रपत्र-42
5. प्रवाह चार्ट
6. स्थिरता प्रमाणपत्र (प्रारूप-430)

आपका

प्रपत्र-42

(नियम 108 के उप-नियम (1), नियम 110 के उप-नियम (2), नियम 111 के उप-नियम (2) देखें)

पंजीकरण तथा लाइसेंस के अनुदान / नवीनीकरण / संशोधन हेतु अभियोग की सूचना

लाइसेंस संख्या: _____

कारखाने का पूर्व नाम एवं (यदि पूर्व में पंजीकृत हो) उसका लाइसेंस नंबर: _____

1. कारखाने का डाक पता एवं स्थिति:
(जिसमें ग्राम, तहसील, जनपद तथा पिनकोड सम्मिलित हो)
_____

2. कारखाने से संबंधित पत्राचार भेजे जाने का पता:
_____

3. कारखाने का संपर्क नंबर:
_____

4. कारखाने का ई-मेल पता:
_____

5. विनिर्माण प्रक्रिया / प्रक्रियाओं का विवरण:
(क)अगले कारहमहीनों में कारखाने में की जाने वाली (मौजूदा कारखानों के मामले में)
_____
(ख)अगले कारहमहीनों में कारखाने में की जाने वाली (समस्त कारखानों के मामले में)
_____
(ग)राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण-2008 (NIC) कोड का विवरण–
(एक) उप-वर्ग (6 अंकों का): _____
(दो) NIC के अनुसार विवरण: _____

6. पिछले कारहमहीनों में नियोजित प्रमुख उत्पादों के नाम एवं उनके मूल्य:
_____

7. मानव-बल:
(क)वर्ष के दौरान किसी एक दिन में नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या: _____
(ख)पिछले कारहमहीनों में किसी एक दिन में नियोजित श्रमिकों की अधिकतम संख्या: _____
(ग)कारखाने में नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की संख्या: _____

8. प्रयुक्त की जाने वाली शक्ति:
(क)स्थापित या प्रस्तावित कुल शक्ति (किलोवाट) का प्रकार एवं मात्रा: _____
(ख)प्रयुक्त की जाने वाली अधिकतम शक्ति (किलोवाट): _____

टिप्पणी: यदि प्रारंभ में शक्ति का उपयोग प्रस्तावित नहीं है, परंतु बाद में किया जाता है, तो इसकी सूचना तुरंत मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को दी जाएगी।

9. नियम के प्रारंभ की तिथि के बाद निर्मित या विस्तारित कारखाने के मामले में–
(क)शेड / भवन योजनाओं (पुराने या नए भवन, निर्माण या विस्तार) की स्वीकृति का संदर्भ संख्या एवं तिथि, जिसे राज्य सरकार / मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता द्वारा अनुमोदित किया गया हो: _____

(ख)नगरपालिक अपशिष्ट एवं बहिर्वाह (यदि कोई हो) के निस्तारण हेतु की गई व्यवस्थाओं की स्वीकृति का संदर्भ संख्या एवं तिथि तथा स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकरण का नाम: _____

10. निम्नलिखित के पूर्ण नाम, पिता का नाम एवं अद्यतनीय पता:
(क)संहिता के प्रयोजनों के लिए कारखाने का प्रबंधक: _____
(ख)कारखाने का अधिभोक्ता (Occupier): _____

11. यदि कारखाना संहिता की धारा 80 के अंतर्गत आता है, तो जिस परिसर / भवन में कारखाना स्थित है, उसके स्वामी का पूर्ण नाम, पिता का नाम एवं पता: _____

12. अर्धवार्षिक (यदि लागू हो) एवं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया (हाँ / नहीं): _____

13. प्रबंधक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि: _____

14. अधिभोक्ता द्वारा परिसर पर कब्जा किए जाने की तिथि या प्रस्तावित कब्जे की तिथि: _____

15. शुल्क का विवरण:
(बैंक / ई-चालान / इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान की गई राशि (रुपये में), संदर्भ संख्या एवं तिथि: _____

16. अंतिम वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि: _____

17. परिसर हेतु उत्तराखंड अग्नि नियंत्रण सेवाओं से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) की वैधता: _____

लाइसेंस में संशोधन

जिस वर्ष संशोधन किया गया	वैधता अवधि	किसी एक दिन में कार्यरत श्रमिकों की अधिकतम संख्या	स्थापित कुल विद्युत शक्ति (किलोवाट)	विनिर्माण प्रक्रिया	अधिभोगियों/प्रबंधक का नाम	परिसर के पते में परिवर्तन	लाइसेंस में किए गए संशोधन का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

विद्युत स्थापित क्षमता में वृद्धि की स्थिति में, कुल स्थापित विद्युत शक्ति का विवरण अलग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अधिभोगी के पूर्ण हस्ताक्षर _____

प्रबंधक के पूर्ण हस्ताक्षर _____

मोहर के पूर्ण हस्ताक्षर (यदि कोई हो) _____

दिनांक: _____

टिप्पणियाँ (Notes):

1. यह प्रपत्र मसौदा अवस्था में बड़े अक्षरों (CAPS) या टाइप प्रारूप में भरा जाना चाहिए।
2. यदि किसी मद के अंतर्गत सूचित करने योग्य जानकारी नहीं है, तो वह मद खाली छोड़ कर अंकित किया जाना चाहिए।
3. उन कारखानों के मामले में जहाँ अस्थायी कम्पनी अधिनियम, 1913 (1913 का VII) के अंतर्गत किसी प्रबंध एजेंट या एजेंट को अधिभोगी के रूप में नियुक्त किया गया हो, तो आवश्यक जानकारी उस व्यक्ति या व्यक्तियों के संबंध में प्रदान की जानी चाहिए।

प्रपत्र-43

[नियम 109 के उप-नियम (2), नियम 110 के उप-नियम (5), नियम 111 के उप-नियम (4) तथा नियम 112 के उप-नियम (3) के अंतर्गत]

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यपरिस्थितियाँ संहिता, 2020 के अंतर्गत कारखाने का लाइसेंस (कारखाना संचालन हेतु लाइसेंस)

पंजीकरण संख्या: -

पुराना पंजीकरण संख्या: -

जारी करने की तिथि: -

शुल्क: ₹ _____

लाइसेंस प्राप्त करने वाले का नाम: श्री / श्रीमती _____

उक्त व्यक्ति को निम्नलिखित परिसर में कारखाने के रूप में प्रयोग हेतु लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

अधिकतम श्रमिक संख्या (किसी एक दिन में): ____

अधिकतम प्रयुक्त प्रेरक शक्ति: ____ kW

यह लाइसेंस व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यपरिस्थितियाँ संहिता, 2020 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन होगा।

यह लाइसेंस, जब तक नवीनीकृत न किया जाए, ____ तक प्रभावी रहेगा।

लाइसेंस प्राप्त परिसर का विवरण

प्लान संख्या: _____

दिनांक: __/__/__

लाइसेंस प्राप्त परिसर: M/s _____

पता: _____

दिनांक : ——

यह परिसर स्वीकृत लाइट प्लान एवं विस्तृत प्लान में दर्शाए गए परिसर से मेल खाता है।

क्र.सं.	निर्गत अवधि	वैधता		शुल्क	कातन संख्या एवं भुगतान की तिथि
		किसी भी एक दिवस में अधिकतम श्रमिकों की संख्या	स्थापित कुल शक्ति(kW)		

लाइसेंस नवीनीकरण का विवरण

	नवीनीकरण की तिथि	नवीनीकरण हेतु अदा किया गया शुल्क	समाप्ति की तिथि
1			
2			

मुख्य निरीक्षक-सह-फैसिलिटेटर /
लाइसेंसिंग प्राधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी

1. यह एक कम्प्यूटर जनित लाइसेंस है।
2. इस लाइसेंस का सत्यापन उत्तराखंड सरकार के श्रम विभाग की वेबसाइट से किया जा सकता है।

यह लाइसेंस आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर ही जारी किया गया है।
इसमें निहित जानकारी की शुद्धता के लिए श्रम विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
यह लाइसेंस संबंधित विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) की वैधता के अधीन प्रभावी रहेगा।

प्रपत्र-44

(नियम 112 के उप-नियम (2) और नियम 115 के अंतर्गत)

अधिकारिता का नोटिस (Notice of Occupation)

लाइसेंस संख्या: ——

वर्ष के लिए: ——

1. कारखाने का पूर्ण नाम और उसका लाइसेंस नंबर:

——

2. पता एवं संपर्क विवरण

(क)कारखाने का पता और स्थिति (थाना, तहसील, जिला सहित): ——

(ख)पत्राचार का पता: ——

(ग)कारखाने का ईमेल नंबर और ईमेल पता: ——

3. आगामी कारवाहीनों में कारखाने में बताए जाने वाले निर्माण/उत्पादन की प्रकृति:

——

4. पिछले कारवाहीनों में उत्पादित मुख्य उत्पादों के नाम एवं मूल्य:

——

5. श्रमिक-बल

(क)वर्ष के किसी भी एक दिन में नियोजित अधिकतम श्रमिकों की संख्या: ——

(ख)पिछले कारवाहीनों में किसी भी दिन में नियोजित अधिकतम श्रमिकों की संख्या: ——

(ग)वर्तमान में कारखाने में वास्तविक रूप से नियोजित श्रमिकों की संख्या: ——

6. शक्ति विवरण

(क)स्थापित शक्ति का प्रकार और कुल मात्रा (H.P.): ——

(ख)अधिकतम शक्ति (H.P.): ——

नोट: यदि प्रारंभ में बिजली का प्रयोग प्रस्तावित नहीं था, पर बाद में लागू किया गया, तो इसकी सूचना तुरंत मुख्य निरीक्षक-सह-फैसिलिटेटर या लाइसेंसिंग प्राधिकारी को दी जानी चाहिए।

7. निर्माण/लाइट योजना की स्वीकृति (यदि लागू हो)

(एक) साइट योजना की स्वीकृति का संदर्भ संख्या एवं दिनांक (पुराना या नया भवन, निर्माण/विस्तार हेतु राज्य सरकार/मुख्य निरीक्षक-सह-कैसिलिटेटर द्वारा अनुमोदित): _____
(दो) व्यापार अपशिष्ट और उत्सर्जन के निपटान हेतु किए गए प्रबंधों की स्वीकृति का संदर्भ संख्या एवं दिनांक और स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी का नाम: _____

8. प्रबंधक और अधिभोगी का विवरण
(एक) कारखाने का प्रबंधक (Manager):
पूर्ण नाम: _____
पिता का नाम: _____
आवासीय पता: _____
(दो) कारखाने का अधिभोगी (Occupier):
पूर्ण नाम: _____
पिता का नाम: _____
आवासीय पता: _____

9. यदि कारखाना संहिता की धारा 80 के अंतर्गत है
भवन/परिसर के मालिक का पूर्ण नाम, पिता का नाम और पता: _____

10. रिटर्न जमा किया गया:
(हाँ / नहीं) _____

11. प्रबंधक द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि: _____
12. अधिभोगी द्वारा कब्जा में प्रवेश करने/प्रवेश कर लेने की तिथि: _____

घोषणा

मैंइस यह घोषणा करते हैं कि हमारा कारखाना मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020 के समस्त प्रावधानों का पालन कर रहा है/करेगा।

अधिभोगी के पूर्ण हस्ताक्षर: _____
प्रबंधक के पूर्ण हस्ताक्षर: _____
तिथि: _____

प्रपत्र-45
(नियम 116 के उप-नियम (2) के अंतर्गत)
प्रबंधक परिवर्तन की सूचना (Notice of Change in Manager)

1. कारखाने का नाम और फैक्टरी लाइसेंस नंबर:
_____
2. कारखाने का पता:
_____
3. सेवानिवृत्त/स्थानांतरित प्रबंधक का नाम:
_____
4. नए प्रबंधक का विवरण
नाम: _____
डाक/आवासीय पता: _____
टेलीफोन नंबर (यदि हो): _____
5. नए प्रबंधक द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि:
_____

तिथि: _____
स्थान: _____
हस्ताक्षर:
नए प्रबंधक: _____
अधिभोगी (Occupier): _____

प्रपत्र-46

(नियम 144 के उप-नियम (6) के अंतर्गत)

पर्यवेक्षण, प्रबंधन या गोपनीय पदों पर कार्यरत व्यक्तियों का रजिस्टर

कारखाने का नाम: _____

लाइसेंस नंबर: _____

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	कार्यमुक्त की तिथि
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

प्रपत्र-47

(नियम 147 के उप-नियम (8) के अंतर्गत)

आवास का वार्षिक विवरण

वार्षिक रिटर्न वर्ष: _____

1. बाग का नाम: _____
2. बाग लगाने का पता और स्थान: _____
3. नियोक्ता का नाम और पता: _____
4. वह वर्ष जिसमें बाग इस कोड के अंतर्गत आया: _____
5. बाग में रहने वाले मजदूरों की कुल संख्या (अंकित तिथि): _____
6. आवास की आवश्यकता वाले स्थायी मजदूरों की संख्या: _____
7. प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाने वाले घरों की संख्या: _____
8. प्रदान किए गए घरों की संख्या:
   i. नए घरों का निर्माण: _____
   ii. पुराने घरों का रूपांतरण/नवीनीकरण: _____
9. कारण यदि आइटम संख्या 7 के अनुसार घर उपलब्ध नहीं कराए गए: _____

तिथि: _____

नियोक्ता का मोहर और हस्ताक्षर: _____

प्रपत्र-48

(नियम 158 के उप-नियम (1) के अनुसार)

उल्लंघन करने वाले नियोक्ता को कम्पाउंडिंग अधिकारी द्वारा नोटिस

(कोड के धारा 114(1) के तहत अपराधों के कम्पाउंडिंग हेतु)

नोटिस

प्रति,

(नियोक्ता का नाम): _____

M/s: _____

पता: _____

महोदय,

आपके आवेदन दिनांक _____ के संदर्भ में, जिसमें आपने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 37, 2020) के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु किए गए अपराधों की कम्पोजिशन की मांग की है;

चूँकि आपने उक्त अपराधों की कम्पोजिशन के लिए आवेदन किया है, आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध आरोप लगाया गया है कि आप/आपकी कम्पनी/संस्थान ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 37, 2020) की धारा(ओं) _____ का उल्लंघन किया है।

आपके आवेदन की जांच के उपरांत पाया गया कि धारा(ओं) _____ के उल्लंघन कम्पाउंडेबल हैं, जबकि धारा(ओं) _____ के तहत अपराध कम्पाउंड नहीं किए जा सकते, कारण नीचे दिए गए हैं -

1. _____
2. _____

उपरोक्त अपराधों के कम्पोजिशन हेतु आपको रुपये _____ जमा करने हेतु निर्देशित किया जाता है। इस नोटिस के जारी होने की तिथि से पंद्रह दिन के भीतर उक्त राशि जमा करें।

यदि आप निर्दिष्ट समय में राशि जमा करने में असफल रहते हैं, तो आपको कोई और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और कोड के प्रावधानों के अनुसार धारा(ओं) _____ के अधीन अभियोजन की दिशा जारी की जाएगी।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप उपरोक्त कम्पाउंडिंग राशि निर्दिष्ट समय में जमा नहीं करते हैं, तो आपको कोड की धारा 114(3) के प्रावधानों के अनुसार राशि अधिरोपण करनी होगी।

यह नोटिस मेरे हस्ताक्षर और मोहर के साथ दिनांक _____, _____ 20... को निर्गत किया गया।

कम्पाउंडिंग अधिकारी
(मुहर)
प्रतिलिपि:
अधिकार क्षेत्र वाले इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर

प्रपत्र-49
(नियम 171 के अनुसार)
सेक्शन 119 के तहत सामान्य लाइसेंस के लिए आवेदन

सामान्य आवेदन (लाइसेंस / नवीनीकरण / लाइसेंस में संशोधन के लिए, धारा 119 के अधीन)		
	क. अधिष्ठान की प्रोफाइल	
1	अधिष्ठान का नाम	
2	अधिष्ठान का पता	
	(a) मुख्यालय का पता और ई-मेल आईडी	
	(b) कॉर्पोरेट कार्यालय का पता और ई-मेल आईडी	
	(c) स्थापना का स्थान और ई-मेल आईडी	
3	कंपनी नंबर	
4	NIC (राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण) के अनुसार गतिविधि (समस्त लागू गतिविधियाँ चुनें)	
5	प्रभावित NIC कोड का विवरण	
6	मुख्य अधिष्ठान में किए जाने वाले कार्य का प्रकार	
7	अधिष्ठान की पहचान: (चुनें - e-sign/ digital sign)	
	(ख) नियोक्ता का विवरण	
1	नियोक्ता/अधिष्ठापकर्ता का पूरा नाम	
2	अधिष्ठान के साथ संबंध	
3	नियोक्ता/ अधिष्ठापकर्ता का पूर्णपता	
4	नियोक्ता/ अधिष्ठापकर्ता का ई-मेल आईडी	
5	समस्त अधिष्ठापकर्ता/साझेदार/निदेशकों के विवरण संलग्न किए जाना	

	(ग) कारखाने का विवरण					
1	कारखाने का नाम	कारखाने का पूरा पता	NIC (राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण) के अनुसार गतिविधि	कारखाने के लागू में लागू होने की तिथि	नियोजित की जाने वाली अधिकतम श्रमिक (कैलेंडर)	वे संस्थान जिनमें श्रमिकों को नियोजित किया जाना है
	1	2	3	4	5	6
1	प्रबंधक/कारखाना प्रबंधक का नाम, स्थायी पता और मोबाइल नंबर					
2	किसी भी दिन संस्थान में नियोजित किए जाने वाले अधिकतम श्रमिकों की संख्या					
3	भुगतान की गई लाइसेंस शुल्क की राशि					

4	लेन-देन ID / भुगतान का प्रमाण	
5	कारखाने में किए जाने वाले उत्पादन / निर्माण की प्रक्रिया	

(घ) नियोजित संविदा श्रमिकों का विवरण (यदि लाइसेंस कार्यानुसार आवश्यक हो)		
1	कार्यस्थलों का स्थान	
2	संस्थान/स्थापना में किए जाने वाले कार्य का प्रकार / NIC (राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण) के अनुसार गतिविधि	
3	उन संस्थानों के नाम जहाँ संविदा श्रमिक नियोजित किए जाने का प्रस्ताव है	
4	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	
5	कार्य पूर्ण करने की तिथि	
6	साइट प्रभारी का नाम, पता और ई-मेल	
7	किसी भी दिन संस्थान में नियोजित किए जाने वाले अधिकतम श्रमिकों की संख्या	
8	भुगतान की गई लाइसेंस शुल्क की राशि	
9	सुरक्षा जमा राशि	
10	लेन-देन आईडी / भुगतान का प्रमाण	
11	पंजीकरण संख्या (यदि प्राप्त हो) और संबंधित विवरण	

(ङ) उन संस्थानों का विवरण जिनके लिए एकल लाइसेंस आवश्यक है (बीड़ी और सिगार के लिए)		
1	क्या आवेदक वर्तमान ट्रेड और मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट के तहत ट्रेडमार्क धारक है?	
2	क्या प्रस्तावित औद्योगिक परिसर का स्थान किसी मौजूदा परिसर के स्थान में बदलाव के बराबर है, और यदि हाँ, तो इस बदलाव का कारण क्या है?	
3	क्या आवेदक द्वारा निर्मित बीड़ी या सिगार या दोनों स्वयं बेचे और वितरण किए जाएंगे, या किसी पात्रित या वर्तमान ट्रेड और मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट के पंजीकृत उपयोगकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से?	
4	किसी भी समय/दिन में नियोजित किए जाने वाले अधिकतम श्रमिकों की संख्या	
5	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	
6	स्थान या परिसरों की योजना, उन क्षेत्रों का विवरण जो उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किए जाएंगे, और उनके तत्काल आसपास का क्षेत्र आदि	

आवेदन की तिथि

नियोक्ता/अधिष्ठापकर्ता का हस्ताक्षर

लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन

1	लाइसेंस संख्या और दिनांक	
2	पंजीकरण संख्या	
3	LIN और PAN (केवल संविदा श्रमिक कार्य के लिए)	
4	NIC कोड संख्या (जैसाकि लाइसेंस में दिया गया है)	
5	कारखाना / प्रतिष्ठान का नाम और पता	
6	वह पूर्ण पता जहाँ पर संचार किया जाएगा (यदि कारखाने का पता संचार हेतु पर्याप्त है, तो इसकी आवश्यकता नहीं)	
7	उत्पादन प्रक्रिया का फ्लोचार्ट, जिसमें शिल्पित चरणों में प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण, कच्चा माल, प्रयुक्त मध्यवर्ती उत्पाद, विषाक्त गैसों का उत्सर्जन आदि, तैयार उत्पाद, उनकी मात्रा, भंडारण और हैंडलिंग के तरीके, सोर्सिंग और परिवहन और आवश्यक अपशिष्ट तथा अपशिष्ट के निपटान की व्यवस्था का विवरण (संलग्न करना आवश्यक है)	

8	वर्ष के किसी भी दिन अधिकतम नियोजित श्रमिकों की संख्या	
9	स्थापित शक्ति (हार्स पी)	
10	आवश्यक शुल्क का विवरण और जमा किए जाने का प्रमाण	
11	पिछले लाइसेंस की समाप्ति तिथि	
12	क्या नियोक्ता / संविदा श्रमिक के लाइसेंस को निलंबित या रद्द किया गया था?	

आवेदन की तिथि

नियोक्ता/ अधिष्ठापनकर्ता का हस्ताक्षर

लाइसेंस संशोधन के लिए आवेदन

1	लाइसेंस संख्या और दिनांक	
2	LIN और PAN (केवल संविदा श्रमिक कार्य के लिए)	
3	कारखाना / प्रतिष्ठान का नाम और पता	
4	वर्तमान में नियोजित श्रमिकों की अधिकतम संख्या	
5	जिसके लिए संशोधन अपेक्षित है: (क)प्रतिष्ठान में नियोजित श्रमिकों की अधिकतम संख्या (ख)श्रमिकों की संख्या में परिवर्तन (यदि श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के कारण अधिकतम संख्या संशोधित करनी हो, तो नियमों के अनुसार अतिरिक्त शुल्क / सुरक्षा जमा करना आवश्यक है) (ग)शक्ति में परिवर्तन (हार्स पी) (घ)अधिष्ठापक या कारखाना प्रबंधक के नाम में परिवर्तन (ङ)कारखाने के नाम में परिवर्तन	
(a)	कारखाने में किए जाने वाले निर्माण / उत्पादन प्रक्रियाओं का विवरण (प्रक्रियाओं की सूची)	
(b)	यदि उत्पादन प्रक्रिया में संशोधन हो, तो पहले की गई उत्पादन प्रक्रिया का विवरण (प्रक्रियाओं की सूची)	
(c)	आवश्यक शुल्क का विवरण और जमा किए जाने का प्रमाण	
(d)	क्या विवरण, जिसमें जारी लाइसेंस में संशोधन आवश्यक है (परिवर्तन के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज संलग्न / अपलोड किए जा सकते हैं)	
(e)	लाइसेंस संख्या और दिनांक	
6	LIN और PAN (केवल संविदा श्रमिक कार्य के लिए)	(प्रक्रियाओं की सूची)
7	कारखाने / प्रतिष्ठान का नाम और पता	(प्रक्रियाओं की सूची)
8	वर्तमान में नियोजित श्रमिकों की अधिकतम संख्या	
9	जिस विवरण के लिए संशोधन अपेक्षित है: (क)वर्तमान में नियोजित श्रमिकों की अधिकतम संख्या (ख)श्रमिकों की संख्या में परिवर्तन (यदि श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के कारण अधिकतम संख्या संशोधित करनी हो, तो नियमों के अनुसार अतिरिक्त शुल्क / सुरक्षा जमा कराना आवश्यक है) (ग)शक्ति में परिवर्तन (हार्स पी) (घ)अधिष्ठापक या कारखाना प्रबंधक के नाम में परिवर्तन (ङ)कारखाने के नाम में परिवर्तन	

आवेदन की तिथि

नियोक्ता/ अधिष्ठापनकर्ता का हस्ताक्षर

--जो लागू न हो उसे रेखांकित करें।

प्रपत्र-60

(See sub-rule (3) of Rule 172)

सामान्य लाइसेंस प्रमाणपत्र (धारा 119(2) के अधीन)

लाइसेंस संख्या: _____ पंजीकरण संख्या: _____

NIC विवरण: _____ दिनांक: _____

प्रमाणित किया जाता है कि _____ को उपरोक्त परिसर, जिसका पता _____ है, कारखाना / प्रतिष्ठान के रूप में उपयोग के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है। यह लाइसेंस व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020 की धारा 119 और इसके अंतर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अधीन है।

अनुमोदन: कारखाने की योजना को _____ (दिनांक) को योजना संख्या _____ द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह उत्तराखण्ड कारखाना निदेशक/उप निदेशक/सहायक कारखाना निदेशक _____ के अधिकार क्षेत्र में है।

लाइसेंस का विवरण

	निर्गत तक दि	वैधता		लाइसेंस शुल्क का भुगतान	देर से भुगतान लिए जाने पर अतिरिक्त शुल्क	भुगतान किया गया सुरक्षा धनराशि या सुरक्षा जमा धनराशि	भुगतान की तिथि
		किसी एक दिन में अधिकतम अनुबंधित श्रमिक/कर्मचारियों की संख्या	प्रक्रम में प्रयुक्त अधिकतम विद्युत शक्ति (एच.पी.)				
प्रदान किए गए लाइसेंस का विवरण							
नवीनीकरण का विवरण							

नामित प्राधिकारी

संशोधन

संशोधन की तिथि	किया गया संशोधन	संशोधन शुल्क और	अतिरिक्त शुल्क

	श्रमिक	स्थितपत्रित	अन्य उपाधियों का विवरण	भुगतान की तिथि	(यदि कोई हो) और भुगतान की तिथि

नामित प्राधिकारण

परिशिष्ट

यह एकल लाइसेंस, कोड के अनुभाग 119(2) के उप-खंड के तहत, निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

1. यह लाइसेंस केवल व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020 और इसके अंतर्गत बने नियमों के उप-नियम 119(1) के प्रयोजनों के लिए है।
2. संस्थान में अनुबंधित श्रमिक / प्रवासी श्रमिकों की संख्या किसी भी दिन लाइसेंस में निर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी।
3. नियमों में निर्दिष्ट अपवादों को छोड़कर, लाइसेंस देने या नवीनीकरण के लिए भुगतान किया गया शुल्क अप्रतिदेय होगा।
4. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली मजदूरी की दरें वेतन संहिता, 2019 (29 of 2019) के अनुसार निर्धारित न्यूनतम दरों से कम नहीं होंगी, जहाँ दरें समझौते, समझौता निर्णय, पुरस्कार, या श्रम अदालत द्वारा निर्धारित की गई हों, वहाँ निर्धारित दरों से कम नहीं होंगी।

   (क)यदि ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिक वही या समान प्रकार का कार्य करते हैं जो मुख्य नियोक्ता के कॉन्ट्रैक्चुअल श्रमिक करते हैं, तो ठेकेदार के श्रमिकों की मजदूरी, छुट्टियाँ, कार्य घंटे और शेष सभी अन्य शर्तें उसी प्रकार होंगी जैसा कि मुख्य नियोक्ता के कॉन्ट्रैक्चुअल श्रमिकों के लिए लागू है।

   अतः यदि कार्य के प्रकार पर कोई असहमति हो, तो संबंधित निर्धारित प्राधिकारी या अधिकार क्षेत्र वाले निरीक्षक-सह-समन्वयक द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

   (ख)अन्य मामलों में, ठेकेदार के श्रमिकों की मजदूरी, छुट्टियाँ, कार्य घंटे और शेष की शर्तें संबंधित प्राधिकारी या निरीक्षक-सह-समन्वयक द्वारा निर्धारित की जाएँगी।
5. प्रत्येक अनुबंधित / प्रवासी श्रमिक को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020 (37 of 2020) और संबंधित नियमों के अनुसार भत्ते, छुट्टियाँ और लाभ प्रदान किए जाएँगे।
6. प्रत्येक प्रतिष्ठान जहाँ नियमित रूप से 20 या अधिक महिलाएँ नियोजित हैं, वहाँ उनके लाइ कार्य के समय उम्र के बच्चों के लिए दो उचित आकार के कमरे उपलब्ध कराए जाएँगे। एक कमरा बच्चों के खेल के लिए और दूसरा सोने के लिए होगा। ठेकेदार खेलकूद में पर्याप्त खिलौने और खेल तथा सोने के कमरे में पर्याप्त बिस्तर और बिस्तर सामग्री उपलब्ध कराएगा।
7. लाइसेंसी किसी भी समय श्रमिकों की संख्या या कार्य की शर्तों में बदलाव अधिकारियों को सूचित करेगा।
8. लाइसेंस की एक प्रति उस स्थान पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी जहाँ अनुबंध कार्य किया जा रहा है।
9. ठेकेदार समस्त प्रावधानों और नियमों का पालन करेगा।
10. लाइसेंसी प्रत्येक अनुबंध कार्य के प्रारंभ और समाप्ति के पंद्रह दिन के भीतर, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020 (37 of 2020), उप-धारा 46 के तहत निर्दिष्ट अधिकारी को प्रासंगिक फॉर्म में प्रारंभ या समाप्ति की वास्तविक तिथि सूचित करेगा।
11.

प्रपत्र-51

[illegible] / नियोजन प्रणाली की परीक्षा एवं परीक्षण रिपोर्ट

1. प्रणाली का विवरण
2. हुड (Hood)

   (क)हुड का क्षेत्रफल

   (ख)पकड़ा गया प्रदूषक

   (ग)कैप्चर वेग (निर्दिष्ट बिंदुओं पर)

   - डिज़ाइन मान

   - वास्तविक मान

   (घ)हुड से निकासित वायु की मात्रा

   (ङ)हुड स्थैतिक दाब

3. कुल दबाव ह्रास (Total Pressure Drop) पर:
   (क)बॉड़
   (ख)प्रणाली के अन्य बिंदु (निर्दिष्ट करें)
4. डक्ट में परिवहन वेग (Transport Velocity in Duct) - डक्ट के विभिन्न बिंदुओं पर निर्दिष्ट करें
5. वायु शोधन उपकरण (Air Cleaning Device)
   (क)प्रयुक्त प्रकार
   (ख)इनलेट पर वेग
   (ग)इनलेट पर स्थैतिक दबाव
   (घ)आउटलेट पर वेग
   (ङ)आउटलेट पर स्थैतिक दबाव
6. फैन (Fan)
   (क)प्रकार
   (ख)संभाली गई वायु की मात्रा
   (ग)स्थैतिक दबाव
   (घ)फैन के आउटलेट पर दबाव ह्रास
7. फैन मोटर (Fan Motor)
   (क)प्रकार
   (ख)गति और शक्ति (किलोवाट में)
8. परीक्षण के दौरान किसी घटक में पाए गए दोष (यदि कोई हो)

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि दिनांक (___) को उपरोक्त धूल निष्कर्षण प्रणाली को पूरी तरह साफ किया गया और (जहाँ तक इसकी संरचना अनुमति देती है) पूरी तरह निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया गया।
मैं यह भी प्रमाणित करता / करती हूँ कि उक्त दिनांक को मेरे प्रणाली के समक्ष घटक एवं फिटिंग्स का पूरी तरह निरीक्षण किया और यह रिपोर्ट मेरी परीक्षा का सत्यापन है।
हस्ताक्षर: _____
नाम: _____
पद: _____
तिथि: _____
(यदि किसी कारखाना या संघ द्वारा नियुक्त, तो कारखाना / संघ का नाम और पता)

आज्ञा से,

डॉ0 श्रीधर बाबू अद्दांकी,
सचिव।